अष्टम माला, खण्ड 37, अंक 28

मंगलवार, 5 अप्रैल, 1988

16 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

...MENT LIBRARY
No 59
Date 4/10/88

(खण्ड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 37, दसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 28, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1988/16 चैत्र, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
इराक के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 552, 554, 558, 559, 565 और 567 से 569	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24—220
तारांकित प्रश्न संख्या : 553, 555, 556, 557, 560 से 564, 566, 570 और 571	24—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5681 से 5845 और 5847 से 5894	33—220
सभा पटल पर रखे गए पत्र	225—227
राज्य सभा से सन्देश	227
समिति के लिए निर्वाचन	227—228
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट	
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	228
नियम 377 के अधीन मामले :	228—232
(एक) पशुओं तथा पक्षियों की बलि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाना	
श्रीमती किशोरी सिंह	228—229
(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सुधारने के लिए कदम उठाना	
श्री शान्ति धारीवाल	229

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में ... ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) पानी की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को गहरी ड्रिलिंग करने वाली मशीनों और रिगों की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता	
श्री कृष्णा सिंह	229—230
(चार) सागर और कटनी होते हुए बीना से वाराणसी के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना	
श्री नन्दलाल चौधरी	230
(पांच) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित ओपियम एण्ड अल्कालायड फैक्टरी को पुन: चालू करने के लिए कदम उठाना	
श्री जैनुल बशर	230—231
(छ:) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन आयोग के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन	
श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर	231
(सात) अनुबन्ध समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों से केरल वापस आने वाले कामगारों के पुनर्वास के लिए निधि बनाना	
श्री के० मोहनदास	231
(आठ) देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आधारित योजना का क्रियान्वयन	
श्री भीष्म देव दुबे	232
अनुदानों की मांगें, 1988-89	232—279
वस्त्र मन्त्रालय	
श्री बी० बी० रमैया	232—235
श्री जैनुल बशर	235—238
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	238—239
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	239—240
श्री तम्पन थामस	240—243
श्रीमती बसवराजेश्वरी	244—248
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	248—250

विषय	पृष्ठ
श्री विजय कुमार यादव	250—252
श्री उत्तम राठौड़	252—254
श्री अमर राय प्रधान	254—257
श्री जी० एस० बसवराजू	257—259
श्री आशुतोष लाहा	259—261
प्रो० सैफुद्दीन सोज	261—263
श्री सत्यनारायण पंवार	263—265
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	265
श्री राम निवास मिर्धा	265—279
तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	280—292
तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक	280—292
और	
तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक	280—293
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
सरदार बूटा सिंह	280—281 और 283—285
श्री भजन लाल	281
श्री एस० तंगराजु	282 और 286—287
श्री सैफुद्दीन चौधरी	282—283
तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	
खण्डवार विचार	286—287
पारित करने के लिए प्रस्ताव	287—292
सरदार बूटा सिंह	287 और 289—292
श्री सोमनाथ चटर्जी	287—289
तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक	
खण्डवार विचार	292
पारित करने के लिए प्रस्ताव	292
श्री भजन लाल	292

विषय	पृष्ठ
तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक	
खण्डवार विचार	293
पारित करने के लिए प्रस्ताव	293
श्री भजन लाल	293
अनुदानों की मांगें, 1988-89—(जारी)	
ऊर्जा मन्त्रालय	293—316
श्री तम्पन थामस	294—301
श्री दामोदर पाण्डे	301—306
श्री विजय एन० पाटिल	306—309
श्री अताउर्रहमान	309—312
श्री राम सिंह यादव	312—314
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	314—316

लोक सभा

मंगलवार, 5 अप्रैल, 1988/16 चैत्र, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इराक के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से इराक गणतन्त्र की राष्ट्रीय एसेम्बली के अध्यक्ष महामहिम डा० सादून हम्मादी और इराक के संसदीय शिष्टमण्डल के अन्य माननीय सदस्यों का, जो भारत की यात्रा पर हैं और हमारे मेहमान हैं, स्वागत करते हुए खुशी हो रही है।

इस शिष्टमण्डल के अन्य सदस्यों के नाम हैं :—

(1) डा० तल्लाल आशूरवादी, संसद सदस्य

(2) श्री जुवाद रिदा अबुअलहब्ब, संसद सदस्य

(3) श्री खीदेर अब्दुल अजीज अलदूरी, संसद सदस्य

(4) डा० हसन करीम फत्ताह, संसद सदस्य।

शिष्टमण्ड 4 अप्रैल, 1988 को सायंकाल दिल्ली पहुंचा। इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश का उनका दौरा आनन्ददायक और लाभप्रद रहे। हम उनके माध्यम से महामहिम प्रेजीडेंट, राष्ट्रीय असैम्बली, सरकार और इराक गणतन्त्र के मैत्रीपूर्ण लोगों को भी बधाई और शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र

*552. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्धा में ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब खोला गया था और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र देश में ग्रामीण विद्युतीकरण सहित समन्वित ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं में लगे तकनीकी और अर्ध-तकनीकी कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यक्रम चलाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ). वर्धा में 19-7-1987 को एक विद्युत एवं समेकित ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र खोला गया था। इस केन्द्र में ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्यों सहित समन्वित ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं में लगे तकनीकी तथा अर्ध-तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 1987-88 के दौरान महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड एवं मूला प्रवाड़ा ग्राम विद्युत सहकारी सोसाइटी के लाइनमैन तथा सहायक लाइनमैन को प्रशिक्षित किया गया। ऐसा कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, पावर और इनर्जी मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको करने से वास्तव में 10 प्रतिशत हमारी इनर्जी की बचत हो सकती है। इसके लिए महाराष्ट्र में और विशेषकर वर्धा में मन्त्री जी ने जो केन्द्र खोला है, उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र विद्युत मण्डल और मूला प्रवाड़ा के कर्मचारियों को, जो वर्धा में केन्द्र है, उसमें तकनीकी और अर्ध-तकनीकी शिक्षा दी है, उसके लिए इस साल आपने कितना बजट रखा है और कैपिटल एक्सपैंडीचर और रेकरिंग एक्सपैंडीचर के लिए इस साल कितना बजट होगा और अगले साल कितना बजट होगा ? देश की और महाराष्ट्र की जरूरत के लिए क्या एक ही केन्द्र काफी है ? जरूरत होने पर क्या और भी केन्द्र खोलने का आपने प्रावधान किया है और केन्द्र भी कहां खोलने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, माननीय सदस्य से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह जो केन्द्र खोला गया है, जिसका आपने भी स्वागत किया है, इसके लिए मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपसे सहमत हैं, आप उनसे सहमत हैं और इसके लिए धन्यवाद भी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वहां से केवल दस प्रतिशत बिजली बचेगी, उससे ज्यादा बचत की आशा नहीं होगी। यह समिति पहले कार्य करती आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको रुपया देता है। 75 सेन्टर्स खोले गए हैं जिनमें से इस समय आधे से ज्यादा चल रहे हैं। उनमें दो-दो महीने की ट्रेनिंग का काम चल रहा है। वर्धा में अभी तक एक ही सेन्टर बना है और एक ही कोर्स हुआ है। चूंकि यह समय ड्राट का था इसलिए वे और कार्य में लग गए। इसको पूरा चालू कराया जाएगा, प्रतिवर्ष इसमें ज्यादा कार्य किया जाएगा।

मान्यवर, मैं इतना अवश्य कहूंगी कि अभी तो कार्य शुरू किया गया है। इसका कार्य बढ़ने पर और इसकी आवश्यकता को देखते हुए, इस केन्द्र की ट्रेनिंग, नोलिज, और एक्सपर्टीज को देखते हुए, पूरे महाराष्ट्र और देश में इस केन्द्र की संख्या और बजट बढ़ाया जाएगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : ग्रामीण विद्युतीकरण की जटिल समस्या है। काफी लाइनमैन

की मृत्यु हो जाती है और किस कारण से होती है, पता नहीं चलता है, खासकर कम्पेनसेशन के लिए। इस बारे में कौन-सा विषय लेने जा रहे हैं जिसके कारण बिजली की भी बचत हो और जो वहां कर्मचारी होते हैं, उनकी भी वहां सुरक्षा रहे? आपने अभी तक जो ट्रेनिंग दी है उसमें कोई कमी है या वे लोग अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उसमें कोई सुधार करने की जरूरत है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सुरक्षा का पहला प्रश्न है। हमारे जो लाइनमैन कार्य कर रहे हैं, उनकी पूरी सुरक्षा का इन्तजाम होना चाहिए। बचत भी की जाए। साथ में उनको अपग्रेडिड टेक्नोलोजी की ट्रेनिंग भी बाकायदा समय-समय पर मिलती रहे। अभी जो फरवरी 1988 तक कार्य हुआ है उसमें 1280, कोर्सिज चले हैं जिनमें 27,485 लाइनमैन, असिस्टेन्ट लाइनमैन आदि की ट्रेनिंग चली है। अभी तक जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम आशान्वित हैं और माननीय सदस्य भी चाहते हैं इसका कार्य आगे और तेजी से बढ़ सके।

श्री विजय एन० पाटिल : सर, ग्रामीण क्षेत्रों में थरमल से, गोबर गैस के जरिये से भी बिजली मिल रही है। सोलर एनर्जी से भी मिल रही है। जो हम इसमें ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बिजली की बचत होती है, क्या हम इस सेन्टर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था कर रहे हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यह जो सेन्टर बना है, यह इन्टेग्रेटिड सेन्टर बना है। इसमें जो प्रश्न उठाया है, सोलर एनर्जी का और बायोगैस का ये भी है और दूसरे तरीके जो हैं उन पर भी एक्सपर्टीज है। इन दोनों पर भी कार्य चलाया जाएगा। क्योंकि हमें विद्युत को इन्टेग्रेटिड तरीके से सब चीजों का लाभ उठाकर ज्यादा से ज्यादा बिजली उपलब्ध करानी है।

मान्यवर, ग्रामीण अंचलों में हमारे देश के 75 प्रतिशत लोग रहते हैं। हमारे यहां 5,79,000 गांव हैं। अभी तक 75 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण हुआ है। आशा है कि आठवीं योजना के अन्त तक, सब साधन उपलब्ध होने के बाद शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण कर सकेंगे।

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : यह जो केन्द्र है यह बड़ा केन्द्र है। इसके साथ-साथ वर्धा के नजदीक हिंगन घाट में एक बड़ी लेबोरेटरी, एक एनर्जी लेबोरेटरी खोल रहे हैं और यह केन्द्र इन्टेग्रिटिड एनर्जी मैनेजमेंट का राष्ट्रीय केन्द्र होगा। वहां सारे देश से लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे। यह केन्द्र यदि कामयाब हुआ तो देश के दूसरे भागों में भी केन्द्र खोलने का हमारा इरादा है।

कोयले के उत्पादन के लिए दीर्घकालीन योजना

[अनुवाद]

*554. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 तक कोयले के उत्पादन के लिए तैयार की गई दीर्घकालीन योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उस वर्ष तक देश को कुल कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होगी तथा कोयले का कितनी मात्रा में उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि कोयले का उत्पादन आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा, तो क्या सरकार का दीर्घकालीन योजना में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). देश में कोयले के उत्पादन की योजना हमेशा इस तरह से बनाई जाती है ताकि कोयले की वर्तमान मांग और साथ ही प्रत्याशित भावी मांग पूरी हो सके। इस सम्बन्ध में यह अनुमान है कि सन् 1999-2000 ई० में कोयले की मांग 417 मिलियन टन तक होने की सम्भावना है।

इस लक्ष्य को पूरा करने की दृष्टि से, एक व्यापक कोयला क्षेत्रवार उत्पादन की रूपरेखा बनाई गई है। इस उत्पादन का काफी भाग, बड़ी एवं उच्च उत्पादकता वाली ओपेनकास्ट खानों से और भूमिगत खानों में व्यापक स्तर पर यंत्रीकरण लागू करने से प्राप्त होगा।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : जहां तक प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का सम्बन्ध है, मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि कोयले की खपत के स्वरूप में धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है और इसके कारण देश की औद्योगिक और आर्थिक प्रगति के स्वरूप और दिशा में भी परिवर्तन आया है। चारी समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया है और यह भी सुझाव है कि वर्ष 2000 के अन्त तक केवल विद्युत क्षेत्र की मांग ही 70 प्रतिशत होगी जोकि 3170 लाख टन बैठती है। बढ़ती हुई मांग तथा इस अनुमान को देखते हुए कि कोयला परियोजनाओं के शुरू करने में 12 वर्ष लग जाते हैं, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अपने उत्पादन कार्यक्रम को पुनर्विन्यास करेगी और चूंकि इसे शुरू में लम्बी अवधि लगती है क्या वर्ष 1988 में ही ऐसी परियोजनाओं की अन्तिम शृंखला पर काम शुरू करने के समय पर विचार किया जाएगा जिसकी वर्ष 2000 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा उत्पादन करने की स्थिति में आवश्यकता पड़ेगी। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं और 1988 में इनमें से कितनी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और वे परियोजनाएं कौन-सी हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जैसाकि मैंने पहले कहा है, योजना आबंटन कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। तदनुसार 1989-90 में कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों की संख्या 61, 1994-95 में करीब 48 और 1999-2000 में करीब 36 परियोजनाएं होंगी।

वर्ष 1989-90 के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या 116 तथा वर्ष 1994-95 के लिए करीब 135 तथा वर्ष 1999-2000 के लिए इनकी संख्या करीब 2,142 होगी।

1989-90 के लिए अभी भी करीब 7 1994-95 के लिए 99 और 1999-2000 के लिए लगभग 186 नई परियोजनाएं और स्वीकृत की जानी हैं।

अन्य कम्पनी, एस० सी० सी० एल० में 1989-90 में, इनकी संख्या करीब 2,255 होगी 1994-95 में 33.70 और वर्ष 1999-2000 में 38।

यह योजना लक्ष्य है, हमें विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग के अनुसार कोयले का उत्पादन करना है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मैंने यह पूछा है कि जो परियोजनाएं 1988 में शुरू होंगी क्या वर्ष 2000 तक उनसे उत्पादन होने लगेगा। मेरा मुद्दा यह है। यदि आप 1998 के बाद परियोजनाएं स्वीकृत करते हैं, तो वर्ष 2000 तक उनसे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ? मेरा मुद्दा यह है।

मेरा दूसरा अनुपरक प्रश्न यह है कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है, इस राज्य में देश में कोयले के कुल भण्डार का 20 प्रतिशत है। यह आवश्यक है और इसकी मांग भी है और औचित्य भी है कि उड़ीसा के दो कोयला क्षेत्रों, तालचेर और इब घाटी से कोयले का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाए।

इसके लिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार उड़ीसा के इन दो कोयला क्षेत्रों को एक पृथक कम्पनी के अन्तर्गत लाने पर विचार करेगी ताकि इब घाटी कोयला क्षेत्र में खुदाई की जा सके जहां 2 बिलियन से अधिक कोयले के भण्डार हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इब घाटी में 1989-90 के दौरान 4.85 मिलियन टन और तालचेर से 8 मिलियन टन, कुल मिलाकर 12.85 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होगा। 1994-95 में इब घाटी का 50.45 मिलियन टन और तालचेर में 24.14 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। महोदय, मैं माननीय सदस्य की उत्सुकता को समझता हूं। लेकिन वर्ष 1999 से पहले या बाद में, वास्तव में यह एक मानदण्ड है। जब उत्पादन 20 मिलियन टन—उन्होंने यह सामान्य स्तर रखा है—होता है, उस उत्पादन की देखरेख के लिए कम्पनी की स्थापना की जाएगी।

डा० गौरीशंकर राजहंस : महोदय, यह तो सभी जानते हैं कि बिहार के बड़े कोयला-क्षेत्रों में, माफिया लोगों को आतंकित कर रहा है और यह कोयला उत्पादन में बाधा पहुंचा रहा है। क्या मन्त्री महोदय हमें बताएंगे कि वे इस समस्या तथा इस आपदा का सामना किस तरह करेंगे?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, यह समस्या हर समय उठाई गई है, चाहे प्रश्न काल हो या वाद-विवाद किया जा रहा हो। मैं तो कहूंगा कि कोयला मन्त्रालय ने कई कदम उठाए हैं लेकिन यह स्थानीय राज्य सरकार के समर्थन पर निर्भर है। हमें किसी भी सदस्य के साथ बैठकर इस पर विचार करने में खुशी होगी कि हम इस सामाजिक बुराई को किस हद तक, कितनी अच्छी तरह से समाप्त कर सकते हैं। यह भाव सरकार का इससे निपटने का प्रश्न नहीं है। यह एक सामाजिक बुराई है, जहां बहुत से लोगों को इसका आश्रय लेने के लिए गुमराह किया जा रहा है। हम हर तरह के सुझाव का स्वागत करते हैं। हम इस बारे में एक साथ मिलकर बैठने, सहयोग देने और काम करने के लिए तैयार हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : वे कौन-कौन से देश हैं जिनके साथ खुदाई के क्षेत्र में हमारा तकनीकी सहयोग है? हमने कोयले की खुदाई को इतना प्रभावी बनाने के लिए, जैसा कि रूस तथा अन्य देशों में है, क्या प्रयास किए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड का 2000 करोड़ रुपए को बट्टे खाते में डालने या उस घाटे को पूरा करने के बारे में क्या विचार है? 2000 करोड़ रुपए घाटे को पूरा करने के लिए आपने तथा कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या प्रयास किए हैं? कोल इंडिया लिमिटेड को अद्यतन और सक्षम बनाने की आपकी क्या योजनाएं हैं?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : महोदय, इस घाटे को पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कोयले की खुदाई की लागत को पूरा किया जाए अर्थात हमारे देश में ओ० एम० एस० अन्य देशों में ओ० एम० एस० के समान हो। पहली बात यही है। हमें अपने उपकरण का उस स्तर/हद तक प्रयोग करना चाहिए। यह दूसरा मुद्दा है। तीसरे, कोयले का मूल्य कोयले की

उत्पादन लागत से संबद्ध होना चाहिए, शुरू से अब तक जो 2000 करोड़ रु० का घाटा हुआ है उसका कारण यह है कि सामाजिक उद्देश्य और नियंत्रित मूल्य के नाम पर हर स्थिति में हमें प्रतिटन कोयले की उत्पादन लागत से कम मूल्य मिलता है। यदि आप सामाजिक उद्देश्यों से जानबूझकर ऐसा करते हैं और इससे भारी घाटा होता है तो हम इसके लिए कोयला उद्योग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अत: यह एक मुख्य कारण है। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमें कोयले की खुदाई को विश्व स्तर पर लाने के लिए इसकी क्षमता में सुधार करना होगा।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : किन-किन देशों से हमने तकनीकी सहयोग किया है? रूस हमारी सहायता कर रहा है।

श्री वसन्त साठे : जी हां, हम सोवियत संघ के साथ सहयोग से काफी काम कर रहे हैं हमें जर्मनी से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हमारा पोलैंड के साथ भी सहयोग है। हमारा ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों से भी तकनीकी सहयोग है जो कि स्थान तथा दी जाने वाली सहायता के अनुसार भिन्न-भिन्न है।

केरल में कोझीकोड स्थित आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाना

*558. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोझीकोड आकाशवाणी केन्द्र, जिससे केरल के उत्तर मालाबार क्षेत्र में कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, में कम शक्ति अर्थात 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जो इस पूरे क्षेत्र में सबसे कम शक्ति का है ;

(ख) क्या विशेष रूप से वायनाड पर्वत श्रेणियों की निकटता को ध्यान में रखते हुए जहां प्रादेशिक केन्द्रों के समाचार प्रसारण स्पष्ट रूप से नहीं सुने जाते हैं, सरकार का विचार इस आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर इसे 50 किलोवाट शक्ति का शार्टवेव ट्रांसमीटर केन्द्र बनाने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). कोझीकोड में 50 किलोवाट शार्टवेव का ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि त्रिवेन्द्रम-राज्य की राजधानी-में 50 किलोवाट शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह ट्रांसमीटर वायनाड पर्वत श्रेणियों जैसे कवर न हुए भागों सहित समूचे केरल राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाली शार्टवेव सेवा उपलब्ध करेगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तथा पूरा सदन मेरे साथ सहमत होगा कि यह···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको इतना भरोसा है तो हम निश्चित ही सहमत होंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह अजीब तर्क है, शायद यह कोई तर्क नहीं है कि त्रिवेन्द्रम,

रेडियो स्टेशन की शक्ति में वृद्धि की जा रही है इसलिए कोझीकोड रेडियो स्टेशन की शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है वह केरल का दक्षिण है तथा यह उत्तर। 1964 से कोझीकोड में 10 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर है। कोझीकोड के आस-पास के लगभग सभी रेडियो स्टेशन की शक्ति बढ़ा दी गई है। इसलिए कोझीकोड रेडियो स्टेशन को सुनने वालों की संख्या बहुत ही कम हो गई है क्योंकि सुनने वाले अच्छा स्तर चाहते हैं जोकि उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से, आपके सहयोग से सरकार से आग्रह करूंगा···

अध्यक्ष महोदय : जरूर महोदय।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या वे कोझीकोड रेडियो स्टेशन की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक तथा अनुकूल दृष्टि से विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा समर्थन देता हूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : वर्तमान में विद्यमान 10 किलोवाट क्षमता का ट्रांसमीटर कोझीकोड जिला तथा कन्नौर एवं मालापुरम के कुछ भागों में कार्य कर रहा है। महोदय, माननीय सदस्य यह गलत कह रहे हैं कि त्रिवेन्द्रम में उच्च शक्ति वाला शार्टवेव ट्रांसमीटर आने से शक्ति नहीं बढ़ाई जा रही है। कुछ तकनीकी कारण हैं। कोझीकोड ट्रांसमीटर बारम्बारता में उच्च शक्ति वाला होने से रात के समय काफी बाधाएं आती हैं। यदि शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट भी कर दी जाए तो भी इसका प्रभाव बहुत ही मामूली होगा। कालीकट जिले में तुलनात्मक दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्र अधिक है, चूंकि मीडीयम वेव धरातल (समतल) से होकर गुजरती है इसलिए बारम्बारता बढ़ाने से तकनीकी तौर पर कालकट में प्रसारण के स्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जब त्रिवेन्द्रम में 50 किलोवाट शार्ट वेव का क्षेत्रीय ट्रांसमीटर स्थापित किया गया तो इसमे कालीकट में प्रसारण में मदद मिलेगी तथा इसमें कालीकट जिला तथा व्यनाड जिले भी पूरी तरह शामिल होंगे। जब केरल की सातवीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण होगी तो केरल की 99 प्रतिशत तथा इस क्षेत्र की 98 प्रतिशत आबादी इसमें सम्मिलित होगी ?

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बहुत ही निराशाजनक तथा अन्धकारपूर्ण तस्वीर खींची है कि तकनीकी कारणों की वजह से कालीकट में हमें दण्ड दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर दूंगा कि इस कोझीकोड रेडियो स्टेशन से कन्नौर, कालीकट, मालाप्पुरम, व्यनाड तथा कसरगोड जिलों तथा लक्ष्यद्वीप एवं माहे के लिए विशेष कार्यक्रम जिसमें और भी अन्य विशेष कार्यक्रम शामिल है; प्रसारित होते हैं। अब पड़ोसी क्षेत्रों में शक्ति बढ़ाने तथा साथ ही साथ त्रिवेन्द्रम में शक्ति के प्रस्तावित वृद्धि से कालीकट रेडियो स्टेशन का दर्जा कम हो जाएगा। इससे यह स्थानीय स्टेशन ही बन कर रह जाएगा। अतः यहां अत्यन्त आवश्यकता है, यदि वहां तकनीकी दिक्कतें हैं तो उन तकनीकी दिक्कतों का अध्ययन किया जाना चाहिए तथा उनका उपाय किया जाना चाहिए, न कि समय के साथ-साथ कोझीकोड स्टेशन से सुनने वालों को निराशाजनक स्थिति में छोड़ दिया जाए और न ही ऐसा हो कि सम्पूर्ण स्टेशन का दर्जा कम कर दिया जाए और यह स्थानीय स्टेशन बनकर रह जाए। क्या सरकार कोझीकोड रेडियो स्टेशन को बचाने के लिए आगे आएगी और देखेगी कि इसका दर्जा स्थानीय स्टेशन के बराबर का न हो जाये ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : माननीय सदस्य हमें कुछ सुझाव दे रहे हैं तथा तकनीकी सलाह और जानकारी के बारे में वे अपने विचार बता रहे

हैं जोकि हमें बताए गए हैं। मैं उनकी तकनीकी सलाह मानने को तैयार हूं अपने अधिकारियों तथा उनके साथ बैठकर उन्हें इस बात के लिए संतुष्ट करने को तैयार हूं कि तकनीकी राय सही है अथवा नहीं।

उनका खास मुद्दा, जो कि क्षेत्र को समुचित रूप से कवर करने के बारे में है व्यवस्था की जा रही है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मन्त्री महोदय ने अभी-अभी स्वीकार किया है कि ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ा देने मात्र से ही पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यक्रम सुनने की क्षमता नहीं बढ़ जाएगी। मन्त्रालय के पास एफ० एम० स्टेशन स्थापित करने का एक प्रस्ताव था ताकि केरल के पहाड़ी इलाकों, जिनमें कि वायानर तथा इद्दुकी भी शामिल हैं, को भी कवर किया जा सके। प्रारम्भिक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन स्टेशनों को पिछले वर्ष में ही स्थापित किया जाना था। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि केरल के पहाड़ी क्षेत्रों को कवर करने के लिए जिनमें, इद्दुकी तथा वायानर भी हैं, एफ० एम० स्टेशनों स्थापित करने में क्या बाधायें हैं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सातवीं योजना प्रस्तावों का हिस्सा होने की वजह से केरल में 2-3 किलोवाट के एफ० एम० ट्रांसमीटरों के तीन नये रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाने हैं। वे कन्नौर, इद्दुकी तथा कोचीन में स्थापित किए जायेंगे। व्यनाड इसमें शामिल नहीं है। व्यनाड को पूरे सिस्टम के तहत कवर किया जाएगा जिसमें त्रिवेन्द्रम से शार्टवेव ट्रांसमीटिंग सिस्टम भी शामिल है।

इद्दुकी परियोजना के लिए स्थान का चयन करमे में विलम्ब हुआ है। अब स्थान मुन्नार में निश्चित कर लिया गया है तथा भूमि प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है, ट्रांसमीटर के लिए आदेश दे दिया गया है तथा परियोजना के 1989-90 में चालू हो जाने की आशा है।

दूरदर्शन धारावाहिक "अधिकार"

***559. श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जा रहे धारावाहिक "अधिकार" के सम्बन्ध में दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या जनता, सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लाभ के लिए इसे जारी रखने का तथा इसमें दैनिक घटनाओं से सम्बन्धित उन विषयों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है जिनके बारे में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों ने अपने निर्णय दिए हैं ताकि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम की जा सके ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पहले से अनुमोदित 13 कड़ियों के बाद इस धारावाहिक का विस्तार करने अथवा इसका क्षेत्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन विषयों को लेकर यह धारावाहिक दूरदर्शन पर चलाया जा रहा है, वे सामाजिक एवं लोकप्रिय हैं, इसलिए इसको आगे न बढ़ाए जाने का क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह इनका अधिकार है, ये अपने अधिकार का सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, "होनी-अनहोनी" धारावाहिक भी बन्द करवाना चाहिए, इसके लिए यहां पर डिसकशन होना चाहिए । **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, हम उनका समर्थन करते हैं ।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : हमको बंद किया जाना चाहिए तथा अधिकार जैसे धारावाहिकों को चालू रखना चाहिए ।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : होनी अनहोनी पर मैं बाद में बोलूंगा ।

'अधिकार' की जहां तक बात है, हमने एक नीति बना ली है कि एक बार धारावाहिक को अनुमति मिल जाने के बाद उसका समय और अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा । ऐसा नहीं है कि यह निर्णय हमने इसी मामले में लिया है । हमने फैसला किया है कि एक बार यदि धारावाहिक को अनुमति मिल गई तो उसके प्रसारित किए जाने वाले भागों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी ।

'अधिकार' के बारे में वैसे तो कोई नियमित सर्वेक्षण नहीं किया गया है । लेकिन इस बारे में हमें कुछ पत्र जरूर प्राप्त हुए थे; जिसमें आम तौर पर इस धारावाहिक की सराहना की गई थी । अधिकार का मुख्य उद्देश्य है कि महिला को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी हो । हमें कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; कुछ शिकायतें हैं कि पुरुष पक्ष को नहीं दिखाया जा रहा है । लेकिन इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है ।

होनी अनहोनी के बारे में हमें प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं । कुछ लोगों ने यह कहकर आलोचना की है कि कुछ बातें तो इसमें इतने अनहोने ढंग से दिखाई गई हैं कि लोग उन पर विश्वास ही नहीं करेंगे जबकि ऐसा नहीं है । मैं आपको बताऊं कि बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संस्थानों तथा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं विभिन्न अन्य व्यक्तियों का कहना है कि 'होनी अनहोनी' में कुछ गलत नहीं है लेकिन इस धारावाहिक के समाप्त होने पर हम इसे बढ़ाना नहीं चाहते ।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री एच० के० एल० भगत : 'होनी-अनहोनी' जोकि अन्ध-विश्वास की भावनाओं को दिखा रहा है, मैं उसके बारे में काफी सचेत हूं। मैं जानता हूं कि इस इस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन दूसरे तरह के विचार भी हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति रखिए । श्री चौधरी क्या आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं ? माननीय सदस्य अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। कृपया बैठ जाइए । जब समय आएगा तो मैं आपको अनुमति दूंगा । कुमारी ममता बनर्जी, इसे करने का यह कोई उचित तरीका नहीं है । जो कुछ आप कर रही हैं मैं, भी उसे गलत ही कहूंगा । माननीय सदस्य को बाधा मत पहुंचाइए ।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 13 कड़ी के बाद अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि "अधिकार" के इन एपीसोड्स के कारण समाज में व्याप्त तरह-तरह की बुराइयों के विरुद्ध जन-भावना जागृत हुई है जिसकी परम-आवश्यकता है । इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए क्या इस "अधिकार" सीरियल्स की शृंखला को आगे बढ़ाने का विचार है ?

श्री एच० के० एल० भगत : स्पीकर सर, मैंने जैसा पहले कहा है, उसकी थीम अच्छी है, उसको एप्रीशिएट भी किया गया है, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड करने का हमारा अभी कोई विचार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : आप रिजिड एप्रोच क्यों करते हैं। अगर अच्छा है, तो करो, बुरा है, तो न करो ?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय मैं बताना चाहूंगा कि कितने अधिक धारावाहिक हैं तथा इतनी सारी अलग-अलग धारणाएं एवं विचार हैं माना कि हम एक धारावाहिक का समय बढ़ाते हैं तो किसी और धारावाहिक को बढ़ाने की भी मांग होगी। इसके अलावा हम ज्यादा विषय और नई चीजें चाहते हैं। इसलिए हमने सिद्धान्त रूप में यह निर्णय ले लिया है कि फिलहाल हम किसी भी धारावाहिक का समय नहीं बढ़ायेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इस "होनी-अनहोनी" सीरियल को देखने में तो मजा आता है, लेकिन हम जब अपने कंट्री इक्कीसवीं सेंचुरी में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे समय इस "होनी-अनहोनी" की क्या जरूरत है ? यदि इसको चलने दिया जाएगा, तो फिर और इसी प्रकार के एक-दो सीरियल और आ जाएंगे और उनसे हमारी और सुपरस्टीशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अपील करती हूं, रिक्वेस्ट करती हूं कि इस "होनी-अनहोनी" सीरियल को बंद कर

दीजिए ? क्योंकि हम हाई-एज और मोडर्न एज में जा रहे हैं, इसलिए यह सीरियल नहीं होना चाहिए। देश में आदमियों को सुपरस्टीशियस नहीं होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड मोडर्नाइज होना चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इसका उत्तर यही दे सकता हूं कि मैंने "होनी-अनहोनी" देखी नहीं है, मैं इसे ममता बनर्जी के साथ बैठकर देखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : और देखकर फिर इस पर ध्यान दीजिए। लोग 15वीं सदी में नहीं जाना चाहते।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने इस प्रश्न के भाग "क" के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि कोई सर्वेक्षण वह करवाते नहीं हैं। जब कोई सर्वेक्षण करवाते नहीं हैं तो फिर इस तरह के विवाद पैदा होते हैं। क्या मन्त्री जी अपने विभाग की ओर से कोई स्थायी व्यवस्था करेंगे कि कोई व्यक्ति, संगठन, संस्था या कोई ऐसा फोरम हो जो तटस्थ होकर देश में आपके लिए सर्वेक्षण कर दिया करे ? किसी भी सीरियल के बारे में उसकी लोकप्रियता जानने के लिए क्या ऐसा कोई फोरम होगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : ऐसा नहीं है, इस केस में "अधिकार" के मामले में उस तरह का सर्वेक्षण नहीं किया गया। कई सीरियलों के बारे में हमने सर्वे किया है। और अधिक से अधिक सर्वे हम करवाना चाहते हैं और दूसरी आर्गेनाइजेशन्स, एजेन्सीज की तरफ से सर्वे होते भी हैं। कुछ का हमारा रिसर्च बोर्ड भी सर्वे करता है।

श्री उमाकान्त मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण मानव जाति का इतिहास अधिकारों की लड़ाई है। "राम-रावण" की लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है, कितना बड़ा "महाभारत" हो गया, वह भी अधिकारों की लड़ाई है, बड़े-बड़े देशों में क्रान्तियां हुई, वह भी अधिकारों की लड़ाई है, और आज भी पग-पग पर अधिकारों की लड़ाई हो रही है। इतना महत्वपूर्ण सीरियल है, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों नहीं "अधिकार" को और बढ़ा देते ?

श्री वसन्त साठे : मन्त्री जी ने ना "अधिकार" देखा है और ना "होनी-अनहोनी" देखी है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मैम्बर साहेब को बताना चाहता हूं, उन्होंने "महाभारत" का भी चर्चा किया है, "महाभारत" के सीरियल को भी हमने कन्सैप्चुअल मंजूरी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा है। उसको पूर्ण करवा देना, अधूरा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी,...डा० फूल रेणु गुहा,...श्री नान्जे गौड़ा,...श्री चन्द्र शेखर मूर्ति,...श्री बनवारी लाल पुरोहित,...आज वह भी नहीं हैं,...श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया,... यह देखिए कैसी अनहोनी हो रही है ?

प्रो० के० वी० थामस

मास्को में भारत महोत्सव के लिए चुनी गई फिल्में

[अनुवाद]

*565. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मास्को में भारत महोत्सव में दिखाने के लिए किन-किन फिल्मों का चयन किया गया था ; और

(ख) महोत्सव के लिए फिल्मों के चयन हेतु किन मानदण्डों को अपनाया गया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सोवियत संघ में भारत महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किए जाने के लिए चुनी गई भारतीय फिल्मों के शीर्षक संलग्न परिशिष्ट में दिए गए हैं।

(ख) सोवियत पक्ष के साथ परामर्श के आधार पर चुनी गई फीचर फिल्में विषय वस्तु पर आधारित, निर्देशक पर आधारित और फिल्मी सितारों पर आधारित थीं। जहां तक डाकुमेंट्री फिल्मों का सम्बन्ध है, भारतीय संस्कृति, कला और वास्तुकला को चित्रित करने वाली फिल्मों और पर्यटकों की रुचि की फिल्मों को चुना गया था।

परिशिष्ट

सोवियत संघ में भारत महोत्सव के दौरान प्रदर्शन के लिए चुनी गई फिल्में

1. फीचर फिल्में

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भाषा
1.	अपूर संसार	बंगला
2.	जल सागर	बंगला
3.	चारूलता	बंगला
4.	अरण्येर दिन रात्रि	बंगला
5.	घरे बाइरे	बंगला
6.	जुनून	हिन्दी
7.	भवानी भवई	गुजराती
8.	फनियम्मा	कन्नड़
9.	न्यू देहली टाइम्स	हिन्दी
10.	अमर भूपाली	मराठी
11.	मुखामुखम	मलयालम
12.	राम तेरी गंगा मैली	हिन्दी

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भाषा
13.	बाबी	हिन्दी
14.	शंकराभरणम्	तेलुगू
15.	सत्यम् शिवम् सुन्दरम्	हिन्दी
16.	संगम	हिन्दी
17.	आवारा	हिन्दी
18.	बरसात	हिन्दी
19.	मृगया	हिन्दी
20.	मंडी	हिन्दी
21.	नेनजत्ते किल्लादे	तमिल
22.	36 चौरंगी लेन	अंग्रेजी
23.	उम्बरथा	मराठी
24.	मेघ संदेशम्	तेलुगू
25.	एस्थप्पन	मलयालम
26.	मंथन	हिन्दी
27.	भूमिका	हिन्दी
28.	देबशिशु	बंगला
29.	अर्थ	हिन्दी
30.	नवरंग	हिन्दी
31.	चौदहवीं का चांद	हिन्दी
32.	हम्से गीते	कन्नड़
33.	परोमा	बंगला
34.	खारिज	बंगला
35.	चिदम्बरम्	मलयालम
36.	खामोश	हिन्दी
37.	एक दिन प्रति दिन	बंगला

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भाषा
38.	ओन्डानोण्डू, कलाडल्ली	कन्नड़
39.	साहिब बीबी और गुलाम	हिन्दी
40.	दो आंखें बारह हाथ	हिन्दी
41.	झनक झनक पायल बाजे	हिन्दी
41.	कागज के फूल	हिन्दी
43.	हिरोक राजेर देशे	बंगला
44.	त्रिकाल	हिन्दी
45.	नया दौर	हिन्दी
46.	खूबसूरत	हिन्दी
47.	अल्बर्ट पिंटो	हिन्दी
48.	पाकीजा	उर्दू
49.	एलीपथयम	मलयायम
50.	नरतनतला	तेलुगू
51.	सिंधु भैरवी	तमिल
52.	काबुलीवाला	बंगला
53.	उत्सव	हिन्दी
54.	अर्द्ध सत्य	हिन्दी
55.	संस्कार	कन्नड़
56.	अयांत्रिक	बंगला
57.	आघात	हिन्दी
58.	माया मृग	उड़िया
59.	पार	बंगला
60.	चेमीन	मलयालम
61.	गरम हवा	हिन्दी
62.	सुस्मन	हिन्दी

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	भाषा
63.	मिर्च मसाला	हिन्दी
64.	मोहन जोशी	हिन्दी
65.	चीख	बंगला
66.	प्यासा	हिन्दी
67.	अकालेर संधारने	बंगला
68.	पापोरी	असमिया

नोट: उपर्युक्त के अतिरिक्त, 12 फीचर फिल्मों को सोवियत प्राधिकारियों द्वारा अपने पास उपलब्ध फिल्म प्रिंटों में से सीधे चुना गया था।

2. डाकुमेंट्री फिल्में

क्रम संख्या	फिल्म का नाम
1.	छाव डांस आफ मयूर भन्ज
2.	परम्परा
3.	स्वरूपाद
4.	यक्षगण
5.	अमृता शेर गिल
6.	राधा एण्ड कृष्ण
7.	अकबर
8.	वर्ली पेंटिंग
9.	क्रिएशन इन मेटल
10.	मारवल आफ मेमोरी
11.	फोर सेन्चुरीज एगो
12.	गौतम दि बुद्धि
13.	नोमाड पुपेटर्स
14.	मैन इन सर्च आफ मैन
15.	सत्यजीत रे

क्रम संख्या	फिल्म का नाम
16.	विंग्स आफ फायर
17.	लाइफ इन इंडियन डेजर्ट
18.	हाई एडवेंचर आन व्हाइट वाटर
19.	फीदर लाइफ आफ राजस्थान
20.	सर्किल आफ रेड
21.	नेहरू
22.	न्यू डायमेंशन
23.	लायन एण्ड दि रैबिट
24.	मुन्नी
25.	ताण्डव
26.	पर्सपैक्टिव
27.	चाइल्ड एण्ड चेस बोर्ड
28.	दि चोला हैरिटेज
29.	दि सिटी दैट जयसाल बिल्ट
30.	ताजमहल
31.	एन इण्डियन डे
32.	सरोद
33.	अवर इस्लामिक हैरिटेज
34.	अंटार्कटिका फार गुड
35.	पाता पेंटिंग
36.	विस्डम ट्री
37.	अवशेष
38.	सुमन
39.	सर्द हवाएं
40.	कान्टेम्परेरी इण्डियन पेंटिंग्स

क्रम संख्या	फिल्म का नाम
41.	कहानी हर जमाने की
42.	हिमालियन एक्सपीरियेंस
43.	दि सीर हू वाक्स अलोन
44.	ओम नमः शिवाय

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मास्को में भारत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय महिलाओं पर 'स्त्री' नामक एक प्रदर्शनी आयोजित करने का प्रस्ताव था। उस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध कलाकार अरविंद की एक वृत्तचित्र दिखाने का भी प्रस्ताव था और उस वृत्तचित्र को साहजा कहा गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वृत्तचित्र रूस में दिखाया जायेगा, यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय मन्त्री जिस महोत्सव या महोत्सव के भाग का उल्लेख कर रहे हैं उसका मुख्य प्रश्न में उल्लेख नहीं है।

मुख्य महोत्सव में एक समिति ने 68 फिल्मों का चयन किया था और अन्य 12 फिल्मों का चयन सोवियत पक्ष द्वारा उनके पास उपलब्ध फिल्मों में से किया गया, उनका आयात पहले ही किया जा चुका था। वास्तव में, श्री अरविंद का यह विशिष्ट वृत्तचित्र मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा महिलाओं के बारे में आयोजित प्रदर्शनी के बारे में है। ऐसी स्थिति में मैं उस प्रश्न का जवाब विशेष रूप से नहीं देना चाहता।

प्रो० के० वी० थामस : मुझे दुख है कि मन्त्री महोदय जान-बूझकर प्रश्न से बच रहे हैं क्योंकि यह भारत महोत्सव का एक भाग है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या भारत और रूस की फिल्म संस्थाओं के बीच संकाय/छात्रों के आदान-प्रदान के लिए कोई प्रस्ताव है जिससे कि दोनों देश हमारे अनुभव का लाभ उठा सकें।

श्री एस० कृष्ण कुमार : सन्धि प्रारूप और सोवियत संघ तथा भारत में फिल्म संगठनों की चर्चाओं में मास्को फिल्म इन्स्टीट्यूट और हमारी फिल्म पुणे फिल्म इन्स्टीट्यूट के बीच छात्रों और संकाय के आदान-प्रदान पर विचार किया गया लेकिन अभी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है। प्रगति पर निगरानी रखी जा रही है लेकिन वास्तविक आदान-प्रदान अभी होना है।

श्री चिन्तामणि जेना : वक्तव्य से आपको यह मालूम होगा कि इन 68 फिल्मों का चयन करते समय कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में बहुत अधिक फिल्में हैं जबकि कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में केवल एक या दो फिल्में हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि इन 68 तथा 44 फिल्मों का चयन करते समय क्या विशेषज्ञों की किसी समिति का गठन किया गया था और इन फिल्मों के चयन के लिए क्या मान-दण्ड अपनाया गया ? यदि समिति का गठन किया गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति के सदस्य कौन थे और उनके नाम क्या हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : इन फिल्मों का चयन संयुक्त सचिव (फिल्म) की अध्यक्षता में गठित

एक जांच समिति द्वारा किया गया। इसमें श्री गोविन्द निहलानी, फिल्म निदेशक जैसे गैर-सरकारी और सरकारी और लोग शामिल थे। फिल्मों का चयन भाषा के आधार पर नहीं किया गया है। कोई कोटा प्रणाली नहीं है। चयन किसी विशेष समय में फिल्मों की कलात्मक और व्यावसायिक श्रेष्ठता पर निर्भर करता है और मेरे पास भाषाओं के आधार पर फिल्मों के चयन के आंकड़े हैं अर्थात 68 फिल्मों में 32 हिन्दी फिल्में, 15 बंगाली फिल्में, 5 मलयालम फिल्में आदि और एक अंग्रेजी फिल्म है।

श्री डी० एन० रेड्डी : मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी तेलुगु फिल्म का चयन किया गया है या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो इसका चयन कैसे किया गया है?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, 68 फीचर फिल्मों में से 3 फिल्में तेलुगु भाषा में हैं।

बिजली के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग

***567. डा० गौरीशंकर राजहंस† :**

श्री तम्पन थामस :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने बिजली की कमी को पूरा करने की दृष्टि से बिजली के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकाधिक सहयोग की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी के प्रश्न तथा इस सम्बन्ध में स्वरूपों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए कार्यकारी दल की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य बातों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है। कार्यकारी दल के विशेष प्रस्तावों की भी जांच की जा रही है।

डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि जिन विशेष प्रस्तावों की सरकार जांच कर रही है उन पर सरकार निर्णय कब तक लेगी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, हमने एक ग्रुप का गठन किया था जिसमें कुछ गैर-सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक सेवाओं की कम्पनियां, कुछ राज्य विद्युत बोर्ड और बहुत से संगठन शामिल थे। हमने उनसे इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा कि एक कार्यकारी हल कैसे निकाला जा सकता है, जिससे कि अतिरिक्त संसाधन प्राप्त किए जा सकें क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक उत्पादक क्षेत्र है और विद्युत की बहुत मांग है। हमें मालूम है कि विद्युत क्षेत्र का प्रतिदिन विस्तार हो रहा है परन्तु इसके साथ ही मांग और पूर्ति में अन्तर है और अपने आंतरिक संसाधनों के अलावा हम बाहरी सहायता भी प्राप्त कर रहे हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है और इसके लिए इस ग्रुप का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट की विस्तार से जांच की जाएगी और अब यह सरकार के विचाराधीन है।

डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या अनिवासी भारतीयों को भारत में आरक्षित विद्युत संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : वर्तमान में आरक्षित पावर विद्युत संयंत्र लगाने पर कोई रोक नहीं है। 25 मेगावाट की क्षमता तक के आरक्षित विद्युत संयंत्र राज्य विद्युत बोर्ड की स्वीकृति के बाद लगाए जा सकते हैं। यदि यह 25 मेगावाट से अधिक है तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति की जरूरत होती है और इसका निर्णय गुणावदोष के आधार पर किया जाता है और प्रत्येक मामले में अलग से जांच की जाती है कि क्या यह तर्कसंगत है ?

गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अन्य औपचारिकताओं के बारे में बहुत-सी कठिनाइयां हैं तथा राज्य विद्युत बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा और केवल बैंकों से नहीं बल्कि गैर-सरकारी क्षेत्र से भी हमें कितना धन मिलेगा। सम्पूर्ण योजना में अनिवासी भारतीयों की बहुत अधिक भागीदारी है।

श्री तम्पन थामस : इस प्रश्न का जवाब बड़ा अस्पष्ट है और किंचित भी स्पष्ट नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सरकार बिजली के उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट व्यक्तियों को किस हद तक शामिल करेगी और क्या कोई नीति निर्धारित की गई है या नहीं ? मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या यह धन की कमी की वजह से है ? मुझे यह मालूम है कि बिजली के उत्पादन में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को विश्व बैंक पहले से ही धन दे रहा है। बिजली के उत्पादन और इसके लोगों में वितरण के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को किस स्तर तक शामिल करने का सरकार का प्रस्ताव है ? आप इसे आरक्षित विद्युत संयंत्र तक ही सीमित क्यों नहीं रख सकते जोकि प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा लगाए गए निश्चित उद्योगों के लिए चलाए जा रहे हैं, उससे अधिक नहीं ? माननीय मंत्री ने मुझे पहले बताया कि उससे अधिक के लिए विश्व बैंक धन देने को तैयार है। आप उसे अपने उद्योगों तक ही सीमित क्यों नहीं करते ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : गैर-सरकारी क्षेत्रों के बारे में सरकार की नीति यह है कि आरक्षित विद्युत इकाइयां स्थापित करने के लिए हम इसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से पूरा अवसर देते हैं। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।

सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सभी संसाधनों, विश्व बैंक, ओ० ई० सी० एफ०, एशिया विकास बैंक और द्विपक्षीय व्यापार को ध्यान में रखने के बाद भी हमारा यह अनुभव है कि अन्तर अब भी बढ़ रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का अन्तर होगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह बढ़ जाएगा।

जैसाकि सभी सदस्य जानते हैं कि बिजली का आयात नहीं किया जा सकता। बिजली के बिना न तो कृषि और न उद्योग का विकास सम्भव है। प्रश्न यह है कि उस अन्तर को कैसे पूरा किया जाए। जब गैर-सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक सेवाओं की कम्पनियों के बारे में योजना पर विचार किया गया तो वितरण राज्य विद्युत बोर्ड और राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा किया जाएगा, वे वितरण स्वयं नहीं करेंगे और मुख्य शर्त है—क्या वे अतिरिक्त संसाधन जुटा रही हैं ? चाहे यह अनिवासी भारतीय है या गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है मुख्य बात यह है कि उन्हें अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए और

सार्वजनिक सेवाओं की कम्पनियां स्थापित करनी चाहिए। देश में कलकत्ता इलैक्ट्रिकसिटी सप्लाई, अहमदाबाद इलैक्ट्रिक सप्लाई और टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी बम्बई, ये तीनों सार्वजनिक सेवाओं की कम्पनियां पहले से ही हैं। जैसेकि हमारी औद्योगिक नीति में कोई गैर-सरकारी कम्पनी नहीं है परन्तु मुख्यत: इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यदि संसाधनों में वृद्धि होगी तो इस पर विचार किया जाएगा अन्यथा नहीं। यह मुख्य आधार है।

श्री रामसिंह यादव : सभा में मैंने यह देखा है कि सरकार ने ऊर्जा से सम्बन्धित कई सार्वजनिक उपक्रमों का अधिग्रहण कर लिया है और कानून यहां पारित कर दिया गया है। सरकार की नीति यह रही है कि आधारभूत ढांचा जहां तक विद्युत का सम्बन्ध है, सरकार के नियन्त्रण में होना चाहिए व्यक्तिगत नियन्त्रण में नहीं। विचार यह है कि विद्युत का उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों द्वारा किया जाये, चाहे वह पानी हो अथवा कोयला या कच्चे माल का परमाणु तत्व हो। इसलिए भारत सरकार की स्थाई नीति यह है कि इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दिया जाना चाहिए। अब मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश के विकास के इस मूलभूत ढांचे में निजी मालिकों को साझेदार बनाने जा रही है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह देश के सम्पूर्ण हित में होगा और क्या अधिक प्रभावशाली लोग इस विद्युत का उपयोग करेंगे?

श्री वसन्त साठे : जैसा कि मैं कह चुका हूं हम अपनी नीति को नहीं छोड़ रहे हैं। प्रमुख विद्युत आवश्यकताओं को राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए पूरा किया जाएगा। हम विद्युत पैदा कर रहे हैं चाहे यह परमाणु, जल अथवा ताप विद्युत है। जैसा कि मैंने कहा है हमने अपने सभी संसाधनों को एकजुट कर लिया है और उन्हें विद्युत क्षेत्र में लगा दिया है। परन्तु अभी भी एक अन्तर है। क्या हम अधिक विद्युत पाने के इच्छुक हैं? यदि कोई आन्तरिक तौर पर अधिक संसाधन जुटाना चाहता है, और वितरण हमारे नियन्त्रण में है वे इसका वितरण करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं तथा और मनमानी दर वसूल नहीं कर सकते हैं--हम उस पर विचार करेंगे।

प्रश्न यह है कि यह एक राष्ट्रीय नीति है। अन्ततः, हमें राष्ट्रीय हित देखना है। यदि राष्ट्रीय हित पूरा होता है, और हम किसी भी तरह अपनी शक्तियों को खोना नहीं चाहते हैं, केवल तभी उस मामले पर विचार किया जायेगा; अन्यथा नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मन्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में विद्युत की मांग तथा उपलब्धि में अन्तर होगा। उस तर्क के आधार पर उनका कहना है कि हमें नये विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए यथाशीघ्र उपाय खोजने होंगे। परन्तु आप यह कार्य करने में गंभीर नहीं हैं। आप वास्तव में देश के लिए अधिक विद्युत प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि आपके पास बहुत-सी परियोजनायें लम्बित पड़ी हुई हैं। आप उन्हें स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना है। यह परियोजना तैयार है तथा सोवियत संघ का पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ सहयोग तय भी हो गया है। केवल केन्द्र सरकार की स्वीकृति की जरूरत है। आप इसे स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? आप इसे क्यों ध्वस्त कर रहे हैं? आप इसके बारे में ईमानदार नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : महोदय, माननीय सदस्य ने ध्वस्त जैसे बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं वह चौधरी हैं।

(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : यह शब्दावली है जो मेरे मित्र अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से जानते हैं परन्तु, महोदय, तथ्य कुछ और है। वास्तव में जहां तक बक्रेश्वर परियोजना का सम्बन्ध है इसी देखने के लिए हम अपनी निर्धारित कार्यप्रणाली से हट कर चले हैं। मूलरूप से प्रस्तावित 500 तथा 600 मेगावाट परियोजना के बजाय हमने सोवियत संघ की सहायता से 800 मेगावाट परियोजना सुनिश्चित की है। मैंने मुख्यमंत्री को भी बता दिया है कि जितनी धनराशि मूल परियोजना 600 मेगावाट पर निवेश करना चाहते थे, यदि वे उतनी धनराशि निवेश करने के इच्छुक हैं तो उन्हें सोवियत संघ से मिलने वाली सहायता सहित पूरी परियोजना पर 700 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च करने की आवश्यकता है। मैंने एक योजना दी है। हम भारत सरकार के धन को किसी एक राज्य विशेष को नहीं दे सकते हैं। यह सम्भव नहीं है क्योंकि अन्यथा हमें 4000 करोड़ रुपये की सारी सोवियत राशि से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे उन सभी राज्यों को बांटनी होगी जिन्हें मैंने कहा है और फिर कोई परियोजना नहीं बनेगी। इसलिए, मैंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की सहायता करना चाहता हूं और ऐसा करने के लिए मैंने कहा है कि यदि आप केवल 400 करोड़ रुपये ही लगाना चाहते हैं, जो आप अपनी परियोजना में लगाना चाहते थे, तो हम 800 मेगावाट की एक परियोजना लगायेंगे और राज्य को 600 मेगावाट विद्युत ही मिल सकेगी। अब आप किस बात के इच्छुक हैं ? क्या आप विद्युत में रुचि रखते हैं अथवा आप राजनीति में ? आप इसे राजनैतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह बात कह रहा हूं। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की सहायता करना चाहता हूं। परन्तु वे अपने राजनैतिक दल की सहायता करना चाहते हैं। मैं पश्चिम बंगाल सरकार के राजनैतिक षडयन्त्र में शामिल नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह सच नहीं है। शुरू में केन्द्र सरकार ने इसे शुरू करने से मना कर दिया था। उन्होंने राज्य सरकार से पहल करने के लिए कहा था··· **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : हम इसमें देरी नहीं कर रहे हैं। अब इसमें देरी आप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार इसमें देरी कर रही है। उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति नहीं भेजी है। आप जाइये और इस बारे में अपने मुख्य मन्त्री से बात कीजिए और इसे आगे बढ़ाइये। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, वह तथ्यों को छुपा रहे हैं, मेहरबानी करके क्या आप इस पर आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिये।

मंगलौर में सुपर ताप विद्युत संयंत्र

*568. **श्रीमती बसवराजेश्वरी† :**

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने मंगलौर के निकट एक सुपर ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ;

(घ) इसके पहले चरण का कार्य कब तक पूरा होगा ; और

(ङ) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अप्रैल, 1987 में मैसर्ज कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने मंगलौर के समीप नन्दीपुर में बहु-ईंधन (कोयला तथा तेल) का उपयोग करने वाले ताप-विद्युत संयंत्र के सम्बन्ध में एक संभाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी थी जिसके चरण-एक में 210-210 मेगावाट के दो यूनिट शामिल हैं और इसकी कुल क्षमता 6 × 210 मेगावाट है । चरण-एक से सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया जा चुका है और मैसर्ज कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1984 की धारा 29 में निहित सांविधिक अपेक्षाओं का पालन किए जाने, जल की उपलब्धता आदि जैसे आवश्यक निवेशों के सुनिश्चित किए जाने और पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति सहित आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद ही परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जा सकती है ।

परियोजना के चरण-एक पर 595.59 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है । प्रथम यूनिट को मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने के बाद अड़तालीस महीनों में चालू किए जाने का कार्यक्रम है । मैसर्ज कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भेजी गई परियोजना संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की अधिकतम क्षमता के लिए लगभग 2100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी । चूंकि यह एक राज्य परियोजना है, अतः भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाएगा । परियोजना का कार्य इसे तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने, राज्य योजना में अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराए जाने और निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद ही आरम्भ हो सकता है ।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इस परियोजना में दो अनिवासी भारतीय निवेश करने जा रहे हैं । यदि हां, तो वे कौन हैं ? उनका कुल निवेश कितना है तथा निवेश के समय उनकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्य के समक्ष रखे गये विवरण में पहले ही दे दिया गया है । वह मेहरबानी करके इसका अध्ययन करें । उसमें पूरा उत्तर दिया गया है ।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : कुछ स्थानीय समाचार पत्रों के अनुसार कर्नाटक के माननीय मन्त्री ने यह कहा है कि दो अनिवासी भारतीय इस परियोजना में निवेश करने जा रहे हैं । वे कौन हैं ? उनके द्वारा किया जाने वाला कुल निवेश कितना है ? निवेश के समय उनकी शर्तें क्या हैं ? आपने इन सब बातों का उत्तर नहीं दिया है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए। हमारे पास इस बारे में सूचना नहीं है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार ने भूमि, पानी के अर्जन तथा पर्यावरण विभाग से स्वीकृति इत्यादि सभी सांविधिक अपेक्षायें पूरी कर ली हैं। यदि हां, तो भारत सरकार का इसे तकनीकी तथा आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने का कब तक विचार है ? इस परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशि कितनी होगी ? क्या राज्य सरकार ने अपनी योजना में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान किया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जहां तक मंगलौर के निकट नन्दीपुर में इस परियोजना के लिए प्रस्ताव का सम्बन्ध है, जब केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया गया तो हमने राज्य सरकार को बता दिया था कि निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी होनी चाहिएं। ये हैं—पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय से स्वीकृति, राज्य प्रदूषण बोर्ड से स्वीकृति, जल की उपलब्धता के लिए मुल्की नदी पर प्रस्तावित बाँध का समय पर निर्माण, नागर विमानन विभाग से स्वीकृति, पत्तन प्राधिकरणों तथा रेलवे के साथ कोयला लाने ले जाने सम्बन्धी शर्तों का समय पर तय करना, एक बन्दरगाह परिसर का तत्काल निर्माण, पारेषण व्यवस्था के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी० ई० ए०) की स्वीकृति इत्यादि। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि क्या आप मंगलौर के लिए उड़ीसा से कोयला मंगवा सकेंगे। इन सब बातों को पूरा करना होगा और केवल तभी इस परियोजना को स्वीकृति दी जा सकती है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस परियोजना के लिए कोयला सप्लाई करने का आश्वासन दिया है। यदि हां तो किस कोयला खान से ? दूसरा आवश्यक वस्तु तेल है, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बंगलौर में 120 मेगावाट का संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में हमारा कटु अनुभव है। यद्यपि आपके मन्त्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है, यह अभी तक वित्त मन्त्रालय में लटका पड़ा है इसलिए, इस परियोजना पर काम शुरू होने से पहले क्या भारत सरकार एक तेल विशेष के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा देने का आश्वासन देगी ? क्या आप हमें कोयले तथा तेल की सप्लाई का आश्वासन देंगे ? राज्य सरकार यह कार्य नहीं कर सकती है। यह कार्य आपको करना पड़ेगा।

श्री वसन्त साठे : कोयले के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति के प्रश्न पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। यह सम्भव नहीं है। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है, हमने जिन कोयला खानों की पहचान की है वे तालचर कोयला खानें हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कोयले की ढुलाई की सम्भाव्यता और इसकी लागत के बारे में अभी अन्तिम निर्णय लेना है। ये सभी मदें जो बताई गई हैं उनके बारे में अभी निर्णय लेना है। अन्ततः जब हमें पता चलेगा कि परियोजना आर्थिक रूप से व्यवहार्य है केवल तभी परियोजना पर विचार किया जा सकता है।

दूरसंचार सुविधाओं का आधुनिकीकरण

*569. **श्री जी० भूपति :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने देश में दूरसंचार सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई परियोजना मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). दूरसंचार विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के अन्तर्गत दूरसंचार सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के लिए वार्षिक आबंटन योजना आयोग और वित्त मन्त्रालय द्वारा किए जाते हैं । वर्ष 1987-88 के दौरान, दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 1400 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है । वर्ष 1988-89 के दौरान, 1700 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है । इनमें से दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के आंतरिक संसाधन क्रमशः 860 और 1350 करोड़ रुपए के होंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाना पकाने की गैस का उत्पादन और खपत

[अनुवाद]

*553. **श्री तारिक अनवर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान खाना पकाने की गैस के उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे ;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड ने इस अवधि के दौरान खाना पकाने की गैस का वास्तव में कितना उत्पादन किया ; और

(ग) इस अवधि के दौरान इसकी कितनी खपत हुई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान 2.75 तथा 3.52 लाख टन के लक्ष्य के मुकबले क्रमशः 3.21 तथा 4.51 लाख टन एल० पी० जी० का उत्पादन किया । इन्हीं दो वर्षों के दौरान आयल इण्डिया लिमिटेड ने 0.55 तथा 0.48 लाख टन के लक्ष्यों के मुकाबले क्रमशः 0.43 और 0.43 लाख टन एल० पी० जी० का उत्पादन किया ।

(ग) एल० पी० जी० की खपत 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान क्रमशः 12.41 लाख टन और 14.95 लाख टन रही ।

मध्य प्रदेश में बिजली परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

*555. **श्री सुभाष यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सभी स्वीकृत लंबित बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). 125-125 मेगावाट की चार यूनिटों वाली बोधघाट जल विद्युत परियोजना (अनुमानित लागत 475.8 करोड़ रुपए) के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त की गई थी, इस परियोजना को वन संबंधी दृष्टि से अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बहुद्देशीय परियोजना (8 × 125 मेगावाट) को भी विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 1392.85 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक द्वारा परियोजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

समग्र अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के पश्चात ही बोधघाट परियोजना को पूरा करने से सम्बन्धित कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना संभव होगा। नर्मदा सागर परियोजना से आठवीं योजनावधि में लाभ प्राप्त होने की आशा है।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में यनम में तेल का पता लगना

*556. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन में यनम तट-दूर क्षेत्र में तेल का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कुएं से उत्पादन कब तक प्रारम्भ होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). जी, हां। यनम के दक्षिण में अपतटीय सम्भावना क्षेत्र जी. एस.-16 में तेल और गैस का पता चला है।

(ग) इस सम्भावना वाले क्षेत्र का रेखा चित्रण कार्य चल रहा है किन्तु इसमें 1988 के अन्त तक विस्तारित उत्पादन प्रणाली चलाने की योजना है।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

*557. **श्री मानिक रेड्डी :**

श्री श्रीहरि राव :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सभी स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं को जो इस समय लंबित पड़ी हुई हैं, पूरा करने हेतु विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). नरसापुर-रजोल में गैस पर आधारित 3 × 33 मेगावाट के संयुक्त साइकल विद्युत केन्द्र और रायल सीमा (मुद्दानूर) में 2 × 210 मेगावाट के ताप-विद्युत केन्द्र के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के प्रस्तावों के सम्बन्ध में हाल ही में स्वीकृति दी गई है। स्कीमों को राज्य की सातवीं योजना में शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रश्न पर अन्य बातों के साथ-साथ राज्य योजना में संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है।

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने के बाद ही परियोजनाओं को चालू करने सम्बन्धी कार्यक्रम का निर्धारण करना सम्भव होगा।

"फ्री गैस फील्डों" से गैस प्राप्त करना

***560. श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिसमें ऊर्जा उपयोग सम्बन्धी भावी योजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग पर अधिक बल दिया गया है, जैसा कि 19 दिसम्बर, 1987 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ग) उन "फ्री" गैस फील्डों" का ब्यौरा क्या है जहां से अभी तक गैस प्राप्त नहीं की गई है ; और

(घ) गैस का उपयोग न किए जा सकने के कारण कितनी गैस जलाई जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठा रही है। पिछले तीन वर्षों में इसमें वर्ष 1984-85 की 4141 मिलियन घन मीटर की तुलना में वर्ष 1986-87 में 7072 मिलियन घन मीटर तक वृद्धि हुई है।

(ग) दक्षिणी थालों के फ्री गैस फील्डों को अभी तक "टैप" नहीं किया गया है। इनके 1988-89 तक इस्तेमाल किए जाने की संभावना है।

(घ) वर्ष 1986-87 में 2718 मिली घन मीटर गैस जलाई गई थी।

स्वायत्त महानगर टेलीफोन निगम का अनुभव

***561. डा० फूलरेणु गुहा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई के लिए गठित स्वायत्त महानगर टेलीफोन निगम का क्या अनुभव रहा है ; और

(ख) क्या अन्य शहरों में टेलीफोन सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस अनुभव का उपयोग किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). दिल्ली और बम्बई के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नामक एक पृथक टेलीफोन निगम का गठन 1-4-86 को किया गया था।

निगम के गठन के फलस्वरूप प्रबंध में कुछ स्वायत्तता और लचीलापन आया जिससे कुछ क्षेत्रों में सुधार देखने को मिला।

इससे परियोजनाओं को मंजूर करना और संगठन को मजबूत बनाने सम्बन्धी मामलों पर तेजी से कार्यवाही करना सम्भव हो गया है। प्रचालन के विभिन्न पहलुओं पर सलाह देने के लिए विभिन्न परामर्शी संगठनों की सेवायें प्राप्त करना भी सम्भव हो गया है।

दिल्ली और बम्बई की दूरसंचार सेवाओं में वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान पर्याप्त सुधार देखने को मिला जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :—

—परियोजनाओं के कार्य में तेजी

—सेवा की गुणवत्ता में सुधार

—प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन मीटरित कालों और प्रति सीधी एक्सचेंज लाइन में सुधार

तथापि, इस अवधि के दौरान उन बड़े शहरों में इसी प्रकार का सुधार देखने को मिला जहां निगम का गठन नहीं किया गया है। अत: दिल्ली और बम्बई में सुधार को पूरी तरह से निगम के गठन पर निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

दूसरी ओर निगम का गठन होने से ऊपरी खर्चों में कुछ वृद्धि हुई है। इसका विशेष प्रभाव निगम कार्यालय में देखने को मिला जो उन कार्यों को पूरा कर रहा है जिन्हें इससे पहले दूरसंचार विभाग के मुख्यालय में किया जा रहा था।

निगम में कर्मचारियों के स्थाई स्थानान्तरण और उन्हें सेवांत लाभ का भुगतान करने सम्बन्धी मामलों का अभी समाधान किया जाना है। निगम में स्थाई रूप से स्थानांतरण पर आए कर्मचारियों को देय सेवांत भुगतान की धनराशि काफी अधिक है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की ओर से अन्य सार्वजनिक उद्यमों के बराबर वेतन और भत्ते देने और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में समानता लाने सम्बन्धी मांगें भी प्राप्त हुई हैं। इसमें लाभ के आधार पर बोनस का भुगतान भी शामिल है। इसके विपरीत, दूरसंचार विभाग में भी इसी प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारियों की ओर से निगम के

कर्मचारियों की परिलब्धियों के साथ समानता लाने सम्बन्धी मांगें प्राप्त होने की सम्भावना है।

निगम का गठन करने के परिणामस्वरूप संगठित दूर संचार नेटवर्क का बंटवारा करना पड़ा जिससे समन्वय, पारस्परिक कार्यप्रणाली तथा राजस्व का बंटवारा करने सम्बन्धी कुछ समस्याएं सामने आ गईं।

अतः कोई ऐसा स्पष्ट मूलांकन करना सम्भव नहीं हो पाया जिससे अन्य शहरों के लिए इसी प्रकार के निगमों के गठन का औचित्य सिद्ध हो सके।

राज्यों में बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार

*562. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में अब बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) यदि नहीं, तो और क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). पिछले चार महीनों के दौरान, देश में विद्युत सप्लाई की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है, जो इस प्रकार है :—

	मांग (मिलियन यूनिट)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट)	कमी (%)
दिसम्बर, 1987	18406	15874	13.8
जनवरी, 1988	19602	16365	12.0
फरवरी, 1988	17735	15818	10.8
मार्च, 1988 (अनन्तिम)	18350	16672	9.1

(ग) जल-विद्युत उत्पादन में कमी को पूरा करने हेतु ताप-विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई थी और कार्यान्वित की गई थी जिसके फलस्वरूप 1987-88 के दौरान ताप-विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 6 बिलियन यूनिट से अधिक हुआ। विद्युत की उपलब्धता में और सुधार करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं—नई क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता का इष्टतम समुपयोजन करना, ताप-विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना।

सोवियत संघ को तेल क्षेत्र उपकरणों की सप्लाई

***563. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ के एक शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत से तेल उद्योग के उपकरणों का आयात करने के सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग उद्योग महासंघ से विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो विचार विमर्श के मुख्य मुद्दे क्या थे और इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). तेल क्षेत्र के भारतीय उपकरणों और रसायनों का सोवियत संघ द्वारा आयात करने की सम्भावना का पता लगाने के लिए 3 मार्च से 12 मार्च, 1988 तक तेल उद्योग के उप मन्त्री की अध्यक्षता में एक सोवियत शिष्टमण्डल ने भारत का दौरा किया। शिष्ट मण्डल ने भारत में कुछ विनिर्माण सुविधाओं को देखा तथा भारतीय उद्योग और सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

तेल क्षेत्र के रसायनों विशेषकर पोर पाइन्ट डिप्रेसेंट (पी० पी० डी०) ड्रिलिंग उपकरण तथा वाल्वों आदि का भारत से सोवियत संघ को निर्यात किया जाना विनिर्दिष्ट किया गया है।

मारुति कारों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

***564. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने मार्च, 1988 के पहले सप्ताह में उनके द्वारा निर्मित कारों इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मूल्यों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा 1988-89 के बजट में उत्पादन शुल्क पर 5 प्रतिशत अधिभार लगाए जाने के कारण 1-3-1988 से मारुति वाहनों के मूल्यों में वृद्धि की गई।

(ग) पिछले तन वर्षों के दौरान मारुति वाहनों के कारखाने से निकलते समय के मूल्य में वृद्धि (उत्पाद-शुल्क और डीलरों का कमीशन शामिल करते हुए) निम्नलिखित रही :—

वाहन	प्रारम्भिक मूल्य	मूल्य वृद्धि (रुपये में)						चालू मूल्य (रुपये में)
		1-4-85	28-3-86	4-6-86	14-3-87	14-10-87	1-3-88	
1. कारें :								
(क) स्टैण्डर्ड	47500							
(1) नीली और सफेद		2450	7150	6800	7650	1000	710	73260
(2) लाल भूरी और हरी		3200	7150	6050	7650	1000	710	73,260
(ख) डीलक्स	79000	450	5550	8800	8350	1325	1025	1,05,000
(ग) वातानुकूलित	62200	—	6800	9500	8250	1325	865	88,940
2. ओ० एम० एन० आई० एस०								
(क) सपाट छत	47500							
(1) नीली और सफेद		7000	7000	6000	4950	1000	720	74,170

(2) लाल, भूरी और हरी		7750	7000	5250	4950	1000	720	74,170
(3) वातानुकूलित	73400	—	—	9500	5550	1325	885	90,660
(ख) ऊंची छत	49250							
(1) नीली और सफेद		7000	6850	5800	5550	1000	740	76,190
(2) लाल, भूरी तथा हरी		7750	6850	5050	5550	1000	740	76,190
3. जिप्सी (हल्की छत)	83900	—	3100	7900	6650	1500	1010	1,04,060

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

*566. **श्री हरीश रावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण/अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई हैं, और राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कितनी धनराशि के प्रस्ताव भेजे गए थे ; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1987-88 के दौरान, ग्राम विद्युतीकरण निगम को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से कुल 159 करोड़ रुपये के ऋण वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्राप्त हुई थीं। इन सब स्कीमों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था। 1987-88 में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को 62.16 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का ऋण प्रदान किया गया था जबकि कार्यक्रम 60.17 करोड़ रुपए का था।

(ख) योजना आयोग के अधीन कार्यकारी दल ने उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु 1988-89 के लिए 62.57 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की है।

"टेलीकम्यूनिकेशन्स इन्जीनियरिंग सर्विसिज एसोसिएशन" के इन्जीनियरों द्वारा "मांग दिवस"

[अनुवाद]

*570. **श्री पी० एम० सईद :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टेलीकम्यूनिकेशन्स इन्जीनियरिंग सर्विसिज एसोसिएशन" के बड़ी संख्या में जूनियर इन्जीनियरों, असिस्टेंट इन्जीनियरों और डिवीजनल इन्जीनियरों ने 10 मार्च, 1988 को "मांग दिवस" मनाया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मांगों के ब्यौरे :

(1) तार इन्जीनियरी सेवा ग्रुप-ख के वेतनमान की विषमताएं दूर करना।

(2) जे० टी० ओ० तथा सहायक इन्जीनियरों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाना।

(3) जे० टी० ओ०/सहायक इन्जीनियरों की समयबद्ध पदोन्नति।

सरकार की प्रतिक्रिया :

इस मामले की जांच करवा ली गई है। वर्तमान स्थिति की तुलना भारत सरकार के अन्य विभागों में इस प्रकार की सेवाओं से की जा सकती है।

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

[हिन्दी]

*571. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्मी के आगामी महीनों में विद्युत संकट और गंभीर हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में कितनी और कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाओं के लिए उनके आधुनिकीकरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया गया है तथा चालू वर्ष के दौरान कितना ऋण देने का विचार है?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं। इष्टतम ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए एक आकस्मिक योजना क्रियान्वित की गई है ताकि जलाशयों में जल का निम्न स्तर होने के कारण जल विद्युत उत्पादन में कमी को दूर किया जा सके तथा सूखे की व्यापक स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके। विद्युत की कमी को घटाने के लिए भार प्रबन्ध सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) बिहार में पतरातू, बरौनी तथा कारबघीया ताप विद्युत केन्द्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार में 1988-89 में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 3.30 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव है।

साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कन्यापुर, आसनसोल पर बकाया राशि

[अनुवाद]

5681. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, कन्यापुर, आसनसोल को मैसर्स साईकिल कारपोरेशन रेले डिवीजन एम्पलोयीज मल्टीपरपज कोआपरेटिव सोसाइटी लि०, कन्यापुर, आसनसोल के कई लाख रु० देने हैं;

(ख) यदि हां, तो कुल बकाया राशि कितनी है;

(ग) क्या इसका भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). साईकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०,

कलकत्ता पर साईकिल कारपोरेशन इम्पलाइज को-आपरेटिव सोसाइटी का 29-2-1988 को रु० 5,97,788 का ऋण था। इस राशि को चुकाने के लिए कम्पनी द्वारा सोसाइटी के साथ विचार-विमर्श करके कदम उठाए गये हैं।

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

5682. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास पर 1 जनवरी, 1988 तक कितनी धनराशि खर्च की गई अथवा राज्य को आबंटित की गई ;

(ख) अब तक मदवार अथवा योजनावार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1988 को कितने आवेदन लम्बित पड़े थे ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) गैस पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को 1-1-1988 तक 55 करोड़ रु० की राशि मध्यावधि ऋण के रूप में दी गई है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 31-3-1987 तक गैस पीड़ितों के लिए विभिन्न राहत एवं पुनर्वास योजनाओं पर उसके द्वारा किया गया व्यय इस प्रकार है :—

क्रमांक	मद	राशि (लाख रु० में)
1.	राहत	3560.83
2.	चिकित्सा पुनर्वास :	
	1. सुविधाएं	688.50
	2. निर्माण	169.83
	3. आर्थिक पुनर्वास	288.11
	4. सामाजिक पुनर्वास	14.74
	5. पर्यावरण सुधार	163.85
	6. अन्य निर्माण कार्य	122.41
	7. मुकदमेबाजी और प्रशासन	82.46
	8. विविध	74.94

(ग) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राहत हेतु पीड़ितों से प्राप्त हुए आवेदनों, जब भी वे प्राप्त होते हैं पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

सिनेमा थियेटर

5683. श्री सुरेश कुरुप : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, स्थायी, अस्थायी तथा सेना सिनेमा थियेटरों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सूचना संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है। यह सूचना, अनुमोदित फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन की स्कीम के अन्तर्गत फिल्म प्रभाग द्वारा रखे गए आंकड़ों पर आधारित है।

विवरण-1

वर्ष 1985-86 में सिनेमाघरों की संख्या

राज्यवार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थायी	चलते-फिरते	सैनिक	कुल
1	2	3	4	5
1. अण्डमान और निकोबार	4	—	—	4
2. आन्ध्र प्रदेश	1507	810	18	2335
3. अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	3
4. असम	134	66	—	200
5. बिहार	284	84	—	368
6. चण्डीगढ़	8	1	—	9
7. दादरा और नगर हवेली	2	—	—	2
8. गुजरात	474	70	—	544
9. हरियाणा	100	5	—	105
10. हिमाचल प्रदेश	26	2	—	28
11. जम्मू व कश्मीर	29	5	—	34
12. कर्नाटक	586	669	—	1255
13. केरल	445	903	8	1356

1	2	3	4	5
14. मध्य प्रदेश	411	128	—	539
15. महाराष्ट्र	750	580	8	1338
16. मणिपुर	12	—	—	12
17. मेघालय	10	—	—	10
18. मिजोरम	4	—	—	4
19. नागालैण्ड	5	—	—	5
20. उड़ीसा	122	6	—	182
21. पाण्डिचेरी	34	16	—	50
22. पंजाब	175	10	—	185
23. राजस्थान	209	43	—	252
24. सिक्किम	3	—	—	3
25. तमिलनाडु	1331	820	2	2153
26. त्रिपुरा	8	—	—	8
27. उत्तर प्रदेश	750	148	—	898
28. पश्चिम बंगाल	460	212	—	672
29. दिल्ली	74	—	—	74
30. गोवा दीव दमन	32	—	—	32
31. 56 ए० पी० ओ०	—	—	41	41
कुल योग :	7992	4632	77	12701

विवरण-2

देश में सिनेमाघरों की संख्या (1986-87)

राज्यवार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थायी	चलते-फिरते	सैनिक	कुल
1	2	3	4	5
1. अण्डमान और निकोबार	3	—	—	3
2. आन्ध्र प्रदेश	1599	824	15	2438
3. अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	3
4. असम	139	67	—	206
5. बिहार	284	61	—	345
6. चण्डीगढ़	8	—	—	8
7. दादरा नगर हवेली	2	—	—	2
8. गुजरात	491	86	—	577
9. हरियाणा	101	8	—	109
10. हिमाचल प्रदेश	24	2	—	26
11. जम्मू व कश्मीर	30	—	—	30
12. कर्नाटक	598	921	—	1319
13. केरल	458	931	—	1389
14. मध्य प्रदेश	423	115	—	538
15. महाराष्ट्र	716	387	—	1103
16. मणिपुर	12	—	—	12
17. मेघालय	10	1	—	11
18. मिजोरम	2	—	—	2

1	2	3	4	5
19. नागालैण्ड	6	—	—	6
20. उड़ीसा	125	66	—	191
21. पाण्डिचेरी	34	15	—	49
22. पंजाब	173	9	—	182
23. राजस्थान	217	32	—	249
24. सिक्किम	3	—	—	3
25. तमिलनाडु	1392	819	2	2213
26. त्रिपुरा	8	—	—	8
27. उत्तर प्रदेश	741	141	—	882
28. पश्चिम बंगाल	454	226	—	680
29. दिल्ली	75	—	—	75
30. गोवा दीव दमन	32	—	—	32
31. 56 ए० पी० ओ०	—	—	41	41
कुल योग :	8163	4511	58	12732

विवरण-3

देश में सिनेमाघरों की संख्या (1987-88) 31-12-87 के दिन की स्थिति के अनुसार

राज्यवार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थायी	चलते-फिरते	सैनिक	कुल
1	2	3	4	5
1. अण्डमान और निकोबार	3	—	—	3
2. आन्ध्र प्रदेश	1632	843	12	2487

1	2	3	4	5
3. अरुणाचल प्रदेश	3	—	—	3
4. असम	143	51	—	194
5. बिहार	284	54	—	338
6. चण्डीगढ़	8	—	—	8
7. दादरा और नगर हवेली	3	—	—	3
8. गुजरात	470	92	—	562
9. हरियाणा	103	13	—	116
10. हिमाचल प्रदेश	24	2	—	26
11. जम्मू व कश्मीर	30	—	—	30
12. कर्नाटक	606	677	—	1283
13. केरल	457	928	—	1385
14. मध्य प्रदेश	425	101	—	526
15. महाराष्ट्र	778	542	—	1320
16. मणिपुर	13	—	—	13
17. मेघालय	10	—	—	10
18. मिजोरम	2	—	—	2
19. नागालैण्ड	6	—	—	6
20. उड़ीसा	130	61	—	191
21. पाण्डिचेरी	35	18	—	53
22. पंजाब	181	10	—	191
23. राजस्थान	232	39	—	271
24. सिक्किम	3	—	—	3
25. तमिलनाडु	1432	786	2	2220
26. त्रिपुरा	6	—	—	6

1	2	3	4	5
27. उत्तर प्रदेश	763	139	—	902
28. पश्चिम बंगाल	463	213	—	676
29. दिल्ली	77	—	—	77
30. गोवा दीव दमन	32	—	—	32
31. 56 ए० पी० ओ०	—	—	41	41
कुल योग :	8354	4569	55	12978

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में खाना पकाने की गैस की एजेन्सी

5684. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक में खाना पकाने की गैस का डीलर नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) उपर्युक्त क्षेत्र में कब तक एक नियमित डीलर नियुक्त किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) अप्रैल, 1987 में तामलुक में पहले से चल रही एल० पी० जी० की वितरणशिप को समाप्त किए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा जून, 1987 में इस स्थान के लिए एक विज्ञापन दिया गया और प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रोसेस करने के लिए अगस्त, 1987 में तेल चयन बोर्ड (पूर्व) के पास भेज दिया गया।

(ख) चूंकि वितरणशिप को वास्तव में नियुक्त करने/चालू करने से पूर्व विभिन्न कार्यवाही करनी पड़ती है इसलिए निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं होगा कि कब तक यह वितरणशिप वास्तव में नियुक्त/चालू हो जाएगी। इस दौरान तामलुक में एल० पी० जी० उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए मैसर्स खड़गपुर गैस सर्विस के माध्यम से प्रबन्ध किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पवन चक्की लगाना

5685. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषत: तटीय क्षेत्र में स्थित गांवों में पवन चक्की लगाने के लिए कितनी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने पवन चक्की के उपयोग का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तटीय क्षेत्रों में स्थित ग्रामों सहित, देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न पवन ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनका सम्बन्ध जल पम्पन तथा बैटरी चार्जिंग के साथ-साथ विद्युत उत्पादन के लिए पवन टरबाइनों हेतु पवन चक्कियों की स्थापना से है।

(ख) 13 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पवन सर्वेक्षण परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार, देश के अनेक भागों में और विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पवन विद्युत दोहन की अच्छी सम्भावना होती है।

मारुति उद्योग के कर्मचारियों द्वारा औजार बन्द हड़ताल

5686. **श्री गदाधर साहा :**

श्री मतिलाल हंसदा :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लि० के कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन चार घण्टे की औजार बन्द हड़ताल कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मारुति उद्योग के प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो गया है और वे नियमित कार्यकाल के बिना कार्य कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यूनियनीकृत कर्मचारियों ने 29-2-1988 को 2 घण्टे, 1-3-88 को 3 घण्टे तथा 2-3-1988, 3-3-88, 5-3-88, 7-3-88, 8-3-88, 9-3-88 और 10-3-88 को चार-चार घण्टे के लिए औजार छोड़ो कलम छोड़ो हड़ताल की थी। इसे 11-3-88 को उठा लिया गया था।

(ग) और (घ). प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का मामला सरकार के विचाराधीन है जो 30-6-87 को समाप्त हो गया था।

वाणिज्यिक फिल्मों का निर्माण

5687. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 के दौरान देश में कितनी वाणिज्यिक फिल्मों का भाषावार निर्माण किया गया ;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान भाषावार कितनी फिल्में रिलीज की गयीं ; और

(ग) फिल्मों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत की विश्व में क्या स्थिति है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). फिल्म निर्माण ज्यादातर निजी क्षेत्र में होने और यह एक अविनियमित कार्यकलाप होने के कारण, सरकार द्वारा फिल्म निर्माण और प्रदर्शन के आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। तथापि, संस्कृति विभाग के अधीन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा 1987 के दौरान प्रमाणित फीचर फिल्मों की संख्या (भाषावार) के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) फिल्मों के प्रमाणन के आंकड़े के आधार पर वर्तमान में भारत विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश है।

विवरण

वर्ष 1987 के दौरान प्रमाणित फिल्मों की संख्या (भारतीय फीचर फिल्में)

भाषा	प्रमाणित फिल्मों की संख्या
हिन्दी	150
गुजराती	11
भोजपुरी	14
मराठी	27
पंजाबी	8
हरियाणवी	6
बृजभाषा	1
नेपाली	6
उड़िया	9
असमिया	8
बंगला	35
तमिल	167
तेलुगु	163
कन्नड़	88
तुलु	1

भाषा	प्रमाणित फिल्मों की संख्या
मलयालम	103
राजस्थानी	4
गढ़वाली	3
कुमायूंनी	1
अंग्रेजी	1
कुल :	806

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

5688. श्री एच० बी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान राज्यवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उद्यमियों को बड़े, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं ; और

(ख) जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की जांच तकनीकी आर्थिक पैरामीटरों के संदर्भ में की जाती है। इस प्रकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को दिए गए लाइसेंसों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त छिद्रण परियोजनाएं

5689. डा० बी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन छिद्रण परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) कितने गवेषणात्मक कुओं का छिद्रण किया गया तथा कितने कुओं में तेल का पता चला है ; और

(ग) राजस्थान के जैसलमेर जिले में छिद्रण परियोजना के क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) परियोजनाएं है :—

—कृष्णा गोदावरी अन्वेषण परियोजना।

—कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना।

—दक्षिण बेसिन गैस विकास परियोजना।

—आयल इंडिया अन्वेषण परियोजना।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल 347 अन्वेषी कुएं खोदे गए। इनमें से 134 में तेल होने के संकेत मिले हैं।

(ग) राजस्थान में अभी तक 26 कूंए खोदे गए हैं तथा इस समय घोटारू, घोटारू फोर्ट तथा टनोट-1 में तीन कुंए खोदे जा रहे हैं। केवल दो स्थानों अर्थात मनहर टिब्बा तथा गोटारु में गैस मिली है।

व्यापारिक चिन्हों के रजिस्टर से व्यापारिक चिन्हों को हटाना

5690. **श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान व्यापारिक चिन्ह रजिस्टर से किन-किन व्यापारिक चिन्हों को हटाया गया है ;

(ख) इनके हटाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन्हें हटाने की तारीखें तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). वर्ष 1986-87 के दौरान व्यापार चिन्ह रजिस्टर से हटाए गए व्यापार चिन्हों के ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं। इन सभी व्यापार चिन्हों को प्रयोग में न लाने के कारण हटाया गया था।

विवरण

क्र० सं०	व्यापार चिन्ह	वस्तुएं	पंजीकृत स्वामी	हटाने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	122389 एडोल	चिकित्सीय तथा भेषजीय निरूपण	मै. प्रोफ. गज्जार्स स्टैन्डर्ड कैमिकल वर्क्स लि., बम्बई	10-4-86
2.	159941 स्वामीज	स्नफ	मै. एन. सी. आर्य स्नफ कं. मद्रास	11-4-86
	159942 स्वामीज गोल्डन	स्नफ	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
3.	301223 ए. जी. डब्ल्यू. आई. पी.	इस्पात एल्युमिनियम, लकड़ी अथवा प्लास्टिक के बने हुए फुटे	मै. मैटल एण्ड मोल्ड मैनुफैक्च. एण्ड ट्रेडिंग कं० थाना	14-8-86
4.	269158 कास्को	मोटर लैंड वाहनों में प्रयोग के लिए ऑयल सील्स तथा मोटर लैंड वाहनों के कालम 12 में सम्मिलित पुर्जे तथा फिटिंग्स	मै. खोसला आटो-मोबाइल कं. दिल्ली	18-9-86
5.	277834 (बी) सीटेक्स	चोलियां, बनियानें, जेट्टीज तथा टी. शर्टस	मै० चन्द्रलता टैक्सटाइल्स, तिरुपुर	23-9-86
6.	331424 जे० के० डी० आफ वोमेन	फीते, ब्रेड्स, रिब्बन्स इलास्टिक के फीते	मै. एस. के. प्रोडक्ट्स 2/675, रुस्तमपुरा, चेलो मोहल्ली, सूरत-390002 मार्फत आर. सी. मेहता	17-2-87
7.	190559 टिक्सो	अधेसिव टेप	मै. टिऑक्स-टिन्टन-अंड क्लेब्स्टो वियर्क जीसीज-चैफ जी० एम० बी० एच० आस्ट्रिया	25-5-87
8.	12116 गुडइअर	फर्नीचर	मै. गुडइअर टायर एंड रबर कंपनी	24-6-87
9.	348273 रेनो विल्सन्ज	कृत्रिम सिरका	मै. रेनो फूट कं० प्रोडक्ट्स	13-7-87
10.	281026 प्रोफ्रेसी	कास्मेटिक्स परफ्युमरी तथा सुगन्धित वस्तुएं और कालम 3 में दिए आवश्यक तेल	मै. मिल्टन रोक्स प्रा. लि. मद्रास-13	13-11-87

1	2	3	4	5
11.	336806 बेनोक्सिल	कालम 5 में दी औषधीय वस्तुए तथा मिश्रण	मै. यूनिलोइड्स लि., हैदराबाद-29	13-11-87

राज्यों में पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना

5691. **श्री अजित कुमार साहा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) कितनी तथा किन राज्य सरकारों ने पेट्रोरसायन परिसर की सहायता-स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है ;

(ख) उन्होंने इस हेतु कब अनुरोध किया था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी अनुरोध को स्वीकार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). अधिकांश राज्य सरकारें अपने राज्यों में पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन देती रही हैं। ऐसे मामलों पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर लिए जाते हैं।

अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज

5692. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पूर्वी सियांग जिले में पानी घाट तथा तिराप जिले में निगरू में कोई भूकम्पीय अध्ययन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अरुणाचल प्रदेश में आयल इंडिया लिमिटेड का अस्थायी अन्वेषण कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(1) भूकम्पीय सर्वेक्षण — 1500 एस० एल० के०

(2) खोजी ड्रिलिंग — 9100 मीटर

(ख) और (ग). अरुणाचल प्रदेश में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ पासीघाट और निगरू में सर्वेक्षण का काम चल रहा है और इस बेसिन की पूरी सम्भावना का मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व होगा।

"एक्स-रे" तथा ग्राफिक आर्ट फिल्म का निर्माण

5693. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "एक्स-रे" तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक गैर-सरकारी क्षेत्र के एक बड़े एकक को एक लाइसेंस जारी करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में अद्यतन प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में सरकार भार पूंजीनिवेश कर चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ; और

(घ) यदि भाग (क) में उल्लिखित गैर-सरकारी क्षेत्र के एक बड़े एकक को लाइसेंस जारी कर दिए जाने से यह सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के हितों के लिए हानिकारक नहीं होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) पोलीएस्टर पर आधारित एक्स-रे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों का विनिर्माण करने हेतु मै. गरवारे प्लास्टिक एण्ड पोलीएस्टर लि० ने एक आशय पत्र के लिए आवेदन किया है ।

(ख) और (ग). पोलीएस्टर पर आधारित एक्स रे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों का विनिर्माण करने के लिए मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैनुफैक्चरिंग कं० लि० ने मै० डुपोन्ट आफ यू० एस० ए० के साथ सहयोग किया है । परियोजना की कुल लागत 168.12 करोड़ रु. होने का अनुमान है ।

(घ) यद्यपि देश में निजी क्षेत्र में एक्स रे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों के लिए क्षमता स्थापित करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तथापि अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देते समय सम्बन्धित वस्तु की मांग, पहले ही से अधिष्ठापित क्षमता, विदेशी मुद्रा की लागत सहित अंतर्ग्रस्त निवेश की सीमा आदि जैसे अनेक बातों को ध्यान में रखा जाता है ।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा उत्पादन में कटौती

5694. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा फरवरी, 1988 में जान-बूझकर उत्पादन में कटौती की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जान-बूझकर इस प्रकार के कदम उठाने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं । फरवरी, 1988 में उत्पादन पूरी क्षमता का उपयोग करके किया गया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हावड़ा में क्रासबार एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ करना

5695. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा क्षेत्र के टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन विभाग के प्राधिकारियों के जिले में वर्तमान स्वचालित प्रणाली के स्थान पर क्रॉस-बार एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ करने के निर्णय पर गहरी चिन्ता प्रकट की है ;

(ख) क्या क्रॉस-बार प्रणाली विदेशों में पहले ही पुरानी घोषित की गई थी और कलकत्ता में भी यह बन्द पड़ी है ;

(ग) क्या क्रॉस-बार एक्सचेंज निर्माताओं के पारम्परिक घर बेल्जियम में भी यह प्रणाली समाप्त कर दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गणतांत्रिक नागरिक समिति नामक संगठन ने कलकत्ता टेलीफोन में अभ्यावेदन देकर और प्रैस के माध्यम से हावड़ा जिले में क्रॉसबार एक्सचेंज लगाने पर चिंता व्यक्त की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

'डबल कोला' संयंत्र स्थापित करना

5696. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डबल कोला कम्पनी ने पंजाब में 'डबल कोला' का उत्पादन शुरू करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र के भारतीय सहयोगकर्ता कम्पनी का नाम क्या है ;

(ग) डबल कोला कम्पनी ने अन्य किन-किन स्थानों पर संयंत्र स्थापित किए हैं और उत्पादन शुरू कर दिया है ;

(घ) भारतीय सहयोगकर्ता कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) लाभांश, लाभ आदि को स्वदेश भेजने से सम्बन्धित नियमों और शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख). मैसर्स डबल कोला मैन्युफैक्चरिंग कं० (इं०) प्रा० लि० ने बताया है कि पंजाब में 'डबल कोला' बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि मैसर्स करतार बेवरिज प्रा० लि०, चण्डीगढ़ को डबल कोला भरने और वितरण करने के लिए अधिकार (फ्रैन्चाइज) की स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) और (घ). मैसर्स डबल कोला मैन्युफैक्चरिंग कं० (इं०) प्रा० लि०, ने सूचित किया है कि अधिकार प्राप्त चार डबल कोला भरने के संयंत्र—(1) तारापुर, महाराष्ट्र, (2) बंगलौर, कर्नाटक (3) अंगमाली, केरल और (4) मदुराई, तमिलनाडु में स्थित है और इन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है। अधिकार प्राप्त कम्पनियां निम्न हैं:—

1. नेशनल बेवरिज प्रा० लि०, तारापुर
2. सिटी ड्रिंक्स प्रा० लि०, बंगलौर
3. भगवती बेवरिज प्रा० लि०, अंगमाली
4. फालकन्स बेवरिज प्रा० लि०, मदुराई

कम्पनी ने यह भी बताया है कि जयपुर में मौजूदा संयंत्र मैसर्स जे० ड्रिंक्स प्रा० लि० को 22-3-1988 से डबल कोला का उत्पादन करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है।

(ङ) मैसर्स डबल कोला मैन्युफैक्चरिंग कं० (इं०) प्रा० लि०, ने बताया है कि उनके प्रवर्तकों ने अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए पूंजी निवेश पर किसी पूंजी, लाभांशों अथवा लाभों को स्वदेश न भेजने की इच्छा व्यक्त की है।

मध्य प्रदेश के टेलीफोन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

5697. **श्री असलम शेर खां :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश के टेलीफोन विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती और प्रशिक्षण पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में भारी असन्तोष है ;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों को जिन्होंने वर्ष 1984 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी, अभी तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में इस विभाग के कनिष्ठ अभियन्ताओं का प्रशिक्षण प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। कनिष्ठ इन्जीनियरों की भर्ती फरवरी, 1987 से तब तक के लिए मुल्तवी कर दी गई है जब तक सर्पलस कर्मचारियों में से चुने हुए तथा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को सभी दूरसंचार सर्किलों में नियुक्त नहीं किया जाता है।

(ख) जी, हां, 1984 की परीक्षा में उत्तीर्ण विभागीय उम्मीदवारों को अभी तक प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया है।

(ग) और (घ). जी, हां, चुने गए उम्मीदवारों को उन सर्किलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है जिनमें उन्हें नियुक्त किए जाने की सम्भावना है।

डाक और तार विभागों में काम करने के घण्टों में असमानता

[अनुवाद]

5698. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में काम करने के घण्टों में बहुत असमानता है जहां डाक घरों में नियुक्त कर्मचारियों को छः दिन के सप्ताह में 8 घण्टे काम करना पड़ता है जबकि डाक घर अधीक्षक, महाडाकपाल इत्यादि के कार्यालयों में उनके सहयोग पांच दिन के सप्ताह में 7 घण्टे काम करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का काम करने के घण्टों की इस तरह की असमानता को दूर करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) विभाग के डाकघरों में छः दिन के एक सप्ताह में काम के 48 घण्टे होते हैं जिसमें दोपहर के भोजन का समय भी शामिल है और डाक अधीक्षक, पोस्टमास्टर जनरल तथा महानिदेशक, डाक के प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन के एक सप्ताह में काम के 42-1/2 घण्टे होते हैं इसमें भी दोपहर के भोजन का समय शामिल है।

(ख) प्रशासनिक कार्यालयों और प्रचालन कार्यालयों के कर्मचारियों के काम के घण्टे, काम और ड्यूटी के स्वरूप को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं।

(ग) प्रचालन कार्यालयों के काम के घण्टों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) काम के घण्टों में कमी करने से उत्पादन और देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चौथे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों की सिफारिश करते समय कार्य और ड्यूटी के स्वरूप पर भी विचार किया था।

गुजरात के शहरों में एस० टी० डी० सुविधा

5699. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के किन-किन शहरों में अब तक एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) क्या इस सुविधा को कुछ अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन शहरों की सिफारिश की गई है ; और

(घ) इन शहरों में कब तक एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) संलग्न विवरण में गुजरात के उन शहरों के नाम दिए गए हैं जहां कि अब तक एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराई जा चुकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). गुजरात के निम्नलिखित शहरों में सातवीं योजना अवधि के अन्त तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संचारण/स्विचन उपस्कर उपलब्ध हो सकें।

1. आनन्द
2. अहवा
3. अंजर
4. अंकलेश्वर
5. बोटाड
6. बावला
7. भारूच
8. दाभोई
9. धूराजी
10. गोंदल
11. जेलपुर
12. कांडला
13. कोदीनार
14. मन्नावादर
15. मोदासा
16. नावसारी
17. पेटलाद
18. छपलेटा
19. वापी
20. वी० वी० नगर

विवरण

29-3-1988 की स्थिति के अनुसार गुजरात के ऐसे शहरों के नाम जहां कि एस० टी० डी० सुविधा सुलभ करा दी गई थी

1. अहमदाबाद

2. अमरेली
3. भावनगर
4. बीलिमोरा
5. कम्बे
6. द्वारका
7. धारंगधारा
8. धोलका
9. गांधीनगर
10. गांधीधाम
11. गोधरा
12. जामनगर
13. जूनागढ़
14. जमखामभालिया
15. कालोल
16. कपाड़भंज
17. खेड़ा
18. मोरवी
19. महुवा
20. मेहसाना
21. नाडियाड
22. पाटन
23. पालनपुर
24. पोरबन्दर
25. राजकोट
26. सावरकुंडला
27. सुरेन्द्रनगर
28. सूरत
29. टालोड
30. उन्झा
31. वादोडरा

32. वालसाड

33. वेरावल

34. वीसनगर

35. वांकनेर

विदेशी फिल्मों का दूरदर्शन से प्रसारण

5700. **श्री शांताराम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दूरदर्शन द्वारा अमरीका तथा ब्रिटेन की कितनी फीचर फिल्में प्रसारित की गयीं ;

(ख) उक्त देशों से कौन-सी फीचर फिल्में आयात करने का विचार है ; और

(ग) इस वर्ष प्रसारित की जाने वाली फिल्मों के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क में 19 अमरीकी तथा 2 ब्रिटिश फिल्में टेली-कास्ट की गई थीं ।

(ख) और (ग). इन देशों से फीचर फिल्में आयात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, दूरदर्शन के पास पहले ही उपलब्ध निम्नलिखित विदेशी फिल्मों को राष्ट्रीय फिल्मों में टेली-कास्ट करने का प्रस्ताव है :

फिल्म का शीर्षक

1. आउटकॉस्ट
2. डिजायरी
3. ए रूम विद ए व्यू
4. हीट एण्ड डस्ट
5. अन्ना पवलोवा
6. स्टाकर
7. अन्डर सेटन्स सन
8. क्वैक्स
9. माई स्वीट लिटिल विलेज

किसी एस० एस० ए० के अन्तर्गत विभिन्न एक्सचेंजों के बीच ग्रुप डायलिंग शुरू करना

5701. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 में हिमाचल प्रदेश के एस० एस० ए० के अन्तर्गत विभिन्न एक्सचेंजों के बीच ग्रुप डायलिंग शुरू करने का कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है अथवा वर्ष 1988-89 में तैयार किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम को किस तारीख को स्वीकृति दी गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या किसी एक क्षेत्र के बजाय सम्पूर्ण एस० एस० ए० में ग्रुप डायलिंग शुरू करना सुनिश्चित किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी, हां। वर्तमान समय में ग्रुप डायलिंग योजना एस० ए० एक्स० के लिए तैयार की गई है जिसे हमीरपुर, बिलासपुर, धर्मशाला, चम्बा, ऊना, शिमला, सोलन, नाहन, कुल्लू और मण्डी के जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाना है। 7वीं और 8वीं योजना के अन्त तक ग्रुप डायलगिं उत्तरोत्तर शुरू की जाएगी बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में पूंजी निवेश

5702. श्री रेणुपद दास : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 को देश में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कुल पूंजी मिवेश कितना है ;

(ख) 31 जनवरी, 1987 को पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में राज्य-वार पूंजी निवेश कितना है ;

(ग) इन प्रतिष्ठानों का राज्य-वार वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(घ) इनको कितना लाभ और हानि हुई और इनमें राज्य-वार कितने स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्रों राज्य-वार में राज्य-वार कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) नवीनतम तारीख 31-3-1987 जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं, को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में लगी पूंजी कुल 61,603 करोड़ रुपये थी।

(ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) और (घ). विवरण-2 है।

(ङ) 7वीं योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित नये पूंजी निवेश के राज्य-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

पूर्वी क्षेत्र

	(करोड़ रुपये में)
पश्चिम बंगाल	1281.90
बिहार	1327.63
उड़ीसा	2244.89
जोड़ :	4854.42

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

असम	349.93
मेघालय	अनुपलब्ध
मिजोरम	अनुपलब्ध
नागालैंड	3.52
त्रिपुरा	अनुपलब्ध
मणिपुर	अनुपलब्ध
अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध
	353.45

विवरण-1

31-3-1987 को विभिन्न पूर्वी राज्यों तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सकल परिसम्पत्ति के राज्य-वार आंकड़े इस प्रकार हैं :—

पूर्वी राज्य

	(करोड़ रुपये में)
पश्चिम बंगाल	4524.94
बिहार	6969.20
उड़ीसा	4637.65
जोड़	16131.79

उत्तर पूर्वी राज्य

असम	3808.72
मेघालय	4.27
मिजोरम	अनुपलब्ध
नागालैंड	78.17
त्रिपुरा	160.83
मणिपुर	139.68
अरुणाचल प्रदेश	अनुपलब्ध
जोड़	4191.67

विवरण-2

ऐसे सभी उपक्रमों जिनके प्रधान कार्यालय इन दस राज्यों में स्थित हैं, की 1986-87 के दौरान कुल बिक्री तथा लाभ/हानि का ब्योरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

पूर्वी क्षेत्र	कुल बिक्री	लाभ (+)/हानि (—)
पश्चिम बंगाल	4390.15	(—)335.85
बिहार	1276.52	(—)49.88
उड़ीसा	73.61	(—)12.60
जोड़	5740.28	(—)398.33
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
असम	712.72	73.69
मेघालय	9.26	2.56
मिजोरम	शून्य	शून्य
नागालैंड	4.12	(—)23.19
त्रिपुरा	शून्य	शून्य

मणिपुर		शून्य	शून्य
अरुणाचल प्रदेश		शून्य	शून्य
	जोड़	726.10	53.06

31-3-1987 को इन राज्यों में स्थित सभी उद्यमों में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार थी। उनका स्थायी तथा अस्थाई रूप में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र

		(लाखों में)
पश्चिम बंगाल		4.22
बिहार		4.53
उड़ीसा		0.75
	जोड़	9.50

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

असम		0.57
मेघालय		0.01
मिजोरम		अनुपलब्ध
नागालैंड		0.02
त्रिपुरा		0.02
मणिपुर		0.02
अरुणाचल प्रदेश		अनुपलब्ध
	जोड़	0.64

सीमेंट उद्योग का विकास

5703. श्री आर० एम० भोये : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में सीमेंट उद्योग का और अधिक विकास करने के लिए सीमेंट संयंत्रों की लेवी बाध्यता कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आरम्भ किये जाने वाले नये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकार ने 1-3-88 से कुछ वर्गों के सीमेंट एककों के लेवी दायित्व को और कम करने का निर्णय किया है ताकि सीमेंट उद्योग गैर-लेवी सीमेंट अधिक मात्रा में बेच सके जिससे आधुनिकीकरण और विस्तार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी :—

(1) 1982 से पूर्व के एकक :—	
(क) रुग्ण एकक	वास्तविक उत्पादन के 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत
(ख) रुग्ण एककों के अलावा	वास्तविक उत्पादन के 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत
(2) वे एकक जिन्होंने 1-1-82 से पूर्व किसी समय उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु ऐसा समझा जाता है कि इन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन 1-1-82 के पश्चात प्रारम्भ किया था।	वास्तविक उत्पादन के 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत
(3) 1-1-82 के पश्चात क्षमताओं का विस्तार।	वास्तविक उत्पादन के 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत

(ख) और (ग). लागत संरचना के सम्बन्ध में कोई व्यापक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न वर्गों के सीमेंट कारखानों की आवश्यकता के बारे में एक शीघ्र मूल्यांकन किया गया था और यह पाया गया कि 1-1-82 को उत्पादन कर रहे कारखानों को और सहायता की आवश्यकता है।

फरवरी, 1982 में सीमेंट का आंशिक विनियन्त्रण लागू किए जाने के पश्चात्, उद्योग के विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी नीति की निरन्तर समीक्षा कर रही है। इस नीति के अनुसरण में, पिछले वर्षों में सरकार सीमेंट उद्योग पर मूल्य और वितरण नियन्त्रण को उत्तरोत्तर कम कर रही है ताकि इस उद्योग को खुले बाजार में सीमेंट की अधिक मात्रा बेचने की अनुमति दी जा सके जिससे आगे निवेश/आधुनिकीकरण और अपनी लाभदायकता में सुधार करने हेतु अधिक धनराशि उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड को मुनाफा/घाटा

5704. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, वर्ष वार, भारत भारी उद्योग निगम के एक एकक बर्न स्टैंडर्ड

कम्पनी लिमिटेड को कितनी धनराशि का मुनाफा हुआ है अथवा घाटा उठाना पड़ा है ;

(ख) यदि इस एकक को कोई घाटा हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी में एकक को कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी है ; और विशेष रूप से मुख्यालय कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान करने के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी है ; और

(घ) धारक कम्पनी के रूप में स्थापना से लेकर अब तक बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा मुकदमेबाजी और/अथवा कानूनी व्यय के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी० एस० सी० एल०) पिछले पांच वर्षों के दौरान नकद लाभ अर्जित कर रही है, जिसके वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	(लाख रुपये में)
1982-83	56.90
'983-84	157.59
1984-85	313.98
1985-86	27.19
1986-87 (अनन्तिम)	20.16

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31-3-1987 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों में कर्मचारियों के साथ मुकदमेबाजी में बी० एस० सी० एल० ने कुल खर्च लगभग 6.53 लाख रुपये किए हैं। सरकार द्वारा अगस्त, 1987 में घोषित अन्तरिम राहत बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड के कामगारों को देय नहीं थी जो त्रिपक्षीय इंजीनियरी मजदूरी समझौता के अधीन आते हैं। तथापि, कम्पनी के कलकत्ता स्थित मुख्य कार्यालय की कर्मचारी यूनियन ने अन्तरिम राहत दिये जाने के लिए कम्पनी के विरुद्ध दिसम्बर 1987 में एक मुकदमा दायर किया। पश्चिम बंगाल में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इंजीजियरी एककों में लिपिकीय/पर्यवेक्षीय स्टाफ तथा सभी कामगार, जो अन्तिम त्रिपक्षीय मजदूरी समझौता दिनांक 2-9-1983 में शामिल हैं, को अन्तरिम राहत दिए जाने के प्रश्न को 28-1-1988 के त्रिपक्षीय इन्जीनियरी मजदूरी समझौता में सुलझा दिया गया है। कम्पनी को उक्त मुकदमें पर लगभग 46,000 रुपया खर्च करना पड़ा था।

(घ) चूंकि भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड का गठन 17 सितम्बर, 1986 से हुआ है। इसलिए बी० एस० सी० एल० का कुल कानूनी व्यय लगभग 2.71 लाख रुपये का हुआ है जिसका वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1986-87	
(18-9-86 से 31-3-87)	83,109.00 रुपये
1987-88	1,88,806.00 रुपये

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन

[हिन्दी]

5705 **श्री नन्द लाल चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे कस्बों और शहरों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं ;

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान किन-किन शहरों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को गैस एजेन्सियां आबंटित करने का विचार है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के आबंटन के लिए अपनाये जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) तेल उद्योग ने पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति श्रेणी के दो व्यक्तियों को इटारसी और अशोक नगर में एक-एक पी० जी० वितरणशिपें अलाट की हैं।

(क) 1986-87 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में तेल उद्योग द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर एल० पी० वितरणशिपें खोलने का का प्रस्ताव था :—

1. जबलपुर
2. बिलासपुर
3. उज्जैन
4. सिंगरौली
5. डूंगरगढ़
6. अम्बा
7. मंदसौर
8. इंदौर

(ग) एल० पी० जी० वितरणशिपों तथा मोटर स्प्रिट/एच० एस० डी० तथा एस० के० ओ०-एल० डी० ओ० की डीलरशिपों के आबंटन में वार्षिक तथा राज्यवार आधार पर 25 प्रतिशत का

आरक्षण रखा जाता है। उपयुक्तता और तुलनात्मक गुण-दोष के आधार पर सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड द्वारा पात्र आवेदकों (जिनमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जो उस जिले या उसके साथ के जिले के निवासी हों, जहां डीलरशिप/वितरणशिप स्थापित किया जाना प्रस्तावित है) में से चयन किया जाता है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन

[अनुवाद]

5706. **श्री मुरलीधर माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा हाल ही में किये गये अध्ययन के अनुसार आयल इंडिया लिमिटेड चालू वित्तीय वर्ष में कच्चे तेल के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और आयल इंडिया लि० का अपनी योजना परिव्यय की राशि का पूर्णतया उपयोग करने में असफल रहने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि आयल इंडिया लि० द्वारा तेल के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). 1987-88 के लिए 2.55 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन के संशोधित लक्ष्य के मुकाबले आशा है आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2.45 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन किया जाएगा।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा योजना परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) वर्ष के दौरान कुछ पूंजीगत सामान, बैक अप उपस्कर आदि की प्राप्ति न होना।

(2) ड्रिलिंग और वर्क ओवर रिगों को प्राप्त करने और चालू करने में देरी होना तथा इसके परिणामस्वरूप ड्रिलिंग परिव्यय में बचत हुई।

(ग) सरकार द्वारा आयल इंडिया लिमिटेड के कार्य निष्पादन की लगातार समीक्षा की जा रही है। कम्पनी के प्रबन्ध तन्त्र को सुचारु बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

डाक कार्यकुशलता को बढ़ाना

5707. **श्री हरिहर सोरन : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कार्यकुशलता को बढ़ाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा डाक प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं तथा इनके कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए कोई उपाय सुझाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि डाक क्षमता में आगे सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है, भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस विशेषज्ञ समिति के विचारणीय विषय और इसका गठन संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

1. समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से बढ़ती हुई मांग के सन्दर्भ में डाक सेवाओं के कार्य का अध्ययन करना और इस तंत्र की प्रचालन प्रबन्ध और तकनीकी क्षमताओं एवं कमजोरियों का पता लगाना।

2. जनता को इन सेवाओं से अधिक से अधिक संतुष्ट रखने के उद्देश्य से इसकी सर्वतोमुखी आयोजना और उपयुक्त तकनीकी परिवर्तनों से डाक नेटवर्क में दक्षता लाने तथा उसके प्रचालन को लागत प्रभावी बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय सुझाना।

3. विभाग की वित्त व्यवस्था और डाक सेवाओं के मूल्य लगाने की नीति की पुनरीक्षा करना तथा इस सम्बन्ध में सार्वजनिक हित और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उचित सुझाव देना।

4. कर्मचारियों में अधिक सन्तोष रहे, उत्पादकता बढ़े और अधिक प्रभावकारी तथा कार्यप्रणाली ऐसी बन जाये कि वह अधिक कारगर एवं एक व्यवसाय के रूप में चले, इसलिए विभाग की कार्मिक नीति की (जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, आजीविका वृद्धि तथा सतर्कता, घरेलू भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों की नीतियों को छोड़कर) शामिल है, पुनरीक्षा करना और आवश्यक परिवर्तन कर सुझाना।

5. विभाग के मुख्यालय सहित इसके संगठनात्मक ढांचे की पुनरीक्षा करना इसमें अन्य सरकारी विभागों और संगठनों के साथ विभाग के सम्बन्धों की पुनरीक्षा भी शामिल है। साथ ही सार्वजनिक उत्तरदायित्व और प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सुझाव देना।

2. विशेषज्ञ समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. श्री एस. बी. लाल, सेवानिवृत्त सचिव (समन्वय) मन्त्रिमण्डल सचिवालय	अध्यक्ष
2. डा० पी. सी. जोशी, आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली	सदस्य
3. श्री एस. राममाथन, निदेशक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	,,
4. श्री आर. किशोर, सेवानिवृत्त सदस्य (कार्मिक), डाक सेवा बोर्ड	,,
5. डा० एन. शेषागिरी, अपर सचिव, इलेक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली	,,

6. श्री के. सी. शर्मा, अपर सचिव, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली — सदस्य

7. श्री के. घोश, उप महानिदेशक, डाक सेवा बोर्ड — सदस्य सचिव

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को मलयेशिया में प्रशिक्षण केन्द्र का ठेका

5708. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने मलयेशिया में उच्च प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 16.2 करोड़ का ठेका प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). एच० एम० टी० (इण्टर नेशनल) लि० जो एच० एम० टी० लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, को 16.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में एक उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए मलयेशिया से एक ठेका मिला है। यह केन्द्र हाई स्किल्ड मेटल वर्किंग ट्रेड विशेषकर औजार बनाने और औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स में गहन उत्पादन उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। परियोजना दो वर्षों में कार्यान्वित की जानी है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध शिकायतें

5709. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1987 से 29 फरवरी, 1988 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग के विरुद्ध कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों पर विचार किया है और मामले की जांच शुरू कराई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). इस मंत्रालय में विभिन्न क्षेत्रों से तरह-तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका सम्बन्ध अन्य बातों के साथ-साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी प्रमाणपत्र देने में देरी, सेवा मामलों का समाधान न किया जाना, वित्तीय सहायता जारी करने में देरी और/अथवा अपर्याप्त अनुदान; और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के स्टाक के विरुद्ध भ्रष्टाचार/भाई-भतीजावाद के आरोपों से है। सभी शिकायतों को उचित हिदायतें देकर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई को भेज दी जाती हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो कुछ मामलों को विस्तृत जांच के लिए सीधे ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो/केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेज दिया जाता है। इन अभिकरणों की रिपोर्टों/सिफारिशों के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग को उचित कार्रवाई करने हेतु आवश्यक हिदायतें दी जाती हैं। इस मन्त्रालय में शिकायतों की संख्या के बारे में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए कदम

5710. श्री उत्तमभाई ह० पटेल :

श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्लास्टिक उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्लास्टिक उत्पादकों द्वारा इससे क्या लाभ उठाए गए हैं ;

(ग) गुजरात में विशेषकर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक का कुल उत्पादन कितना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) और (ख). जी, हां। इनमें प्रोसेसिंग एककों को कच्चे माल की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना, प्लास्टिक उद्योगों के लिए प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाओं के लिए सुविधाएं स्थापित करना, जानकारी का प्रसार आदि शामिल है।

(ग) प्लास्टिक उद्योगों की प्रशिक्षण सुविधाओं एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुजरात में अहमदाबाद में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नालाजी, मद्रास द्वारा एक विस्तार केन्द्र स्थापित किया गया है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मुख्य प्लास्टिक-कच्चे माल का कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(उत्पादन हजार मी० टन)	
	गुजरात में	सम्पूर्ण भारत
1985-86	136	278
1986-87	144	296
1987-88 अनुमानित	150	293

मछली पकड़ने वाले पोतों के लिए डीजल तेल का मूल्य

5711. श्री दौलत सिंह जी जडेजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) और अन्य मत्स्यन बन्दरगाहों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को डीजल प्रति किलोमीटर कितने मूल्य पर सप्लाई किया जा रहा है ; और

(ख) इस डीजल तेल का अन्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) उत्पाद शुल्क में रियायतों के साथ डीजल तेल गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली उन नौकाओं के लिए उपलब्ध होता है जो कुछ शर्तें पूरी करती हैं । मछली पकड़ने के लिए विशाखापत्तनम तथा कुछ अन्य बन्दरगाहों पर उत्पाद शुल्क की शर्तों को पूरी करने वाली नौकाओं के लिए मान्य दरें संलग्न **विवरण** में दी गई हैं ।

(ख) कुछ चुनीदें देशों में जनवरी/फरवरी, 1987 के दौरान एच एस डी की खुदरा बिक्री कीमतें इस प्रकार हैं :—

देश	रुपए/लीटर
पाकिस्तान (इस्लामाबाद)	2.95
श्रीलंका (कोलम्बो)	3.75
आस्ट्रेलिया (कैनबेरा)	4.22
यू० के० (लन्दन)	6.40
जापान (टोकियो)	5.74

विवरण

भारत के विभिन्न पत्तनों पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली उन नौकाओं के लिए डीजल तेल की बिक्री कीमतें जो विहित शर्तों को पूरी करती हों ।

पत्तन का नाम	उत्पाद शुल्क में सारी छूट के साथ	उत्पाद शुल्क में 50 प्रतिशत छूट के साथ	अन्य स्थानीय शुल्क
विशाखापत्तनम	2772.82	2937.82	16.69% बिक्री कर अलग
मद्रास	2807.82	2972.82	14% बिक्री कर अलग
कोचीन	2832.82	2997.82	20% बिक्री कर तथा 20% अतिरिक्त कर अलग
मंगलौर	2962.32	3127.32	प्रवेश कर 2% बिक्री कर 18% अलग
बम्बई	2848.85	3013.85	12% बिक्री कर अलग

आकाशवाणी और दूरदर्शन के बीच संतुलन बनाना

5712. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दूरदर्शन को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व दिया जा रहा है और आकाशवाणी की भूमिका को नकारा जा रहा है जिससे दोनों के बीच एक असंतुलन उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। वास्तव में सातवीं पंचवर्षीय योजना में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों में से प्रत्येक के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपए की समान राशि आबंटित की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा परामर्श कम्पनियां खोलना

5713. **श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के एककों ने उच्च प्रौद्योगिकी विषयों में सहायता के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा परामर्श कम्पनियां खोलने का विरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आपत्ति के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्कृष्ट उद्योगपतियों को पुरस्कार

[हिन्दी]

5714. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार देश में उत्कृष्ट उद्योगपतियों को पुरस्कार देती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). भारत सरकार ने निम्नलिखित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किए हैं :—

(1) 1983 से उत्कृष्ट लघु उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार ; और

(2) 1986 से लघु क्षेत्र में गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार भी प्रारम्भ किए गए हैं।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने भी उद्योग और कृषि के लिए उत्पादकता पुरस्कार प्रारम्भ किए हैं ताकि अलग-अलग उद्यमों/संगठनों द्वारा उत्पादकता में किए गए निरन्तर उच्च सुधार को मान्यता देकर उद्यम स्तर पर उत्पादकता सुधार को बढ़ावा दिया जा सके।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, विद्युत वित्त निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों को भरा जाना

[अनुवाद]

5715. **श्री गदाधर साहा : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, विद्युत वित्त निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के पदों को भर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). विद्युत वित्त निगम और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के दोनों पदों को 14 जनवरी, 1988 को भर लिया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद को भरने सम्बन्धी कार्यवाही सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के साथ परामर्श करके की जा रही है।

रथ यात्रा उत्सव का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

5716. **श्री सोमनाथ रथ : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन, पुरी में वर्ष 1988 में होने वाले रथ यात्रा उत्सव के सीधे प्रसारण के लिए कार्यवाही कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एल० के० एल० भगत) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन पर बाद में टेलीकास्ट किए जाने के लिए रथ यात्रा की एक टी० वी० रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

लिपिक संवर्ग में सामान्य कोटे की रिक्तियों पर विभागेत्तर कर्मचारियों को नियुक्त करना

5717. **डा० ए० के० पटेल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विभागेत्तर कर्मचारियों को जिन्होंने एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लिपिक संवर्ग की विभागीय परीक्षा के जरिए सामान्य कोटे की रिक्तियों पर नियुक्ति करने की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय ऐसी कितनी रिक्तयां हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इन रिक्तियों पर कितने विभागेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में इस प्रकार के पदों को विभागेत्तर कर्मचारियों से भरने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मार्गनिर्देश हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

5718. **श्री सोमजीभाई डामर** : क्या **उद्योग मन्त्री** इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में 1 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3660 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के लिए एक नियमित अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के चयन और नियुक्ति में विभिन्न एजेन्सियों के परामर्श और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। चुने गए व्यक्ति को नियुक्त करने से पहले अभी कुछ और समय लगने की आशा है।

कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण

5719. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयला उद्योग के आधुनिकीकरण पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या इस राशि का पूरा उपयोग किया गया है ;

(ग) तत्सम्बन्धी अप्रयुक्त क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या यह कोयले के मूल्य में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है ; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयला उद्योग के विकास पर किए गए वर्षवार योजना परिव्यय और वास्तविक व्यय का ब्यौरा निम्नवत है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	योजना परिव्यय	व्यय
1985-86	1109.00	1114.68
1986-87	1367.14	1349.14
1987-88	1403.32	1251.03 (फरवरी, 1988 तक अनंतिम)

उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चला है कि परिव्यय को काफी हद तक पूरी तरह उपयोग में लाया गया है।

(घ) कोयले के मूल्य में समय-समय पर संशोधन किया जाता है तथा ऐसा करते समय न केवल कोयले की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है बल्कि अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाता है जिसमें इस्पात का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यकलापों पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ अर्थ व्यवस्था पर समग्र रूप से पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है। कोयले की उत्पादन लागत में वृद्धि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता विकास के लिए आवश्यक ऊंची उत्पादन लागत के कारण अपरिहार्य होती है जो कोयले के मूल्य में पूर्णतः प्रतिबिम्बित नहीं होती तथा जिसमें फिलहाल उत्पादन लागत पूर्णतः कवर नहीं हो पाती है।

(ङ) कोयले की उत्पादन लागत में कमी लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, यह प्रयास हैं,—संचालन की दक्षता में सुधार करके, प्रशासनिक व्यय में कमी लाकर, जन और मशीनरी का बेहतर उपयोग करके और बेहतर प्रबन्ध नीतियों तथा प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने के द्वारा।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

5720. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग मन्त्री दस शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों को औद्योगिक लाइसेंस के बारे में 23 फरवरी, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान खाद्य तेलों, वस्त्रों, और इस्पात का निर्माण करने के लिए क्रमशः मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, मैसर्स रिलायंस लिमिटेड और बिरला उद्योग समूह को कोई लाइसेंस जारी किए गए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). वनस्पति तेल, वस्त्र और इस्पात बनाने के लिए कैलेण्डर वर्ष 1986 और 1987 के दौरान बिरला समूह के मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड, और मैसर्स रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया था। किन्तु इस अवधि में मैसर्स हिन्दुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड (बिरला समूह से संबंधित) को तार छड़ें, एक्सट्रूजन रोल्ड उत्पाद और कन्टेनर शीटें बनाने हेतु उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में रेणुकोट स्थित उनके विद्यमान एकक का पर्याप्त विस्तार करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक ऋण लेना

5721. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों पर कितना ऋण है तथा उनका सावधि जमा कितना है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रतिवर्ष सार्वजनिक ऋणों तथा सावधि जमा पर कितना ब्याज देय होता है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने सावधि जमा आदि के कारण सार्वजनिक ऋण नहीं लिए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 31-3-198 को सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों द्वारा लिए गए कुल ऋण सावधि जमा राशि सहित लगभग 41,844 करोड़ रुपए है जिसमें बीमा कम्पनियां तथा वित्तीय संस्थाएं शामिल नहीं हैं।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिए गए सभी ऋणों पर 1986-87 में उपार्जित कुल ब्याज जैसाकि उनके लाभ/हानि लेखों में दिखाया गया है, लगभग 3,416 करोड़ रुपये था।

(ग) 31-3-1987 को सरकारी क्षेत्र के 200 उपक्रमों ने सावधि जमा के रूप में कोई ऋण नहीं लिए थे।

गिड्डी कोयला धोवनशाला के श्रमिकों को अन्तरिम राहत

5722. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की गिड्डी कोयला धोवनशाला के "स्लारि पौंड" के श्रमिक अन्तरिम राहत प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का इस लाभ को कोल इण्डिया लि० की अन्य धोवनशालाओं के "स्लरि पौंड" के श्रमिकों तक पहुंचाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की गिड्डी कोयला वाशरी के "स्लरी पौंड" में कार्यरत कामगारों का सम्बन्ध ठेकेदारों

द्वारा नियोजित कामगारों से है। अतः उन्हें कम्पनी द्वारा अन्तरिम सहायता का भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाना

5723. **श्रीमती डी० के० भंडारी:** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान अगरतला, भटिंडा, डिब्रूगढ़, इम्फाल, जम्मू, कोहिमा, कुर्सियांग, पूंछ तथा सिलचर में अब तक स्थापित किए गए उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त, सातवीं योजना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चुराचांदपुर, लुंगलई, माकोकचुंग, ऐजवाल, इटानगर, शिलांग तथा तुरा, राजस्थान में अनूपगढ़, बाड़मेर तथा जैसलमेर, गुजरात में भुज, सिक्किम मे गंगटोक, पंजाब में फाजिल्का, जम्मू व कश्मीर में लेह, तमिलनाडु में रामेश्वरम, बिहार में कटिहार तथा उत्तर प्रदेश में बरेली में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना करने की स्कीमें भी शामिल हैं।

लघु और कुटीर उद्योगों का विकास

[हिन्दी]

5724. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ख) इस समय इनसे कुल कितनी जनसंख्या लाभान्वित हो रही है और इन उद्योगों से सरकार को कुल कितनी आय प्राप्त हो रही है ;

(ग) बिहार के बेगुसराय जिले में कुल कितने लघु और कुटीर उद्योगों को रुग्ण होने से बचाया गया है ;

(घ) क्या सरकार का रुग्ण लघु और कुटीर उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ सहकारी समितियों की स्थापना करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये सहकारी समितियां कब तक स्थापित की जाएंगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) दूर दराज के लघु व कुटीर उद्योग क्षेत्र में उद्योगों का संवर्धन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि केन्द्र उनके प्रयासों में मदद करता है। लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। लघु

उद्योग क्षेत्र में आधुनिकीकरण को सुगम बनाने तथा तीव्र विकास करने के लिए लघु एककों के सम्बन्ध में निवेश (संयंत्र व मशीनरी पर) की अधिकतम सीमा 1985 में 20 लाख रु० से बढ़ाकर 35 लाख रु० कर दी गई थी तथा सहायक एककों के सम्बन्ध में यह सीमा 25 लाख रु० से बढ़ाकर 45 लाख रु० कर दी गयी थी। इन उद्योगों को दिए गए प्रोत्साहनों तथा रियायतों में विनिर्दिष्ट उत्पादन के लिए, सरकारी भंडार क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु क्षेत्र से ही अनिवार्य/आंशिक रूप से खरीदारी के लिए चुनिंदा वस्तुओं का आरक्षण, उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता की व्यवस्था, किराया-खरीद तथा उत्पादन-शुल्क में रियायत के आधार पर मशीनों की व्यवस्था करना शामिल है। लघु औद्योगिक एककों के विकास, विस्तार, दिशांतरण, आधुनिकीकरण तथा पुनःस्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए मई, 1986 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) में एक लघु उद्योग विकास निधि (एस० आई० डी० एफ०) की स्थापना की गई थी (अगस्त, 1987 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि शुरू की जिसका उद्देश्य ऐसे बहुत छोटे तथा लघु औद्योगिक एककों को इक्विटी सहायता के रूप में सहारा देना है जो कि विनिर्माणकारी कार्यों में लगे हुए हैं। इस निधि के लिए भारत सरकार ने 5 करोड़ रु० तथा इतनी ही राशि आई०डी०बी०आई० द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह योजना आई० डी० बी० आई० द्वारा उपलब्ध करायी गई है। यह योजना आई० डी० बी० आई० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से नियन्त्रित की जाती है जो सहायता की मंजूरी तथा वितरण के मामले में आई० डी० बी० आई० के एजेंटों के रूप में कार्य करेंगे।

उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास हेतु सहायता, सहकारिताकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देना तथा कयर धागों व कयर उत्पादों (रबड़युक्त कयर के अलावा) की बिक्री पर छूट देना उन उपायों में से हैं जिन्हें खादी तथा ग्रामोद्योगों, कयर उत्पादों आदि के संवर्धन के लिए किया गया है।

(ख) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्यारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के आयोजन पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को हुआ घाटा

[अनुवाद]

5725. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि सरकार को नई दिल्ली में ग्यारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव के आयोजन पर निगम को हुए 66.94 लाख रुपये के घाटे की पूर्ति करनी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को किन कारणों से यह घाटा हुआ और भविष्य में घाटा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एल० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन की प्रकृति प्रोत्साहन सम्बन्धी होने के कारण इनके बराबरी पर समाप्त होने की अपेक्षा नहीं होती। निगम कुल मिलाकर लाभ में है। निगम के कुल मिलाकर घाटे में होने की स्थिति में सरकार प्रतिपूर्ति के लिए विचार करेगी।

उत्तर प्रदेश में रेडियो केन्द्र स्थापित करना

[हिन्दी]

5726. **श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों में नये रेडियो केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) फैजाबाद में रेडियो केन्द्र स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है और यह कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ग) क्या इस रेडियो केन्द्र को नये भवन के निर्माण किए जाने तक किराये के मकान में स्थापित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1988-89 के दौरान आगरा में 10 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, टाइप I (आर) स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ एक नया रेडियो स्टेशन चालू करने की परिकल्पना है।

(ख) फैजाबाद में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन के लिए स्थल को कब्जे में ले लिया गया है। भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कर दिया गया है तथा प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं। ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो उपकरण प्राप्त करने के लिए आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं। फैजाबाद में प्रस्तावित रेडियो स्टेशन के चालू योजना अवधि के अन्त तक चालू कर दिए जाने की परिकल्पना है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि फैजाबाद में स्थायी रेडियो स्टेशन स्थापित करने की स्कीम को कार्यान्वित करने का काम प्रगति पर है और परियोजना को योजना अवधि में चालू करने के लिए तैयार कर देने की परिकल्पना है, इसलिए स्थायी स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर को इसके अपने भवन में लगाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय फिल्मों को अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

[अनुवाद]

5727. **श्री मन्नेश्वर तांती : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष किन्हीं भारतीय फिल्मों ने अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). 1987 के दौरान, भारतीय फिल्मों ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

फिल्म समारोह का नाम	फिल्म का नाम	पुरस्कार का ब्यौरा
1	2	3
फीचर फिल्म		
1. रेड क्रास और स्वास्थ्य फिल्म समारोह, वारना, बुल्गारिया	पार	एफ० आई० पी० आर० ई० एस० सी० आई० पुरस्कार
2. प्रथम प्योगयांग फिल्म समारोह, उत्तर कोरिया	पंचाग्नि	सर्वोत्तम अभिनेत्री (सुश्री गीता)
3. दमस्कस फिल्म समारोह	आदमी और औरत	सर्वोत्तम अभिनेत्री (सुश्री मोहुवा राय चौधरी)
4. हवाई फिल्म समारोह, यू० एस० ए०	मिर्च मसाला	ईस्ट-वैस्ट सैंटर का 1987 के लिए सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार
डाकुमेंट्री फिल्में/न्यूज मैगजीनें		
1. 42वां अन्तर्राष्ट्रीय खेल फिल्म समारोह, तुरिन, इटली	हाई एडवेंचर आन व्हाइट वाटर्स	सिल्वर कप
2. 9वां अन्तर्राष्ट्रीय कृषि सिनेमा समारोह जरगोजा, स्पेन	ड्राट स्टोरी (न्यूज मैगजीन)	ब्रोन्ज ट्राफी
3. 13वां अन्तर्राष्ट्रीय शांता-राम फिल्म समारोह पुर्तगाल	सर्विसेज आफ टीज	सिल्वर बंच

1	2	3
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि फिल्म समारोह, 1987 निट्रा चैकोस्लोवाकिया	अंगोरा फार ऊल	क्रिस्टलेंटग्लास बेस
5. शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, 1987	ए० बी० सी०	सार्वजनिक सेवाओं की घोषणा के विशिष्ट उदाहरणों के रूप में जूरी का मैरिट पुरस्कार।
6. शिकागो अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह, 1987	दि बैलून	सार्वजनिक सेवाओं की घोषणा के विशिष्ट उदाहरणों के रूप में जूरी का मैरिट पुरस्कार।
7. टैंकफिल्म 87 पारडुबाइस, चैकोस्लोवाकिया	अंटार्कटिका-ए कंटीन्यूइंग मिस्टरी	डिप्लोमा आफ पार्टीशिपेशन
8. द्वितीय लास एंजेल्स अन्तर्राष्ट्रीय कार्टून समारोह	दि बैलून	सर्टिफिकेशन आफ पार्टीसिपेशन
9. 12वां लास एंजेल्स अन्तर्राष्ट्रीय कार्टून समारोह	दि फोर स्टेप्स	सर्टीफिकेशन आफ पार्टीसिपेशन

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस का विपणन

5728. **श्री एच० ए० डोरा :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड को प्राकृतिक गैस के संसाधन, परिवहन और विपणन की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य तेल कम्पनियों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). प्राकृतिक गैस के संसाधन विपणन और परिवहन की जिम्मेदारी गैस अथारिटी आफ इण्डिया को कई

चरणों में सौंपने का प्रस्ताव है। वह पहले ही एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है तथा बिजयपुर में नेशनल फर्टीलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) के उर्वरक संयंत्र तथा इफ्को के औनला स्थित उर्वरक संयंत्र को गैस की सप्लाई कर रह रही है। बैस पाइपलाइन के साथ अन्य उपभोक्ताओं को भी गैस की सप्लाई की जाएगी।

केरल में बिजली का उत्पादन

5729. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

श्री मुकुल वासनिक :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय बिजली का कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या यह निर्धारित लक्ष्य से कम है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 के दौरान केरल में ऊर्जा का उत्पादन लगभग 3701 मिलियन यूनिट तथा इसकी तुलना में लक्ष्य लगभग 4505 मिलियन यूनिट का था।

(ग) चूंकि केरल में केवल जल विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है इसलिए वास्तविक विद्युत उत्पादन मुख्य रूप से जलाशयों में जल के स्तर पर निर्भर करता है। विद्युत की कमी को दूर करने के लिए जहां तक सम्भव होता है दक्षिणी क्षेत्र के केन्द्रीय केन्द्रों से केरल की सहायता की गई है। इसके अतिरिक्त विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे अन्य उपायों में ये शामिल हैं : नई क्षमता को शीघ्र चालू करना, पारेषण और वितरण हानियों को कम करना आदि।

रुग्ण उद्योग

5730. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1988 के अन्त तक गैर-सरकारी स्वामित्व के अन्तर्गत रुग्ण उद्योगों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अब तक गैर सरकारी स्वामित्व के कितने रुग्ण उद्योगों को अपने नियंत्रणाधीन लिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई रुग्णता की परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। नवीनतम आंकड़े दिसम्बर, 1986 तक ही उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1986 के अन्त तक रुग्ण औद्योगिक एककों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

रुग्ण बड़े एककों की संख्या	रुग्ण मंझौले एककों की संख्या	रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या
71%	1250	145776

(ख) 8 रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों, जिनका प्रबन्ध, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत हाथ में लिया गया था, का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा रहा है।

बंगलौर स्थित एसिस्टेंट डायरेक्टर आफ इण्डस्ट्रियल कान्टिजेंसी के कार्यालय का पुनः खोला जाना

5731. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित एसिस्टेंट डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रियल काटिजेंसी का कार्यालय इस समय बन्द है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब बन्द किया गया और इसको बन्द करने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का कार्यालय को पुनः खोलने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक आकस्मिकता का महानिदेशालय के कार्यों की समीक्षा के पश्चात बंगलौर स्थित औद्योगिक आकस्मिकता के सहायक निदेशक के कार्यालय को 31-3-1986 से बन्द कर दिया गया था, क्योंकि इस समीक्षा मे यह पता लगा था कि इसके ऐसे परस्परव्यापी कार्य थे जो कि सरकार के अन्य अभिकरणों/विभागों आदि द्वारा किए जा रहे थे।

(ग) जी, नहीं।

नए ताप बिजली संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

5732. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कमी पूरी करने की दृष्टि से ताप बिजली, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, और सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा से पृथक-पृथक कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ताप बिजली को सबसे बढ़िया बिजली मानते हुए उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ताप बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) राजस्थान मे कोटा के अतिरिक्त उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां राज्य में बिजली की कमी पूरा करने के लिए ताप बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे ; और

(घ) क्या सरकार का राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में नये ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 के दौरान ताप विद्युत, जल विद्युत तथा न्यूक्लीय स्रोतों से निम्नानुसार श्रेणीवार ऊर्जा का उत्पादन किया गया था :—

ताप विद्युत (मिलियन यूनिट)	149350
न्यूक्लीय (मिलियन यूनिट)	5029
जल विद्युत (मिलियन यूनिट)	47374
जोड़ (मिलियन यूनिट)	201753

ज्वारीय स्रोतों से इस समय विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा से उत्पादित ऊर्जा के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) ताप विद्युत यूनिटें जिनको 1988-89 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है, उनके सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कोटा के अतिरिक्त राजस्थान में जिन ताप विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	स्थान/स्थल का नाम	क्षमता (मेगावाट)
क. राज्य क्षेत्र		
1.	रामगढ़ गैस टर्बाइन (जिला जैसलमेर)	1 × 3
2.	पलाना लिग्नाइट ता०वि० केन्द्र (जिला बीकानेर)	2 × 60
ख. केन्द्रीय क्षेत्र		
3.	अन्टा में गैस पर आधारित संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन संयंत्र (जिला कोटा) रा० ता० वि० निगम	3 × 100 + 1 × 130
नई ताप विद्युत स्कीमें जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है :—		
1.	सूरतगढ़ ता० वि० केन्द्र	2 × 210
2.	बीरसिंह पुर लिग्नाइट ता० वि० केन्द्र नेवेली लिग्नाइट निगम (केन्द्रीय क्षेत्र)	2 × 120

(घ) चित्तौड़गढ़ में ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) + (1 × 210 मेगावाट) प्रतिष्ठापित करने के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से जून, 1984 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसका मूल्यांकन करने के पश्चात, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बोर्ड को और अन्वेषण सम्बन्धी कार्य करने तथा आवश्यक निवेशों को सुनिश्चित करते हुए परियोजना रिपोर्ट में संशोधन करने की सलाह दी थी। राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

ताप विद्युत यूनिटें जिनको 1987-88 के दौरान चालू किए जाने की संभावना है

परियोजना का नाम	राज्य संगठन	संख्या तथा यूनिट का आकार	कुल क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र		1,752.5 मे० वा०		
राज्य क्षेत्र				
1. पानीपत यूनिट-5	हरियाणा	1 × 210	210.0	2/89
2. रोपड़ विस्तार यूनिट-4	पंजाब	1 × 210	210.0	12/88
3. कोटा विस्तार यूनिट-3	राजस्थान	1 × 210	210.0	10/88
4. टांडा यूनिट-2	उत्तर प्रदेश	1 × 110	110.0	12/88
5. ऊंचाहार यूनिट-1	उत्तर प्रदेश	1 × 210	210.0	6/88
6. ऊंचाहार यूनिट-2	उत्तर प्रदेश	1 × 210	210.0	12/88
7. राजघाट यूनिट-2	डेसु	1 × 67.5	67.5	12/88
8. पामपोर में गैस टर्बाइन	जम्मू और कश्मीर	1 × 25	25.0	12/88
		उप-जोड़	1252.5 मे० वा०	
पश्चिमी क्षेत्र		1,240 मे० वा०		
राज्य क्षेत्र				
1. साबरमती पी. ई. पी.	ए. बी. ओ. ओ./ गुजरात	1 × 110	110	11/89

1	2	3	4	5
2. खापरखेड़ा	महाराष्ट्र	1 × 210	210	2/89
		उप-जोड़	320 मेगावाट	
केन्द्रीय क्षेत्र				
3. कोरबा यूनिट-6	रा. ता. वि. नि. (म. प्र.)	1 × 500	500	3/89
4. विंध्याचल यूनिट-2	रा. ता. वि. नि. (म. प्र.)	1 × 210	210	7/88
5. विंध्याचल यूनिट-3	रा. ता. वि. नि. (म. प्र.)	1 × 210	210	12/88
		उप-जोड़	920 मेगावाट	
दक्षिण क्षेत्र	—	710 मेगावाट		
राज्य क्षेत्र				
1. मेत्तूर यूनिट-3	तमिलनाडु	1 × 210	210	1/89
केन्द्रीय क्षेत्र				
2. रामागुंडम यूनिट-4	रा. ता. वि. नि. (आन्ध्र प्रदेश)	1 × 500	500	7/88
पूर्वी क्षेत्र	—	90 मेगावाट		
केन्द्रीय क्षेत्र				
1. मैथान गैस टर्बाइन				
यूनिट-1	दा. घा. नि. (बिहार)	1 × 30	30	7/88
यूनिट-2	दा. घा. नि. (बिहार)	1 × 30	30	8/88
यूनिट-3	दा. घा. नि. (बिहार)	1 × 30	30	8/88
		उप-जोड़	90 मेगावाट	
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	—	30 मेगावाट		
राज्य क्षेत्र				
1. चन्द्रपुर	असम	1 × 30	80 मेगावाट	८/८8

आदिवासियों के सांस्कृतिक समारोहों का दूरदर्शन/आकाशवाणी से प्रसारण

[अनुवाद]

5733. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदिवासियों के मेलों, उत्सवों और समारोहों को दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित करती है ;

(ख) वर्ष 1987 के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी के आदिवासियों से कितने मेलों और उत्सवों का प्रसारण किया गया ; और

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आदिवासी संस्कृति के लिए अधिक समय देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन ने 1987 के दौरान आदिवासी मेलों तथा उत्सवों पर 93 कार्यक्रम टेलीकास्ट किए।

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा इस विषय पर प्रसारित बड़ी संख्या में कार्यक्रमों को देखते हुए, सूचना को केन्द्रित रूप से संकलित रखना संभव नहीं है। तथापि, दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय नेटवर्क में 1987 के दौरान आदिवासी लोगों, उनकी संस्कृति, आदि पर वार्ता, रूपक तथा संगीत के 17 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

(ग) यह एक सतत् प्रयास है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों आदिवासी संस्कृति तथा समारोहों का प्रसारण/टेलीकास्ट करने के लिए अधिकतम संभव समय पहले ही दे रहे हैं।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन

5734. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सीहोर जिलों के उन ग्राम पंचायतों के नाम और संख्या का ब्यौरा क्या है जहां पर सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) क्या ये ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) गांव वालों की इस सुविधा के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) ग्रामीणों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है।

विवरण

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में पी० सी० ओ० सुविधा वाले ग्राम पंचायतों के नाम तथा संख्या इस प्रकार है :—

विदिशा जिला

1. देवखजूरी 2. सोकलखेड़ा 3. सतपुड़ा अहमदपुर 4. पिपीवा खेड़ा 5. खामखेड़ा 6. चिरखेड़ी 7. लमकरपुर 8. हेन्सस 9. थाप 10. अहमदपुर 11. सोजना 12. अटारी खेड़जीड़ा 13. सिहोद 14. झारसपुर 15. मसूदपुर 16. बिलीसना 17. ऊआमीपुर, 18. जबाई 19. कुल्हाड़ सरेठ 20. भिदवांसन 21. टिओनिया 22. घटेरा 23. नतेरन 24. जोहाद 25. फुफेर 26. माहू 27. अन्वाडे 28. डेराबाई 29. रोशनपिपारिया 30. लयाड़ा 31. भालबीमाड़ा 32. पथेरी 33. उनारसितल 34. परसोड़ा 35. चटेली 36. सियालपुर 37. दिपनखेड़ा 38. भारिया 39. मितलसराय 49. उनारसिकाला 41. हहेटी 42. अनानसपुर 43. मुरातिया 44. मुड़वास 45. रसोलीसाहू

जिला रायसेन

1. बन्खेड़ी 2. परवारिया 3. पेमीठ 4. डाबरा इस्मालिया 5. खेपनी 6. चिकलोड 7. स्वेसनी 8. वनून 9. बालमपुर 10. मेड़की 11. सुल्तानगंज 12. दिरपुर 13. चंडवाल 14. सैनी 15. हरदोट 16. दुआनपुरा 17. गंगनपुरा 18. उटिया 19. छोबरा 20. अलीगंज 21. चैनपुर 22. समरपुर खेंदी 23. मोनकतुला 24. जमारथ 25. पिकनाडा 26. मरलियोन 27. गोहरगंज 28. तमलोट 29. नीरगंज 30. गिरही 31. जुझारपुर 32. सोखेड़ 33. बमोरी 34. चौचटिया 35. खीरी 36. जेतहारी 37. बोरास 38. बेमीरी 39. तुमरीभान, 40. अंगोरे 41. नूर।

जिला सिहोर

1. खारीखेड़ा 2. अहमदपुर 3. कोठी 4. दुराहा 5. श्यामपुर 6. खांडवाड़ा 17. निपानियां 8. जेठाखेड़ा 9. मोगराराम 10. डोंडी 11. बिल्कियासगंज 12. इमलाहा 13. भोखेड़ी 14. जमोनिया फतेहपुर 15. आरिया 16. देवालिया 17. जेलखी 18. सेमलीजाडीड 19. खेड़ी 20. बरखेड़ा 21. सल्कानपुर 22. मजरकुई 23. पेनुगुड्डाडी 24. बयान 25. जोशीपुर 26. शाहगंज 27. सरदारनगर 28. डोबी 29. बख्तारा 30. रेहटी 31. बासुदेव 32 दोलपूर 33. निमीटा 34. बोरखेड़ाकलां 35. कुरी 36. नयापुरा 37. लडकुई 38. भाराकुई 39. सोयाट 40. तलारिया 41. गीच 42. कचलाट 43. मोरढ़ाड़ 44. जुरावर 45. मेटवेड़ा 46. सिद्दीकीगंज 47. कचरीड़ 48. बामोलीभाटी 49. हकीमखास 50. सेवड़ा 51. मैना 52. बोरखीड़ा 53. निपानियां कलां 54. मोलूखेड़ 55. मकत्तरी 56. लसूडियाखास 57. गवकेड़ा 58. भूरा 59. छापुर।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में डाकघरों के कर्मचारियों द्वारा बचत खातों में हेराफेरी

[हिन्दी]

5735. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में डाकघरों के कर्मचारियों द्वारा हेराफेरी किए जाने के कारण लोग बचत खातों में कम धनराशि जमा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बस्ती जिले में ऐसे कितने मामलों का पता लगा है तथा हेराफेरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो बचत खातों में धन-राशि जमा करने के सम्बन्ध में सरकार का किस प्रकार लोगों में विश्वास उत्पन्न करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे): (क) जी, नहीं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जमा राशियों में वृद्धि हुई है।

(ख) बस्ती डाक प्रभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा राशियों में पाई गई हेराफेरी और गबन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1985-86	4
1986-87	3
1987-88 (24-3-1988 तक)	3

हेराफेरी/गबन के इन मामलों में 20 डाक कर्मचारियों को दोषी पाए जाने की सूचना मिली है।

(ग) निर्धारित अनुशासनिक कारंवाइयों के अनुसार 5 कर्मचारियों को दण्ड दिया गया है। अन्य 15 के विरुद्ध कारंवाई जारी है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

फाइबर यार्न और कीटनाशकों पर छूट

[अनुवाद]

5736. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाइबर यार्न और कीटनाशकों पर दी गई छूट वास्तविक उपभोक्ताओं को दी जाएगी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे किस तरह से लागू किया जाएगा ;

(ग) वर्तमान फुटकर मूल्य और परिवर्तन के बाद फुटकर मूल्य कितने प्रभावित हुए हैं ; और

(घ) क्या इन छूटों के कारण आयात पर और अधिक विदेशी मुद्रा व्यय किए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). सिंथेटिक फाइबर/यार्न उद्योग संघों और पेस्टिसाइड निर्माताओं ने सरकार को यह आश्वासन दिया है कि शुल्कों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

(ग) शुल्क में कमी करने के बाद की अवधि के लिए मूल्यों के आंकड़ों का हिसाब लगाया जा रहा है और अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पाया है।

(घ) कुछ पेस्टिसाइडों को आयात और निर्यात नीति में ओपन जनरल लाइसेन्स के अन्तर्गत रखने के कारण कुछ विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

केरल में अनिवासी भारतीयों की सहायता से स्थापित उद्योग

5737. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री सुरेश कुरूप :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों की सहायता से केरल में स्थापित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल में और अधिक औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) नवम्बर, 1983 में विशेष स्वीकृति समिति (अनिवासी भारतीय) के स्थापित होने के पश्चात से सरकार ने केरल राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए अनिवासी भारतीयों को कोई भी आशय पत्र जारी नहीं किया है। तथापि, सरकार ने केरल राज्य में लघु उद्योग एककों की स्थापना या सेवा सम्बन्धी कार्यकलापों को करने के लिए पूंजीगत माल आयात करने के सम्बन्ध में अनिवासी भारतीयों के कुछ प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है।

(ख) और (ग). अनिवासी भारतीयों, लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, भारत में कहीं भी औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

औद्योगिक उत्पादन दर

5738. **श्री के० कुन्जम्बु : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक उत्पादन की दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या केरल में औद्योगिक विकास दर कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) देश में औद्योगिक उत्पादन की गति बढ़ाने तथा इसे बनाए रखने के लिए सरकार ने अनेक अभ्युपाय किए हैं। इनमें औद्योगिक नीतियों व प्रक्रियाओं में उपयुक्त समायोजन, घरेलू तथा निर्यात बाजारों हेतु बढ़े उत्पादन के लिए राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन, चुनिंदा पूंजीगत माल उद्योगों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आधारभूत उद्योगों के कार्यनिष्पादन में सुधार किया जाना शामिल है।

विवरण

स्थिर मूल्यों (1970-71) पर उद्योग के घरेलू उत्पाद की राज्यवार वास्तविक स्थिति

क्रम सं०	राज्य	प्रतिशत परिवर्तन	
		1985-86 / 1984-85	1986-87 / 1985-86
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	+ 13.2	उ० नि०
2.	अरुणाचल प्रदेश	+ 13.0	उ० नि०
3.	बिहार	+ 1.5	+ 7.0
4.	गोवा	— 2.0	उ० नि०
5.	गुजरात	+ 7.1	+ 8.2
6.	हरियाणा	+ 8.7	+ 8.3
7.	हिमाचल प्रदेश	+ 16.2	उ० नि०
8.	जम्मू और कश्मीर	+ 2.3	+ 1.5
9.	कर्नाटक	+ 12.2	+ 3.4
10.	केरल	+ 9.7	+ 5.7
11.	मध्य प्रदेश	+ 1.7	+ 6.4
12.	महाराष्ट्र	+ 13.0	+ 9.4

1	2	3	4
13.	मणिपुर	+ 7.3	+ 5.8
14.	उड़ीसा	+ 2.6	+ 3.7
15.	पंजाब	+ 5.6	+ 4.1
16.	राजस्थान	+ 3.5	+ 13.1
17.	तमिलनाडु	+ 4.5	उ० नि०
18.	उत्तर प्रदेश	+ 7.8	+ 9.5
19.	प० बंगाल	+ 4.3	— 2.0
20.	दिल्ली	+ 7.7	+ 9.3
21.	पाण्डिचेरी	+ 0.6	+ 32.0

दूरदर्शन पर विज्ञापनों का प्रसारण

[हिन्दी]

5739. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1988 के 'इकानामिक टाइम्स' में 'टी० वी० जिंगल्स आर अलार्म बेल्स टु एस० एस० आई०' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले अधिकांश विज्ञापन बड़े औद्योगिक घरानों के होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बड़ा या लघु कोई भी विज्ञापनदाता दूरदर्शन में विज्ञापन बुक करा सकता है। प्रत्येक उत्पाद के लिए बाजार पर निर्भर करते हुए विज्ञापनदाता राष्ट्रीय नेटवर्क अथवा क्षेत्रीय नेटवर्क अथवा स्थानीय केन्द्र का उपयोग कर सकता है। तथापि, यह सही है कि राष्ट्रीय नेटवर्क पर विज्ञापन बुनियादी रूप से उन उत्पादकों/निर्माताओं के लिए होते हैं जो समूचे देश में विपणन कर रहे हैं।

अनेक लघु उद्योग दूरदर्शन पर अपने विज्ञापन दे रहे हैं। वास्तव में, वर्ष 1987-88 के दौरान दूरदर्शन पर विज्ञापन देने वाले लघु उद्योगों की संख्या 1986-87 की अपेक्षा अधिक है।

लघु उद्योगों को विज्ञापन एजेन्सियों का सहारा लिए बिना, दूरदर्शन पर सीधे विज्ञापन देने की विशेष सुविधा सदा दी गई है। दूरदर्शन पर सीधे ही विज्ञापन देने वाले लघु उद्योगों को विज्ञापन प्रभारों की कुल राशि पर 15 प्रतिशत का कमीशन मिलता है।

शाखा डाकघर खोलना

[अनुवाद]

5740. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में शाखा डाकघर खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने शाखा डाकघर खोले जा रहे हैं ;

(ग) उड़ीसा राज्य से स्थान-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) उनमें से स्थान-वार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना (1985-90) में कुल मिलाकर 6000 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संख्या	स्थान	डाक डिवीजन
1.	नौसोमेश्वरपुर	पुरी
2.	सोमिनाई	ढेनकनल
3.	बीरलक्ष्मणपुर	कोरापुट
4.	चित्रा	,,
5.	फूपुगम	,,
6.	पॉटरॉल	,,
7.	गोबोरे	सुन्दरगढ़
8.	कादूबाहाल	,,
9.	धरुपेड	क्योंझर

संख्या	स्थान	डाक डिवीजन
10.	धाईगिडा	सुन्दरगढ़
11.	इन्दूपुर	कोरापुट
12.	सिमुलागुदा	,,
13.	तेलोजोरे	सुन्दरगढ़
14.	बद्दामेड़मुन्डा	संभलपुर
15.	गुडोगांव	,,
16.	पारादीप फासफेट लि०	कटक दक्षिण
17.	पुजारीगुडा	कोरापुट
18.	मुन्जा	,,
19.	गाडासोला	धेनकनल
20.	दुमुराजोरे	सुन्दरगढ़
21.	रावसियाम	क्योंझर
22.	कुटरा	सुन्दरगढ
23.	बालीसंकारा	,,
24.	गोबिन्दापुर	संभलपुर
25.	केलदामल	,,
26.	कोंगूरूकोंडा	कोरापुट
27.	तेलाराई	,,
28.	धांगर	संभलपुर
29.	जगद	,,
30.	भाईनसादाहा	,,
31.	भालेश्वर	बोलनगींर
32.	सरधापल्लई	संभलपुर
33.	भीमजोर	,,

क्रम सं० 1 से 16 पर दिए गए स्थानों पर डाकघरों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

दूरदर्शन पर प्रायोजित धारावाहिकों के प्रसारण सम्बन्धी नीति

5741. **श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूरदर्शन पर प्रायोजित धारावाहिकों के प्रसारण सम्बन्धी नीति में संशोधन करने पर विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). धारावाहिकों के स्तर को सुधारने और उनको कला और फिल्म के क्षेत्र के सृजनशील व्यक्तियों द्वारा संचालित करवाने के लिए गत वर्ष सरकार द्वारा एक नई स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अनुसार, निर्माताओं और निर्देशकों को टी० वी० धारावाहिकों/श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए दूरदर्शन में पंजीकृत किया जाएगा। तदनुसार, आवेदन पत्र आमन्त्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे, जिनके प्राप्त होने की तारीख 30-10-1987 थी। आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने और निर्माताओं/निर्देशकों के पैनल की अनुशंसा करने के लिए सरकार द्वारा एक चयन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें फिल्म और संचार के क्षेत्रों के प्रख्यात व्यक्ति शामिल हैं। इन आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने तथा निर्देशकों/निर्माताओं का पंजीकरण करने की प्रक्रिया जारी है। भविष्य में प्रायोजन के लिए धारावाहिकों/श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रस्ताव उनसे ही आमन्त्रित किए जाएंगे जो दूरदर्शन में पंजीकृत हैं। इस पद्धति के आरम्भ होने से कला और फिल्म क्षेत्र के सृजनशील व्यक्तियों को प्रायोजित धारावाहिकों के निर्माण हेतु आगे आने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

बल्क औषधों और उनके मिश्रणों के मूल्य

5742. **श्री नारायण चौबे : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषध निर्माताओं से बल्क औषधों और उनके मिश्रणों के मूल्यों में की गई वृद्धि को वापिस लेने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). जी, हां।

सरकार के हस्तक्षेप के कारण अनुसूचित प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के निर्माता मूल्य कम करने के लिए सहमत हो गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	सूत्रयोग का नाम	पैक आकार	विद्यमान मूल्य/ फार्म-2 मूल्य	कम करने के बाद संशोधित मूल्य
1.	मै० बुरोज वेलकम	एमीनोफाइलीन गोलियां	1000 का	147.50	90.55
2.	मै० बुरोज वेलकम	नियोस्परिन पावडर	10 ग्राम	10.71	9.51
3.	मै० साराभाई केमिकल्स	क्लोथेलटन गोलियां	10 × 10 का	30.00	23.00
4.	मै० आई० ई० एल०	फलथेन	50 मिलि बोतल	120.62	65.00
5.	—वही—	—वही—	250 मिलि बोतल	577.86	299.00
6.	मै० ग्लिइंडिया लि०	डिलोपसिन एक्सपेक्टोरेन्ट	450 मिलि	27.74	23.00
7.	—वही—	फरसोलेट गोलियां	500 का	25.37	22.00
8.	—वही—	प्रिपेलिन फोर्ट इन्जे०	6 × 2 मिलि	43.98	30.00
9.	—वही—	केपिलिन इन्जे०	6 × 1 मिलि	12.00	9.00
10.	मै० बोहरिंगर नोल	मियोकटिनम एम्प०	5 × 1 मिलि	12.50	11.00
11.	मै० रेलिस इण्डिया	इमीटीन एच० सी० एल०		35000.00	26000.00
12.	मै० तमिलनाडु दाधा	कैल्सियम लैक्टेट		29.75	*28.75
13.	मै० के. एस. डी. पी. एल.	विटामिन ए एसिटेट 0.5 एम. आई. यू. प्रति ग्राम ड्राइ पावडर		2600.00	2100.00
14.	—वही —	विटामिन ए पालमीटेट 1 एम. आई. यू. प्रति ग्राम ड्राइ पावडर		1500.00	1300.00

15.	मैं० रोश प्रोडक्टस	विटामिन ए एसिटेट 0.5 एम. आई. यू. प्रति ग्राम	2400.00	2200.00
16.	मैं० रोश प्रोडक्ट्स	विटामिन ए पालमीटेट 1 एम. आई. यू. प्रति ग्राम	1500.00	1300.00
17.	मैं० रोश प्रोडक्ट्स	विटामिन ए पालमीटेट 1.7 एम आईयू प्रति ग्राम	1500.00	1300.00
18.	मैं० सीरम इन्स्टीट्यूट	ए. टी. एस. 750 आई. यू.	7.26	5.40
19.	—वही—	—वही—	341.90	254.54
20.	—वही—	एस. टी. एस. 1500 आई. यू.	12.42	9.24
21.	—वही—	—वही—	60.50	452.72
22.	—वही—	ए. टी. एस. 10,000 आई. यू.	65.26	48.54
23.	—वही—	ए. टी. एस. 20,000 आई. यू.	127.60	94.95
24.	—वही—	ए. टी. एस. 50,00 आई. यू.	312.74	232.68
25.	—वही—	एंटी-सनेक वेनम सीरम (ए. एस. वी. एस.)	126.02	(क) 90.00 (सरकारी सप्लाई) (ख) 108.00 (व्यापार व्यय)

*कम्पनी ने स्वेच्छा से कम किया ।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में समयोपरि भत्तों पर प्रतिबन्ध

5743. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में समयोपरि भत्ते पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या किसी उपक्रम को इस प्रतिबन्ध से छूट दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार का इस प्रतिबन्ध को कब हटाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऋण को बट्टे खाते डालना

5744. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके मन्त्रालय के अधीन छः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए 219.10 करोड़ रुपए के ऋण चालू वर्ष के अन्त में बट्टे खाते डाल दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) उन छः सरकारी उद्यमों के नाम क्या हैं जिनके ऋण बट्टे खाते डाल दिए गए हैं ; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के और कई उद्योगों के ऋण भी बट्टे खाते डालने पर विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) सरकारी उद्यम विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के ये एकक कोई आंतरिक संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं और उनके द्वारा सरकारी ऋणों के भुगतान किए जाने की कोई संभावना नहीं थी इसलिए बकाया सरकारी ऋणों को जो उनकी नकद हानियों को पूरा करने के लिए दिए गए थे, बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

(ग) (1) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड ;

(2) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड ;

(3) ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड ;

(4) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड ;

(5) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लिमिटेड ;

(6) भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर मामले-दर-मामले के आधार पर प्रस्तावों पर कार्रवाई की जाती है।

नमक उद्योग में संकट

5745. **प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में नमक उद्योग में अधिक उत्पादन और स्थिर मांग से अत्यधिक भंडार जमा होने के कारण अभूतपूर्व संकट पैदा हो जाने की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नमक उद्योग उद्योग में मौजूदा स्थिति के कारणों का विश्लेषण किया है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल खरीद की तुलना में नमक का कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ और प्रत्येक वर्ष के अन्त में नमक के अन्तिम स्टाक में वृद्धि की क्रमिक प्रतिशतता कितनी थी ; और

(घ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा नमक उद्योग को सहायता देने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). सरकार को जानकारी है कि वर्तमान सूखे के कारण सभी बड़े नमक उत्पादक केन्द्रों में नमक का उत्पादन अधिक होने के कारण नमक का संचित भंडार जमा है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में कुल खरीद की तुलना में नमक के अधिक उत्पादन की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

(लाख टन में)

वर्ष	उत्पादन	खरीद	अधिक उत्पादन की प्रतिशतता
1985	98.75	79.48	24.24 प्रतिशत
1986	101.16	77.96	29.76 प्रतिशत
1987	99.00	79.82	24.03 प्रतिशत

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में नमक के अन्तिम स्टाक में वृद्धि की क्रमिक प्रतिशतता निम्नानुसार है :--

वर्ष	स्टाक (31 दिसम्बर को)	पिछले वर्ष की तुलना में स्टाक में हुई वृद्धि का प्रतिशत
1985	47.44 लाख	32.07 प्रतिशत
1986	63.46 लाख	33.77 प्रतिशत
1987	77.44 लाख	22.03 प्रतिशत

(घ) नमक के संचित भंडार को कम करने के लिए सरकार द्वारा घरेलू तथा निर्यात सम्बन्धी मांगों को तीव्र करने के कुछ प्रयास ये हैं :—

(1) सोडा एश/कास्टिक सोडा के उत्पादक के लिए नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस दिए गए हैं, वर्तमान एककों को सलाह दी गयी है कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें और नमक अधिक मात्रा में खपत करें।

(2) नमक निर्माण के लिए नई भूमि का आबंटन दो वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित कर दिया गया है।

(3) आम किस्म के नमक का निर्यात करने हेतु कोई निर्धारित मार्ग नहीं बनाया गया है और उसे बिना किसी सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध के खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रख दिया गया है।

(4) 1987-88 में 5 लाख मी० टन की सीमा तक के आयोडीकृत नमक के निर्यात के लिए कोई निर्धारित मार्ग नहीं बनाया गया है।

(5) न्यूनतम निर्यात मूल्य को समाप्त कर दिया गया है।

कोल इण्डिया लि० के नमूनों की प्राइवेट प्रयोगशालाओं में जांच एवं विश्लेषण

5746. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केन्द्रीय इंधन अनुसंधान संस्थान की विशेषज्ञता का संसाधन गुणवत्ता, धुलाई का आंकलन कार्बनीकरण, कंबस्चन, गैसीकरण, ब्रिकेटिंग और प्रदूषण नियंत्रण में उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या कोल इंडिया लि० अपने नमूनों की जांच एवं विश्लेषण विशेषज्ञता प्राप्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में कराने की बजाय प्राइवेट प्रयोगशालाओं में कराती हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उन माफिया विद्रोहियों और उनके एजेन्टों के खिलाफ क्या कारंवाई की गई है जिन्होंने संयंत्र से बाहर कोयला भेजने को रोकने के लिए सुदामडीह धोवनशाला में किए गए सुधारों के लिए तोड़-फोड़ करने का प्रयास किया था ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयले की धुलाई, कार्बनीकरण और ब्रिकेटिंग के दो क्षेत्रों में वैज्ञानिक विश्लेषण और व्यवस्थित जांच करने के लिए कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियां केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की सुविज्ञता का प्रयोग करती रही हैं। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० भी गुणवत्ता (किस्म) के मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की विभिन्न सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं को कोयले के अन्तर्निहित अंश की आपूर्ति करता है जो केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए "स्रोत गुणवत्ता" के मूल्यांकन को पूरा करता है।

(ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, कोयले के नमूनों के नेमी विश्लेषण का कार्य नहीं करता है बल्कि जैसाकि उपर्युक्त उल्लेख किया गया है वह विशेष रूप से सौंपे गए कार्यों को करता है। नेमी विश्लेषण-कार्य, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० की प्रयोगशालाओं में किया

जाता है और, यदि आवश्यक हुआ तो, पर्याप्त सुविधाओं और सुविज्ञता वाली गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है।

(ग) सुदामडीह वाशरी में किए गए संशोधन को नष्ट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिले में तार घर तथा डाक घर खोलना

[हिन्दी]

5747. **श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिले में किन-किन स्थानों पर तार घर और डाकघर खोलने का विचार है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है ;

(ग) यदि हां; तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ये कार्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) :

तारघर

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान आजमगढ़ जिले में तीन तथा बलिया जिले में दो तार घर खोलने का प्रस्ताव है, इसी प्रकार वर्ष 1989-90 में आजमगढ़ जिले में चार तथा बलिया जिले में एक तार घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) स्थानों के नाम अभी नहीं चुने गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ये तार घर वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान चरणबद्ध ढंग से कार्य करना शुरू कर देंगे।

डाकघर

(क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और बलिया जिलों में 1988-89 की वार्षिक योजना के अधीन नये डाकघर खोलने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। जहां तक वर्ष 1989-90 का सम्बन्ध है, इस वर्ष के लिए कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा 1988-89 के अन्त तक वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद तय किये जाने हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

पम्प सैटों में लो स्पीड डीजल आयल के बजाय हाई स्पीड डीजल आयल का प्रयोग

[अनुवाद]

5748. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों ने अपने पानी के पम्प सैटों के लिये लो स्पीड डीजल आयल के बजाय हाई स्पीड डीजल आयल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पेट्रोल पम्पों पर लो स्पीड डीजल आयल की अनुपलब्धता के कारण हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पेट्रोल पम्पों पर लो स्पीड डीजल आयल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं। पानी के पम्प सेटों की डिजाइन और विशिष्टियों के अनुसार दोनों ही हाई स्पीड डीजल और लो स्पीड डीजल का प्रयोग किया जाता है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

5749. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के आबंटन में बहुत धीमी प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के आबंटन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए इसके आबंटन का क्या लक्ष्य रखा गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) एल० पी० जी० की बल्क उपलब्धता में कमी तथा आवागमन औद्योगिक सम्बन्धों और अन्य परिवहन सम्बन्धी रुकावटों के कारण वर्तमान उपभोक्ताओं को रिफिलों की डिलीवरी में बैकलॉग जाने के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान दिल्ली सहित पूरे देश में नए एल० पी० जी० कनैक्शन जारी करने के कार्य में शिथिलता आई थी।

(ख) देश में एल० पी० जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित एल० पी० जी० सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग द्वारा स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ग) तेल उद्योग द्वारा दिल्ली सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं के नामांकन के वार्षिक कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध रूप से नए एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए जाते रहेंगे बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता तथा बाटलिंग क्षमता में वृद्धि हो।

जर्मन संघीय गणराज्य की सहायता से कोयला परियोजनाओं का क्रियान्वयन

5750. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार की सहायता से देश में कुछ कोयला परियोजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) जर्मन संघीय गणराज्य सरकार द्वारा इस लागत में से कितना वहन किया जाएगा ; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयला क्षेत्र में आपसी सहमति से तय हुई परियोजनाओं की मुद्रा लागत पूरी करने के लिए अनेक देश जिसमें संघीय जर्मन गणराज्य शामिल हैं वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

(ख) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की रामागुंडम-II ओपेनकास्ट परियोजना को 147.16 करोड़ की स्वीकृत लागत पर संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता से कार्यान्वित करने पर सहमति हो गई है। लगभग 18.72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बीना के एक कोयला-परिष्करण संयंत्र की सहायता के लिए भी संघीय जर्मन गणराज्य विचार कर रहा है। चिनाकुरी, भनोरा (वेस्ट), टाडंसी और सेठिया में भूमिगत परियोजना-कांप्लेक्स के लिए उपयुक्त खनन प्रौद्योगिकी की निर्दिष्ट करने की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए भी संघीय जर्मन गणराज्य तकनीकी सहायता देने पर सहमत हो गया है।

(ग) रामागुंडम-II परियोजना और बीना परिष्करण संयंत्र की "आफ-शोर" लागतों के लिए संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता क्रमश: 172 मिलियन मार्क और 20 मिलियन मार्क होने की आशा है।

(घ) रामागुंडेम-II परियोजना के चार वर्षों में कार्यान्वित होने का कार्यक्रम है। बीना परिष्करण संयंत्र के 15 महीने में पूरा हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में भर्ती

5751. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम में हजारों श्रमिक फालतू घोषित किए गए हैं और लगभग 500 श्रमकों की छंटनी के आदेश दिये गये हैं जबकि दूसरी ओर विभिन्न श्रेणियों में भी कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब तक इस बीच कितने व्यक्तियों की छंटनो की

गई है और सरकार का उन्हें किस प्रकार से पुनः रोजगार देने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). विभिन्न निर्माण कार्यों के समाप्त होने/कम होने के फलस्वरूप और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए निगम में लगभग 1050 कर्मचारी फालतू होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा 570 कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी कार्यों में वैकल्पिक रोजगार का प्रस्ताव भेजा गया था। लगभग 70 कर्मचारियों को, जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, निगम में खपा लिया गया है शेष 500 कर्मचारियों की सेवाएं नियमों के अन्तर्गत उनके वेतन, छंटनी प्रतिपूर्ति, उपदान, बोनस आदि के भुगतान के बाद समाप्त कर दी गई हैं। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा उन श्रेणियों के स्टाफ की कोई नियुक्ति नहीं की गई है जिनमें छंटनी की गई है।

पटना में टेलीफोन प्रणाली में सुधार

5752. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पटना, बिहार में टेलीफोन प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : पटना में टेलीफोन प्रणाली के कार्य में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

एक. 8 कि० मी० लम्बी भूमिगत केबल बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

दो. डायरेक्टरी पूछताछ (197) और पेपरलेस ट्रंक टिकटिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण को शुरू करने का प्रस्ताव है।

तीन. मार्च 1989 तक पटना में 6000 लाइनों के पुराने मौक्स-I और पाटलीपुत्र में 1800 लाइनों के टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर 7000 लाइनों और 3000 लाइनों के इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की योजना है। इसके साथ-साथ पटना में ई-10 बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना पटना से राजेन्द्रनगर पटना शहर और पाटिलीपुत्र तक पी० सी० एम० (पल्स कोल माड्येलेशन) जंक्शनों की शुरुआत करने की भी योजना है।

गुजरात में दूरसंचार विभाग के श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को सुविधाएं

5753. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में दूरसंचार विभागों में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को आवास आदि जैसी क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ;

(ख) इन विभिन्न स्थानों में 1 जनवरी, 1982 से 28 फरवरी, 1988 के दौरान उपर्युक्त में से कितने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं ;

(ग) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान उपर्युक्त कर्मचारियों में से कितनों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उनके लिए कितने क्वार्टरों का निर्माण करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) कर्मचारियों को आवासी क्वार्टरों का आबंटन उनके रैंक के आधार पर नहीं किया जाता वरन उनके द्वारा लिए जा रहे वेतन के आधार पर किया जाता है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि श्रेणी-III के कर्मचारियों के लिए 299 और श्रेणी-IV के कर्मचारियों के लिए 1068 क्वार्टर आबंटन के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) 1-1-1982 से 29-2-1988 के दौरान उपरोक्त में से 580 कर्मचारियों को गुजरात और 139 कर्मचारियों को सौराष्ट्र में क्वार्टरों का आबंटन किया गया।

(ग) अनुमान है कि निम्नलिखित वर्षों में कर्मचारियों की संतुष्टि का प्रतिशत और साथ ही साथ आबंटन के लिए उपलब्ध होने वाले आवासीय क्वार्टरों की संख्या नीचे लिखे अनुसार होगी :—

1987-88	4.11
1988-89	4.8
1989-90	5.7
(घ) सौराष्ट्र	12
गुजरात	400

बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करना

5754. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :

श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान दिल्ली में सांसदों की सिफारिशों पर बिना पारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किए गए ;

(ख) ऐसे कितने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अन्य प्रमुख शहरों में मंजूरी दी गई ;

(ग) इनमें से कितने टेलीफोन कनेक्शनों को महाप्रबन्धक और मन्त्री द्वारा स्वीकृत किया गया ;

(घ) महाप्रबन्धक द्वारा बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के लिए किस सामान्य नीति का पालन किया जाता है ; और

(ङ) इस समय बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन आबंटन के लिए कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1-4-87 से 29-2-88 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों की सिफारिशों पर दिल्ली में बिना बारी के आधार पर स्वीकृत टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 669 है।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) जानकारी संलग्न **विवरण** में दी गई है ।

(ङ) इस सम्बन्ध में कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है ।

विवरण

दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों के महाप्रबन्धकों द्वारा बिना बारी के आधार पर स्थायी टेलीफोन कनेक्शन निम्नलिखित मामलों में वरीयता पर स्वीकृत किए जा सकते हैं :—

(1) गैर-ओ. वाई. टी./सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत अतिरिक्त टेलीफोन लाइन "केवल आवक काल" सुविधा के साथ बिना बारी के आधार पर सार्वजनिक सुविधाओं की पूछताछ, सूचना और शिकायत सेवाओं के लिए प्रदान की जा सकती हैं ।

(2) परियात आवश्यकताओं पर आधारित ओ. वाई. टी.-सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत "केवल आवक" सुविधा सहित पी. बी. एक्स./पी. ए. बी. एक्स के लिए अतिरिक्त जंक्शन ।

(3) मल्टीपल एक्सचेंज टेलीफोन प्रणाली में क्षेत्र बदलने के कारण बाह्य एक्सटेंशन के स्थान पर अतिरिक्त कनेक्शन जब "मुख्य टेलीफोन" या इसका बाह्य एक्सटेंशन क्षेत्र स्थानान्तरण में शामिल हो ।

(4) निम्नलिखित विशेष मामलों में :—

ओ. वाई. टी. विशेष श्रेणी—सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, संयुक्त क्षेत्र के उद्यम, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सेवा निवृत्त अधिकारी ।

गैर ओ. वाई. टी. एस. एस. श्रेणी—केन्द्रीय/राज्य सरकार के सेवा निवृत्त अधिकारी, विदेशी मिशन और दूतावास, संयुक्त राष्ट्र संघ, संसद सदस्य/एम. एल. ए./एम. एल. सी. आदि तथा विशिष्ट व्यक्ति ।

समाचार पत्रों को विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन जारी करना

[हिन्दी]

5755. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा केन्द्रीय सरकार के विज्ञापन जारी किए जाने की व्यवस्था है ;

(ख) क्या सरकार की नीति का उद्देश्य छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देना है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान बड़े, छोटे तथा मध्यम दर्जे के दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशित करने के लिए जारी किए गए इन विज्ञापनों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) लघु तथा मझोले समाचारपत्रों को प्रदान की गई सुविधाएं संलग्न **विवरण** में दर्शायी गई हैं।

(ग) 1987-88 (अप्रैल-सितम्बर, 1987) के दौरान बड़े, मझोले तथा लघु दैनिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों का मूल्य इस प्रकार है :—

बड़े	2,19,96,311.00
मझोले	1,03,36,000.00
लघु	39,39,713.00

विवरण

(क) समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

इस समय लघु और मझोले समाचारपत्रों को अखबारी कागज के आबंटन, आदि के मामले में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(1) 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन करते समय सनदी लेखाकार का प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है ;

(2) 300 मी० टन से कम की वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को आयातित अखबारी कागज भागों में या एक ही बार में प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है ;

(3) शीटफैड मशीन पर मुद्रित होने वाले समाचारपत्रों की रीलों को शीटों में बदलने के लिए उनकी हकदारी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त अखबारी कागज दिया जाता है ;

(4) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों को, अखबारी कागज की उनकी हकदारी की गणना करते समय निःशुल्क वितरित, बिना बिकी वापस या मुद्रित परन्तु न तो बिकी और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों का 10 से 20 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है तथा 5000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों को 10 से 15 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है। अन्यों के मामले में, यह प्रतिशतता केवल 5 से 10 तक है ;

(5) लघु समाचारपत्रों द्वारा आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क, जो 550 रु०

प्रति मीट्रिक टन है, बिल्कुल नहीं देना होता। मझौले समाचारपत्रों द्वारा केवल 275 रु० प्रति मीट्रिक टन सीमा शुल्क देना होता है।

(6) 50 मीट्रिक टन तक की वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को तिमाही आबंटनों पर अखबारी कागज की समूची मात्रा एक या दो किश्तों में लेने की अनुमति दी जाती है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत, भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य रूप से तथा "लघु" तथा "मझौले" समाचारपत्रों को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(1) बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पात्रता प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं। तथापि, निम्नलिखित के मामले में छूट अनुज्ञेय है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हों ;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हों।

(2) मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को छूट अनुज्ञेय है।

(3) 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

(4) विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी के इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं की तुलना में उच्च बुनियादी दर मिलती है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी मे आती हैं।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

समाचार पत्र

लघु और मझौले समाचार पत्रों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की अपनी नीति के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय उन्हें अनेक विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। समाचार रिलीजो और लेखों जैसी अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह अन्य प्रकार की समाचार सेवाएं

यथा साईंस डाइजेस्ट, कृषि न्यूज लेटर (कृषि पत्रिका), इबोनोइड ब्लाक, चर्बा (केवल उर्दू पत्रों के लिए) और फोटो सप्लाई करता रहा है।

समाचार सेवाएं

लघु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सेवाएं चालू की गई हैं। विज्ञान, आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को कवर करते हुए सरल और कैप्सूल रूप में गहन कहानियां तैयार करके उन्हें देश की सभी मुख्य भाषाओं में सप्लाई किया जाता है। मुख्यतः लघु समाचारपत्रों के लिए अभिप्रेत एक साप्ताहिक समाचार डाइजेक्ट ग्रामीण पत्र सेवा 1977 में हिन्दी में आरम्भ की गई थी।

फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय लघु समाचारपत्रों को सचित्र फोटो लेख और इबोनाइड ब्लाक भी सप्लाई करता है। चर्बा सेवाएं, जिसमें उर्दू लिथो प्रिंट में उपयोग के लिए जिंक ब्लाक होते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

विशिष्ट सेवा सैल

पत्र सूचना कार्यालय ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय में एक विशिष्ट सेवा सैल स्थापित किया है। इस सैल को क्षेत्र आधारित विकास कहानियां तैयार करने तथा उन्हें भाषायी समाचारपत्रों को उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है। स्थानीय संगत फोटो, मानचित्र और इवोनाइड ब्लाक उपलब्ध करने पर अधिक जोर दिया जाता है।

प्रेस दल

प्रेस के प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों में चल रही विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार ये प्रेस दलों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में ले जाना पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के विशिष्ट अध्ययन के लिए जल्दी-जल्दी चुनींदा परियोजनाओं पर ले जाया जाता है। भाषायी और लघु और मझौले समाचारपत्रों को इन प्रायोजित दौरों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रत्यायन

लघु और मझौले समाचारपत्रों को अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रत्यायन नियमों को उदार बनाया गया है नियमों के अनुसार, केवल 5000 से अधिक प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र ही प्रत्यायन के लिए पात्र हैं। तथापि, लघु समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस शर्त में ढ़ील दी गई है और अब दो या अधिक लघु समाचारपत्र मिलकर साझे संवाददाता के प्रत्यायन की मांग कर सकते हैं। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित समाचारपत्रों तथा पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों या सूचना और संचार की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के प्रति विशेष ध्याने दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में अब बड़ी संख्या में लघु और मझौले समाचार पत्रों के नाम तथा उनकी ओर से प्रत्यायित संवाददाताओं के नाम शामिल हैं।

बिहार में संचार के विकास के लिए परियोजनाएं

5756. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में संचार के विकास के लिए चल रही परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं की प्रगति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षों में प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कब तक पूरी हो जाएंगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में संचार सुविधा

5757. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में संचार सुविधाओं की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस जिले में टेलीफोन कई-कई दिनों तक खराब पड़े रहते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उक्त जिले में संचार व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) जी नहीं, सामान्यतया टेलीफोन सेवा संतोषजनक है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना

[अनुवाद]

5758. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में, जो सूखे से अत्यधिक प्रभावित है, बिजली की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कृषि और उद्योग की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राज्य में और अधिक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य में कितने विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, इनके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है, संयंत्रों से कितनी बिजली पैदा होने की सम्भावना है और इनसे राज्य की बिजली की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर लगभग 11.5% विद्युत की कमी थी। अपर्याप्त बारिश के परिणामस्वरूप जल विद्युत उत्पादन में कमी होने के कारण आन्ध्र प्रदेश में विद्युत की स्थिति पर कुप्रभाव पड़ा था।

(ख) से (घ). विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करने के सम्बन्ध में निर्णय, मांग और उपलब्धता सम्बन्धी समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य प्राधिकारियों द्वारा ही लिया जाता है। सातवीं योजना में आन्ध्र प्रदेश में लगभग 838.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चालू किए जाने की परिल्कपना की गई है जिसमें 628.5 मेगावाट जल विद्युत तथा 210 मेगावाट ताप विद्युत शामिल है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इनको चालू किए जाने की सम्भावना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी क्षेत्र में क्रियान्वयनाधीन केन्द्रीय क्षेत्र को परियोजनाओं से भी राज्य को इसके हिस्से की विद्युत प्राप्त होगी। जहां तक सम्भव होता है क्षेत्र की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं तथा पड़ोसी प्रणालियों से भी आन्ध्र प्रदेश की सहायता की जाती है।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में चालू करने के लिए पता लगाई गई स्कीमें

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने की संभावना
1.	नागार्जुनासागर जल विद्युत स्कीम चरण-दो	100	चालू की गई
2.	श्रीसलेम जल विद्युत स्कीम च-1 च-2	330	चालू की गई
3.	पोचम्पाद जल विद्युत स्कीम	27	चालू की गई
4.	पैना अहोबिलाम जल विद्युत स्कीम	20	1989-90
5.	नागार्जुनासागर बायां तट नहर जल विद्युत स्कीम	60	89-90
6.	नागार्जुनासागर दांया तट नहर जल विद्युत स्कीम	30	89-90
7.	काकटिया नहर जल विद्युत स्कीम	1.5	
8.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210	89-90
9.	बालीमेला जल विद्युत स्कीम	60	आठवीं योजना

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के गोदाम

[हिन्दी]

5759. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी ग्रामोद्योग भवन के अधिकांशतः सभी गोदाम भवनों के तहखानों में स्थित हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शार्ट सरकिट के कारण इन गोदामों में अनेक बार आग लगने की घटनाएं हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अग्निशमन विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी जानमाल की सुरक्षा के लिए कोई पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) खादी ग्रामोद्योग भवन के नई दिल्ली स्थित चार गोदाम हैं, जिनमें से तीन भवनों के तहखानों में हैं ।

(ख) खादी ग्रामोद्योग भवन के गोदामों को जाने वाली सीढ़ियों, जहां अन्य पार्टियों के भी बिजली के मीटर लगे हुए हैं, में शार्ट सर्किट के कारण आग लगने की दो छोटी घटनाएं हुई थीं ।

(ग) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के सभी गोदामों में अग्नि शमन विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृत भारतीय मानक संस्थान के विशिष्टियों के पर्याप्त संख्या में आग बुझाने के उपकरण लगाए गए हैं । गोदमों में आग बुझाने के उपकरणों की कमी के सम्बन्ध में अग्नि विभाग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । इन गोदामों को आग के खतरों से सुरक्षित बनाने हेतु वैकल्पिक निकास द्वारा बनाकर और आटोमेटिक स्प्रिंकल प्रदान करके खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उपाय किए जा रहे हैं ।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गोदाम अपने बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन खरीदी है । जैसे ही भवन बन कर तैयार हो जाएगा, इन गोदामों को नए स्थल पर ले जाया जाएगा ।

कीटनाशकों का निर्माण करने वाले उद्योग

[अनुवाद]

5760. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कीटनाशकों का निर्माण करने वाले उद्योगों की पृथक-पृथक संख्या और नाम क्या हैं ;

(ख) इन उद्योगों में कौन-कौन से कीटनाशक बनाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इन उद्योगों की सुरक्षोपाय अपनाने हेतु कोई निदेश जारी किए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार इन उद्योगों पर कोई निगरानी रखती है ;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में कोई लघु उद्योग भी है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). पैस्टिसाइड्स से विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों से सुरक्षा एवं जोखिम नियन्त्रण के लिए मानदण्डों के अन्तर्गत पर्याप्त उपायों के बारे में स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्, दिए जाते हैं। ये राज्य बोर्ड संयंत्र के सुरक्षा एवं प्रदूषण कार्यकलापों को मानीटर करते हैं एवं उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

(ङ) और (च). अनेक लघु एकक इंसेक्टिसाइड तकनीकी सामग्री का विनिर्माण कर रहे हैं। प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में उनके नाम भी शामिल हैं इनके अलावा अनेक लघु एकक इंसेक्टिसाइड सूत्रयोग बनाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	मद का नाम	कम्पनी का नाम
	इन्सेक्टिसाइड्स	
1.	बी० एच० सी०	1. आई. ई. एल.
		2. एच. आई. एल.
		3. कनोरिया चेम
		4. मिको फार्मास
		5. पेस्टीसाइड्स और ब्रीवरीज
		6. टाटा कैमिकल्स
2.	डी. डी. टी.	1. एच. आई. एल.
3.	मेलाथियोन	1. सिनामिड
		2. एक्सोल इण्ड.
		3. पेस्टीसाइड्स और ब्रीवरीज
		4. पेस्टीसाइड्स इण्डिया
		5. पंजाब यूनाइटेड
		6. एच. आई. एल.
		7. आई. एफ. सी. सी. ओ.
		8. खेतान जंकर
		9. शिवालिक रसायनी
		10. एम. पी. यूनाइटेड चेम.

क्र० सं०	मद का नाम	कम्पनी का नाम
		11. फिसिम आर्गेनिक्स
		12. हिमसल पेस्टीसाइड्स एण्ड केमस.
		13. अटरा रसायन उद्योग लि.
4.	पेराथियोन	1. वेयर (इण्डिया) लि.
		2. रेलिस इण्डिया लि.
5.	मेटासिसटेक्स	1. बेयर (इण्डिया) लि.
6.	फेनट्रोथिन	1. बेयर (इण्डिया) लि.
		2. सिनामिड इण्डिया लि.
		3. रेलिस इण्डिया
7.	फेनथियोन	1. बेयर (इण्डिया) लि.
8.	डिकोफोल	1. एच. आई. एल.
9.	डाइमेथोएट	1. रेलिस (आई.) लि. (रेगर टेक.)
		2. शो वेलेक
		3. मिको फार्मा.
		4. खाटू झांकर लि.
10.	डी. डी. वी. पी.	1. हिन्दुस्तान सीबा गेगी
		2. सुदर्शन चेम.
11.	क्वीनलफोस	1. सेण्डोज (इण्डिया) लि.
		2. सुदर्शन चेम.
		3. गुजरात इन्सेक्टिसाइड्स
12.	मोनोक्रोट्रोफोस	1. हिन्दुस्तान सीबा गेगी
		2. सुदर्शन चेम.
		3. एन. ओ. सी. आई. एल.
13.	केबरिल	1. पाउशक लि.
		2. यूनियन कार्बाइड (बन्द)
14.	फोस्फामिडन	1. हिन्दुस्तान सीबा
		2. सुदर्शन चेम.

क्रम सं०	मद का नाम	कम्पनी का नाम
15.	लिण्डेन	1. मिको फार्मा.
16.	फोस्लान	1. बेलरहो लि.
17.	थिगैट (फिरेट)	1. सिनामिड इण्डिया लि.
		2. पेस्टीसाइड्स इण्डिया
18.	इथीयन	1. रेलिस (इण्डिया) लि.
		2. शो वेलेस
		3. पेस्टीसाइड्स इण्डिया
19.	इण्डोसल्फान	1. भारत पल्ज
		2. एक्सोल इण्डिया
20.	इनवेरोरेट	1. सर्ले इण्डिया लि.
		2. गुजरात इन्सेक्टिसाइड्स लि.
		3. यूनाइटेड फोस.
		4. रेलिस इण्डिया
21.	साइपरमेथरिम	1. आई. ई. एल.
		2. भारत फ्लज
		3. नोसिल

विदेशी सहयोग

5761. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या उद्योग मन्त्री विदेशी सहयोग के बारे में 1 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग के 2834 प्रस्तावों का देश-वार और औद्योगिक श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन प्रस्तावों की संख्या कितनी है जिसमें बीस शीर्षस्थ औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित भारतीय साझेदार हैं ; और

(ग) प्रस्तावित परियोजनाएं किस-किस राज्य में लगाई जाएंगी ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकार ने 1985, 1986 तथा 1987 के वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग के क्रमशः 1024, 957 तथा 853 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है । इन सहयोगों के देशवार तथा उद्योगवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-1 तथा संलग्न विवरण-2 में दिए गये हैं ।

(ख) और (ग). औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की औद्योगिक-गृहवार तथा स्थापना-स्थलवार सांख्यिकीय सूचना नहीं रखी जाती है। परिणामस्वरूप कोई केन्द्रीयकृत सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

1985 से 1987 की अवधि के दौरान जारी की गई विदेशी सहयोग स्वीकृतियों के देशवार ब्योरे

क्र० सं०	सहयोग करने वाले देश का नाम	1985		1986		1987	
		कुल	वित्तीय	कुल	वित्तीय	कुल	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अर्जेन्टाइना	—	—	1	—	—	—
2.	आस्ट्रेलिया	7	—	9	3	12	5
3.	आस्ट्रिया	14	4	16	6	9	2
4.	बहामा	1	1	—	—	—	—
5.	बहरीन	1	1	—	—	1	1
6.	बेल्जियम	9	2	6	—	7	1
7.	बरमूडा	1	1	—	—	—	—
8.	ब्राजील	1	—	—	—	—	—
9.	बुलगारिया	—	—	1	1	1	—
10.	कनाडा	15	6	15	6	9	4
11.	चेकोस्लोवाकिया	7	—	4	1	5	—
12.	डेनमार्क	12	1	7	2	11	3
13.	साइप्रस	—	—	—	—	1	—
14.	दुबई	—	—	2	2	—	—
15.	फेयर आइलैण्ड	1	1	—	—	—	—
16.	फिनलैण्ड	4	1	5	1	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	एफ० आर० जी०	180	36	183	40	149	39
18.	फ्रांस	61	8	39	9	44	10
19.	जी० डी० आर०	12	—	6	—	3	1
20.	हांग कांग	5	1	9	3	5	3
21.	हंगरी	2	—	2	2	3	—
22.	ईरान	—	—	1	1	—	—
23.	इटली	56	11	58	8	50	10
24.	जापान	108	15	111	15	71	15
25.	जार्डन	1	1	—	—	—	—
26.	कोरिया (दक्षिण)	5	—	14	1	15	3
27.	साइबेरिया	1	1	—	—	—	—
28.	लक्समबर्ग	—	—	1	—	—	—
29.	मलेशिया	—	—	2	2	1	1
30.	मैक्सिको	2	1	1	1	2	1
31.	नीदरलैण्ड	16	3	26	11	23	6
32.	नार्वे	3	1	7	3	2	—
33.	न्यूजीलैण्ड	—	—	1	—	—	—
34.	पनामा	—	—	—	—	1	1
35.	पोलैण्ड	2	—	2	—	1	—
36.	पुर्तगाल	2	1	—	—	—	—
37.	रूमानिया	—	—	1	—	—	—
38.	सऊदी अरेबिया	—	—	1	1	—	—
39.	सिंगापुर	5	2	3	1	5	2
40.	स्पेन	3	—	7	2	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	स्वीडन	29	4	29	7	19	4
42.	स्वीट्जरलैण्ड	42	4	32	8	31	11
43.	श्रीलंका	1	4	—	—	—	—
44.	ताइवान	6	—	6	1	8	2
45.	थाईलैण्ड	1	—	—	—	—	—
46.	तुर्की	—	—	—	—	1	—
47.	यू० ए० ई०	2	2	—	—	1	—
48.	यू० के०	147	26	130	23	122	27
49.	यू० एस० ए०	197	66	189	71	196	57
50.	यू० एस० एस० आर०	4	—	5	—	6	2
51.	यूगोस्लाविया	6	—	—	—	3	1
52.	प्रवासी भारतीय	52	36	25	8	28	27
	योग :	1024	238	957	240	853	242

विवरण-2

वर्ष 1985 से 1987 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के उद्योगवार ब्यौरों की सूची

क्र. सं.	उद्योग का नाम	1985	1986	1987
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग	53	45	29
2.	इंधन	20	3	1
3.	बॉयलर और भाप जनित्रण संयंत्र	13	5	1
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत उपकरणों के अलावा)	15	—	—

1	2	3	4	5
5.	विद्युत उपकरण	205	175	183
6.	दूरसंचार	36	37	16
7.	परिवहन	101	53	39
8.	औद्योगिक मशीनरी	152	108	132
9.	मशीनी औजार	32	13	10
10.	कृषि मशीनरी	3	3	—
11.	अर्थ मूविंग मशीनरी	11	—	—
12.	विविध यान्त्रिक और इन्जीनियरी उद्योग	45	47	50
13.	वाणिज्यक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	20	10	7
14.	चिकित्सा और शल्य औजार	5	12	10
15.	औद्योगिक उपकरण	52	20	47
16.	वैज्ञानिक उपकरण	2	13	4
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और रेखाचित्र सम्बन्धी उपकरण	—	1	—
18.	उर्वरक	—	1	1
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	69	107	84
20.	फोटोग्राफी के लिए कच्ची फिल्म और कागज	—	5	2
21.	रंगाई का सामान	1	1	—
22.	औषधि और भेषज	5	10	13
23.	कपड़ा (रंगे हुए अथवा अन्य प्रकार तैयार किए गए कपड़ों सहित)	10	13	6
24.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुग्दी	3	7	6
25.	चीनी	2	1	—
26.	फर्मेण्टेशन उद्योग	1	6	6
27.	खाद्य संसाधन उद्योग	5	8	16

1	2	3	4	5
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	—	1	1
29.	साबुन, शृंगार और प्रसाधन सामग्री	2	2	—
30.	रबड़ की वस्तुएं	1	11	10
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पैकर्स	19	8	4
32.	ग्लू और जिलेटिन	1	1	—
33.	कांच	9	8	8
34.	सिरेमिक	27	20	18
35.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	9	11	7
36.	इमारती लकड़ी उत्पाद	—	—	1
37.	रक्षा उद्योग	—	—	—
38.	सिगरेट	—	—	—
39.	परामर्श सेवाएं	23	5	47
40.	विविध उद्योग	74	186	94
	योग :	1024	957	853

शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के लाभभोगी

5762. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या उद्योग मन्त्री शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना का लक्ष्य के बारे में 1 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभभोगियों की वास्तविक संख्या कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा राज्यवार राज सहायता के रूप में दी गई धनराशि में से वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया ; और

(ग) लाभभोगियों को वर्षवार तथा राज्यवार वास्तविक रूप से कितनी धनराशि जारी की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ग). वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों को राज्य/संघ शासित प्रदेश वार मंजूर किए गए ऋण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार लाभग्राहियों की संख्या के रूप में राज्यों को केवल वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण करती है किन्तु इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि का आबंटन नहीं करती। देश में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से केन्द्रीय बजट से प्रत्येक अनुबन्धित ऋण के लिए पूंजीगत राजसहायता दी जाती है।

वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई पूंजीगत राजसहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजसहायता जारी करने के लिए उपयोग की गई राशि (करोड़ रु० में)
1984-85	99.83
1985-86	76.48
1986-87	87.44

विवरण

वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक शिक्षित बेरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा (राज्य/संघ शासित प्रदेश वार) मंजूर किए गए ऋण की राशि सहित लाभग्राहियों की संख्या

29-3-1988 को (राशि लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1984-85		1985-86		1986-87	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	13084	2733.92	16518	3474.22	14919	3225.60
2.	असम	7642	1629.91	4629	1026.55	5837	1494.87
3.	बिहार	14806	2674.97	26376	5055.03	22560	5460.78
4.	गुजरात	4072	665.96	6522	898.42	4924	696.45
5.	हरियाणा	5478	957.45	4782	908.68	4808	939.85
6.	हिमाचल प्रदेश	2156	448.49	1591	353.25	1408	285.92
7.	जम्मू और कश्मीर	1119	244.10	1095	254.52	708	157.16
8.	कर्नाटक	12810	2379.00	12837	2506.40	12100	2395.00

9. केरल	11907	2129.70	13033	2452.37	19015	3805.65
10. मध्य प्रदेश	18065	3403.38	17224	3368.20	16679	3540.52
11. महाराष्ट्र	18667	3109.28	13848	2631.12	13466	2428.63
12. मणिपुर	994	227.50	1491	363.10	1493	378.41
13. मेघालय	313	62.92	111	13.50	80	18.79
14. नागालैण्ड	269	58.60	166	33.40	129	28.43
15. उड़ीसा	7599	1703.65	8757	2039.64	8620	2145.11
16. पंजाब	12212	2443.00	11677	2373.65	15037	3428.80
17. राजस्थान	15382	2898.57	10986	2162.46	10736	2399.48
18. सिक्किम	49	10.30	49	12.17	33	8.10
19. तमिलनाडु	22500	4248.86	18722	3744.64	18362	3787.38
20. त्रिपुरा	707	131.72	912	175.12	909	179.84
21. उत्तर प्रदेश	34430	5981.21	26264	4569.05	23197	5002.38
22. पश्चिम बंगाल	23101	4533.21	21885	4349.14	20468	4845.48
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101	23.68	101	24.56	80	17.57
24. अरुणाचल प्रदेश	60	12.50	61	15.31	22	5.30

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	चण्डीगढ़	300	62.00	394	82.74	416	94.20
26.	दादरा और नगर हवेली	68	13.42	40	7.76	19	4.46
27.	गोवा, दमन और द्वीव	337	81.62	84	16.22	220	80.20
28.	मिजोरम	202	32.12	104	14.86	233	45.16
29.	पाण्डिचेरी	400	50.68	465	73.06	480	91.26
	कुल योग :	228888	42952.72	220724	42999.22	216956	46990.70

बिहार में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में पूंजीनिवेश

5763. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 तक बिहार में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में कुल कितना निवेश किया गया ;

(ख) इन उद्यमों के वार्षिक उत्पादन, लाभ/हानि और कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार में प्रस्तावित नए निवेश अथवा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं कौन सी हैं और उन परियजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा क्या है और इन्हें पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). 31-3-1987 को बिहार में स्थित सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल पूंजीनिवेश 6969.20 करोड़ रुपये था जिन में सेवारत कर्मचारियों की कुल संख्या 4.53 लाख थी। जिन उद्यमों के प्रधान लाभ/हानि (—) 241.26 करोड़ रुपये थी ।

(ग) सातवीं योजना में बिहार के औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्रों में कुल 1328 करोड़ रुपये के पंजीनिवेश की "पवस्था की गई है जिसका संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। परियोजनावार समापन की लक्ष्यगत तारीख का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

क्र. सं.	उद्यम	परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	सातवीं योजना में विनिर्दिष्ट परिव्यय (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि०	(1) बोकारो इस्पात संयंत्र की क्षमता 40 लाख टन की विस्तार परियोजना	503.76
		(2) किरिबुरू लौह अयस्क खान विस्तार परियोजना	1.17
		(3) बोकारो इस्पात कारखाने का निजी उपयोगार्थ विद्युत संयंत्र	20.73
		(4) मेघाहातबुरू लौह अयस्क परियोजना	23.89
		(5) कोक भट्टी संकुल का परीक्षण	3.26

1	2	3	4
		(6) बोकारो इस्पात कारखाने के उपस्कर में वृद्धि, संशोधन, प्रतिस्थापन नवकरण आदि	60.00
		(7) बोकारो इस्पात कारखाने की अन्य चालू परियोजनाएं	1.20
		(8) बोकारो इस्पात कारखाने में गतिरोध दूर करने का कार्यक्रम	160.00
2.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लि.	(1) चासनाला कोयला खान का विकास	10.73
		(2) चासनाला कोयला खान में संतोलक सुविधाएं	22.65
		(3) रज्जू मार्ग एवं कोयला खान के लिए विद्युत आपूर्ति	0.11
		(4) चासनाला खान तीतपुर कोयला खान आदि का पुनर्निर्माण	25.00
3.	भारत रिफैक्ट्रीज लि०	(1) भण्डारीडाह एकक विस्तार परियोजना	0.99
		(2) वृद्धि संशोधन नवीकरण आदि	40.00
		(3) तेनूघाट बांध परियोजना	12.00
4.	हिन्दुस्तान कापर लि०	(1) मोसाबानी खान	0.60
		(2) सुर्दा खान विस्तार परियोजना	0.50
		(3) घाटशिला का आधुनिकीकरण	16.00
		(4) प्रदूषण, नियंत्रण, टेलिंग बांध, आधुनिकीकरण आदि	10.84
		(5) केन्डाडीह खान विस्तार परियोजना	1.00
		(6) राखा में मोलब्डिनम की निकासी	1.00
		(7) व्यवहार्यता अध्ययन	3.00
		(8) पूंजीगत खान विकास	10.00
		(9) एस एण्ड टी का प्रतिस्थापन एवं नवीकरण आदि	32.00

1	2	3	4
5.	भारतीय उर्वरक निगम	(1) कोक भट्टी श्रृंखला एवं विद्युत संयंत्र	50.89
		(2) सिन्दरी युक्तिकरण परियोजना	10.00
		(3) सिन्दरी एकक का प्रतिस्थापन नवीकरण आदि	4.20
		(4) बरौनी एकक में निजी उपयोगार्थ विद्युत संयंत्र	23.24
		(5) बरौनी में नवीकरण	0.00
		(6) बरौनी एकक में भरे हुए बोरों के भण्डारण अमोनिया के भण्डारण की सुविधाएं	0.4
		(7) बरौनी एकक में प्रतिस्थापन एवं नवीकरण	3.40
6.	पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लि०	(1) खनन परियोजना	0.10
		(2) गंधकीय तेजाब/एस. ए. एस. पी. संयंत्र पुनर्स्थापन	40.30
		(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	1.00
7.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेन्ट इण्डिया लि०	(1) उत्प्रेरक आधुनिकीकरण	14.90
		(2) चालू योजनाएं	13.28
		(3) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	2.40
		(4) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	16.75
8.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग लि०		7.00
9.	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	(1) चालू योजनाएं	14.46
		(2) प्रतिस्थापन नवीनीकरण, बस्ती निर्माण अनुसंधान एवं विकास आदि	9.86
		(3) प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना एवं क्रैंकशाफ्ट परियोजना	30.68
10.	यूरेनियम कारपो० आफ इंडिया लि०	(1) नरूआपहाड़ खान	35.60
		(2) तुरामिडीह कारखाना एवं खान	40.19
		(3) अन्य चालू योजनाएं	11.86
		(4) तुरामिडीह में नई खान	0.50
		(5) गवेषणात्मक खान विकास	1.45
11.	माइका ट्रेडिंग कारपो० लि०	(1) विविध योजनाएं	12.00
		जोड़	1327.63

उपर्युक्त में से अनेक परियोजनाएं छठी योजना अवधि से ही चालू हैं और इसमें कई आठवीं योजना अवधि में चालू बनी रहेंगी। उनके समापन की लक्ष्यगत तारीख उपलब्ध नहीं है।

प्रकाशन विभाग द्वारा पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन

5764. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा वर्ष 1987-88 के दौरान भाषा-वार कितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं ;

(ख) कुल प्रतियों का भाषा-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) 31 मार्च, 1987 को और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टाक में विद्यमान प्रतियों और पत्र पत्रिकाओं के शीर्षकों की भाषावार संख्या कितनी हैं ; और

(घ) उक्त दोनों तिथियों के समय कितने मूल्य का स्टाक विद्यमान था ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई है।

(ग) और (घ). प्रकाशन विभाग के स्टाक रजिस्टर वित्तीय वर्ष-वार ही रखे जा रहे हैं तथा स्टाक के आंकड़े 31-3-1987 के दिन की स्थिति के अनुसार हैं। चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं। अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-1

प्रकाशन विभाग द्वारा 1987-88 (22-3-1988 तक) के दौरान प्रकाशित पुस्तकों की भाषा वार संख्या तथा प्रतियों की संख्या नीचे दी गई है :—

पुस्तकें

क्र० सं०	भाषा	शीर्षकों की संख्या	प्रतियों की संख्या
1.	अंग्रेजी	29	98,000
2.	हिन्दी	23	98,000
3.	प्रादेशिक भाषाएं		
	(1) असमिया	3	9,000
	(2) बंगला	2	4,000
	(3) कन्नड़	1	2,000
	(4) उड़िया	1	2,000

विवरण-2

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं का ब्योरा

पत्रिका का नाम	भाषा	आवधिकता	औसत प्रिंट आर्डर	मुद्रित प्रतियों की कुल संख्या
आजकल	हिन्दी	मासिक	6500	78000
आजकल	उर्दू	मासिक	6300	75600
कुरुक्षेत्र	अंग्रेजी	मासिक	13000	156000
कुरुक्षेत्र	हिन्दी	मासिक	4500	54000
बाल भारती	हिन्दी	मासिक	23000	276000
इंडियन एंड फारेन रिव्यू	अंग्रेजी	पाक्षिक	31000	744000
योजना	अंग्रेजी	पाक्षिक	16000	352000
योजना	हिन्दी	पाक्षिक	8000	176000
योजना	असमिया	पाक्षिक	1200	26400
योजना	बंगला	पाक्षिक	2000	44000
योजना	गुजराती	पाक्षिक	1700	37400
योजना	मराठी	पाक्षिक	4500	99000
योजना	मलयालम	पाक्षिक	1500	33000
योजना	तमिल	पाक्षिक	13000	286000
योजना	तेलुगु	पाक्षिक	6000	132000
योजना	कन्नड़	मासिक	2500	30000
योजना	पंजाबी	मासिक	800	9600
योजना	उर्दू	मासिक	700	8400
एम्पलायमेंट न्यूज/ रोजगार समाचार	अंग्रेजी	साप्ताहिक	248231	12908000
	हिन्दी	साप्ताहिक	70909	3687300
	उर्दू	साप्ताहिक	1400	72800

उस "योजना" जिसे पाक्षिक के रूप में दर्शाया गया है के मामले में एक वर्ष में 22 अंक होते हैं जबकि उस "योजना" जिसे मासिक दर्शाया है, के मामले में एक वर्ष में 12 अंक होते हैं।

विवरण-3

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के बारे में विस्तृत आंकड़े

क्र० सं०	भाषा	शीर्षकों की संख्या	31-3-1987 के दिन की स्थिति के अनुसार स्टाक में प्रतियों की संख्या	31-3-1987 के दिन की स्थिति के अनुसार स्टाक में पड़ी पुस्तकों का मूल्य
1.	हिन्दी	448	5,20,694	56,65,949.50
2.	अंग्रेजी	629	5,41,863	1,24,05,769.40
3.	असमिया	12	21,658	1,46,771.50
4.	बंगला	31	30,972	3,22,881.25
5.	गुजराती	17	28,138	2,37,368.25
6.	कन्नड	27	39,610	3,58,427.50
7.	मलयालम	29	12,214	1,49,242.20
8.	मराठी	43	65,467	5,83,769.50
9.	उड़िया	14	10,733	53,921.75
10.	पंजाबी	34	56,044	5,00,133.10
11.	तमिल	20	30,707	2,84,413.50
12.	तेलुगु	16	26,327	2,30,1[illegible]8.00
13.	उर्दू	24	31,994	3,89,129.50

टिप्पणी : चालू वित्तीय वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2. प्रकाशन विभाग की पत्रिकाएं

जहां तक प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं के बारे में स्टाक की स्थिति का सम्बन्ध है, मुद्रण बेची जाने वाली प्रतियों की संख्या और मानार्थ प्रतियों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

इस विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं को या तो बेचा जाता है या मानार्थ प्रतियों के रूप में निःशुल्क सप्लाई किया जाता है। केवल सीमित संख्या में ही प्रतियां को भावी संदर्भ और रिकार्ड के लिए रखा जाता है।

प्राकृतिक गैस से बिजली पैदा करना

5765. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस से बिजली पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या दिल्ली में इस सम्बन्ध में भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने कुछ कदम उठाये हैं ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में गैस से पैदा की गई बिजली कब तक प्राप्त होगी ; और

(घ) इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). बिजली के उत्पादन के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) को गैस सप्लाई करने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कागज का उत्पादन

5766. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कागज बनाने की कितनी क्षमता पैदा की गई ;

(ख) इस सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) पिछले कुछ वर्षों में कागज तथा गत्ते के विनिर्माण के लिए अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार है :—

वर्ष (1 जनवरी को)	अधिष्ठापित क्षमता (लाख टन में)
1985	23.49
1986	26.55
1987	27.58
1988	28.51

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1989-90 में उक्त उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 27 लाख टन निर्धारित की गई है।

(ग) और (घ). अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के प्रस्तावों पर कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य संबद्ध बातों को ध्यान में रख कर विचार किया जाता है। कागज उद्योग को गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गैर-परम्परागत कच्चे माल से विनिर्मित कागज तथा गत्ते पर रियायती उत्पादन शुल्क लगाया जाता है। उस कागज पर उत्पादन शुल्क में पूरी छूट है जिसमें लुगदी में खोई का वजन 75 प्रतिशत से कम नहीं है। कृषि अपशेषों, रद्दी तथा खोई से लिखाई, छपाई और लपेटने के कागज के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में रुग्ण उद्योग

5767. **श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने उद्योग रुग्ण पड़े हैं ;

(ख) क्या रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा अथवा उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाएगा ;

(ग) क्या राज्य सरकार से रुग्ण उद्योगों की सूची अथवा इससे सम्बन्धित कोई सिफारिश प्राप्त हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस परिभाषा के अनुसार एकत्रित किए जाते हैं जो इसने अपनाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर दिसम्बर, 1986 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में बड़े तथा छोटे रुग्ण उद्योगों की संख्या क्रमशः 26 और 9895 है।

(ख) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुत्थान करने के लिए भारत सरकार की मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के लिए एक समान नीति नहीं है। इस नीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :—

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् 'रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985' बनाया है। इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गई है। जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापन

पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाते हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य-क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

5. लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक सीमांत धन योजना शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनर्स्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि 20,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दिया गया है ;

(ग) और (घ). इस मन्त्रालय में मध्य प्रदेश सरकार से रुग्ण उद्योगों के बारे में कोई संस्तुति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कावेरी बेसिन में ड्रिलिंग

5768 **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में तेल होने की सम्भावना है और यह दक्षिण क्षेत्र में कुछ राज्यों की तेल की अधिकांश जरूरत को पूरी करने में सक्षम है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बेसिन में ड्रिलिंग के लिए कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसमें अनुमानतः कितना परिव्यय होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). इस बेसिन में अभी खोज चल रही है तथा इसकी पूरी खोज होने के बाद हाइड्रो-कार्बनों की मात्रा का पता लग सकेगा। फिर भी इस बेसिन में 1-7-1987 को तेल के और गैस के बराबर तेल के लगभग 9.39 मिलियन टन के भूमिगत भण्डार होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ). 1988-89 तथा 1989-90 की योजना इस प्रकार है :—

	1988-89 (बजट अनुमान)	1989-90 (योजना)
तटवर्ती		
रिग वर्ष	6.00	8.59
मीटरेज "000	33.80	52.05

	1988-89 (बजट अनुमान)	1989-90 (योजना)
अपतट	10	18
रिग वर्ष	2.67	1.83
मीटरेज ("000)	27.35	19.90
कुएं	8	8

सातवीं योजना (मध्यावधि समीक्षा) में इस बेसिन का परिव्यय तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्रों के लिए क्रमशः 355.11 करोड़ रुपए तथा 190.25 करोड़ रुपए है।

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

5769. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना की गई है और कुल लाइन की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उपकरणों और टेलीफोन एक्सचेंजों का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो किस देश से ;

(ग) क्या विदेशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त कर समस्त टेलीफोन उपकरण और टेलीफोन एक्सचेंजों का देश में ही निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और देश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का निर्माण कब किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश में अब तक (29-3-1988 तक) कुल लगभग 5,78,632 लाइनों के 133 स्थानीय इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जा चुके हैं।

(ख) जी, हां, फ्रांस, जापान, हालैंड और नार्वे से टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों का आयात किया गया है।

(ग) जी, हां। मनकापुर (उ० प्र०) में ई-10 बी इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर बनाने के लिए एक कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(घ) जी, हां।

(ङ) इस कारखाने की स्थापना के लिए इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और सी० आई० टी० अल्काटेल, फ्रांस के बीच सहयोग का एक करार हुआ है। कारखाने की निर्धारित क्षमता प्रति वर्ष 5 लाख लाइनों की है। कारखाने ने वर्ष 1985-86 में उत्पादन शुरू कर दिया था।

उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

5770. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में से उड़ीसा एक राज्य है ;

(ख) क्या सरकार का देश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना आरम्भ करने का विचार था ;

(ग) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से उड़ीसा में अब तक ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा की जाती है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या जिला उद्योग केन्द्रों का कार्य-निष्पादन सन्तोषजनक पाया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का इन केन्द्रों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) उड़ीसा राज्य के 8 जिले, केन्द्रीय दृष्टि से पिछड़े जिलों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं—श्रेणी 'क' के पिछड़े जिले बालासौर, बोलानगिर, बुध खोंडमाल्स (फुलबनी) और श्रेणी 'ख' के पिछड़े जिले—कालाहांडी, मयूरभंज, धेनकनाल, क्योंझार व कोरापुट।

(ख) और (ग). जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम 1978-79 से कार्यान्वयन अधीन है। सारे देश में 422 जिला उद्योग केन्द्र हैं। इनमें से 13 केन्द्र उड़ीसा राज्य में स्थित हैं।

(घ) से (च). क्षेत्र-स्तरीय समन्वय समितियां और केन्द्रीय समन्वय समिति जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकलापों को सुप्रवाही बनाने के लिए समय-समय पर इनकी समीक्षा करती हैं।

खाना पकाने की गैस और उसके सिलेंडरों की मांग

5771. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस की प्रति वर्ष कितनी मांग है तथा इसका उपलब्ध भण्डार कितना है ;

(ख) क्या गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन इसके सिलेंडरों का अभाव है ;

(ग) यदि हां, तो सिलेंडरों का वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(घ) सिलेंडरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जलाई जाने वाली गैस का कारगर ढंग से घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सके ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). 1987-88 के दौरान लगभग 1.74 मिलियन टन एल० पी० जी० की कुल आवश्यकता होने का अनुमान है जबकि देश में लगभग 1.56 मिलियन टन के उत्पादन होने की सम्भावना है। इस कमी को आयात के द्वारा पूरा किया जाएगा। सिलेण्डर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं।

(ग) तेल उद्योग की सिलेण्डरों की आवश्यकता प्रति वर्ष अलग-अलग होती है तथा यह नामांकन कार्यक्रम पर निर्भर होता है। वर्ष 1 987-88 में तेल उद्योग को लगभग 25 लाख सिलेण्डर प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप में 'नेप्था रिफार्मर' पर आधारित पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स

5772. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने सरकार से कटक जिले में पारादीप में 'नेप्था रिफार्मर' पर आधारित एक 'पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स' की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी किये जाने का आवेदन किया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार 'इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड' को आशय पत्र जारी करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). जी, हां। किन्तु सरकार द्वारा तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में पूंजी निवेश

5773. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्तमान केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ख) कोयला क्षेत्र के अलावा कार्याधीन अथवा विचाराधीन अतिरिक्त परियोजनाओं/एककों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितना पूंजी परिव्यय का अनुमान है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) **विवरण-1** संलग्न है।

(ख) और (ग). **विवरण-2** संलग्न है। निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

31-3-1987 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 40 उद्यम थे जिनके प्रधान कार्यालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। उनकी सूची इस प्रकार है :—

क्रम सं०	उद्यमों के नाम
1.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०
2.	हिन्दुस्तान कापर लि०
3.	कोल इण्डिया लि०
4.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
5.	आई० बी० पी० कम्पनी लि०
6.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
7.	बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
8.	दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि०
9.	बंगाल इम्यूनिटी लि०
10.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
11.	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लि०
12.	बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि०
13.	जेसप एण्ड कम्पनी लि०
14.	माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपो० लि०
15.	लगन जूट मशीनरी कम्पनी लि०
16.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स लि०
17.	वेबर्ड (इण्डिया) लि०
18.	भारत भारी उद्योग निगम लि०
19.	बामेर लारी एण्ड कम्पनी लि०
20.	बीको लारी लि०
21.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०
22.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०
23.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
24.	एण्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लि०
25.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि०

क्र० सं०	उद्यमों के नाम
26.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि०
27.	साइकिल कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
28.	हुगली डाक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लि०
29.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०
30.	भारत आप्थैलिमक ग्लास लि०
31.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
32.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लि०
33.	नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कारपो० लि०
34.	टायर कारपो० ऑफ इण्डिया लि०
35.	ने० टे० का० (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०
36.	भारत पटसन निगम लि०
37.	भारतीय रद्दी धातु व्यापार निगम लि०
38.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि०
39.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन लि०
40.	नेशनल इन्श्योरेन्श कम्पनी लि०

विवरण-2

कोयला क्षेत्र के अलावा, सातवीं योजना अवधि में विनिर्दिष्ट औद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र की नई परियोजनाओं एवं उनके परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	उद्यम का नाम	परियोजना	सातवीं योजना में आवंटन (करोड़ रुपए में)
1.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	डक्टायल लौह स्पन पाइप परियोजना आदि	25.00
2.	जेसप एण्ड कम्पनी लि०	द्रवचालित संघटक, विनिर्माणकारी परियोजना आदि	7.75

मेजिया ताप विद्युत परियोजना

5774. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम की मेजिया ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : 95 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित कर ली गई है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण किए जाने सम्बन्धी कार्य प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में है। पश्चिम बंगाल सरकार के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किए जाने का कार्य भी प्रगति पर है। मुख्य संयंत्र भवन का कार्य आरम्भ हो गया है। चार दीवारी, अस्थायी कालोनी तथा अस्थायी जल प्रदाय स्कीम, कार्यालय भवन तथा स्टोर, स्थल समतल करने तथा ड्रेसिंग सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं। टर्बो जेनरेटर, बायलर, ई० ओ० टी० क्रेन, अस्थायी उप-केन्द्र बल्क सिविल कार्यों तथा संरचनात्मक कार्यों के लिए आर्डर दे दिए गए हैं।

मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड के चेम्बूर एकक को बन्द करना

5775. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लिमिटेड ने अपने चेम्बूर (बम्बई) स्थित एकक को बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स यूनियन कारबाइड इण्डिया लि० ने अपने एकक को पुनः चालू करने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या चेम्बूर एकक की भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० जैसे सरकारी क्षेत्र के एकक द्वारा अधिग्रहण करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). अप्रैल, 1986 में मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० ने अपना चैम्बूर एकक सामान्य रखरखाव कार्य, आदि हेतु बंद कर दिया। तत्पश्चात् कम्पनी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत इस एकक को बंद करने का नोटिस दिया जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जनहित में रद्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार एवं कर्मचारी संघों से इसके बारे में कुछ प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की विभिन्न पेचिदगियों का अध्ययन किया जा रहा है।

सीमेंट का मूल्य

5776. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पाद शुल्क में कमी करने के फलस्वरूप सीमेंट का मूल्य कम होने की सम्भावना थी ;

(ख) क्या सीमेंट के बाजार मूल्य में वास्तव में पांच रुपये की वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो मुनाफाखोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) गैर लेवी सीमेंट पर कोई मूल्य और वितरण नियन्त्रण नहीं है। इसके मूल्य कम-ज्यादा होते रहते हैं जिनका निर्धारण समय-समय पर बाजार में व्याप्त प्रवृत्तियों के आधार पर होता है। सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उन्होंने 2 मार्च, 1988 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि उत्पादन शुल्क में निवल कमी का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।

(ख) बाजार से एकत्र की गई रिपोर्टों में यह नहीं बताया गया है कि गैर लेवी सीमेंट के मूल्य में 5 रु० प्रति बोरी तक सामान्य वृद्धि हुई है।

(ग) विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग का कार्यालय नियमित रूप से गैर-लेवी सीमेंट के मूल्यों पर निगरानी रखता है और कहीं मूल्य में कोई असामान्य वृद्धि देखने में आती है, मूल्य को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिऐशन के साथ इस मामले को उठाता है। सीमेंट कम्पनियों द्वारा अनुचित मुनाफाखोरी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उच्च शक्ति वाले स्कूटरों का निर्माण

5777. **श्री श्रीकांत बत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर निर्माताओं को उच्चशक्ति वाले स्कूटरों के निर्माण की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अनुसार, दुपहिया मोटर गाड़ी उद्योग की सीमा का विस्तार किया गया है और दुपहिया बनाने वाले 350 सी सी तक की क्षमता वाले इंजनयुक्त स्कूटरों का निर्माण कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैसर्स एल० एम० एल० कानपुर को 250 सी सी तक की क्षमता वाले इंजनयुक्त दुपहिया स्कूटरों का निर्माण करने हेतु अपने वर्तमान विदेशी सहयोगियों से तकनोलोजी आयात करने की अनुमति दी गई है।

(ग) अब तक कम्पनी ने इस रेंज का वाहन बनाने की सूचना नहीं दी है।

अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस जारी करना

5778. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों को लाइसेंस जारी करने हेतु सरकार के पास 31 दिसम्बर, 1987 को कितने आवेदन लम्बित पड़े थे?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : 31-12-1987 को भारत में औद्योगिक एककों की स्थापनार्थ, औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिए अनिवासी भारतीयों से प्राप्त 22 आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग में लम्बित पड़े थे।

सोडा-ऐश की मांग और उत्पादन

5779. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा-ऐश की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या डिटर्जेण्ट निर्माताओं की सोडा-ऐश की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ग) मांग पूरा करने हेतु सोडा-ऐश का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) वर्ष 1988-89 में सोडा-ऐश का आयात करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) गत दो वर्षों के लिए अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	मांग	उत्पादन
1986-87	10.90	983.12
1987-88	12.00	1011.00 (अनुमानित)

(ख) जी, हां।

(ग) (i) 3.3 लाख टन की वार्षिक क्षमता वाले गुजरात हेवी केमिकल्स के एक नया संयत्र में शीघ्र ही उत्पादन चालू होने वाला है।

(ii) मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने सोडा-ऐश के उत्पादन (स्टैण्डर्ड साल्वी प्रक्रिया) को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

(घ) 1988-89 के लिए हाल ही में घोषित आयात नीति के अनुसार वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए सोडा-ऐश का ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अन्तर्गत होना जारी रखा गया है।

गोवा में गांवों का विद्युतीकरण

5780. **श्री शांताराम नायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के किन-किन गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है ;

(ख) इन गांवों का अभी तक विद्युतीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गोवा के सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गोवा को औद्योगिक राज-सहायता

5781. **श्री शांताराम नायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ गोवा के औद्योगिकीकरण, औद्योगिक वित्त-पोषण और सम्बद्ध कोई योजनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) गोआ को दी गई औद्योगिक राज-सहायता का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या गोवा सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ङ). किसी क्षेत्र का औद्योगिकीकरण करने का मुख्य उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है। किन्तु, केन्द्र सरकार द्वारा पता लगाये गए औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार उद्यमियों को प्रोत्साहन/रियायत इत्यादि मुहैया कराके उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है। केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में गोवा, दमन और दीव को निम्नलिखित धनराशि की प्रतिपूर्ति की गयी है :—

वर्ष	प्रतिपूर्ति की राशि (करोड़ रुपये में)
1985-86	2.52
1986-87	3.79
1987-88	6.31

गोवा सरकार ने इस योजना को 31-1-88 से आगे जारी रखने का अनुरोध किया था। यह योजना 31-3-88 तक बढ़ायी गयी है।

हिमाचल प्रदेश में प्रायोगिक शाखा डाकघर

5782. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर क्या : संचार मन्त्री** हिमाचल प्रदेश में प्रायोगिक शाखा **डाकघरों के बारे में** 6 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2085 के उत्तर के सम्बन्ध में यह **बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सातवीं योजना के पूर्वार्द्ध में हिमाचल प्रदेश में जिला-वार और सर्किल-वार कितने प्रायोगिक शाखा डाकघर स्थाई किए गए और इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ख) क्या हिमाचल प्रदेश में पाँच वर्ष से अधिक समय से चल रहे 615 प्रायोगिक शाखा डाकघरों में से कोई शाखा डाकघर इसी अवधि के दौरान स्थाई किए गए हैं ; और

(ग) क्या इन प्रायोगिक डाकघरों में से स्थाई करने के लिए बकाया पड़े हुए ऐसे डाकघरों को जो मानदण्डों को पूरा करते हैं, स्थाइ करने के लिए कोई ठोस प्रयास किए जाएगे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) हिमाचल प्रदेश में 20 प्रायोगिक शाखा डाकघरों को 1-4-1985 से स्थाई कर दिया गया है। अन्य सर्किलों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जाएगी।

अलग-अलग राज्यों या अलग-अलग जिलों के लिए अलग मानदण्ड नहीं अपनाए जाते हैं। स्थाईकरण के लिए नियत मानदण्ड संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जनवरी, 1987 से विभागेत्तर डाकघरों का "स्थाई" या अस्थाई" के रूप में वर्गीकरण नही किया जा रहा है। ऐसे डाकघरों को (I) नुकसान का अनुमेय सीमा तक होने और (II) हर तीसरे वर्ष होने वाले पुनरीक्षण में न्यूनतम आय सन्तोषजनक पाई जाने पर चलने दिया जाता है।

विवरण

विभागेत्तर डाकघरों के स्थाईकरण की शर्तें

उन डाकघरों को छोड़कर जो एन० आर० सी० के तहत "सीमित हित" में खोले गए और जारी रखे गए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक डाकघरों को सर्किल प्रधान को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत स्थाई बनाया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे डाकघर लगातार दो वार्षिक पुनरीक्षणों में कार्यरत पाए गए हों और प्रत्येक डाकघर द्वारा उठाया गया नुकसान प्रतिवर्ष 240 रुपए से अधिक न हो।

उन विभागेत्तर डाकघरों को, जिन्होंने 10 वर्षों की अधिकतम परीक्षण अवधि पूरी कर ली हो, केवल एक ही वार्षिक पुनरीक्षण के आधार पर स्थाई बनाया जा सकता है, बशर्ते प्रत्येक डाकघर को हुआ वार्षिक नुकसान 240 रुपए से अधिक न हो। ऐसे प्रायोगिक डाकघरों को 36) रुपए के उच्चतर अनुमेय वार्षिक नुकसान होने पर भी स्थाई बनाया जा सकता है, बशर्ते कि 4.8 कि० मी० से कम क्षेत्र के अन्तर्गत कोई डाकघर न हो। उन प्रायोगिक डाकघरों को भी स्थाई बनाया जा सकता है, जिन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए हों और उनमें वार्षिक नुकसान 360 रुपए से अधिक किन्तु 500 रुपए वार्षिक तक हो, बशर्ते कि 8 कि० मी० से कम दूरी पर कोई डाकघर न हो।

उपरोक्त कथन के होने पर भी सभी विभागेत्तर डाकघरों को अब इस शर्त पर जारी रखा जाता है कि सामयिक पुनरीक्षणों के समय तनकी न्यूनतम राजस्व और नुकसान की अनुमेय सीमा की शर्तें संतोषजनक पाई जायें। पुनरीक्षण की अवधि 3 वर्षों में एक बार है।

नुकसान की अनुमेय सीमा का अनुसरण अब निम्निलिखित तरीके से किया जाता है :—

2400 रुपए प्रतिवर्ष प्रति डाकघर (पर्वतीय, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 4800 रुपए)।

न्यूनतम निर्धारित राजस्व निम्न प्रकार है :—

डाकघर की लागत का 33-1/2 प्रतिशत (पर्वतीय, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 15 प्रतिशत)।

हिमाचल प्रदेश में विभागीय तार घर

5783. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ए" श्रेणी के तार परियात के आधार पर हिमाचल प्रदेश के ऊना, पालमपुर और देहरा के लिए विभागीय तारघर की योजना तैयार की गई है और उसे मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख को मन्जूरी दी गई और ये विभागीय तारघर कब खोले जाएंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तारघरों की स्थापना के लिए मंजूरी कब प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं। हिमाचल प्रदेश के ऊना, पालमपुर और देहरा के लिए विभागीय तारघरों की मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि संयुक्त डाकतार घर को स्वतन्त्र विभागीय तारघर में बदलने के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यहां के परियात अत्यन्त कम हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिमाचल प्रदेश के ऊना, पालमपुर और देहरा स्थित संयुक्त डाक तार घरों को विभागीय तार घर में तब बदला जाएगा जब कि परियात की दृष्टि इन प्रत्येक डाक तार घरों में रोज का औसत प्रचालन 500 तक पहुंच जाए।

आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन

5784. **श्री रेणुपद दास :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयोडीन युक्त नमक का वर्तमान उत्पादन और आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या इस नमक की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1-4-1987 से 31-1-88 तक की अवधि में आयोडीनयुक्त नमक का वास्तविक उत्पादन 12 लाख मी० टन लक्ष्य के मुकाबले में 13.8 लाख मी० टन के लगभग है। आयोडीन युक्त नमक की पूरे देश की कुल आवश्यकता 50 लाख मी० टन होने की आशा है। तथापि 1992 तक खाद्य नमक का विश्वव्यापी आयोडीनीकरण करने के निर्णय को ध्यान में रख करके देश में समग्र खाद्य नमक का आयोडीनीकरण करने की योजना प्रावस्थावद्ध रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

(ख) और (ग). देश के किसी भाग से आयोडीनयुक्त नमक की कमी की सूचना नहीं मिली है। वर्ष 1986-87 के लिए निर्धारित 7 लाख मी० टन आयोडीनयुक्त नमक के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में इसका वास्तविक उत्पादन 7.73 लाख मी० टन हुआ। इस वित्तीय वर्ष के लिए 12 लाख मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1988 तक की अवधि में पहले ही 13.8 लाख मी० टन उत्पादन कर लिया गया है।

वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करना

5785. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 की वार्षिक योजनाओं में केन्द्रीय क्षेत्र में अभी तक कितने नए उद्योग स्थापित किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ; इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन उद्योगों के सम्बन्ध में एकक-वार और राज्य-वार कुल कितना आवंटन किया गया ; और

(ग) इन एककों पर अभी तक एकक वार और राज्य-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में अब तक स्थापित किए गए विशाल एककों का ब्यौरा 25 फरवरी, 1988 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1986-87 के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 222 से लेकर 240 पर दिया गया है 31-3 1987 को 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कार्यान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा उसी लोक उद्यम सर्वेक्षण के पृष्ठ 103 से 109 पर दिया गया है।

(ख) अनुमान है कि आवंटन से माननीय सदस्य का आशय पूर्ण की गई परियोजनाओं के लिए वास्तविक पूंजी परिव्यय तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए नवीनतम संशोधित पूंजीगत लागत अनुमान से है। हालांकि, पहली किस्म की परियोजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, फिर भी, परवर्ती किस्म की परियोजनाओं का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के पृष्ठ 103 से लेकर 109 पर दिया गया है।

(ग) 31-3-1987 को सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों की सकल परिसम्पत्ति का राज्य-वार ब्यौरा उपर्युक्त सर्वेक्षण के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 322 पर दिया गया है।

महाराष्ट्र में मध्यम/बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी करना

5786. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में मध्यम अथवा बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कितने औद्योगिक कम्पनी मालिकों अथवा व्यक्तियों ने अनुरोध किया था ;

(ख) उनमें से कितनों को उद्योग विहीन जिलों में अपने उद्योग स्थापित करने का निर्देश दिया गया ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम और ऐसे प्रस्तावों का अन्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). कैलेण्डर वर्ष 1985 से 1987 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कुल 931 औद्योगिक आवेदन प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र का केवल एक जिला "उद्योग रहित जिले" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका नाम गढ़ चिरौली है। उपर्युक्त लाइसेंस—आवेदनों की एवज में जारी किए गए आशय पत्रों में वह 3 (तीन) आशय पत्र भी सम्मिलित हैं जो ब्लेंडिड और सिंथेटिक स्पन धागा, सूती धागा और (एक्सटेंसिबल क्राफ्ट पेपर बनाने के लिए गढ़चिरौली जिले में नया उपक्रम स्थापित करने हेतु श्री राजनशिवनाथ, डा० आर० एस० कागजी और श्री आर० सी० बागरोडिया को दिए गए हैं।

नहाने के साबुनों के मूल्यों में वृद्धि

5787. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान नहाने के साबुनों के मूल्यों में कितनी बार संशोधन किया गया ;

(ख) विभिन्न प्रकार के नहाने के साबुनों जैसे लिरिल, पामोलिव इत्यादि को बनाने में किन उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है ;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान जिन उत्पादनों में वृद्धि हुई है, उनकी कीमतों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या निर्माता सामान्य रूप से मूल्यों में हर बार वृद्धि करने के बाद बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना आरम्भ करते हैं ;

(ङ) क्या प्रोत्साहन योजना के लिए धन निर्माताओं के लाभ के अंश से लिया जाता है अथवा उपभोक्ताओं से बढ़े हुए बिक्री मूल्य वसूल करके ; और

(च) यदि हां, तो क्या निर्माताओं द्वारा मूल्य वृद्धि किए जाने के तरीकों से उपभोक्ताओं को होने वाली हानि और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान नहाने के कुछ लोकप्रिय साबुनों की कीमतों में अधिक से अधिक चार बार संशोधन किया गया है।

(ख) नहाने का साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख वस्तुएं वनस्पति तेल/फैटी एसिड, रसायन, सुगंध और पैंकिंग सामग्री हैं।

(ग) साबुनों की कुल लागत में केवल तेल का ही मूल्य 60 प्रतिशत होता है। उद्योग के कथनानुसार, विभिन्न साबुन तेलों की कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में 1987 के दौरान 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन की अन्य लागतों में भी कुछ वृद्धि हुई है।

(घ) से (च). बिक्री संवर्धन साबुन उत्पादन की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि साबुन उद्योग पर सरकार का मूल्य और वितरण सम्बन्धी कोई नियंत्रण नहीं है इसलिए उत्पादकों द्वारा

दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की योजना या उनके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का कोई अध्ययन सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में अहमदनगर में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5788. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में, विशेष, रूप से राज्य के अहमदनगर जिले में, विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां आठवीं पंचवर्षीय योजना में अहमदनगर में 5000 लाइनों का ई-10 बी के इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज लगाने की योजना है।

(ख) विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त (क) एवं (ख) के अनुसार लागू नहीं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों का विस्तृत विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम	एक्सचेंज का प्रकार
1	2	3	4
1.	अस्थी	वर्धा	सी-डोट रेक्स 128 पोर्ट
2.	देवेली	वर्धा	"
3.	करंजा	वर्धा	"
4.	सिंधि	वर्धा	"
5.	समुद्रपुर	वर्धा	"
6.	मैंजेरी खादम	चन्द्रपुर	"
7.	सिंदवाही	चन्द्रपुर	"
8.	गोंड पीयरी	चन्द्रपुर	"
9.	नगभीर	चन्द्रपुर	"

1	2	3	4
10.	भद्रावती	चन्द्रपुर	सी-डोट रेक्स 128 पोर्ट
11.	सोमेश्वर नगर	पुणे	"
12.	खेदाले ज्रुंस	नासिक	"
13.	लासराना	पुणे	"
14.	बेरी	पुणे	"
15.	वरसाई जिसे	कोलाबा	"
16.	कोलड	कोलाबा	"
17.	पराली	कोलाबा	"
18.	बोरली मंडला	कोलाबा	"
19.	चौक	कोलाबा	"
20.	ऐजाली	कोलाबा	"
21.	करजेट	कोलाबा	आई०एल०टी० 512 पोर्ट
22.	श्रीवर्धन	कोलाबा	"
23.	नागोथाना	कोलाबा	"
24.	रोहा	कोलाबा	एन. ई. ए. एक्स. 61 एस.
25.	प्रावारनगर	अहमदनगर	"
26.	महद	कोलाबा	"
27.	गड चिरौली	गड चिरौली	"

महाराष्ट्र में पेट्रोल विक्रेताओं को मिट्टी का तेल बेचने के लिए लाइसेन्स

5789. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में वर्ष 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान जिन पेट्रोल विक्रेताओं को मिट्टी का तेल बेचने के लाइसेन्स दिए गए हैं उनकी जिलेवार संख्या तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : तेल उद्योग ने सन्दर्भित अवधि के दौरान महाराष्ट्र में पेट्रोल/डीजल के डीलरों को मिट्टी का तेल बेचने के लिए कोई परमिट जारी नहीं किया है ।

लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत बल्क औषध

5790. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत 82 बल्क औषधों को वापस लाने के लिए अपने निर्णय को बदल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस नीति में नये औषधों को छूट दी गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) लाइसेन्स मुक्त करने की सुविधा नये प्रपुंज औषधों को आरम्भ करने के लिए भी उपलब्ध है।

कोल इण्डिया लि० की निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाएं

5791. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लि० की कई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निर्धारित समय से पीछे चल रही परियोजनाओं की संख्या में वर्ष 1985-86 से कमी आई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय 29 ऐसी परियोजनाएं हैं जो इन कारणों से अपने कार्यक्रम से पीछे हैं—(1) भूमि-अधिग्रहण, (2) संयंत्र और उपकरणों की देरी आपूर्ति और (3) विकास क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न कारण।

(ग) जी, नहीं। विलम्बित परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है—भूमि-अधिग्रहण की समस्याएं।

मारुति उद्योग लि० के लिए यूगोस्लाविया से क्रयादेश (आर्डर)

5792. श्री तारिक अनवर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है मारुति उद्योग लि० को युगोस्लाविया से एक बड़ा क्रयादेश प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त क्रयादेश कितने माल के लिए हैं और कितने मूल्य का है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता में टेलीफोन सेवा में गिरावट

5793. डा० फूलरेणु गुहा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता नगर में टेलीफोन पूछताछ के नम्बर 196, 198 और 199 की सेवा में अकुशलता के बारे में बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों की जानकारी है ;

(ख) इन नम्बरों की सेवा में गिरावट के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में लापरवाही को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां 198 और 199 नम्बर की सेवा के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कलकत्ता में 196 नम्बर की कोई सेवा नहीं है।

(ख) हाल ही में हुई कर्मचारियों की हड़ताल को छोड़कर 198 और 199 नम्बर की सेवा में कोई गम्भीर गिरावट नहीं है।

(ग) उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि के लिए सर्किटों में वृद्धि करने प्रचालन स्टाफ को प्रशिक्षण देने और रखरखाव में सुधार लाने जैसे कुछ कदम उठाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में मनीआर्डर के न मिलने के बारे में शिकायतें

5794. डा० फूलरेणु गुहा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1986 और 1987 के दौरान मनीआर्डरों और बीमाकृत पत्रों के न मिलने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ;

(ख) कितने प्रेषितियों को उन्हें भेजे गये मनीआर्डरों और बीमाकृत पत्रों की धनराशि का भुगतान किया गया है और कितनी धनराशि की अदायगी की गई ; और

(ग) कितने प्रेषितियों को अदायगी नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) पश्चिम बंगाल सर्किल में, 1986 और 1987 में मनीआर्डर और बीमाकृत पत्रों, जिनमें पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र भी शामिल हैं, वितरित न किये जाने की शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

	1986	1987
(एक) मनीआर्डर/तार मनीआर्डर	5423	6606
(दो) बीमाकृत पत्र पंजीकृत डाक से भेजे पत्रों सहित	541	539

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ऐसे मामलों में से, जिनमें कि मनीआर्डरों का भुगतान नहीं

हुआ अथवा गलत भुगतान हुआ है, दावों को निपटा दिया गया है। इसी प्रकार जिन मामलों में क्षति-पूर्ति का नियमानुसार औचित्य पाया गया बीमाकृत पत्रों के मामले में मुआवजा दिया गया।

चूंकि, शिकायतों का निपटारा मूल्य सम्बन्धी न होकर सेवा से सम्बन्धित है। इसलिए भुगतान के रूप में अदा की गई राशि/मूल्य का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में डाकघर

5795. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं ; और

(ख) इन सभी गांवों में एक-एक डाकघर की सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पश्चिम बंगाल में 31,056 गांव ऐसे हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं।

(ख) प्रत्येक गांव में एक डाकघर खोलने की कोई नीति नहीं है, परन्तु डाक सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन में गिरावट

5796. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री द्वारा टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन में पिछले तीन वर्षों के दौरान कमी आई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

घाटे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के एकक

5797. **श्री एच० एन० नन्जे गौड़ा** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने वाले 66 एककों में से 36 एककों के मामले में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में गत वर्ष की तुलना में घाटे में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ग) सरकार उनमें सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इन उपक्रमों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). जी, हां। सरकारी क्षेत्र के ऐसे 36 उपक्रमों के नामों का विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार द्वारा उनके कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा, 25 फरवरी, 1988 को सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1986-87 के खण्ड-I में पृष्ठ संख्या 220 पर दिया गया है।

(घ) इन उपक्रमों को विशेष रूप से कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गये हैं।

विवरण

क्रम संख्या	उद्यम का नाम
1.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी
2.	इण्डियन फायर ब्रिक्स एण्ड इन्स्यूलेशन कम्पनी लि०
3.	कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लि०
4.	भारत कोकिंग कोल लि०
5.	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०
6.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि०
7.	भारतीय सीमेंट निगम लि०
8.	भारतीय खाद्य निगम
9.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० आफ इंडिया लि०
10.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०
11.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लि०
12.	बीको लारी लि०
13.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०
14.	सेमी-कंडक्टर काम्पलेक्स लि०
15.	कोचीन शिपयार्ड लि०
16.	भारतीय साईकिल निगम लि०
17.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि०
18.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

क्रम संख्या	उद्यम का नाम
19.	स्कूटर्स इंडिया लि०
20.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो० लि०
21.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०
22.	मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि०
23.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लि०
24.	नेशनल जूट मैन्यू० कम्पनी लि०
25.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०
26.	टेनरी एण्ड फूटबीयर कारपो० आफ इण्डिया लि०
27.	टायर कारपो० आफ इण्डिया लि०
28.	ने० टे० का० (आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एण्ड माहे) लि०
29.	ने० टे० का० (गुजरात) लि०
30.	ने० टे० का० (मध्य प्रदेश) लि०
31.	ने० टे० का० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
32.	भारतीय रुई निगम लि०
33.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि०
34.	दिल्ली परिवहन निगम
35.	भारतीय होटल निगम लि०
36.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यू० कारपो० लि०

स्काटिश काउंसिल डेवलपमेंट एण्ड इण्डस्ट्री के साथ संयुक्त परियोजनाएं

5798. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काटिश काउन्सिल डेवलपमेंट एण्ड इंडस्ट्री 30 करोड़ रुपये की लागत वाली 6 संयुक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत के साथ बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हां, क्या यह बातचीत कोयला तथा बिजली परियोजनाओं के लिए उपकरणों की सप्लाई से भी सम्बन्धित है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(घ) क्या स्काटिश काउंसिल कर्नाटक में तट-दूर विकास कार्य प्रारम्भ करने के लिए सहमत हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). भाग (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठते।

ताप विद्युत उत्पादन

5799. **श्री ए० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में कोई कार्य योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ताप विद्युत का कितना अधिक उत्पादन किया जाएगा और देश के गम्भीर विद्युत संकट को किस प्रकार हल किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). जल विद्युत उत्पादन में कमी को दूर करने के लिए 1987-88 के दौरान ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार की गई थी तथा कार्यान्वित की गई थी। ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; यूनिट के वर्तमान कार्य-निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए नियोजित अनुरक्षण का पुनः कार्यक्रम बनाना, जबरन बन्दी तथा नियोजित अनुरक्षण के लिए बन्द पड़े यूनिटों को कम से कम सम्भव समय में पुनः चालू करना, कोयले की अतिरिक्त सप्लाई के लिए प्रबन्ध करना आदि। इन उपायों के परिणामस्वरूप 1987-88 के दौरान ताप विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 6 बिलियन यूनिट अधिक हुआ था।

कावेरी बेसिन से गैस की सप्लाई

[हिन्दी]

5800. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन से गैस की सप्लाई व्यापारिक उद्देश्य के लिए शुरू हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा की सप्लाई हुई है ;

(ग) इस बेसिन में गैस की कितनी क्षमता है ; और

(घ) इस स्रोत की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की क्या योजना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मैसर्स इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स, नागपतनम् को 4000 घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) इस समय इस क्षेत्र का रेखांकन किया जा रहा है और यहां से लगभग 42,000 घन मीटर गैस प्रतिदिन निकाली जा रही है। आगे अन्वेषण के बाद ही इसकी मात्रा का पता लग सकेगा।

(घ) निम्नलिखित उपभोक्ताओं को गैस देने के वचन दिए गए हैं :—

(1) मैसर्स इंडियन स्टील रोलिंग मिल्स।

(2) मैसर्स किरन सिलिकेट्स और

(3) तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकी और मशीनों का आयात

5801. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले का उत्पादन बढ़ाने तथा इसके गुणवत्ता में सुधार करने हेतु विदेशों से प्रौद्योगिकी और मशीनों का आयात करने के किए प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) उक्त धनराशि व्यय करने के पश्चात् कोयला उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसका वर्तमान उत्पादन तथा मांग कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). विशिष्ट भू-खनन दशाओं से निपटने के लिए उन देशों से प्रौद्योगिकी का चुनींदा आयात किया गया है जिनके पास ऐसी प्रौद्योगिकिओं को इस्तेमाल करने का अधिक अनुभव है। कुछ मशीनें, जिनका निर्माण या तो भारत में नहीं होता है अथवा जो सहायता अनुबन्धों के अन्तर्गत आती हैं, उनका आयात किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान मशीनें के आयात के लिए दिए गए क्रय-आदेशों की राशि/उन पर किया गया खर्च लगभग 200 करोड़ रुपए था। इसी अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी के आयात पर किया गया खर्च लगभग 9 करोड़ रुपये था।

मशीनें और प्रौद्योगिकियों का आयात अधिकांशत: उन खानों के लिए किया जाता है जोकि विकासाधीन हैं और जो खानें बाद के वर्षों में अपनी उत्पादन क्षमता तक पहुंच जाएंगी। समग्र कोयला उत्पादन से सम्बन्धित लक्ष्य और उपलब्धियों के आंकड़े नीचे दिए गए हैं : —

(मिलियन टन में)

	कोल इंडिया लि०		सि० को० कं० लि०	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1985-86	133.50	134.11	16.00	15.66
1986-87	143.50	144.77	18.00	16.58
1987-88	158.00	141.24 (फरवरी, 1988 तक)	20.00	15.27 (फरवरी, 1988 तक)

ग्रामीण क्षेत्रों में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

5802. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन प्रणाली के सुचारु तथा कारगर कार्य-चालन सुनिश्चित करने और आम जनता को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने सामान्य टेलीफोन एक्सचेंज और इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए ;

(ग) इनमें से कितने एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए ; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में इन क्षेत्रों की जनसंख्या की तुलना में कम टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) 1-4-1985 से 31-1-1988 की अवधि के दौरान कुल 1738 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए जिनमें इलैक्ट्रानिक किस्म के 146 एक्सचेंज शामिल हैं। वर्षवार ब्यौरा निम्नांकित है :—

1985-86		1986-87		1987-88 (1-4-87 से 31-1-88 तक)	
इलैक्ट्रानिक से इतरे	इलैट्रानिक	इलैक्ट्रानिक से इतरे	इलैक्ट्रानिक	इलैक्ट्रानिक से इतरे	इलैक्ट्रानिक
732	34	790	29	70	83

(ग) 1-4-85 से 31-1-88 तक की अवधि के दौरान कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 1009 टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए। वर्षवार ब्यौरा निम्नांकित है :—

1985-86	1986-87	1987-88 (1-4-87 से 31-1-88 तक)
636	296	77

(घ) एक टेलीफोन एक्सचेंज न्यूनतम प्रभारित मांग के आधार पर स्थापित किया जाता है न कि जनसंख्या के आधार पर। ग्रामीण पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में 9,25,50 और 100 लाइन क्षमता, के छोटे टेलीफोन एक्सजेंज खोलने के बारे में नीति यह है कि इस बारे में क्रमशः 5,10,23 और 46 कनेक्शनों के लिए प्रभारित रजिस्टर्ड मांग हो।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण

5803. **श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के निर्माण और विस्तार कार्य पर कितनी धनराशि व्यय करने का अनुमान है ;

(ख) क्या पिथौरागढ़ आकाशवाणी केन्द्र का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 127.45 लाख रुपए।

(ख) और (ग). जी, नहीं। इस केन्द्र का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्थान आकाशवाणी को अभी नहीं सौंपा है।

उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीविजन सैट

5804. **श्री हरीश रावत : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश में सामूहिक रूप से दूरदर्शन कार्यक्रम देखने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों को कितने टेलीविजन सैट वितरित किए गए ; और

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान कितने टेलीविजन सैट वितरित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत). (क) और (ख). उत्तर-पूर्वी के लिए 5000 सामुदायिक अवलोकन सैटों के प्रावधान को छोड़कर, सातवीं योजना के अन्तर्गत देश में इस प्रकार के सैटों के प्रावधान के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की कोई स्कीम नहीं है। अतः 1987-88 या 1988-89 के दौरान उत्तर प्रदेश में इन सैटों के लगाने का प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलना

5805. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में वर्ष 1987-88 के दौरान कितने शाखा डाकघर खोले गए और किन स्थानों पर उप-डाकघर खोले गए ;

(ख) इस जिले में वर्ष 1988-89 के दौरान किन-किन स्थानों पर शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए इस जिले में खोले जाने वाले शाखा डाकघरों और उप-डाकघरों की संख्या बहुत कम है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में इस जिले में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार डाकघरों की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान पिथौरागढ़ जिले में मंजूर के लिए शाखा डाकघरों की संख्या दस है। कोई नये उप-डाकघर नहीं खोले गए हैं।

(ख) प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) मानदण्ड किसी विशिष्ट क्षेत्र में नया डाकघर खोलने के औचित्य की समीक्षा के लिए है। पूरे जिले के लिए उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या के लिए कोई मानदण्ड नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में औद्योगिक एककों का अभ्यावेदन

[अनुवाद]

5806. **डा० गौरीशंकर राजहंस :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक एककों को खान से किए गए कोयले की सप्लाई में बड़ी मात्रा में पत्थर पाए गए हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख). कुछ कोयला सीमों में कंकड़ और पत्थर कोयले के साथ मिले रहते हैं। कोयला कम्पनियां इस बात के प्रयास करती हैं कि कोयले को उपभोक्ताओं के पास भेजने से पूर्व उसकी छनाई कर ली जाए और फालतू सामग्री निकाल ली जाए। परन्तु, कोयले के साथ भौतिक रंग-रूप में एकरूपता होने के कारण, कोयले की आपूर्ति में कुछ फालतू सामग्री के होने को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता।

उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले में पत्थर होने से सम्बन्धित कुछ शिकायतें उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई हैं।

(ग) कोयले के प्रेषण से पूर्व पत्थर और फालतू सामग्री निकालने के काम पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। प्रत्येक कोयला कम्पनी में स्वतन्त्र रूप से "किस्म नियन्त्रण संगठन" की स्थापना की गई है। यदि किसी उपभोक्ता से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच की जाती है और कोयला कम्पनियों द्वारा इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

गंगा बेसिन में तेल की संभावना

5807. **डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बेसिन तेल की संभावना वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बेसिन में अनुमानतः कितना तेल भंडार प्राप्त होने की संभावना है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा बेसिन में तेल के कितने कुंए खोदे गये ; और

(घ) इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस बेसिन में हाइड्रोकार्बनों के पूर्वानुमानित संसाधनों का 370 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) दो कुंओं की खुदाई हो चुकी है और एक अन्य कुंए में फिलहाल खुदाई चल रही है।

(घ) व्यावसायिक दृष्टि से अभी तक सफलता नहीं मिली है।

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

5808. **श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रामीण विद्युतीकरण से सरकार को किसी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण की क्या योजनाएं हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) योजनावधि के आरम्भ में देश में लगभग 3061 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और लगभग 21,008 सिंचाई पम्पसैट ऊर्जित किए गए। विभिन्न योजनाओं के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए संगठित प्रयासों के फलस्वरूप, जनवरी, 1988 के अन्त तक 426323 गांवों का विद्युतीकरण और 7046166 सिंचाई पम्पसैटों का ऊर्जन करना संभव हुआ।

(ख) और (ग). ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभों में ये शामिल हैं—जीवन-स्तर में सुधार होना, कृषि उत्पादन में वृद्धि होना, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उद्योगों का विकसित होना आदि । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले समग्र लाभों की मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है । वित्तीय लाभ विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है जिनमें सम्बन्धित राज्यों द्वारा निर्धारित कृषि सम्बन्धी टैरिफ शामिल है ।

(घ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए देश में 17064 गांवों के विद्युतीकरण और लगभग 4,54,905 पम्पसैटों के ऊर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

औद्योगिक एककों द्वारा ऊर्जा की बचत के उपाय

5809. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औद्योगिक एककों ने ऊर्जा की बचत के कारगर उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक एककों द्वारा किए गए उपायों से ऊर्जा की कितनी बचत हुई है ; और

(ग) कुल कितने उद्योगों ने ऐसे उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). अनेक औद्योगिक यूनिटों ने ऊर्जा के संरक्षण के लिए कारगर उपाय किए हैं । इन यूनिटों द्वारा वास्तव में बचायी गई ऊर्जा की समुचित मात्रा अथवा देश में जिन औद्योगिक यूनिटों द्वारा ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित किया गया है ; इन औद्योगिक यूनिटों की संख्या बता पाना सम्भव नहीं है ।

असम में तेल की सप्लाई न होने से क्षति

5810. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम से तेल की सप्लाई न होने से कुल कितनी क्षति हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : फरवरी, 1988 के अन्तिम सप्ताह में आयल ब्लोकेड के दौरान लगभग 1060 टन कच्चे तेल के उत्पादन की हानि हुई । तेल ब्लाकेड के दौरान कच्चे तेल की सप्लाई में विघ्न आने कारण गुवाहाटी, बरौनी तथा बोंगाईगांव रिफाइनरियों के क्रूड थ्रूपुट में लगभग 31,000 टन की कमी आई ।

तटदूर पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना

5811. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अत्याधुनिक तटदूर पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत और नार्वे ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए कितनी सहायक होगी ; और

(ग) उपर्युक्त समझौता कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। बम्बई में इंजीनियरिंग और सागर प्रौद्योगिकी संस्थान (आ. ई. ओ. टी.) स्थापित करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20 नवम्बर, 1987 को भारत सरकार तथा नार्वे सरकार के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इंजीनियरिंग और सागर प्रौद्योगिकी संस्थान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को इन हाऊस एप्लाइड रिसर्च और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करेगा।

(ग) इस करार के क्रियान्वयन के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा यह करार 4 वर्ष के लिए वैध है।

दूरदर्शन धारावाहिक "होनी अनहोनी"

5812. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री विजय कुमार यादव :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन ने हिन्दी के दूरदर्शन धारावाहिक "होनी अनहोनी" का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो संगठन द्वारा क्या मुख्यतः बातें उठाई गई हैं ;

(ग) क्या धारावाहिक में दिखाई जाने वाली घटनाओं के मुख्य तथ्यों को, जिन्हें सच्ची घटनाओं पर आधारित बताया गया है, आलेख स्वीकृति करने से पहले सत्यापित किया गया था ; और

(घ) क्या मृत आत्मा द्वारा जीवित व्यक्तियों से बातचीत किए जाने तथा भावी घटनाओं आदि के बारे में विश्वास जगाने के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों की राय मांगी गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). "अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति" नामक संगठन की पुणे यूनिट से दूरदर्शन को एक विरोध पत्र मिला है। उठाई गई मुख्य आपत्तियां ये हैं कि यह धारावाहिक सामाजिक बुराइयों की वकालत कर रहा है, मिथ्या विश्वास का प्रचार कर रहा है, प्रसारण संहिता के विपरीत है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क (ज) का भी उल्लंघन करता है।

(ग) और (घ). प्रत्येक कड़ी में कहानी नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की जाती है तथा कड़ी को रोचक बनाने के लिए निर्माता कुछ कलात्मक स्वतंत्रता बरतते हैं। कड़ियां निर्माता को प्राप्त हुए कुछ लोगों के अनुभवों पर आधारित हैं। प्रत्येक कड़ी एक टिप्पणी के साथ समाप्त होती है जिसमें दिखाई

गई घटनाओं का संभाव्य युक्तिसंगत स्पष्टीकरण होता है, और अलौकिक घटनाओं को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती।

उत्तर प्रदेश में नगरों को एस० टी० डी० सेवा से जोड़ना

5813. **श्री पी० एम० सईद : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश भर में कितने नगरों को एस० टी० डी० सेवा से जोड़ा गया ;

(ख) उत्तर प्रदेश में किन-किन और कितने नगरों को एस० टी० डी० सेवा से जोड़ा गया ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में एक लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले अमरोहा शहर को इस बीच एस० टी० डी० सेवा से जोड़ा गया है अथवा इसका प्रस्ताव किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 (29-3-1988 तक) के दौरान पूरे देश में 157 शहरों को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा से जोड़ा गया।

(ख) इस प्रकार इसी अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 16 नगरों को इस सुविधा के अन्तर्गत लाया गया :—

1. अल्मोड़ा
2. बिजनौर
3. एटा
4. फतेहपुर
5. जौनपुर
6. लखीमपुर खीरी
7. मथुरा
8. मैनपुरी
9. मिर्जापुर
10. औराई
11. पिथौरागढ़
12. प्रतापगढ़
13. पौड़ी (गढ़वाल)
14. रुड़की
15. सुल्तानपुर
16. सूरजपुर

(ग) अमरोहा को उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

5814. **श्री तम्पन थामस :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में केन्द्रीय क्षेत्र में राज्यवार बिजली का कितना उत्पादन हुआ तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : अप्रैल, 1987 से फरवरी, 1988 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित विद्युत के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1987 फरवरी, 1988 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादित विद्युत

प्रणाली/संगठन	केन्द्र का स्थान	विद्युत का स्वरूप	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम			
बदरपुर	दिल्ली	ताप विद्युत	3371
सिंगरौली	उत्तर प्रदेश	,,	9656
कोरबा	मध्य प्रदेश	,,	4285
विन्ध्याचल	,,	,,	5
रामागुंडम	आन्ध्र प्रदेश	,,	3745
फरक्का	प० बंगाल	,,	1076
जोड़ (रा. ता. वि. निगम)		,,	22138
नेवेली	तमिलनाडु	,,	5795
दा. घा. निगम	,,	,,	4969
		जल विद्युत	353
		जोड़ :	5322
चोला	महाराष्ट्र	ताप विद्युत	43

1	2	3	4
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम			
बैरा स्यूल	हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	683
सलाल	जम्मू व कश्मीर	,,	347
लोकतक	मणिपुर	,,	367
जोड़ (रा. ज. वि. निगम)		,,	1397
उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम			
खडोंग	असम/मेघालय	,,	13
न्यूक्लीय विद्युत बोर्ड			
आर. ए. पी. पी.	राजस्थान	न्यूक्लीय	1237
तारापुर	महाराष्ट्र	,,	1517
कलपाक्कम	तमिलनाडु	,,	1898
जोड़ (एन. पी. सी.)		,,	4652

बिहार में शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में बदलना

[हिन्दी]

5815. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने शाखा डाकघरों को चालू तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान उप-डाकघरों में बदलने का प्रस्ताव है ;

(ख) इसके पश्चात् उप-डाकघरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी ;

(ग) इनमें से जिन उप-डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण कर लिया गया है, उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) आगामी पांच वर्षों के दौरान इनके लिए कितने भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) चालू वर्ष में शाखा डाकघरों को विभागीय उप-डाकघरों में बदलने के कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1988-89 के लिए ऐसे प्रस्तावों की संख्या 15 है।

(ख) यदि सभी प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी जाती है, तो उप-डाकघरों की संख्या 1366 तक पहुंच जायेगी।

(ग) 174 उप-डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण किया गया है।

(घ) चौबीस।

गंगटोक शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

5816. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या संचार मन्त्री गंगटोक शहर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची के बारे में 3 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 957 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1988 तक गंगटोक में प्रत्येक वर्ग में कितने व्यक्तियों को नए टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए पंजीकृत किया गया ;

(ख) वर्ष 1987 के दौरान गंगटोक में प्रत्येक वर्ग में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रतीक्षा सूची में वर्ग-वार टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का विचार है ;

(घ) 31 मार्च, 1988 तक गंगटोक में टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ङ) 31 मार्च, 1988 को सिक्किम में टेलेक्स कनेक्शन के लिए कितने व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गंगटोक एक्सचेंज में 24-3-1988 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार रजिस्टर्ड आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	ओ० वाई० टी०	28
2.	विशेष	01
3.	सामान्य	129
	योग	158

(ख) गंगटोक में 1987 के दौरान श्रेणीवार प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	ओ० वाई० टी०	65
2.	विशेष	20
3.	सामान्य	43
	योग	128

(ग) वर्ष 1988 के दौरान प्रतीक्षा सूची से निपटाए जाने वाले प्रस्तावित नए कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

1.	ओ० वाई० टी०	17
2.	विशेष	2
3.	सामान्य	30
	योग	49

(घ) 21-11-1987 को गंगटोक में 9 कनेक्शनों वाला एक नेशनल टेलेक्स एक्सचेंज पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ङ) 24-3-1988 की स्थिति के अनुसार टेलेक्स कनेक्शनों के लिए 15 आवेदकों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

सिक्किम में मैक्स-टू टाइप सेटेलाइट एक्सचेंज की स्थापना

5817. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या संचार मन्त्री सिक्किम में मैक्स-टू टाइप सेटेलाइट एक्सचेंज की स्थापना के बारे में 3 मार्च, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1000 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में माइक्रोवेव टेलीफोन सिस्टम तथा एक मैक्स-टू टाइप सेटेलाइट एक्सचेंज की स्थापना करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सिक्किम में ये प्रणालियां कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी ; और

(ग) 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार गंगटोक में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना करने में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख). (एक) सिक्किम के जिला मुख्यालयों को गंगटोक से जोड़ने के लिए यू० एच० एफ० प्रणाली को 1988 के दौरान चालू किए जाने की योजना है।

(दो) प्रतीक्षा सूची निपटाने की दृष्टि से गंगटोक के लिए एक 1,500 लाइनों के इलेक्ट्रो-मेकेनिकल टाइप के एम० ए० एक्स०-I का अभी हाल में आबंटन किया गया है तथा एम० ए० एक्स०-II टाइप के उपग्रह एक्सचेंज का तेडांग में संस्थापन का विचार छोड़ दिया गया है। एम० ए० एक्स०-I एक्सचेंज के 1988-89 में चालू होने की सम्भावना है।

(तीन) इंटेक्स उपस्कर की अनुपलब्धता को देखते हुए गंगटोक में 21-11-1987 को एक नेशनल टेलेक्स एक्सचेंज चालू किया गया है जोकि कलकत्ता एस० पी० जी० टेलेक्स एक्सचेंज के साथ जुड़ा हुआ है।

(ग) फिलहाल, गंगटोक में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मोटर-वाहनों के पुर्जों के उत्पादन के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ सहयोग

5818. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने भारत में मोटर-वाहनों के पुर्जों के उत्पादन में बड़ी रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच पश्चिम जर्मनी की किसी फर्म के साथ कोई बातचीत की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख). यद्यपि पश्चिम जर्मनी के कार निर्माता भारत से मोटर-वाहनों के पुर्जों के सम्भावित स्रोतों के बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन सरकार को अब तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वीडियो फिल्मों का निर्माण

5819. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वीडियो फिल्मों के निर्माण में हाल ही में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्तर स्तर की वीडियो फिल्में बनाने पर नियन्त्रण रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा वर्तमान परिस्थिति में इनका क्या सामाजिक और नैतिक प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) क्या इन वीडियो फिल्मों का सरलता से अवैध निर्माण किया जा सकता है यदि हां, तो सरकार द्वारा इसको किस प्रकार रोकने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फिल्म निर्माण ज्यादातर निजी क्षेत्र में होने और यह एक अविनियमित कार्यकलाप होने के कारण, सरकार द्वारा वीडियो फिल्मों के निर्माण से सम्बन्धित आंकड़े इकट्ठे नहीं किए जाते। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपने द्वारा प्रमाणित वीडियो फिल्मों के आंकड़े रखता है। पिछले 4 वर्षों के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित भारतीय वीडियो फिल्मों की संख्या से सम्बन्धित सूचना निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रमाणित वीडियो फिल्मों की संख्या
1984	49
1985	69
1986	65
1987	61

यह हाल ही के भूतकाल में वीडियो फिल्मों के निर्माण में कोई वृद्धि नहीं दर्शाता।

(ख) वीडियो फिल्मों के निर्माण में कोई गुणवता नियन्त्रण नहीं है। सभी वीडियो फिल्मों को, सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले, चलचित्र अधिनियम, 1952, चलचित्र (प्रमाणन नियम), 1983 और सरकार द्वारा उनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के उपबंधों के अन्तर्गत संस्कृति विभाग के अधीन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है।

(ग) सरकार ने वीडियो पायरेसी से सम्बन्धित अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा कापीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन किया है।

होशियारपुर, पंजाब में टेलीफोन कनेक्शन

5820. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में होशियारपुर जिले में, ब्लाकवार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है ;

(ख) पंजाब के किन ब्लाकों में, जिलावार कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं है ;

(ग) प्रत्येक ब्लाक को कब तक टेलीफोन द्वारा जोड़ दिया जाएगा ; और

(घ) कब तक प्रत्येक पंचायत को टेलीफोन प्रणाली से जोड़ा जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) होशियारपुर जिले में 29-2-1988 की स्थिति के अनुसार ब्लाकवार टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

	ब्लाक का नाम	कनेक्शनों की संख्या
1.	होशियारपुर-1	1097
2.	होशियारपुर-2	1038
3.	भुंगा	160,
4.	बालासौर	207
5.	दुसुआ	273
6.	गढ़शंकर	263
7.	महलपुर	184

	ब्लाक का नाम	कनेक्शनों की संख्या
8.	मुकेरियां	398
9.	सरौरा	83
10.	तलवाड़ा	292
11.	टांडा उमर	329
	कुल	4324

(ख) पंजाब के सभी ब्लाकों में टेलीफोन कनेक्शन हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) फिलहाल, सरकार की यह नीति है कि पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करके देश के सभी 5 कि० मी० वाले षट्कोणीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित किसी प्रमुख ग्राम में दूरसंचार सुविधा सुलभ करा दी जाए। यह प्रमुख ग्राम उस षट्कोणीय क्षेत्र का पंचायत अथवा अन्य मध्य ग्राम हो सकता है।

फैजाबाद स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र का कार्यकरण

[हिन्दी]

5821. **श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में फैजाबाद स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या इस केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के अन्तर्गत अन्य कई केन्द्र भी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) फैजाबाद दूरदर्शन रिले केन्द्र के कार्य-निष्पादन की जांच की गई है और उसे संतोषजनक पाया गया है। तथापि, राज्य के विद्युत प्राधिकारियों द्वारा सप्लाई की जाने वाली बिजली में व्यवधान होने के कारण बिजली से डीजल जेनरेटर तथा डीजल जेनरेटर से बिजली में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवर्तन के समय दूरदर्शन सेवा में थोड़ा व्यवधान होता है।

(ग) और (घ). फैजाबाद में एक दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र है जो दूरदर्शन रिले केन्द्र के साथ ही है। यह अनुरक्षण केन्द्र, फैजाबाद के रिले केन्द्र सहित दूरदर्शन रिले केन्द्रों के समूह की अनुरक्षण तथा मरम्मत आवश्यकताओं की देखभाल करता है। फैजाबाद में अनुरक्षण केन्द्र तथा दूरदर्शन रिले केन्द्र के संचालन के लिए अलग-अलग कर्मचारी हैं।

सियोल ओलिम्पिक खेलों का सीधा प्रसारण

5822. **श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सियोल ओलिम्पिक खेलों का सीधा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). उद्घाटन और समापन समारोहों को सीधे टेलीकास्ट करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उन सभी पुरुष हॉकी मैचों, जिनमें भारत खेलेगा, और इसके सेमी-फाइनल और फाइनल मैचों को भी सीधे टेलीकास्ट किया जाएगा। तथापि, तकनीकी कठिनाइयों के कारण, भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच खेले जाने वाले पुरुष हॉकी मैच को सीधे टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक टैलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

5823. **श्री निर्मल खत्री : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले से कार्यरत मानवचालित टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना के लिए क्या विभागीय मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) इन मापदण्डों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के फैजाबाद टेलीफोन एक्सचेंज को शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या फैजाबाद एक्सचेंज से भी छोटे एक्सचेंजों में भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सामान्यतया इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आबंटन 5000 लाइनों तथा इससे ऊपर की क्षमता तक एम० ए० एक्स०-I एक्सचेंजों के लिए किया जाता है परन्तु देश में इसके सीमित मात्रा में उत्पादन के कारण इस प्रकार के एक्सचेंजों को देश में प्रत्येक स्थान पर संस्थापन कार्य करना व्यवहार्य नहीं हो सका है। कुल मिलाकर ऐसे एक्सचेंजों का आबंटन मेट्रो, बड़े और छोटे दूरसंचार जिलों के लिए किया जा रहा है।

मध्यम तथा कम क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आबंटन समेकित डिजिटल नेटवर्क योजना के अन्तर्गत एम० ए० एक्स०-II और एम० ए० एक्स०-III एक्सचेंजों को बदलने के लिए किया जाता है। सातवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन की दृष्टि से इसके लिए आबंटन कर दिया गया है। देश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का सीमित मात्रा में उत्पादन देखते हुए एक्सचेंजों को चरणबद्ध रूप से बदलने की योजना है।

(ख) फैजाबाद के लिए 2000 लाइनों की क्षमता वाले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की आवश्यकता है और इतनी क्षमता के एक्सचेंज का देश में उत्पादन नहीं होता। अत: 8वीं योजना में 2000 लाइनों के आई० सी० की क्रासबार एक्सचेंज का आबंटन किया गया है।

(ग) जी, हां। जिला मुख्यालयों में कम क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का संस्थापना किया गया है।

उड़ीसा में कम वजन के खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों की सप्लाई

[अनुवाद]

5824. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हल्दिया संयंत्र में भरे गए गलत ढंग से पैकिंग किए गए और कम वजन के खाना पकाने की गैस के सिलिंडरों के उड़ीसा में सप्लाई किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) तेल विपणन कम्पनियों को अपने कार्यचालन के दौरान खराब पैक किए हुए तथा कम वजन के एल पी जी सिलिण्डरों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। परन्तु यदि उपभोक्ता द्वारा किए जा रहे प्रयोग के दौरान एल पी जी के खराब सिलिण्डरों का पता लग जाता है तो उसे वितरक द्वारा मुफ्त में बदला जाता है और उस सिलिण्डर को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पूरी जांच किए जाने के बाद बार्टलिंग संयंत्र को भेज दिया जाता है।

यदि वितरक के गोदाम में खराब सिलिण्डरों का पता लग जाता है तो उन्हें जांच के लिए अलग रख लिया जाता है और क्षेत्र अधिकारियों द्वारा उचित प्रमाणन के बाद बाटलिंग संयंत्रों को वापस कर दिया जाता है।

सार्वजनिक टैलीफोन केन्द्र पर नियुक्त विकलांग व्यक्तियों को मासिक वेतन

5825. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर नगर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों पर नियुक्त विकलांग व्यक्तियों को कमीशन के रूप में प्रतिमाह औसतन कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है ; और

(ख) क्या उन्हें कमीशन के बजाए मासिक वेतन देने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) लगभग 325 रुपये प्रतिमाह।

(ख) जी नहीं।

कर्नाटक में क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें

5826. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार यूनिट उन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों का प्रचार कर रहे हैं जहां इनका टेलिविजन और रेडियो द्वारा प्रचार नहीं हो रहा है ;

(ख) क्या कर्नाटक में कार्य कर रहे प्रादेशिक कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार यूनिट कार्यालयों को समाप्त अथवा बन्द करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालय और क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें ग्रामीण और अन्य उन क्षेत्रों जिनको इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा अपेक्षाकृत कवर किया जा रहा है, पर अधिक बल देते हुए देश भर में सरकार के कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रचार कर रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बधिरों के लिए समाचार बुलेटिन

5827. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर बधिरों के लिए रविवार को प्रसारित समाचार बुलेटिन की संकेत भाषा को सभी राज्यों के बधिर नहीं समझ पाते हैं ;

(ख) क्या विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं की संकेत भाषा अलग-अलग हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में देश के अन्य भागों के व्याप्त भ्रम को दूर कर बधिरों की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). सुनने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए रविवार को टेलीकास्ट किए जाने वाले समाचारों में जो संकेत भाषा प्रयुक्त की जाती है, वह भारत में बधिरों के लिए अंग्रेजी में राष्ट्रीय संकेत भाषा है। सुनने में असमर्थ वे अधिकांश व्यक्ति, जो कुछ अंग्रेजी जानते हैं, इस संकेत भाषा को समझ सकते हैं। तथापि, सुनने में असमर्थ उन व्यक्तियों, जिन्हें केल उनकी सम्बन्धित क्षेत्रीय संकेत भाषा में ही प्रशिक्षण दिया गया है अथवा जो अशिक्षित हैं, को इसको समझने में कठिनाई हो सकती है। सुनने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संकेत भाषाओं में समाचार टेलीकास्ट करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में प्रोडक्शन कर्मचारियों की भर्ती

5828. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र में कन्नड़ कार्यक्रमों के लिए प्रोडक्शन कर्मचारियों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के लिए और अधिक प्रोडक्शन कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में कार्यक्रम पक्ष में कुछ रिक्तियां हैं तथा नियमों के अनुसार इन रिक्तियों में नियुक्तियां करने के लिए कारवाई चल रही है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा से चलने वाला हीटर

[हिन्दी]

5829. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (हरियाणा) में 2.50 लाख रुपये की लागत से सौर ऊर्जा से चलने वाला एक हीटर स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके स्थापित करने का कार्य कब पूरा किया गया है ;

(ग) इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है तथा क्या इसने कार्य करना शुरू कर दिया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कार्य न करने के क्या कारण हैं ? और

(ङ) मन्त्रालय द्वारा किन-किन राज्यों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे हीटर स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है तथा प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है तथा तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 5.72 लाख रुपये की कुल लागत पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षमताओं की ग्यारह सौर जल तापन प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

(ख) सभी सौर जल तापन प्रणालियां नवम्बर, 1986 से पहले स्थापित की गई थीं तथा इन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

(ग) हास्टलों के रसोई घरों/भोजनालयों में बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी की आपूर्ति के लिए दस सौर तापन प्रणालियां स्थापित की गई हैं। स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न उपकरणों को धोने और साफ करने के लिए गर्म जल प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में एक सौर जल तापन प्रणाली स्थापित की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मन्त्रालय द्वारा देश में अधिकांश राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सौर जल तापन प्रणालियां स्थापित करने के लिए सहायता दी जा रही है। प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि इस गतिविधि के लिए मन्त्रालय को आबंटित कुल बजट पर तथा गत वर्षों के दौरान राज्यों के निष्पादन पर भी निर्भर करती है।

मध्य प्रदेश में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना और टेलेक्स प्रणाली आरम्भ करना

[अनुवाद]

5830. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश के नये विकसित औद्योगिक विकास केन्द्रों मंडीद्वीप, पिलूखेडी और पिथामपुर नामक स्थानों पर इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने और टेलेक्स प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). पिथामपुर और मंडीद्वीप में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की एक योजना है। पिलूखेड़ा में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। उक्त स्थानों पर इलैक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पिथामपुर में 20 लाइनों का स्ट्राजर टेलेक्स कार्य कर रहा है।

(ग) 1989-90 के दौरान पिथामपुर में 400 लाइनों का एन ई ए एक्स इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू होने की सम्भावना है, जबकि मंडीद्वीप में 1990-91 के दौरान (इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज) (400 लाइनों का एन ई ए एक्स) चालू होने की सम्भावना है, बशर्ते कि उसके लिए उपकरण उपलब्ध होंगे।

वाहनों की बुकिंग के लिए पंजीकरण राशि की वापसी

[हिन्दी]

5831. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक व्यक्तियों ने मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर और मैसर्स आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० से वाहनों की बुकिंग के लिए जमा की गई पंजीकरण राशि की वापसी के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने अपनी पंजीकरण राशि की वापसी के लिए आवेदन किया है और अब तक कम्पनीवार कितने व्यक्तियों को उनकी पंजीकरण राशि का भुगतान नहीं किया गया है ;

(ग) इन व्यक्तियों को उक्त राशि के भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को और आगे विलम्ब किए बिना उनकी पंजीकरण राशि वापस करने के लिए कोई कड़े निर्देश जारी करेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) कम्पनीवार सूचना निम्न प्रकार है :—

	प्राप्त आवेदनों की संख्या	
	1986	1987
(1) मै० एल० एम० एल०	3,88,613	3,01,632
लम्बित आवेदनों की संख्या	19,000	3,01,632
(2) मै० आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०		

पिछले आठ महीनों के दौरान कम्पनी द्वारा प्राप्त हुए कुल 15,800 आवेदनों में से 116 व्यक्तियों को पंजीकरण राशि लौटा दी गई थी।

(ग) कम्पनियों के पंजीकरण राशि लौटाने में देरी का कारण कार्यशील पूंजी में लगी धनराशि तथा सामान में फंसी धनराशि बताया है।

(घ) और (ङ). मोटरगाड़ी निर्माताओं द्वारा एकत्र की गई अग्रिम राशियों को लगाने के लिए सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। सरकार ने शीघ्रता से जमा धनराशियों को लौटाने की उन्हें सलाह दी है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर भरने के नए संयंत्र

[अनुवाद]

5832. **डा० जी० विजयरामाराव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर भरने का अब तक सबसे बड़ा संयंत्र चालू किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र विश्व में सिलेण्डर भरने के अन्य संयंत्रों की तुलना में कैसे होगा ; और

(ग) क्या इस संयंत्र का डिजायन और निर्माण पूर्ण रूप से देश में ही किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग). इंडियन आयल कारपोरेशन के सबसे बड़े एल० पी० जी० बाटलिंग संयंत्रों में से एक शीघ्र ही दिल्ली के पास टिकरीकलां में चालू किया जाएगा। अन्य देशों के बाटलिंग संयंत्रों के साथ इसकी तुलनात्मक क्षमता का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं है। इसका डिजाइन तथा निर्माण स्वदेशी है तथा इसके कुछ उपकरण जैसे कारोसिल, कम्पैक्ट/इलेक्ट्रानिक वाल्व टेस्टर आदि आयात किए गए हैं।

राजस्थान की विद्युत योजनाओं को मंजूरी

5833. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों में आज तक राजस्थान की किसी विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है ;

(ख) क्या कोई विद्युत योजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). 1984-85 से अब तक राजस्थान में लगभग 150 मेगावाट की कुल क्षमता वाली स्कीमें स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, अन्टा में केन्द्रीय क्षेत्र में लगभग 430 मेगावाट की गैस पर आधारित एक संयुक्त साइकल परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है जिसमें राजस्थान का भी हिस्सा है। लगभग 998 मेगावाट की कुल क्षमता वाली स्कीमों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में डाक और दूरसंचार सुविधायें

5834. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों, विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जैसे पिछड़े जिलों में डाक और दूरसंचार की और सुविधायें प्रदान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) डाक :

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

दूरसंचार :

1987-88 के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में 44 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने का प्रस्ताव है जिनमें से 27-3-1988 तक 24 खोल दिए गए हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोधपुर में 1000 लाइन डिजीटल टी० ए० एक्स, बालोतरा में टेलेक्स एक्सचेंज और एम० ए० आर० आर० तथा जोधपुर में एस० एफ० टी० प्रणाली की योजना है। नए छोटे स्वचल एक्सचेंजों की भी योजना है बशर्ते कि टेलीफोन कनेक्शनों के लिए न्यूनतम दस की मांग पंजीकृत हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में चालू वर्ष (1987-88) के दौरान स्वीकृत किए गए नए डाकघर

1. बाड़मेर डिवीजन
    1. पानीनियों का तला
    2. चोहटन करनाडू
    3. गुमाना का तला
    4. जयसिंधार आर० एस०
    5. भालगांव
    6. राबासार
    7. गार्डिया
    8. खारिया राठोरान
    9. अभे का पार
2. जोधपुर डिवीजन
    1. सुठाला
    2. बुर्किया
    3. भांडू चार्नी
    4. लावारान
    5. भाजीकीपार
3. जालौर डिवीजन
    1. सुठारी
4. नागौर डिवीजन
    1. बीटान
    2. रसालीबास
    3. जाटावास
    4. पायली
    5. खाखारकी

5. श्रीगंगानगर डिवीजन

1. अहमदपुरा

2. चाक 7 जी० डी०

1988-89 के लिए राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में नए डाकघरों हेतु 33 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने की संभावना है।

जोधपुर क्षेत्र में सौर-ताप संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

5835. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, प्रत्येक राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने जोधपुर क्षेत्र में 30 मेगावाट की क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 और 2 में दिया गया है।

(ख) जी हां। राजस्थान सरकार से जोधपुर के एक स्थल सहित राजस्थान में 30 मेगावाट की क्षमता का एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ग) अभी तक राजस्थान सरकार से इस प्रस्ताव के विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जैसे ही इस मन्त्रालय में परियोजना प्रलेख प्राप्त होंगे और वित्तीय पहलू सहित विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त हो जायेगी, इस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जाएगा।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों में 15-2-88 तक स्थापित की गई सौर तापीय प्रणालियां

क्र० सं०	राज्य	सौर जल तापन (एस. डब्ल्यू. एच.) प्रणालियां सं०	क्षमता (लीटर प्रतिदिन)	क्षेत्र (एम²)	घरेलू सौर जल तापन प्रणालियां सं०	क्षमता (लीटर प्रति-दिन)	क्षेत्र (वर्ग मी.)	सौर वायु तापक सं०	सौर काष्ठ भट्टियां सं०	सोलर स्टिल सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	29	1,14,200	2,284	44	4,400	88	1	4	67
2.	असम	8	2,000	40	—	—	—	3	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4.	बिहार	1	4,000	80	—	—	—	—	—	—
5.	चण्डीगढ़	4	6,000	120	—	—	—	—	—	40
6.	दिल्ली	109	3,69,650	7,393	152	15,200	304	1	2	1,604
7.	गोवा दमन एवं द्वीव	8	4,400	88	—	—	—	—	—	—
8.	गुजरात	419	8,67,880	16,627	1,149	1,51,700	3,122	8	9	3,724
9.	हरियाणा	52	1,73,650	3,473	19	1,900	38	—	1	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	हिमाचल प्रदेश	21	70,900	1,420	—	—	—	—	2	—
11.	जम्मू एवं कश्मीर	11	27,500	550	—	—	—	—	—	42
12.	कर्नाटक	47	1,38,800	2,785	121	15,000	300	1	1	—
13.	केरल	18	22,300	446	—	—	—	1	—	4
14.	मेघालय	1	3,000	70	—	—	—	—	—	—
15.	महाराष्ट्र	24	61,800	1,236	—	—	—	—	—	25
16.	मध्य प्रदेश	119	4,96,050	12,096	12	1,350	27	2	1	323
17.	उड़ीसा	44	44,415	890	—	—	—	1	—	122
18.	पंजाब	61	1,27,900	2,558	30	3,000	60	1	2	40
19.	राजस्थान	87	37.100	742	10	1,000	20	—	—	25
20.	तमिलनाडु	83	3,55,050	7,523	390	3,900	780	1	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	247	3,60,500	7,210	42	4,200	84	12	12	165
22.	दादर एवं न०हवेली	2	3,000	42	—	—	—	1	1	—
23.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—	1	1	—

24. अन्य नोडल एजेन्सी (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रेलवे)	15	30,700	614	—	—	—	—	—	570
कुल :	1,410	33,20,795	68,193	1,950	2,36,750	4823	33	36	6,871

कुल स्थापित संग्राहक क्षेत्र (एस० डब्ल्यू० एच० + डी० एस० डब्ल्यू० एच० + एस० एस०) = 79,887 वर्ग मी०

प्रति वर्ष सम्भावित ऊर्जा बचत = 54 एम० के० डब्ल्यू० एच० आर०

विवरण-2

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की राज्यवार 31-12-87 तक स्थापना

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	सड़क रोशनी उपलब्ध किये गये गांव की सं०	सामुदायिक रोशनी और टी. वी. प्रणालियों की संख्या	जल पम्पन सेटों की संख्या	घरेलू रोशनी एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1101	3	51	50
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	13	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	1	3	—
4.	असम	6	—	38	—
5.	बिहार	—	102	84	—
6.	दिल्ली	—	7	25	—
7.	गुजरात	212	11	81	40
8.	गोवा	—	—	2	—
9.	हरियाणा	—	—	2	—
10.	हिमाचल प्रदेश	65	4	10	—
11.	जम्मू एवं कश्मीर	—	3	1	—
12.	कर्नाटक	61	—	7	—
13.	केरल	27	—	4	—
14.	लक्षद्वीप	—	5	—	—
15.	मध्य प्रदेश	56	15	28	40
16.	महाराष्ट्र	210	2	21	—
17.	मणिपुर	1	—	2	—
18.	मेघालय	3	—	20	20
19.	उड़ीसा	66	20	74	—

1	2	3	4	5	6
20.	पंजाब	—	—	5	—
21.	राजस्थान	322	57	6	—
22.	सिक्किम	11	—	—	—
23.	तमिलनाडु	137	1	38	50
24.	त्रिपुरा	7	3	92	—
25.	उत्तर प्रदेश	156	140	188	—
26.	पश्चिम बंगाल	110	1	23	—
27.	मिजोरम	4	1	4	—
28.	नागालैण्ड	9	3	11	—
	योग :	2568	379	833	200

राजस्थान में पेट्रोल पम्प

5836. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने पेट्रोल पम्प हैं ;

(ख) क्या राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पेट्रोल पम्पों के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पम्पों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों की संख्या तथा नाम क्या-क्या हैं, जहां पर सरकार का अगले दो वर्षों के दौरान पेट्रोल पम्पों की स्थापना करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं में तेल उद्योग द्वारा राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) खोलने का प्रस्ताव था :—

स्थान	जिला
1. रायमलवाड़ा	जोधपुर
2. सोमनार	"
3. ट्रान्सपोर्ट नगर	"
4. मथानिया	"
5. भटियानडी	"
6. कनकानी	"
7. धुंधारा	"
8. दिराई	"
9. जोधपुर (चोपसनी नगर रोड)	"
10. जोधपुर (रेजीडेंसी रोड)	"
11. चिमाना	"
12. गोगोरही	"
13. बरनीखुर्द	"
14. मथाना	जैसलमेर
15. रामदेवरा	"
16. चन्दन	"
17. मोहनगढ़	"
18. रामगढ़	"
19. बरमेर डाउन	बाड़मेर
20. नेहरू नगर	"
21. पछपदरा	"
22. धोरीमाना	"

निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ये डीलरशिपें समय-समय पर खोली जा रही हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(एम० एस०/एच० एस० डी० रिटेल आउटलेट)

राजस्थान में कार्यरत जिलावार पेट्रोल पम्पों (मोटरस्प्रिट, हाईस्पीड डीजल, खुदरा बिक्री केन्द्रों) की संख्या

	जिला	संख्या
1.	अजमेर	42
2.	अलवर	36
3.	बारमेर	15
4.	बूंदी	13
5.	बांसवारा	8
6.	भरतपुर	28
7.	भीलवाड़ा	23
8.	बीकानेर	23
9.	चुरु	15
10.	पित्थौरागढ़	8
11.	डूंगरपुर	6
12.	धौलपुर	10
13.	श्रीगंगानगर	78
14.	जयपुर	115
15.	जोधपुर	73
16.	जैसलमेर	5
17.	बलोटरा	1
18.	चित्तौड़गढ़	10
19.	गंगानगर	1
20.	जलोर	23
21.	झुनझुन	16

	जिला	संख्या
22.	झालावार	8
23.	कोटा	30
24.	नागौर	38
25.	पाली	39
26.	सीकर	21
27.	सवाईमाधोपुर	32
28.	सिरोही	12
29.	टोंक	14
30.	उदयपुर	47
		790

हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से घरेलू प्रयोजन हेतु गैस की सप्लाई

[अनुवाद]

5837. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा-बिजयपुर-जगदीशपुर पाइपलाइन से घरेलू प्रयोजनार्थ गैस की सप्लाई हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन नगरों को गैस की सप्लाई की जाएगी और गैस की सप्लाई किस दर पर की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

5838. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984, 1985, 1986 और 1987 के दौरान प्रत्येक राज्य में लघु सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी है ;

(ख) देश में राज्य वार अब तक कितने लघु सीमेंट संयंत्र लगाए गए हैं ; और

(ग) भविष्य में देश में लघु सीमेंट लगाने के लिए लाइसेंस देने में सरकार की क्या नीति है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू नीति के अनुसार वर्टिकल शाफ्ट भट्ठे सम्बन्धी प्रौद्योगिकी पर आधारित 100/200 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता तक मिनि सीमेंट संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है जबकि राज्य सरकार यह प्रमाणित करे कि मिनि सीमेंट संयंत्रों को उस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा जहां चूना पत्थर के भण्डार बड़े आकार के संयंत्रों को कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा, रोटरी भट्ठे सम्बन्धी प्रौद्योगिकी पर आधारित मिनि सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु बढ़ावा नहीं दिया जाता।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र प्रदेश	1984		1985		1986		1987		विद्यमान मिनी सीमेंट संयंत्रों की संख्या (संगठित क्षेत्र में)
	त. वि. म. नि. पंजी-करण	आ. पत्र	त. वि. म. नि. पंजी-करण	आ. पत्र	त. वि. म. नि. पंजी-करण	आ. पत्र	त. वि. म. नि. पंजी-करण	आ. पत्र	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	20	—	17	2	1	6	2	6	14
असम	4	4	6	—	2	2	—	2	—
बिहार	3	—	4	—	—	—	—	—	1
गुजरात	1	1	2	2	—	1	—	—	13
हिमाचल प्रदेश	5	1	1	—	—	1	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	5	—	2	—	1	1	1	—	2
कर्नाटक	9	1	8	—	4	—	4	1	11
मध्य प्रदेश	20	1	5	—	—	—	—	—	11
महाराष्ट्र	1	—	2	1	2	—	—	—	2
पांडिचेरी	1	—	1	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उड़ीसा	2	—	2	—	1	—	—	—	1
राजस्थान	7	—	2	—	1	2	1	—	4
तमिलनाडु	5	—	6	—	—	—	—	1	4
उत्तर प्रदेश	2	2	—	—	1	—	—	—	2
मेघालय	—	2	2	—	1	—	2	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	—	—	—	1
हरियाणा	—	—	—	—	—	—	1	—	—
कुल	85	12	60	5	14	13	11	10	66

केरल में इदुक्की जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा

5839. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इदुक्की जिले के अनेक टेलीफोन एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा अभी आरम्भ की जानी है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एक्सचेंजों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) इन एक्सचेंजों में इस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) इदुक्की जिले में कुल 42 एक्सचेंजों में से 27 एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा अभी दी जानी है।

(ग) परिमादे, नीदुमगण्डम् और आदिमाली जहां अभी एम० ए० एक्स-III एक्सचेंज हैं, में तीन ग्रुप सेंटर्स की योजना है। ग्रुप सैंटर के लिए एम० ए० एक्स-II किस्म का एक्सचेंज पूर्वापेक्षित है। आठवीं योजना के दौरान पीरमादे, नीदुमगण्डम और आदिमाली एम० ए० एक्स०-III एक्सचेंजों को एम० ए० एक्स०-II एक्सचेंजों में बदलने के बाद ग्रुप डायलिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी बशर्ते ग्रुप डायलिंग उपस्कर और उचित माध्यम उपलब्ध हों।

औद्योगिक क्षेत्र में मंदी

5840. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग के कुछ क्षेत्रों में मन्दी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस स्थति में सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). सूखे के कारण उर्वरकों तथा कपड़े जैसे कुछ क्षेत्रों को मांग में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। तथापि उद्योग में कोई मंदी नहीं है। इस बात का इस तथ्य से भी पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास लगातार प्रति प्रतिशत से अधिक रहा है।

औद्योगिक उत्पादन की गति बढाने के लिए सरकार ने अनेक राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं।

कंडरौर एक्सचेंज की मूल कालों को बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) टेलीफोन एक्सचेंज में भेजना

5841. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंडरौर एक्सचेंज की मूल कालों को घुमारक्ति एक्सचेंज जिसे स्वीकृति मिल गई है, को भेजने के अतिरिक्त बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) टेलीफोन एक्सचेंज में भेजने का प्रस्ताव है, क्योंकि कंडरौर बिलासपुर जिले की सदर तहसील में स्थित है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को किस तारीख को मंजूरी दी गई तथा परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में हुई मौजूदा प्रगति क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को स्वीकृति कब तक दी जाएगी, इसका स्थापना कार्य कब शुरू किया जाएगा तथा यह कब तक पूरी होगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) कंडरौर को दोबारा अपने मूल एक्सचेंज बिलासपुर से जोड़ने की तकनीकी व्यवहार्यता की जांच अभी जारी है। यदि परियोजना को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया तो उसके बाद इसे मंजूर करने और स्थापित/पूर्ण करने के लिए कार्यवाही वित्तीय वर्ष 1988-89 में शुरू की जाएगी।

टेलीफोन सलाहकार समिति गठित करना

5842. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य के किन-किन शहरों में दूरसंचार टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है/करने का विचार है ;

(ख) इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं और इसके सदस्यों को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा उन्होंने क्या-क्या काम किया है ; और

(ग) जहां कहीं इस प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है वहां पर कब तक गठित की जाएगी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होंगे तथा यदि वे किसी विशेष कार्य को देखेंगे तो वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए प्रत्येक में एक-एक दूरसंचार सलाहकार समिति है। इन राज्यों में अमृतसर चंडीगढ़, फरीदाबाद, जालंधर और लुधियाना टेलीफोन जिलों में प्रत्येक में एक-एक टेलीफोन सलाहकार समिति भी बनाई गई है। ये सभी समितियां विद्यमान है केवल अमृतसर और लुधियाना की समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है।

(ख) विचारणीय विषय/कार्य संलग्न **विवरण-1** में दिए हैं जिसे सभापटल पर रख दिया गया है। समितियों में कंसमित सदस्य, बारी आने से पहले एक किराया-मुक्त टेलीफोन कनेक्शन तथा द्विमासिक अवधि के लिए 1200 निशुल्क कालों के पात्र होते हैं। सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए पात्रता के अनुसार यात्रा/दैनिक भत्ता देय होता है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लिखित सभी समितियां विद्यमान हैं केवल अमृतसर और लुधियाना की समिति नहीं है क्योंकि इनका पिछला कार्यकाल 29 फरवरी, 1988 को समाप्त हो गया है और इनका पुनर्गठन किया जा रहा है।

उपर्युक्त प्रत्येक समितियों के सदस्यों की संख्या तथा, उनके द्वारा किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसका ब्यौरा संलग्न **विवरण-2** में दिया है।

विवरण-1

दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के कार्य :

(क) दूरसंचार सेवाओं के कार्यनिष्पादन की निगरानी तथा इनमें सुधार के लिए विभाग को सलाह देना।

(ख) टेलीफोन प्रयोग करने वालों तथा दूरसंचार विभाग के बीच निकट का सम्बन्ध स्थापित करना।

(ग) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी शिकायतों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है और उन्हें दूर किया जाता है।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार तथा विकास के लिए विभाग द्वारा की गई जा रही कारंवाई का प्रकार करना।

(ङ) जनता में सहयोग और सब्र की भावना पैदा करके टेलीफोन उपस्कर और लाइनों की कमी को निपटाने के लिए विभाग की सहायता करना।

(च) ओ० वाई० टी० और नान-ओ० वाई० टी० विशिष्ट वर्गों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक गुणावगुणों के संयुक्त मूल्यांकन द्वारा नियमानुसार निष्पक्ष और बराबरी के आधार पर बारी आने से पहले टेलीफोन कनेक्शन देने का निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

विवरण-2

क्रमांक	प्रतिनिधित्व का क्षेत्र	दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां		
		जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश व हरियाणा और चंडीगढ़	पंजाब	अमृतसर, फरीदाबाद जालंधर और लुधियाना
1.	राज्य प्रशासन	1	1	1
2.	राज्य विधान मंडल	3	3	2
3.	निगम अथवा नगर-पालिका	—	—	—
4.	संसद सदस्य	2	2	2
5.	समाचार पत्र प्रतिनिधि	1	2	1
6.	चिकित्सा व्यवसाय	1	2	1
7.	विधि व्यवसाय	1	2	1
8.	इंजीनियर वास्तुवित्त आदि जैसे अन्य सभी व्यवसाय	1	2	1
9.	व्यापार, वाणिज्य और उद्योग	4	5	5
10.	समाज सेवी और अन्य	6	6	5
	जोड़	20	25	20

हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड में कच्चे माल की कमी

5843. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोट्टायम के समीप हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड की उपयोग क्षमता उसकी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना कर रहा है ; और

(घ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि० की कच्चे माल की वार्षिक खपत का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) 1987-88 में उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से अधिक है।

(ख) 1987-88 में उत्पादन लगभग 81500 एम० टी० है जबकि अधिष्ठापित क्षमता 80,00 एम० टी० थी।

(ग) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि० को पिछले पांच वर्षों में हार्ड वुड अर्थात यूकोलिप्टस की किसी प्रकार की कमी का कोई सामना नहीं करना पड़ा है, केरल सरकार द्वारा मिल को नरकुल/बांस की ठेके की मात्रा में सप्लाई नहीं की गई है। जब तक नवीमतम रूप से वृक्षारोपण नहीं किया जाता है तब तक हार्ड वुड तथा नरकुल/बांस दोनों की दीर्घकालिक उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

(घ) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लि० में 80,000 टी० पी० ए० के अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की वार्षिक आवश्यकता निम्नप्रकार है :—

नरकुल/बांस	1,89,000 एम० टी० (50 प्रतिशत नमी)
यूकोलिप्टस ग्रेंडिस	1,20,000 एम० टी० (50 प्रतिशत नमी)
यूकोलिप्टस हाईब्रीड	40,000 एम० टी० (50 प्रतिशत नमी)

केरल में टेलीफोन सुविधाएं

5844. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) केरल में कितने गांवों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान केरल में और अधिक गांवों में टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) केरल के वायनाड जिले में टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के लिए क्या प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) विभाग, फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा षटकोणीय क्षेत्र के आधार पर न कि ग्राम के आधार पर प्रदान करता है। देश को

5 कि० मी० के षटकोणीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक षटकोणीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 65 वर्ग कि० मी० के भीतर अनेक ग्राम आ जाते हैं। प्रत्येक षटकोणीय क्षेत्र के अधीन किसी प्रमुख ग्राम में टेलीफोन सुविधा पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करके सुलभ कराई जाती है। देश के कुल 50280 षटकोणीय क्षेत्र के अन्तर्गत रह रही आबादी में से 25797 षटकोणीय क्षेत्र की आबादी को 31-3-87 तक दूरसंचार सुविधा सुलभ कराई जा चुकी है। अतः ऐसे ग्रामों की संख्या इससे अधिक होगी।

(ख) 31-3-87 की स्थिति के अनुसार केरल के 546 षटकोणीय क्षेत्रों में से 539 में दूर-संचार सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल में 1988-89 के दौरान 21 अन्य ग्रामों में यह सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) केरल के वायनाड जिले के अन्तर्गत 5 ग्रामों में दूरसंचार सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

विशाखापत्तनम में "नेप्था क्रेकर काम्पलेक्स"

5845. श्री भट्टम श्रीराममूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा विशाखापत्तनम में "नेप्था-क्रेकर काम्पलेक्स" के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव किस स्थिति में है ; और

(ख) सरकार का इस पर शीघ्र कार्यवाही हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). मैसर्स आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लि० ने विशाखापतनम में पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए एक रिपोर्ट भेजी है। विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं जैसे उत्पाद का ढांचा, वित्तीय परिव्यय, आदि पर अभी विचार किया जाना है।

महाराष्ट्र में कागज मिलें

5847. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज मिलों की अधिक संख्या वाले राज्यों में, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है ;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों में खोई का कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके कितनी मात्रा में कागज उत्पादित किया जाता है और कितनी मात्रा में आयातित लुगदी से तैयार किया जाता है और कितनी मात्रा में आन्तरिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है ;

(ग) आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है और अखिल भारतीय औसत उत्पादकता की तुलना में इन मिलों की उत्पादकता कितनी है ; और

(घ) क्या खोई, जिसके अधिकांश भाग को इस समय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, के प्रयोग में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). महाराष्ट्र राज्य में 1987 के दौरान मुख्य कच्चे माल के रूप में खोई के आधार पर कागज का उत्पादन अनुमानतः 56,000 टन है। आयात नीति (1985-88) के अनुसार सामान्य खुले लाइसेंस के अन्तर्गत खोई की लुगदी सहित कागज के ग्रेड की लुगदी का आयात करने की अनुमति है। अतः आयातित खोई की लुगदी की मात्रा तथा इस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। खोई की लुगदी के मूल्य को देखते हुए आयात की मात्रा नगण्य होगी। देश में खोई पर आधारित कागज मिलों के बारे में उद्योग मन्त्रालय द्वारा अलग से कोई उत्पादकता परिमाप नहीं रखे जाते हैं।

(घ) कागज उद्योग में खोई को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने अनेक राहतें तथा रियायतें दी हैं। इनमें खोई से बने उस कागज पर है जिसमें लुगदी में खोई का वजन 75 प्रतिशत से कम न हो, उत्पादन शुल्क से पूरी छूट और जिसमें कृषि अपशेष, रद्दी और खोई से लिखाई, छपाई तथा लपेटने के कागज के विनिर्माण को लाइसेंस मुक्त किया जाना भी शामिल है।

विद्युत चोरी को रोकने हेतु विशेष किस्म के कंडक्टर लगाना

5848. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिजली की लाइनों से बिजली की चोरी की गम्भीर स्थिति से निबटने के लिए विशेष प्रकार के कंडक्टर लगाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कंडक्टरों का प्रयोग सभी राज्यों में किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो इससे बिजली की चोरी किस सीमा तक रुक पाई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) सभी एल्यूमिनियम मिश्रित धातु कन्डक्टर्स के उपयोग करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। इस प्रकार के कंडक्टर्स के उपयोग का एक फायदा यह है कि इससे विद्युत कंडकक्टर्स की चोरी का पता लग जाता है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने सभी राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण विद्युत लाइनों में इन कन्डक्टर्स का उपयोग किए जाने की सलाह दी है। कुछ राज्य बिजली बोर्डों ने इन कन्डक्टर्स को प्राप्त करने सम्बन्धी कार्रवाई आरम्भ भी कर दी है।

(ग) एल्यूमिनियम मिश्रित धातु कन्डक्टर्स के उपयोग से विद्युत की चोरी का पता लगाने में सहायता नहीं मिलती बल्कि इससे विद्युत कन्डक्टर्स की चोरी का पता लगाने में सहायता मिलती है।

निवेश छूट के सम्बन्ध में एसोसिएशन आफ चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

5849. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि या तो निवेश छूट पुन: आरम्भ की जाए अथवा उद्योगों को निवेश छूट और निवेश जमा योजना में से किसी एक चुनने का विकल्प प्रदान किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की एसोसिएशन आफ चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री से इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रामागुण्डम ताप बिजली केन्द्र

5850. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुण्डम स्थित ताप बिजली निगम के 500 मेगावाट यूनिट, जिससे बिजली उत्पादन और वर्ष की शेष अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी वाले दक्षिण राज्यों को सप्लाई सुनिश्चित होगी, के निर्माण में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जानी थी; और

(ग) सिगरैनी परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं और विलम्ब के कारण कुल कितनी हानि हुई ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना की 500 मेगावाट की पहली यूनिट को कार्यक्रम के अनुसार जुलाई, 1988 में चालू किए जाने की आशा है। सम्बद्ध पारेषण प्रणाली सहित परियोजना (3 × 200 मेगावाट + 3 × 500 मेगावाट) को अनुमोदित लागत 1702.16 करोड़ रु० है।

(ग) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना से लिंक मैसर्स सिगरैनी कोलरीज कम्पनी लि० की तीन खनन परियोजनाओं का कार्य, विभिन्न घटकों यथा कठिन स्तर एवं भू-खनन परिस्थितियां तथा खान के अन्दर ही तुड़ाई का कार्य करने की नई प्रौद्योगिकी का चयन किए जाने, जिसे देश में पहली बार लागू किए जाने का प्रस्ताव है के कारण, पिछड़ गया है। 1980-90 तथा इससे आगे की अवधि के लिए परियोजना की कोयले की आवश्यकताओं को, सिगरैनी कोलरीजी कम्पनी लि० की अन्य खानों से, पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

सिक्कम में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

5851. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्कम में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की संख्या कितनी है ;

(ख) खाना पकाने की गैस के नये कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सिक्कम सरकार ने पहाड़ी क्षेत्र में इंधन अथवा इंधन की लकड़ी के लिए जंगलों की कटाई को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार को खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की मांग में वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). 1 फरवरी, 1988 को सिक्किम में 3800 एल० पी० जी० के उपभोक्ता थे तथा 700 व्यक्ति एल० पी० जी कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ग) और (घ). सरकार सिक्कम सहित पूरे देश में एल० पी० जी० कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग तथा वन सम्पदा के संरक्षण के प्रति सजग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एल० पी० जी० की सुविधाएं वितरकों के नेटवर्क को बढ़ाकर दी जा रही हैं/जाती रहेंगी, बशर्ते कि इस उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि हो तथा सम्बन्धित स्थान पर एल० पी० जी० के विपणन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य मांग आदि के सम्भावना तत्व मौजूद हों।

सिक्किम के लिए दी गई केन्द्रीय निवेश सहायता

5852. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य में उन अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्रीय निवेश सहायता के लिए चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कुल कितनी धनराशि की सहायता जारी की गई और वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग). समूचा सिक्किम राज्य केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत आता है, जो 31-3-1988 तक लागू रही है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान सिक्किम को 1.11 करोड़ रु० तथा 2.77 करोड़ रु० की प्रतिपूर्ति की गई थी। राज्यों द्वारा प्रस्तुत दावों के आधार पर उन्हें केन्द्रीय राजसहायता दी जाती है तथा किसी भी राज्य के लिए अग्रिम रूप से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

मन्नाथु पदमनाभन की स्मृति में डाक टिकट जारी करना

5853. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के विख्यात सामाजिक कार्यकर्त्ता, मन्नाथु पदमनाभन पर एक डाक टिकट

जारी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब जारी किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जारी करने की तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है।

टायर उद्योग का विस्तार और आधुनिकीकरण

5854. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान टायर उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण की गति धीमी रही है ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग में विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्य में धीमी गति के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कनाडा की सहायता से विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5855. **श्री सोमनाथ रथ** :

श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कनाडा की सहायता से कितनी जल विद्युत परियोजनाएं और ताप विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना कहां-कहां स्थापित की गई है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना, सोपान-एक (540 मेगावाट) का 809.29 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से केनेडियन सहायता से इस समय क्रियान्वयन किया जा रहा है।

हरियाणा में नारनौल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

5856. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हरियाणा में नारनौल में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) नारनौल में अल्प शक्ति (100 वाट) के प्रस्तावित टी० वी० ट्रांसमीटर के लिए स्थान को अन्तिम रूप दे दिया गया है और मुख्य उपकरण के लिए क्रयादेश निर्माता को भेज दिया गया है।

ऊर्जा तैयार करने में कम्प्यूटरों का प्रयोग शुरू करना

5857. **श्री राधाकांत डिगाल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा योजना तैयार करने में कम्प्यूटरों का उपयोग करने की एक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई थी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). योजना आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सहित ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न संगठन अपने विभागीय कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में पिछले अनेक वर्षों से अपने क्रियाकलापों में विशेष रूप से ऊर्जा आयोजना में कम्प्यूटर सम्बन्धी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लोगों को पेट्रोल पम्पों का आबंटन

[हिन्दी]

5858. **श्री नन्दलाल चौधरी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों को पेट्रोल/डीजल पम्प आबंटित किए गए हैं;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों पर आगामी दो वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों को पेट्रोल/डीजल पम्प स्वीकृत किए जाने का विचार है; और

(ग) ऐसे पेट्रोल/डीजल पम्पों की स्थापना के लि इन जातियों के लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के मानदण्ड क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) तेल उद्योग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति श्रेणी के व्यक्तियों को पेट्रोल/डीजल पम्प का आबंटन किया है :—

	स्थान	जिला
1.	बादरवास	शिवपुरी
2.	कोठी	सतना
3.	बसना	रायपुर
4.	मोरेना-जोरा अम्बा रोड	मोरेना
5.	मंदसौर	मंदसौर

(ख) 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं के अधीन मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पेट्रोल/डीजल पम्प के आबंटन का तेल उद्योग ने प्रस्ताव किया था :—

	स्थान	जिला
1.	रनपुर बेगलोन	सतना
2.	रेहेली	सागर
3.	सिविल लाइन्स	,,
4.	अजयगढ़	पन्ना
5.	बिलासपुर	बिलासपुर
6.	खजूरी	भोपाल
7.	बिलकेसगंज	,,
8.	मंदसौर	मंदसौर
9.	अलोट	रतलाम
10.	अमला	बेतूल
11.	सिंगरौली	सिधी
12.	बनमोर	मोरेना
13.	हटपिपालिया	दीवास

इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही ये विवरणशिपें स्थापित की जा रही हैं।

(ग) मोटर-स्प्रिट/एस० एच० डी० तथा एस० के० ओ०-एल० डी० ओ० डीलरशिपों तथा एल० पी० जी० वितरणशिपों के आबंटन मे वार्षिक तथा राज्यवार आधार पर 25 प्रतिशत का आरक्षण रखा जाता है। उपयुक्तता और तुलनात्मक गुण-दोष के आधार पर सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड

द्वारा पात्र आवेदकों (जिनमें वे उम्मीदवार शामिल हैं जो उस जिले या उसके साथ के जिले के निवासी हों जहां डीलरशिप/वितरणशिप का खोला प्रस्तावित हो) में से चयन किया जाता है।

कर्नाटक में औद्योगिक एकक

[अनुवाद]

5859. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों के दौरान किस प्रकार के औद्योगिक एककों की स्थापना की गई हैं ;

(ख) उनमें से कितने-कितने अलग से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र हैं ; और

(ग) इन एककों में कितना पूंजीनिवेश किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1985 से 1987 के दौरान उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित विभिन्न उद्योगों से सम्बन्धित वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कर्नाटक राज्य को 156 औद्योगिक लाइसेन्स (कार्य जारी रखने के 44 लाइसेन्सों सहित) प्रदान किए गए थे। इनमें से 29 औद्योगिक लाइसेन्स सरकारी उपक्रमों को प्रदान किए गए थे, जबकि शेष 127 औद्योगिक लाइसेन्स गैर-सरकारी उपक्रमों/पार्टियों को दिए गए थे।

(ग) लाइसेन्स प्राप्त परियोजनाओं में किए गए पूंजीनिवेश सम्बन्धी सूचना उद्योग मन्त्रालय के, औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

टीकों की सप्लाई में कमी

5860. **श्री मुरलीधर माने : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पोलियो, खसरा, यकृत-शोथ तथा जलांतक रोगों की रोक-थाम करने वाले टीकों की सप्लाई में कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन टीकों का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) अनेक जगहों से ओरल पोलियो टीकों और एंटि-रेबीज टीकों की कमी की हाल में रिपोर्ट मिली है।

(ख) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए नए डी० पी० सी० ओ०, 1987 के उपबन्धों के अन्तर्गत हेपाटाइटिस-बी को छोड़कर सभी को मूल्य नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया है।

प्रातःकालीन दूरदर्शन कार्यक्रमों का स्तर

5861. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के प्रातःकालीन कार्यक्रम एक वर्ष के प्रसारण के पश्चात अभी भी दर्शकों में लोकप्रिय नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार का कार्यक्रमों की विषय सामग्री और स्तर पर नये सिरे से विचार करके इसे अधिक तर्कसंगत और लोकप्रिय बनाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उत्कृष्ट स्तर के नये कार्यक्रम बनाने पर विचार किया रहा है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों को दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक, युक्तिसंगत तथा लोकप्रिय बनाने के लिए उनकी कथावस्तु तथा गुणवत्ता में सुधार करने का निरन्तर प्रयास रहा है । आने वाली गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुबह के प्रेषण में हास्य तथा बच्चों की रुचि के कार्यक्रमों को शामिल करने की परिकल्पना है ।

सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लि०, आंध्र प्रदेश का विस्तार

5862. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की कोयला खान कम्पनी सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के मौजूदा कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख). सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में कोयला खानें चला रही है । इस समय खनन क्रियाकलाप तीन जिलों अर्थात्—खम्माम, करीमनगर और अदीलाबाद में फैले हुए हैं तथा इन क्षेत्रों में मौजूदा कोयला उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 17 मिलियन टन हो रहा है । वर्ष 1994-95 में कोयले का उत्पादन बढ़कर 33 मिलियन टन तक तथा 1999-2000 ई० में बढ़कर 38 मिलियन टन तक हो जाने का अनुमान है । इस अवधि के दौरान खनन क्रियाकलाप वारंगल जिले तक भी बढ़ाए जाएंगे ।

आन्ध्र प्रदेश में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

5863. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश में श्रेणी सहित किन-किन स्थानों पर खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियां/डीलरशिप खोलने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : चूंकि एल० पी० जी० वितरणशिप का वास्तव में चालू किए जाने से पूर्व विभिन्न कार्यवाहियां निहित होती हैं इसलिए यह कहना व्यवहार्य नहीं है कि 1988-89 में आन्ध्र प्रदेश में कितनी वितरणशिपें चालू हो जाएंगी । राज्य में उन स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जहां चयन की प्रक्रिया चल रही है ।

विवरण

क्रम सं०	स्थान का नाम	श्रेणी
1.	अदिलाबाद	एस. टी.
2.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	यू. जी.
3.	हैदराबाद/सिकन्दराबाद	डी. डी. पी
4.	हैदराबाद	एस. टी.
5.	हैदराबाद	पी. एच.
6.	पेड्डापल्ली	एस. सी.
7.	करनूल	पी. एच.
8.	जेड्डाहेरला	यू. जी.
9.	भैंसा	यू. जी.
10.	उर्रवाकोंडा	ओपन
11.	पालानेर	एस. सी.
12.	विजयवाडा	पी. एच.
13.	विजयवाडा (गनावरम)	एस. सी.
14.	श्रीकाकुलम	यूजी-कोर्ट केस
15.	नंदीकोठूर	डी. ई. एफ.
16.	नेलूर	एस. सी.
17.	विकाराबाद	एस. सी.
18.	पाटनचेरी	ओपन
19.	पीडिरीगुला	डी. डी. पी.
20.	भीमावरम	ओपन
21.	नरसानापेट	ओपन
22.	हजूराबाद	ओपन
23.	तिरीवूर	एस. सी.
24.	अवानीगाडा	एस. सी.

क्रम संख्या	स्थान का नाम	श्रेणी
25.	जाग्यापेट	ओपन
26.	भापाटाला	पी. एच.
27.	गुंटूर	यू. जी.
28.	वेटापालम	यू. जी.
29.	गोपालापटनम	एस. टी.
30.	इच्छापुरम	ओपन
31.	टीकाली	ओपन
32.	पेनुगोडा	ओपन
33.	गुदूर	एस. सी-कोर्ट केस
34.	रायछोटी	यू. जी.
35.	कोडक	यू. जी.

एस. सी.—अनुसूचित जाति

एम. टी.—अनुसूचित जनजाति

यू. जी.-- बेरोजगार स्नातक

पी. एच. — शारीरिक अपंग

डी. डी. पी.—विकलांग सैनिक

डी. ई. एफ.—डिफेंस

उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को हुआ घाटा

5864. **श्री हरिहर सोरन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के आधे उपक्रम घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं ;

(ग) इन सरकारी उपक्रमों में घाटा होने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) इनके कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 3 चालू उद्यम हैं जिनके पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा में स्थिति हैं, अर्थात नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लि०,

उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि० तथा पारादीप फास्फेट्स लि० । 1986-87 में इन सभी उद्यमों ने घाटा उठाया है ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) इनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा 25 फरवरी 1988 को सभा-पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1986-87 के खण्ड-1 में पृष्ठ संख्या 220 पर दिया गया है ।

उद्योग संवर्धन और निवेश निगम, उड़ीसा द्वारा संयुक्त क्षेत्र में स्थापित परियोजनाएं

5865. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग संवर्धन और निवेश निगम लि०, उड़ीसा ने संयुक्त क्षेत्र में अब तक कितनी परियोजनाएं स्थापित की हैं ;

(ख) उन परियोजनाओं में गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है ;

(ग) क्या उद्योग संवर्धन और निवेश निगम लि० का सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ऐसी कोई परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). राज्य सरकार निगम द्वारा प्रायोजित संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना उद्योग मन्त्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है ।

मै० इण्डस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० को कैलेण्डर वर्ष 1985 से 1987 के दौरान उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 11 आशय पत्र प्रदान किए गए थे । इनमें से उड़ीसा में जिला कटक के जगतपुर में वनास्पति के उत्पादन हेतु दिए गए एक आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है । प्रस्ताव है कि इस लाइसेंस का कार्यान्वयन एक संयुक्त परियोजना के रूप में "इपिनिट" वनास्पति प्रा० लि० द्वारा किया जाएगा जिसमें 26 प्रतिशत इक्विटी "इपिकोल" की, 25 सैमेंट्री एण्ड एसोसिएट (सह-प्रवर्तक) की और 49 प्रतिशत इक्विटी जनता की होगी । यह एकक अतिशीघ्र पूर्ण होने को हैं ।

केरल में केन्द्र द्वारा किया गया पूंजी निवेश

5866. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्र द्वारा किए गए पूंजी निवेश में, पिछले कुछ वर्षों से लगातार कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछली सात पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए केन्द्रीय पूंजी निवेश का पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोवा में टेलीफोन एक्सचेंज

5867. **श्री शांताराम नायक : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान, गोवा में प्रस्तावित नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों में से प्रत्येक के प्रस्तावित विस्तार कार्य के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. नए एक्सचेंज

(i) 19-2-88 को लोटूलिम में 50 लाइनों का एस० ए० एक्स० चालू किया गया।

(ii) दिवार में 50 लाइनों के एस० ए० एक्स 31-3-88 तक चालू होने की संभावना है।

(iii) बिचौलिम 200 लाइनों के एम० ए० एक्स-II के बदलने का कार्य अप्रैल के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

2. विस्तार

(i) पणजी 3600-3900 के अप्रैल, 1988 तक पूरा होने की सम्भावना है।

फीचर फिल्मों के गीतों का दूरदर्शन पर प्रसारण

5868. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'छायागीत' और 'चित्रहार' कार्यक्रमों में, विज्ञापन के रूप में किसी फिल्म के गीतों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन कितनी धनराशि लेता है ;

(ख) उपर्युक्त विज्ञापनों के द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त कुल आय का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) फीचर फिल्मों के गीतों के प्रसारण के लिए निर्माताओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) उपर्युक्त गीतों के प्रसारण के लिए निर्माताओं को पिछले तीन वर्षों के दौरान भुगतान की गई कुल धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) प्रभारित प्रायोजन शुल्क निम्नानुसार है :—

(1) राष्ट्रीय नेटवर्क में बुधवार के दिन टेलीकास्ट होने वाले 'चित्रहार' कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक गीत और नृत्य अनुक्रम के लिए 35,000 रुपए।

(2) दिल्ली से शुक्रवार के दिन टेलीकास्ट होने वाले 'चित्रहार' और बम्बई से टेली-कास्ट होने वाले 'छायागीत' में शामिल प्रत्येक गीत और और नृत्य अनुक्रम के लिए 5000 रुपए।

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

1985-86	35.55 लाख रुपए
1986-87	22.90 ,, ,,
1987-88 (फरवरी, 1988 तक)	24.40 ,, ,,

(ग) गीत और नृत्य अनुक्रमों के लिए भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाता है :—

राष्ट्रीय नेटवर्क	5000 रु० प्रति गीत
दिल्ली + अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर	1500 ,, ,, ,,
वैयक्तिक केन्द्र	500 ,, ,, ,,

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान अदा की राशि नीचे दी गई है :—

कलेंडर वर्ष	अदा की गई राशि
1985	8,95,400.00 रुपए
1986	10,23,350.00 ,,
1987	9,96,150.00 ,,

कर्नाटक में बिजली की कमी

5869. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में बिजली की कमी की जानकारी है, और यदि हां, तो वहां बिजली की कितनी कमी है ;

(ख) क्या कर्नाटक के निकट भविष्य में बिजली के मामले में आत्म-निर्भर हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उक्त राज्य में बिजली की मांग को देखते हुए उसे पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). 1987-88 के दौरान, कर्नाटक में विद्युत की कमी लगभग 0.3 प्रतिशत थी। चूंकि कर्नाटक

मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर है, अतः राज्य में विद्युत की स्थिति काफी सीमा तक जलाशयों के जल-स्तर पर निर्भर करती है। राज्य को भविष्य में भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी का सामना करना पड़ सकता है जो कि जलाशयों के जल-स्तर पर निर्भर है।

(ग) राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नई क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान क्षमता से इष्टतम उत्पादन प्राप्त करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, और ऊर्जा संरक्षण तथा मांग प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना। इसके अतिरिक्त, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से भी राज्य को इसका हिस्सा प्राप्त होगा। दक्षिण क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों की विद्युत के अनाबंटित भाग और पड़ोसी प्रणालियों से कर्नाटक को यथा-सम्भव सहायता प्रदान करना भी जारी रखा जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

5870. **श्री आर० एम० भोये : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(ग) क्या देश में इनके उत्पादन में समानुपातिक रूप से वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). देश में पेट्रोलियम उत्पादों की जो मांग/खपत 1984-85 में 38.7 मिलियन टन थी उसके 1987-88 में बढ़कर 46.21 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). पेट्रोलियम उत्पादों का जो स्वदेशी उत्पादन 1984-85 में 33.24 मिलियन टन का था उसके 1987-88 में बढ़कर 44.19 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन बढ़ाकर, शोधनक्षमता को बढ़ाकर तथा शेष को आयात द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा।

गुजरात में दूरसंचार विभाग में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक

5871. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में दूरसंचार विभाग में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक है ;

(ख) यदि हां, तो यह रोक कब से लगाई गई है तथा इस रोक को लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यह रोक कब तक उठा दी जाएगी ;

(घ) क्या इस रोक के लगाए जाने के कारण विभिन्न सर्किलों में काम इकट्ठा हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां । प्रतिबन्ध गुजरात सहित पूरे देश पर लागू होता है ।

(ख) यह प्रतिबन्ध 27-2-1987 से लगाया गया है तथापि पहले से ही भर्ती किए गए स्टाफ की नियुक्ति की जा सके, परन्तु नियुक्तियां अभी नहीं हो सकी हैं ।

(ग) जब तक कि पहले से चुने गए स्टाफ की नियुक्ति के लिए कारंवाई पूर्ण नहीं हो जाती ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

नए टेलीविजन धारावाहिक

5872. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'रामायण' जैसा कोई अन्य धारावाहिक प्रसारण के लिए प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दूरदर्शन धारावाहिक का शीर्षक क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) तथा (ख). जी, हां । दूरदर्शन ने 'महाभारत' नामक धारावाहिक को संकल्पना स्वीकृति दे दी है ।

चलचित्र अकादमी की स्थापना

5873. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'चलचित्र अकादमी' की स्थापना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित चलचित्र अकादमी के गठन का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से परामर्श किया गया है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां । तथापि, सरकार का यह मत है कि चलचित्र अकादमी जैसा नया ढांचा रखने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की अकादमी से जो कार्य किए जाने की परिकल्पना है, वे फिल्म

समारोह निदेशालय, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, बाल चित्र समिति और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पहले ही किए जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में फिल्मों का निर्माण

[हिन्दी]

5874. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीचर फिल्मों के निर्माण की संख्या निरन्तर कम हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और वर्ष 1987 के दौरान तथा उसके बाद क्रमशः कितनी फीचर फिल्मों का निर्माण किया गया और उनका किन भाषाओं में निर्माण किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बिहार में फिल्म उद्योग के विकास के लिए कोई प्रयास किए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान बिहार में निर्मित वर्षवार अधिक बजट की फिल्मों/फीचर फिल्मों के नाम क्या हैं और प्रत्येक फिल्म के निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). भारत में फिल्मों का निर्माण अविनियमित है और ज्यादातर यह निजी क्षेत्र में होता है। अतः निर्मित फीचर फिल्मों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपने द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्मों के आंकड़े रखता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कलैण्डर वर्ष 1985, 1986 और 1987 तथा 29 फरवरी, 1988 तक के दौरान प्रमाणित विभिन्न भाषाओं द्वारा विभिन्न भाषाओं की फिल्मों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सिनेमा का विषय (सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन को छोड़कर) राज्य विषय है। अतः राज्य में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पहल करना मुख्यतया सम्बन्धित राज्य सरकार का कार्य है। बिहार में, राज्य सरकार ने राज्य में फिल्म उद्योग की अभिवृद्धि की देखभाल के लिए राज्य फिल्म विकास निगम स्थगित किया है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने भी बिहार में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बिहार से आए फिल्म निर्माताओं के लिए बिहार की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनाने के लिए ऋण स्वीकृत किए हैं।

(2) बिहार राज्य में सिनेमाघरों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने ऋण स्वीकृत किए हैं।

(3) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम बिहार में उत्कृष्ट फिल्मों के समारोहों का आयोजन करता है।

(4) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम विभिन्न फिल्म सोसाइटियों के माध्यम से बिहार राज्य में अच्छी फिल्मों का प्रदर्शन करता रहा है।

विवरण

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों की संख्या

	1985	1986	1987	1988 (29-2-1988 तक)
हिन्दी	187	159	150	21
गुजराती	22	13	11	2
भोजपुरी	6	19	14	2
मराठी	16	17	27	2
पंजाबी	8	7	8	—
हरियाणवी	10	7	6	—
ब्रजभाषा	—	—	1	—
नेपाली	4	—	6	—
अंग्रेजी	1	—	1	2
उड़िया	17	17	9	5
मणिपुरी	—	1	—	—
असमिया	10	11	8	—
बंगला	28	47	35	7
तमिल	190	154	187	23
तेलुगु	198	192	163	24
कन्नड़	69	59	88	9
तुलु	—	—	1	—

	1985	1986	1987	1988 (29-2-1988 तक)
मलयालम	137	130	103	12
राजस्थानी	3	—	4	—
उर्दू	2	1	—	—
गढ़वाली	—	1	3	—
सिंधी	—	1	—	—
मैथिली	1	—	—	—
निमाडी	1	—	—	—
दिमासा	1	—	—	—
कोंकणी	1	—	—	—
अवधी	—	1	—	—
बोदो	—	2	—	—
करबी	—	1	—	—
कुमायूंनी	—	—	1	—
कुल :	912	840	806	108

जांच और पंजीयन महानिदेशक द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहारों की जांच

[अनुवाद]

5875. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच और पंजीयन महानिदेशक ने अनुचित व्यापार अवरोधक व्यापार और एकाधिकार व्यापार व्यवहारों, आदि के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में जांच की ;

(ख) जांच और पंजीयन महानिदेशक इनमें से कितने मामलों में सफल रहे तथा कितनों में असफल रहे ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कि भविष्य में विभाग ऐसे मामलों में असफल न रहे ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुचित, अवरोधक और एकाधिकार व्यापार प्रथाओं के

सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच रिपोर्टों/आवेदनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

कलेण्डर वर्ष	वर्ष के दौरान प्रस्तुत प्रारम्भिक जांचों/ रिपोर्टों/आवेदनों की संख्या
1985	54
1986	175
1987	404

इन मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के ब्यौरे संकलित करने में लगने वाला समय एवं प्रयास प्राप्त किये जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा।

सामान्यत: महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष मामलों को प्रस्तुत करने में वकीलों की सहायता लेता है।

उत्तरी विद्युत ग्रिड में नियमित विद्युत सप्लाई के लिए मानदण्ड

5876. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी विद्युत ग्रिड में विद्युत सप्लाई नियमित बनाये रखने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्तरी भारत के सभी राज्यों को समान अनुपात में निर्बाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). उत्तरी क्षेत्रीय ग्रिड में विद्युत सप्लाई के स्थिरीकरण हेतु भागीदार राज्य बिजली बोर्डों को विभिन्न कदम उठाने के लिए कहा गया है जिनमें ये शामिल हैं —उनके द्वारा अपनी-अपनी प्रणालियों में उपर्युक्त स्थानों पर कैपेसिटर्स प्रतिष्ठापित करना, व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान भार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू करना, उनके द्वारा उनको आबंटित हिस्से से अधिक विद्युत ड्रा न करना और उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के प्रचालन सम्बन्धी निर्देशों का पालन किया जाना।

कोचीन में डीज़ल जेनरेटिंग स्टेशन के लिए ईंधन का आबंटन

5877. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोचीन में प्रस्तावित

100 मेगावाट के डीजल जैनरेटिंग स्टेशन के लिए ईंधन के आबंटन हेतु केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन में प्रस्तावित 100 मेगावाट के डीजल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्वदेशी स्रोतों से एल० एस० एच० एस०/एफ० ओ० सप्लाई करने के बारे में किसी प्रकार का आश्वासन देना संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान संकेतों के अनुसार 1989-90 के बाद भी इन उत्पादों में कमी हो सकती है।

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का आधुनिकीकरण

5878. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा आधुनिकीकरण के इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है अथवा अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) ऐसे प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग). बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 28.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है।

उद्योगविहीन जिलों में उद्योगों की स्थापना

5879. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फूलबनी को जोकि एक पिछड़ा और आदिवासी जिला है, एक उद्योग-विहीन जिला माना गया है ;

(ख) क्या सरकार का सारे देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए "उद्योग विहीन जिलों" में उद्योगों की स्थापना करने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). किसी क्षेत्र के औद्योगीकरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकार का है। तथापि, केन्द्र सरकार इन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस देने में प्राथमिकता, केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त, आयकर आदि में छूट देकर इनके प्रयासों में मदद करती है। इन उद्योग रहित जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमी 25% की दर से केन्द्रीय राजसहायता पाने के पात्र हैं जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रु० है। इन उद्योग

रहित जिलों में चुने हुए विकास केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उनके विकास की कुल लागत के 1/3 के बराबर सहायता भी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा प्रति 'उद्योग रहित जिला' 2 करोड़ रुपए है।

उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के उद्योग रहित जिलों में केन्द्रीय सहायता 50 : 50 के आधार पर दी जाती है अर्थात् 4 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना में केन्द्र का अंश 2 करोड़ रुपए होगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को धनराशि का आबंटन

5880. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिए उनकी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु वर्ष 1988-89 के लिए 2350 रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है ;

(ख) उनको अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) विश्व बैंक इसके ऋण की बकाया राशि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को कब देगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) 1988-89 के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की वार्षिक योजना परिव्यय 2350 करोड़ रुपए का है।

(ख) हाइड्रोकार्बन की खोज और उसे निकालने की प्रक्रिया लगातार चल रही है तथा वार्षिक योजना परिव्यय किसी वित्तीय वर्ष के योजना खर्च से सम्बन्धित होता है।

(ग) विशिष्ट परियोजनाओं के प्रति विश्व बैंक ऋण सहायक ऋण करार के अन्तर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को उधार देने के लिए भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि परियोजनाओं पर किए गए खर्च तथा विश्व बैंक से प्राप्त प्रतिपूर्ति के आधार पर ओ० एन० जी० सी० को दी जाती है। 1988-89 की वार्षिक योजना में विभिन्न विश्व बैंक ऋणों के लिए ओ. एन. जी. सी. को 100 करोड़ रुपए की अदायगी करने की व्यवस्था है।

मथुरा और बरौनी तेल-शोधक कारखानों की शोधन क्षमता

[हिन्दी]

5881. **श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के वर्ष 1987 में 75 लाख टन की क्षमता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस तेलशोधक कारखाने ने कब से इस क्षमता का उपयोग आरम्भ किया है और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधारों पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और बरौनी में एक तेल

संयंत्र काम्पलैक्स की स्थापना के प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). 7.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता को जुलाई 1988 में ही प्राप्त किए जाने की संभावना है। इस विस्तार कार्य पर 5.50 करोड़ रु० की लागत आने की संभावना है।

(ग) सातवीं योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को फिलहाल बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा जा रहा है।

दूरसंचार विभाग द्वारा लोक शिकायत बैठक आयोजित करना

[अनुवाद]

5882. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग द्वारा 27 फरवरी, 1988 को नई दिल्ली में एक लोक शिकायत बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने के लिए बैठक में भाग लिया ;

(ग) उसी समय कितनी शिकायतें दूर की गई ;

(घ) कितने मामलों में प्राधिकारियों और लोगों को निर्देश दिए गए और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दिल्ली में ऐसी अगली बैठक कब आयोजित की जायेगी और देश में अन्य स्थानों पर ऐसी कितनी बैठकें आयोजित की गयी थीं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) इस बैठक में 62 व्यक्ति उपस्थित थे।

(ग) 48 (अड़तालीस) मामलों का निपटान उसी समय कर दिया गया था।

(घ) चूंकि शेष मामलों का सम्बन्ध अधिक राशि का बिल आने से था अतः इन बिलों की विस्तृत जांच की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें सम्बन्धित अधिकारी को विस्तृत जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अनुदेश दे दिए गए थे।

(ङ) आगामी टेलीफोन अदालत नई दिल्ली में मई, 1988 के अन्तिम सप्ताह में होनी है। इन अदालतों के जुलाई, 87 में शुरू होने की तिथि से टेलीफोन अदालतें निम्नलिखित विवरणों के अनुसार सम्पन्न हुई :—

स्थान	संख्या	प्राप्त मामले	मामलों की संख्या निर्णय
कलकत्ता	1	798	798
बम्बई	1	334	331
दिल्ली	3	752	738
बेंगलूर	1	56	56
अहमदाबाद	1	45	45
हैदराबाद	4	198	198
कानपुर	1	300	295
मद्रास	2	62	62
पुणे	1	13	13
गोवा	1	28	28

मथुरा में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को मकानों का आबंटन

[हिन्दी]

5883. **श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में डाक और तार विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी सरकारी मकानों में रह रहे हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इन सभी कर्मचारियों को मकान आबंटित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) मथुरा में काम करने वाले डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1988-89 और 1989-90 में कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) :

डाक-विभाग

(क) श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी-क 1

श्रेणी-ख	1
श्रेणी-ग	380
श्रेणी-घ	91

(ख) 9 कर्मचारी सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं।

16 कर्मचारियों को पद से सम्बद्ध किरायामुक्त क्वार्टर अलाट किए गए हैं जिनका किराया विभाग देता है।

(ग) निधि उपलब्ध न होने के कारण सभी कर्मचारियों के लिए मकान की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं है।

(घ) 1988-89 और 1989-90 के दौरान मकानों का निर्माण करने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

दूरसंचार विभाग

(क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है तथा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

शीरे का उत्पादन

[अनुवाद]

5884. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ राज्यों में शीरे का फालतू उत्पादन होता है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में इन राज्यों में शीरे का अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) शीरे का कम उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पांडिचेरी परंपरागत रूप से शीरे के मामले में आधिक्य वाले राज्य रहे हैं, जबकि हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उत्पादन इन राज्यों में आसवन के लिए मांग के लगभग बराबर रहा है। शेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र इस मामले में कमी वाले रहे हैं।

गत तीन अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान आधिक्य वाले तीन राज्यों और संघ शासित क्षेत्र में शीरे का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

मात्रा लाख टनों में

	1984-85	1985-86	1986-87
1. उत्तर प्रदेश	6.80	7.33	13.24
2. महाराष्ट्र	7.82	8.19	8.51

	मात्रा लाख टनों में		
	1984-85	1985-86	1986-87
3. बिहार	0.60	1.08	1.30
4. पाण्डिचेरी	0.135	0.237	0.31

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वेतन और भत्ते

5885. **श्री बी० तुलसीराम : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में एक समान पदों के वेतनमान तथा अन्य भत्ते भिन्न-भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की भिन्नता का ब्यौरा क्या है और उन सरकारी उपक्रमों के नाम और संख्या कितनी है, जहां इस तरह की भिन्नता है ;

(ग) सरकार द्वारा सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समान वेतन और भत्ते देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में व्यापक रूप से युक्ति-संगतता एवं तुलनीयता लाई जाए । इन कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में पूर्ण एकरूपता लाना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न आकार के 200 से ज्यादा उद्यम हैं । कामगारों से संबंधित मजदूरी समझौतों को प्रबन्धकों और कामगारों के बीच द्विपक्षीय बातचीत के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है ।

विभागोत्तर कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार

5886. **डा० ए० के० पटेल : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार विभागों के विभागोत्तर कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों में सुधार के सम्बन्ध में 27 जनवरी, 1988 से धरने पर बैठे हुए थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं और इनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). जी, हां । एक मान्यता-प्राप्त यूनियन अर्थात भारतीय अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी यूनियन ने 27-1-1988 से 29-2-1988 तक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की मांगों के निपटान के लिए धरना दिया था । यूनियन द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों तथा विभाग द्वारा उनसे सम्बन्धित उत्तर संलग्न विवरण में दे दिया गया है ।

विवरण

1. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करना :

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कार्य के निश्चित घण्टों के लिए मासिक भत्तों के आधार पर अंशकालिक तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह उनकी सेवाएं नियमित नहीं की जाती हैं। तथापि, भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पद होने पर वे परीक्षा के माध्यम से ग्रुप 'घ'/डाकिया और मेलगार्ड के पदों पर समाविष्ट होने के पात्र हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को नियमित करने का और कोई उपाय नहीं है।

2. अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को आनुपातिक वेतन की मंजूरी :

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम के बीच मूल भत्ते प्रदान किए गए हैं। उनके मूल वेतन इस व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न घटकों का गहराई से अध्ययन करने के बाद हाल ही में संशोधित हैं। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टरों के लिए न्यूनतम 40 प्वाइण्ट का कार्यभार मंजूर किया गया है और उन्हें तथा प्रत्येक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी को 240 रु० प्रतिमाह की न्यूनतम अदायगी सुनिश्चित की गई है जिसमें कार्यभार शामिल नहीं होगा। इस व्यवस्था के अनुसार काफी मात्रा में विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को लाभान्वित किया गया है। आनुपातिक वेतन की मांग इस प्रणाली में लागू नहीं की जा सकती जिसमें परिलब्धियां पूरी तरह से भिन्न कार्य प्रणाली के अनुसार निर्धारित की जाती है।

3. वास्तविक परिलब्धियों पर बोनस की मंजूरी :

यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा वास्तविक परिलब्धियों पर बोनस की मंजूरी की मांग की गई थी। इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया गया था और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को वर्ष 1986-87 के लिए मासिक परिलब्धियों के अनुसार पिछले 130 रु० के बजाय 240 रु० का वेतनमान पर अदायगी करने की सहमति की गई।

4. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को पुराने मानदण्डों के अनुसार परिलब्धियां दी जाएं :

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के कार्यभार की गणना प्वाइण्ट प्रणाली के अनुसार की जाती है। पहले प्रत्येक अतिरिक्त प्वाइण्ट के लिए अदायगी हेतु मूल भत्ते और अतिरिक्त भत्ते प्राप्त करने के लिए कुल 20 प्वाइण्ट आवश्यक थे। अब न्यूनतम भत्ते 40 प्वाइण्ट के कार्यभार से जोड़ दिए गए हैं। इस फार्मूला के अनुसार 40 प्वाइण्ट से कम कार्यभार वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को भत्ते के बतौर 275 रु० मंजूर किए जाते हैं और 40 प्वाइण्ट से ज्यादा कार्यभार वाले अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को 275 रु० से 440 रु० प्रतिमाह के बीच के भत्ते की अदायगी की जाएगी। यदि 20 प्वाइण्ट के न्यूनतम पर भत्ते निर्धारित किए जाते, तो बड़ी संख्या में अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर के भत्ते 275 रु० से कम के स्तर पर निर्धारित होते।

5. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेण्ट और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक तथा अन्य फील्ड स्टाफ द्वारा की गई यात्रा को पद यात्रा के बतौर माना जाए :

1-11-1987 से पहले नियुक्त हुए अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेण्ट और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक आदि के मूल भत्तों को संरक्षित रखा जाता है। उनके मूल भत्ते पद-बीट के

अनुसार गणना किए गए कार्यभार के आधार पर निर्धारित होते रहेंगे और वे किसी भी साइकिल भत्ते के पात्र नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में आदेश 5-1-88 को जारी कर दिए गए हैं।

6. अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वेण्डरों को संशोधन पूर्व मानदण्डों के अनुसार परिलब्धियों की अदायगी की जाएं :

मूल भत्ता कार्यभार के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसकी गणना अतिरिक्त विभागीय स्टैंप वेण्डरों के मामले में उनके द्वारा बेचे गए डाक टिकटों के अनुसार की जाती है। स्टाफ के विस्थापन को रोकने के उद्देश्य से विभाग ने संशोधन मानदण्डों को आस्थगित रखने की सहमति की है। यह कार्यभार से जुड़े कर्मचारियों के भत्तों के निर्धारण पर लागू नहीं होता है।

7. सबूर समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 20 प्रतिशत लिपिकीय पद अतिरिक्त विभागीय स्टाफ के लिए आरक्षित रखे जाएं :

इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

8. कार्य से हटाए जाने को निलम्बन माना जाए :

इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

9. 4 घण्टे से कम के लिए कोई अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी नियुक्त न किया :

अंशकालिक कर्मचारी होने के कारण अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को सामान्यतः 2 से 5 घण्टे की अवधि के लिए कार्य पर लगाया जाता है। उन्हें कार्यभार के आधार पर भत्ते अदा किए जाते हैं। उन्हें 4 घण्टे की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त करना और उसी आधार पर परिलब्धियां देना सम्भव नहीं है।

10. सभी अतिरिक्त विभागी एजेण्टों को एक श्रेणी के बतौर मानते हुए उनकी अलग यूनियन गठित करना :

इस मामले पर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रही विभिन्न यूनियनों द्वारा विचार किया जाना चाहिए और यदि वे इस मुद्दे पर किसी समझौते पर पहुंचती हैं तो उस पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। फिर भी, सेवा यूनियनों/एसोसिएशनों को मान्यता देने के नियमों पर फिलहाल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है उस पर अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही ऐसी समस्या का समाधान किया जा सकता है।

11. पोस्टमैन/ग्राम पोस्टमैन/मेल गार्ड के संवर्ग की भर्ती पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर की जाए :

इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

मानव दिनों की हानि और औद्योगिक उत्पादन में परस्पर सम्बन्ध

5887. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर मानव दिनों की हानि और औद्योगिक उत्पादन में परस्पर सम्बन्ध सकारात्मक है अथवा नकारात्मक ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख). 1978 से 1987 तक की अवधि के लिए मानव दिनों की हानि और औद्योगिक उत्पादन की तालिका में परस्पर सम्बन्ध का अनुमान लगाया गया है। कुल समस्त स्तर पर यह परस्पर सम्बन्ध आंकड़ों की दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं पाया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास दर प्रति वर्ष 8 प्रतिशत से अधिक से औसत विकास दर के लक्ष्य, जिसकी परिकल्पना सातवीं योजना में की गई थी, से उच्च स्तर पर रही है।

गुजरात में औद्योगिक परियोजनाएं

5888. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :**

श्री छीतू भाई गामित :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में अनेक औद्योगिक परियोजनाओं को सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1985 से 29 फरवरी, 1988 तक की ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान गुजरात में ऐसी और अधिक परियोजनाएं स्थापित करने सम्बन्धी योजनाओं, परियोजनाओं तथा प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कब तक स्थापित हो जाएंगी तथा इनमें कब तक उत्पादन शुरू हो जाएगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). हालांकि 1 जनवरी, 1985 से 29 फरवरी, 1988 तक सहायता प्राप्त कर रही ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं हैं, तथापि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं सहित उद्योगों एवं खनिज क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना के किए गए प्रावधानों का विवरण संलग्न है। इन परियोजनाओं द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने की प्रत्याशित तारीखें उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	उद्यम/एकक का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना में (1985-90) परिव्यय
1.	भारत परियोजना एवं विकास लि०, बड़ौदा	2.95
	(क) नई योजनाएं	1.95
	(ख) कार्यालय भवन आदि	1.00

(करोड़ रु० में)

क्र० सं०	उद्यम/एकक का नाम	सातवीं पंचवर्षीय योजना में (1985-90) परिव्यय
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि०, हजीरा परियोजना (सरकारी अंशदान)	132.71
3.	इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० बड़ौदा काम्प्लेक्स	430 40
	(क) चालू योजनाएं (प्रोपिलिन कोपोलीमर, जायलिन्स विस्तार परियोजना, एक्रीलिक फाइबर विस्तार परियोजना, डी० एम० टी० ई० विस्तार परियोजना (चरण-2) लेब विस्तार, ऊर्जा बचत योजनाएं आदि)	273.00
	(ख) एस० एण्ड टी० का प्रतिस्थापन, नवीकरण आदि	57.16
	(ग) नई योजनाएं	100.24
4.	सी० आई० पी० ई० टी०, अहमदाबाद-गुजरात विस्तार केन्द्र	0.82
5.	पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०, बड़ौदा	1.00
6.	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि०, भाण्डागार परियोजना कान्दला	1.00
7.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०	1.50
8.	भारी जल संयंत्र, हजीरा	110.00
9.	बड़ौदा में चालू परियोजनाएं (अमोनिया विनियम प्रक्रिया के लिए प्रायोगिक संयंत्र, लघु क्रेकर योजना, आवंटित आवास)	3.48
10.	नई योजनाएं (संघटक परीक्षण सुविधाएं, बड़ौदा, भारी जल संयंत्र में सुधार, औद्योगिक स्तर पर प्रायोगिक संयंत्र	11.10
	जोड़ :	694.96

ट्रांसफार्मरों में विद्युत रोधन तेलों का अनुरक्षण

5889. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रांसफार्मरों में 71 प्रतिशत खराबी ट्रांसफार्मरों विद्युत रोधन तेलों

के 'उचित' रूप से अनुरक्षण न करने के कारण पैदा होती है जिसके परिणामस्वरूप बार-बार बिजली गुल होती है ;

(ख) क्या औसतन 10 प्रतिशत ट्रांसफार्मर में खराबी विद्युत रोधन तेलों का उचित अनुरक्षण न करने के कारण होती है जबकि इसकी तुलना में विश्व में इसकी औसत एक प्रतिशत है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ट्रांसफार्मरों में विद्युत रोधन तेलों के उचित अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ट्रांसफार्मरों के फेल होने के लिए उत्तरदायी विभिन्न घटकों के नाम ये हैं : डिजाईन में कमी, उत्पादन/प्रतिष्ठापन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अभाव, अधिक भार, लाइटनिंग सर्ज, सुधारात्मक अनुरक्षण का अभाव आदि । विभिन्न घटकों के कारण फेल होने की संख्या को समुचित रूप से अलग-अलग बता पाना सम्भव नहीं है ।

ट्रांसफार्मरों में विद्युत रोधन तेल की घटिया गुणवत्ता के बारे में कुछ राज्य बिजली बोर्डों की आम शिकायत है । इनकी गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत रोधन तेल के कुछ मानदण्डों में आशोधन करते की सिफारिश की है । भारतीय मानक ब्यूरो ने यह निर्णय लिया है कि विद्युत रोधन तेल के भारतीय मानदण्डों में संशोधित मानदण्डों को समायोजित कर लिया जाए ।

चंडकान्यूक्लियस इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स की स्थापना

5890. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडका, न्यूक्लिस इंडस्ट्रियल काम्प्लैक्स के कृतिक बल ने भुवनेश्वर में डेनमार्क सरकार की सहायता से सेन्ट्रल टूल रूम प्रोजेक्ट, कलकत्ता का एक उप केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक उप केन्द्र की स्थापना बजाय एक पूर्ण सुसज्जित केन्द्र स्थापित किया जाए ;

(ग) क्या सरकार ने उप केन्द्र की स्थापना के स्थापना के स्थान के लिए स्वीकृति दे दी है और डेनमार्क से सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). जी, हां ।

(घ) डेनमार्क के एक शिष्टमण्डल ने हाल ही में इस प्रस्ताव का मूल्यांकन किया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

5891. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों ने यह मांग करते हुए 14, 15

और 16 मार्च, 1988 को तीन दिन की हड़ताल की थी कि सरकारी उद्यम कार्यालय के विद्यमान मार्ग-निदेशों को समाप्त किया जाए, कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों के आधार पर अन्तरिम राहत दी जाए, जीवनयापन लागत को निष्प्रभावित करने हेतु मंहगाई भत्ता दिया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-सरकारी करण तथा निन्दा करने की नीति को बन्द किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के श्रमिक संघों की समिति द्वारा किए गए आह्वान के आधार पर सरकारी क्षेत्र के कतिपय उद्यमों के कुछ कर्मचारियों ने 14, 15, और 16 मार्च, 1988 को हड़ताल की थी। सरकार हड़ताल को अनौचित्यपूर्ण समझती है।

आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र में पारेषण केन्द्र

5892. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र में प्रादेशिक सेवा के लिए एक नया पारेषण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू होने की सम्भावना है ;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) इस नये पारेषण केन्द्र की स्थापना से किन-किन क्षेत्रों को लाभ होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम में प्रस्तावित 50 किलोवाट शार्टवेव ट्रांसमीटर के 1990 के दौरान चालू होने के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 315.80 लाख रुपए है।

(घ) इसकी सेवा समूचे केरल राज्य तथा तमिलनाडु और कर्नाटक के भाग में भी उपलब्ध होगी।

विदेशी निवेश बोर्ड

5893. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित विदेशी कम्पनियों से पूंजी निवेश, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के प्रस्तावों की जांच करने और मंजूरी देने हेतु उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत एक विदेशी निवेश बोर्ड है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी निवेश बोर्ड का कानूनी ढांचा क्या है, जिसके अन्तर्गत यह कार्य

करता है और इसे किन नियमों के अन्तर्गत गठित किया गया है इसका अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों पर कहां तक इसका क्षेत्राधिकार है ;

(ग) इस समय इसमें कितने और कौन-कौन सदस्य हैं ;

(घ) वर्ष 1986 और 1987 में इसकी कितनी बैठकें हुई ; और

(ङ) अब तक कितने प्रस्तावों की छानबीन की गई अथवा मंजूरी दी गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख). बहुराष्ट्रिक कम्पनियों सहित विदेशी कम्पनियों के साथ विदेशी सहयोग करने के प्रस्तावों वित्तीय और/अथवा तकनीकी पर विचार करने के लिए सरकार ने एक "विदेशी निवेश बोर्ड" का गठन किया है। यह एक प्रशासनिक मंच है और किसी कानून के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार गठित नहीं किया गया है।

(ग) विदेशी निवेश बोर्ड का विद्यमान गठन संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(घ) विदेशी निवेश बोर्ड की 1986 से 21 और 1987 में 18 बैठकें हुई।

(ङ) विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा 1986 और 1987 में क्रमशः 894 और 854 प्रस्तावों पर विचार किया गया। अनुमोदित विदेशी सहयोगों सम्बन्धी ब्यौरे, जिसमें भारतीय तथा विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु और विदेशी सहयोग का स्वरूप भी दर्शाया जाता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर" के पूरक के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद-पुस्तकालय को भेजी जाती है।

विवरण

विदेशी निवेश बोर्ड का गठन

1.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य
3.	सचिव, तकनीकी विकास, डी० जी० टी० डी०	—वही—
4.	सचिव, पेट्रोलियम विभाग	—वही—
5.	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	—वही—

6.	सचिव, योजना आयोग,	सदस्य
7.	सचिव, कम्पनी-कार्य विभाग	—वही—
8.	सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	—वही—
9.	महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	—वही—
10.	प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव	—वही—
11.	भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रतिनिधि	—वही—
12.	औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग, का प्रभारी-संयुक्त सचिव,	सदस्य-सचिव

"स्वीट" आयल को "सोर" आयल में परिवर्तित करने के लिए माइक्रोआर्गेनिज्म की खोज

5894. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार "माइक्रो आर्गेनिज्म" की नई किस्म की खोज की है जिससे "स्वीट" आयल को "सोर" आयल में परिवर्तित किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख). जब तैलाशय (रिजरवायर) में भूपृष्ठ जल (सर्फेस वाटर) या अन्य कोई रसायन अन्तः क्षिप्त किया जाता है तो अक्सर तैलाशय में बड़ी मात्रा में बैक्ट्रिया को कम करने वाला सल्फेट पैदा होता है। ये बैक्ट्रियाएं तैलाशय में प्रतिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन सल्फेट (एच$_2$एस) पैदा करती हैं, जो अम्लीय होती है। इससे कुंए में प्रयोग किए जा रहे तेल क्षेत्र के उपकरणों पर जग लगने तथा तेल के उत्पादन और उठाने धरने पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

———————

।वत्त
निवेश

21'

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मत करिए। आप आईल के बीच में क्यों खड़े हैं ? आप कुर्सी पर जाइए।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : चौधरी देवीलाल, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब यू० पी० गए और दो बस लोड पुलिसमैन के लेकर गए। यू० पी० गवर्नमैंट से कोई परमीशन नहीं ली। रुल्स को वायोलेट किया है। इससे कन्फ्रन्टेशन होगा, लॉ एण्ड आर्डर की प्रोब्लम होगी। इस किस्म की सिचुएशन होगी। मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट दें।

[अनुवाद]

उस विषय में उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जवाब सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा जवाब सुनेंगे ? यह प्रश्न इन्टर-स्टेट का है। एक स्टेट का दूसरी स्टेट से है। अगर यू० पी० स्टेट शिकायत करेगी तो होम मिनिस्ट्री वाले देखेंगे।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री इसका ध्यान रखेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं इस पर गौर करूंगा। मैं निश्चय ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों के साथ परामर्श करूंगा। मैं सभी तथ्य सभा के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय हाल ही में समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि चीन ने सऊदी अरब को मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र सप्लाई किए हैं। ये प्रक्षेपास्त्र 2000 मील की दूरी तक मार कर सकते हैं और इन पर परमाणु स्फोटक शीर्ष लगाया जा सकता है। हमारे पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि सऊदी अरब अनेक मामलों में हथियारों को पाकिस्तान भेजने का माध्यम बना है। पाकिस्तान ने परमाणु बम पहले ही प्राप्त कर लिया है और मध्यम दूरी तक मार करने वाले इन प्रक्षेपास्त्रों को प्राप्त करके करके वह सम्पूर्ण भारत को अपनी मारक क्षमता के अन्तर्गत कर लेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी : जैसाकि मुझे पता चला है और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है, भारत के रक्षा मन्त्री श्री पंत ने भारत यात्रा पर आए अमरीका के रक्षा मन्त्री श्री कार्लूसी के साथ यह मामला उठाया है। इससे समस्त भू-सामरिक स्थिति बदल गई है। इसलिए, महोदय···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दें। एक मोशन मुझे लिख कर दे दें।

[अनुवाद]

तब मैं इस पर गौर करूंगा और तथ्यों का पता लगाऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : सरकार को इस सम्बन्ध में अपना विशिष्ट पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैंने उद्योग मन्त्री श्री वेंगल राव के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा, आप लिख कर दें।

[अनुवाद]

मैं इस पर विचार करूंगा और तथ्य प्राप्त करूंगा।

श्री अजित कुमार साहा : मैंने पहले ही तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये। उनका जवाब तो देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आप वहां उपस्थित थे और आपने टिप्पणी की थी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा कि मैं प्रेजेन्ट नहीं था।

[अनुवाद]

मैंने इससे इनकार नहीं किया है।

श्री हन्नान मोल्लाह : आपने यह कह कर बड़ी मेहरबानी की कि जैसाकि वह बता रहे हैं, इसे मंजूरी दे गई है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हमने आपका निदेश स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यह कहा था···

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : अब क्या हो रहा है?

श्री अजित पांजा कहते हैं कि इसे मंजूरी नहीं दी गई है। श्री तिवारी कहते हैं कि इसे मंजूरी नहीं दी गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अब श्री पांजा बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरी बात सुनिए। आपने इसकी सूचना दे दी है। मैं पता करूंगा कि उन्होंने मुझे क्या तथ्य देने हैं और तब हम विचार करेंगे।

श्री हन्नाह मोल्लाह : महोदय, आप सब कुछ जानते हैं, परन्तु स्थिति यह है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैंने उद्योग मन्त्री की बात का खंडन करने के लिए वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री अजित पांजा के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह भी मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

मैं इस पर गौर करूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उद्योग मन्त्री ने कहा है कि हल्दिया पेट्रो-रसायन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने यह दो बार कहा है **(व्यवधान)**

सभा में कही गई उनकी इस बात का मन्त्रिमण्डल स्तर का कोई अन्य मन्त्री सदन से बाहर कैसे खंडन कर सकता है? ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 75(3) का उल्लंघन करना है, जिसमें कहा गया है कि "मन्त्री-परिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।" यह एक बहुत गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

यह सभा की अवमानना है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं आपसे हाऊस का बचाव कर लूं, फिर दूसरी बात करूंगा।

[अनुवाद]

मुझे निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैठे होंगे; मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे यहां नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मन्त्री महोदय ऐसा कैसे कह सकते हैं ? उनका कहना है कि इसे पूर्णत: मंजूरी नहीं दी गई है। दो मन्त्री दो भिन्न बात कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ये दो मन्त्री दो भिन्न बातें कैसे कह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसी बात का तो मैं पता लगाऊंगा। हम तदनुसार कार्य करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक ने यह सदन में कहा है और दूसरे ने सदन से बाहर। हम सदस्य होने के नाते अपमानित महसूस करते हैं। यह सभा का अपमान है। महोदय, क्या आप मन्त्री महोदय से तथ्यों के बारे में पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी तक और क्या कह रहा हूं ?

[हिन्दी]

यही तो कह रहा हूं, श्रीमन्।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेना है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : 'नेशनल हेराल्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है कि कानपुर में कुछ लोगों ने होटल मालिकों को बच्चे बेचे हैं…

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दीजिए, मैं पता करूंगा।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक : होटल मालिकों ने उनका खून लिया और उसे बेच दिया। यह समाचार भी है कि होटल में उनका मांस भी परोसा गया (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं। इस प्रकार नहीं। आप यह मुझे दीजिए। मैं पता लगाऊंगा। कोई बहस नहीं।

श्री शांताराम नायक : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। कृपया पता लगाइए। हम नहीं जानते; पता लगाना हमारा कर्तव्य है। (**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : बिना किसी जवाबदेही के सबसे बड़े अस्पताल, जे० जे० अस्पाल में निर्दोष लोगों की जानें गई। लेंटिन रिपोर्ट से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मुझे दीजिए।

डा० दत्ता सामंत : महोदय मैंने आपको नोटिस दिया है। अनियन्त्रित भ्रष्टाचार और खुले पक्षपात का बोलबाला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत : मैंने नियम 184 के अधीन चर्चा करने के लिए सूचना दी है। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है, मैं देखूंगा। बस, बहुत हो गया।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री वेंगल राव।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बस, हो गया। यह ठीक है।

डा० दत्ता सामंत : यह संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। बिना किसी जवाबदेही के 14 लोगों की जानें गईं। (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए। मुझे तथ्य प्राप्त करने हैं। मेरी अनुमति के बिना वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसका एक भी शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)**

[हिन्दी]

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष जी, दिल्ली हिन्दुस्तान की कैपिटल है और दिल्ली में बहुत मच्छर हैं, नींद हराम हो रही है, इससे बीमारी फैलेगी। इसका इलाज करवाइए, नहीं तो यहां रहना मुश्किल हो जाएगा।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

बंगाल इम्युनिटी लि०, कलकत्ता तथा हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा और हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) (एक) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-5849/88]

(ख) (एक) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-5850/88]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 342(अ), जो 15 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वर्ष 1988 के बजट में घोषित निर्णय के अनुसार सीमेंट की वस्तुओं पर 15 प्रतिशत शुल्क की प्रभावी दर को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 343(अ), जो 15 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 53/88-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कुछ छोटे-छोटे सुधारात्मक संशोधन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-5851/88]

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 4ख की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और

शर्तें) नियम, 1988 जो 27 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० ना० 123 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 1988 जो 27 फरवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 124 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी०-5852/88]

12.07 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त हुए निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 मार्च, 1988 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 29 मार्च, 1988 को पारित अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) संशोधन विधेयक, 1988 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.07-1/2 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्री एल० पी० शाही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड 1 के उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड 1 के

उपखंड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें। इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं होंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.08 म० प०

सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए० के० पांजा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित† करता हूं।

12.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पशुओं तथा पक्षियों की बलि पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाना

[अनुवाद]

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : थाणे के एक मन्दिर में एक पुजारी द्वारा एक लड़की की बलि की रिपोर्ट से हमारी अन्तरात्मा को धक्का पहुंचना चाहिए और यह बात पता चल जानी चाहिए कि न केवल दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि बम्बई महानगर जैसे अत्यन्त सभ्य क्षेत्रों में कितने अंध-विश्वास को हमें दूर करना है। यह आशा तो हमें करनी चाहिए कि सरकार अपराधी को अवश्य ही दण्ड देगी। धार्मिक पूजा के स्थानों पर बलि, यहां तक कि जानवरों और पक्षियों की बलि रोकने के

*दिनांक 5-4-1988 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

†राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

लिए ठोस प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। केरल जैसे कुछ राज्यों में इस प्रकार की मन्दिर बलि पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राज्यों को इस बारे में एक आदर्श विधान क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए ? एक बार यदि बलि के विचार को ही अवैधानिक बना दिया जाय जिसके लिए कड़ी सजा की व्यवस्था हो तो मानव-बलि से फलने-फूलने के कथित लाभ सम्बन्धी अंध-विश्वास के लिए कम अवसर रहेगा। पुलिस से भी सर्वात्मवादियों और तान्त्रिकों, जोकि ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहने के लिए जाने जाते हैं, पर निगाह रखने के लिए कहा जाना चाहिए।

(दो) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सुधारने के लिए कदम उठाना

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

"देश में बड़े-बड़े शहरों से दूर बसे गांवों में चिकित्सा सुविधाएं नगण्य हैं तथा अपर्याप्त हैं। अभी तक सारे प्रयत्नों के बावजूद भी खोले गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र सुविधाएं उपलब्ध कराने में अक्षम रहे हैं। दूर-दराज के गांवों में यदि कहीं उप स्वास्थ्य केन्द्र या आयुर्वेदिक अस्पताल खोला गया है तो भवन नहीं है और अगर भवन बना दिया गया तो दवाइयां नहीं हैं और दवाइयां उपलब्ध हो भी जाती हैं, तो नर्स या कम्पाउण्डर या डाक्टर नहीं हैं।

पदस्थापित होने के बावजूद नर्स, कम्पाउंडर व डाक्टर ग्रामीण सेवाओं के प्रति उदासीन हैं तथा गांवों में रहकर चिकित्सा कार्य नहीं करना चाहते हैं। बड़े अधिकारी ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते है तथा दवाइयां उपलब्ध कराने में टालमटोल करते रहते हैं तथा इन केन्द्रों का उपयोग ये सिर्फ परिवार नियोजन के जिले को दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने में ही सार्थक समझते हैं। सरकारी नीति इतनी दोषपूर्ण है कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नही हो पा रही हैं। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर एक व्यापक योजना बननी चाहिए तथा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए भवन, दवाइयां उपलब्ध कराने हेतु धन का प्रावधान वार्षिक योजनाओं मे पर्याप्त रूप से रखना चाहिए तथा चिकित्सा सेवाएं आवश्यक घोषित कर ऐसी सेवाओं मे लापरवाही के जुर्म मे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करना चाहिए। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।"

12.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) पानी की कमी दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की गहरी ड्रिलिंग करने वाली मशीनों और रिगों की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता

श्री कृष्णा सिंह (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करता हूं :—

[श्री कृष्णा सिंह]

"मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के लगभग सभी जिलों में विशेषकर भिण्ड एवं दतिया जिले में लगातार तीन वर्षों के सूखे के कारण भूतल जल स्तर काफी नीचे जा चुका है और कुओं में पानी का स्तर भी नीचे गिर चुका है एवं कहीं-कहीं कुए सूख चुके हैं। अगली गर्मी में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा और जनता को पानी नहीं मिल सकेगा। अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि ऐसी संकटमय स्थिति आने से पूर्व ही मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश देकर गहरी ड्रिलिंग करने वाली मशीनें तथा रिग्ज उपलब्ध कराकर कुए गहरे कर पीने के पानी की समस्या का निराकरण करने के आदेश दिए जाएं और इसके लिए प्रदेश सरकार को धन उपलब्ध कराया जाए।"

(चार) सागर और कटनी होते हुए बीना से वाराणसी के बीच एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना

श्री नन्द लाल चौधरी (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :—

"कई वर्षों से यह जोरदार मांग रेलवे मंत्रालय से की जा रही है कि बीना, सागर, दमोह, कटनी होकर एक एक्सप्रेस ट्रेन इलाहाबाद-वाराणसी तक चलाई जाए। उपरोक्त मार्ग में बांदकपुर, चित्रकूट, मैहर और इलाहाबाद जैसे प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान पड़ते हैं। जहां लाखों श्रद्धालु धार्मिक कार्यों से एवं व्यावसायिक कार्यों से भी लगातार आते-जाते रहते हैं उपरोक्त महत्वपूर्ण स्थानों को इलाहाबाद के लिए कोई भी डायरेक्ट एक्सप्रेस ट्रेन न होने के कारण लाखों लोगों को दो-दो जंक्शनों (बीना और कटनी) पर ट्रेन बदलने में अत्यधिक परेशानी उठाने के बाद भी ट्रेन में जगह नहीं मिल पाती है। अनेक बार इस मांग की पूर्ति हेतु रेलवे मन्त्रालय से प्रार्थना की गई किन्तु कोई भी ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उक्त स्थानों के व्यापारियों एवं नागरिकों ने दिनांक 4-4-88 से रेल रोकने, चक्का जाम करने, धरना देने और नगर बन्द रखने का आन्दोलन शुरू कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त नगरों को इलाहाबाद के साथ ही बाम्बे, अहमदाबाद, उज्जैन, इन्दौर, हावड़ा आदि नगरों से डायरेक्ट एक्सप्रेस गाड़ियों से जोड़ा जाना अत्यन्त ही आवश्यक है और शीघ्र ही हो जाए।"

(पांच) गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित ओपियम एण्ड अल्कालायड फैक्टरी को पुनः चालू करने के लिए कदम उठाना

[अनुवाद]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सरकारी अफीम और एलकालायड वर्क्स, गाजीपुर, यू० पी० देश की पुरानी औद्योगिक इकाइयों में से एक है। अफीम इकाई की 1820 में और इसकी सहयोगी शाखा एल्कालायड की 1942 में स्थापना की गई थी। तब से यह विदेशी मुद्रा अर्जित कर सरकारी खजाने की आय का एक साधन और इस कारखाने के कामगरों के जीवनयापन का एक साधन बनी

हुई है। इन वर्षों में यह एक लाभ कमाने वाली इकाई थी लेकिन अब घाटे वाली इकाइयों में इसका वर्गीकरण किया जा रहा है। इस उद्योग को घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका भवन और मशीनें पुरानी है, कोयले की खपत की दर बहुत अधिक है, दिल्ली, ग्वालियर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अनावश्यक स्थापनाओं और कार्यालयों को खोला गया है और उत्पादों का मूल्य, जो उनकी उत्पादन लागत से बहुत कम है, की काफी समय से बढ़ाया नहीं गया है।

1984-85 में विदेश से आधुनिक मशीनें आयात करने पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च किया गया है परन्तु उन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

इस इकाई का आधुनिकीकरण करने और इसके तैयार उत्पादों की खपत करने वाली सहायक ईकाईयों की स्थापना करने के बजाय सरकार इस कारखाने में एक शिफ्ट को बन्द करने पर विचार कर रही है।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से इस उद्योग की समस्याओं की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि यह उद्योग अपनी पुरानी गरिमा प्राप्त कर सके।

(छः) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन आयोग के प्रतिवेदन का क्रियान्वयन

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य कि महाराष्ट्र ने कर्नाटक को बेलगाम के बदले 100 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया था, ने कर्नाटक के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है बेलगाम का प्रश्न सुलझ चुका है। केन्द्र को महाराष्ट्र को इस मुद्दे को फिर से न उठाने की सलाह होनी चाहिये। महाजन आयोग की रिपोर्ट को प्रकाशित हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इसको लागू करने के बजाय केन्द्र सरकार ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि महाजन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाये।

(सात) अनुबन्ध-समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों से केरल वापस आने वाले कामगरों के लिए निधि बनाना

श्री के० मोहनदास (मुकुन्दपुरम) : खाड़ी देशों में काम कर रहे अनेकों केरलवासी वापस लौट रहे हैं क्योंकि वहां काम के अवसर कम हो गये हैं। इन लोगों में से अधिकतर गरीब कामगर है जोकि काम की तलाश में अपनी लगभग प्रत्येक बहुमूल्य चीज बेचकर विदेश गये थे। अपने कठोर परिश्रम से उन्होंने देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वापस आने के बाद वे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। केरल भीषण बेरोजगारी का सामना कर रहा है। जहां रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों 28 लाख शिक्षित लोगों के नाम पहले से ही दर्ज हैं। इन लोगों को जो कि अपेक्षाकृत अच्छी परिस्थितियों में रहने के पश्चात अपने को नयी परिस्थिति में खपाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, काम देना राज्य की क्षमता के बाहर है। इससे राज्य में सामाजिक तनाव उत्पन्न होगा।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि अपने अनुबन्धों की समाप्ति के पश्चात वापस लौटे कामगरों के पुनर्वास के लिए एक निधि स्थापित की जाये।

(आठ) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आधारित योजना का क्रियान्वयन

[हिन्दी]

श्री भीष्म देव दुबे (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष एक खेतिहर देश है। यहां कुल आबादी का 80 प्रतिशत खेती पर निर्भर है। कुल कृषि भूमि का 90 प्रतिशत आज भी असिंचित है और वर्षा पर निर्भर है। गत वर्ष 100 वर्ष के दौरान सबसे भयंकर सूखे नें सिद्ध कर दिया है कि देश की खेती अब सिर्फ वर्षा के सहारे नहीं रह सकती।

इस स्थान पर मैं सूखाग्रस्त एवं पिछड़े क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड की दशा का वर्णन करना चाहता हूं, जहां की 80 प्रतिशत भूमि आज भी असिंचित है और जो भूमि सिंचित कहलाती है वहां भी सरकारी साधनों से सिंचाई सुनिश्चित नहीं है। गत वर्ष का सूखा इसका निश्चित प्रमाण है।

सूखा और असिंचन जैसी समस्या से निपटने के लिए सन् 1978 में यू० एन० डी० सी० के अन्तर्गत एक योजना बनाई गई थी, इसके तहत गहरे नलकूप खोदकर भूमिगत जल को सतह पर लाना था। यह महत्वाकांक्षी योजना छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जानी थी परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इसे जगह नहीं मिल सकी।

इस योजना से झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा और इलाहाबाद, बनारस तथा मिर्जापुर के पठारी भागों को लाभान्वित होना है। सर्वेक्षण से सिद्ध हो चुका है कि इस क्षेत्र के नीचे अटूट जल-सम्पदा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब इस यू० एन० डी० पी० योजना को अमली जामा पहनाने का कष्ट करे।

12.19 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

वस्त्र मन्त्रालय

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वस्त्र मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे।

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र नीति के सन्दर्भ में हमें यह भी देखना होगा कि इसके विभिन्न पहलू हैं। वर्ष 1984-85 में नई वस्त्र नीति घोषित हो जाने के पश्चात् हमने लगभग 132 करोड़ 20 लाख किलोग्राम धागे का उत्पादन किया है। वर्ष 1986-87 तक यह उत्पादन बढ़कर 152 करोड़ 60 लाख किलोग्राम हो गया लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ष 1988 में वस्त्र धागे के उत्पादन में कमी आई। कपड़े के मामले में भी यद्यपि वर्ष 1984-85 में लगभग 121 करोड़ 40 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 129 करोड़ 8 लाख मीटर हो

गया लेकिन वर्ष 1988 में उत्पादन में कमी आई। यदि हम कपास के उत्पादन की ओर देखें तो पता चलेगा कि हमने वर्ष 1985-86 में 107 लाख गांठों का उत्पादन किया लेकिन वर्ष 1987-88 में यह उत्पादन घटकर 87 लाख गांठें रह गया। यह एक नीति सम्बन्धी मामला है जिसमें हमें कपास के उत्पादन से लेकर मिल में उत्पादन तक दृढ़ रहना पड़ेगा क्योंकि वस्त्र कृषि सम्बन्धी मूल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस देश में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है।

वस्त्र से सम्बन्धित तीन श्रेणियां हैं मिलें, हथकरघे और विद्युतकरघे। सरकार की नीति ठीक ढंग से दृढ़ नहीं है। जो विभिन्न प्रकार के उपाय किये गये हैं, उनमें अनेक खामियां हैं। रुग्ण मिलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 1985-86 में लगभग 70 मिलें ही बन्द हुई थीं। वर्ष 1987 में बन्द मिलों की संख्या बढ़कर 120 और 1988 में 133 हो गई मिल क्षेत्र में वर्ष 1985 में बेरोजगारों श्रमिकों की जो संख्या 95,000 थी, वह वर्ष 1988 में बढ़कर 1,78,000 हो गई। इससे पता चलता है कि सरकार को मूल नीति और वस्त्र औद्योगिक नीति के कार्यकरण की समीक्षा करनी होगी। यदि आप हथकरघा क्षेत्र और विद्युतकरघे की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न पहलुओं के बावजूद उनमें उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। हथकरघे के व्यवसाय को नुकसान पहुंचने का कारण धागे की कमी होना है। हम भारी मात्रा में धागे का निर्यात कर रहे हैं और इस वर्ष 4 करोड़ किलोग्राम धागे के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। लेकिन भारी कमी और हथकरघा उद्योग के लिए ऊँची कीमत बड़ी भारा समस्या बने हुए हैं।

जनता कपड़े का उत्पादन मिलों में न होकर हथकरघा क्षेत्र में होने लगा है इसीलिए हथकरघा उद्योग को अपने उत्पादों के लिए निर्धारित मूल्य से भी कम कीमत लेने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वे धागे की कमी और मूल्य स्तर बनाए रखने के कारण भी उत्पादन जारी रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। मिल के बारे में, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, वर्ष प्रतिवर्ष मिलें बन्द हो रही हैं और रुग्ण मिलों की संख्या वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। यद्यपि हमने मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की है, लेकिन हमने अभी तक केवल 150 करोड़ रुपए की धनराशि का इस्तेमाल किया है। धन देने तथा इस धन का कैसे उपयोग किया जाए इसके सम्बन्ध में कोई नीति बनाई जानी चाहिए तथा यह देखने के लिए कि इन लोगों को कैसे यथाशीघ्र आगे ले जाया जा सके, उचित उपाय किये जाने चाहिए। वे इस धन का उपयोग अपनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए कर सकते हैं। जब तक हम अपनी मिलों का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं। तब तक हमारे लिए यह सम्भव नहीं होगा कि हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें, दक्षता में सुधार कर सकें और उद्योग की रुग्णता को रोक सकें।

इसका एक और पहलू भी है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में सही किस्म के लोगों का उपयोग नहीं किया जा रहा है और इन लोगों की कार्यक्षमता और उत्पादन भी उच्च स्तर का नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि ये मिल अपनी प्रौद्योगिकी कार्यकुशलता में सुधार कर लें तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम और अधिक मिलों को अपने हाथ में ले सकता है। स्टेपल धागा उद्योग के सम्बन्ध में यद्यपि सरकार ने उत्पाद शुल्क में कुछ रियायत दी है, फिर भी हम अभी भी विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस देश में जो तस्करी हो रही है मैं समझता हूं कि उसमें 3000 करोड़ रुपए की तस्करी वस्त्रों से सम्बन्धित है। यदि आप जापान, कोरिया और ताइवान आदि देशों के उत्पादन की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके उत्पादन के अधिकांश भाग की तस्करी भारत में की जा रही है। इन देशों में साड़ी का उत्पादन इस देश के उत्पादन से कहीं ज्यादा है। इन देशों में साड़ियों के उत्पादन का उद्देश्य

[श्री बी० बी० रमैया]

मुख्य रूप से हमारे देश में इन साड़ियों की तस्करी करना है। सबसे ज्यादा तस्करी हांगकांग, सिंगापुर और दुबई से होती है। यदि हम इस तस्करी पर नियंत्रण कर लें, और अपने देश में उत्पादन बढ़ा लें तो हम न केवल इन वस्तुओं से 3000 करोड़ रुपए की बचत कर लेंगे जो इस देश में तस्करी के माध्यम से लाई जा रही हैं अपितु हम मिल क्षेत्र में लगभग चार लाख लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और यदि हम इन वस्तुओं का उत्पादन विद्युतकरघों द्वारा करते हैं तो हम लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं जिससे सरकार को 1300 करोड़ रुपये से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। दुर्भाग्यवश इनमें से किसी पहलू पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया है। जब तक सरकार उचित कार्रवाई नहीं करेगी और इस पहलू को सुदृढ़ नहीं बनाएगी, तब तक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, कपड़ा उपलब्ध कराने और मूल्य स्तर बनाए रखने से सम्बन्धित मामले इस देश में एक समस्या के रूप में खड़े रहेंगे।

पहले आपने देखा होगा कि कपास का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जहां उचित रूप से मूल्य स्थिर नहीं है, वहां अनेक आत्महत्याएं हुई हैं। सरकार की अयथार्थवादी नीति के कारण कपास का उत्पादन बनाए रखना उनके लिए मुश्किल प्रतीत हो रहा है। उत्पादन की कमी होने के बावजूद वसूली मूल्य उचित नहीं है। इससे यह पता लगता है कि कहीं पर किसी बात की कमी है और हमें यह देखना है कि यह कमी कहां है। आपने कपास को भारी मात्रा में आयात करने की भी अनुमति दी है फिर भी आपने यह नहीं देखा है कि कपास उत्पादकों के लिए कपास का वसूली मूल्य उचित हो ताकि वे जीवित रह सकें। चूंकि कपास कृषि पर आधारित है, इस पर सूखा या बवंडर और अन्य प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल प्रभाव डालेंगीं। लेकिन आपने देश के इस आवश्यक और आधारभूत उत्पाद का फसल बीमा कराना उचित नहीं समझा है। ये विभिन्न पहलू हैं जिन पर मैं विचार कर रहा हूं। आपको इस तरीके से आयोजना तैयार करने में सक्षम होना चाहिए कि इस कृषि उत्पाद को ठीक प्रकार स्थिर किया जा सके और इससे उचित मूल्य मिल सकें। आपको कपास के आयात पर भी नियंत्रण रखना चाहिए जिससे इसके उत्पादक जीवित रह सकें। मेरा कहना यह नहीं है कि आप कापस का आयात न करें लेकिन किसानों के लिए वसूली मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने और उसका कपड़ा उत्पादन के लिए उपयोग कराने में सफल हैं, यदि किसी प्रकार से उत्पादन में कोई कमी होती है तब आप जितना उत्पादन कम हुआ है उतनी मात्रा में कपास का आयात कर सकते हैं। वस्तुतः हमारी नीति कपास का अधिक से अधिक उत्पादन करने की होनी चाहिए जिससे हम उसका न केवल मिलों में ही उपयोग कर सकें बल्कि उसका निर्यात भी कर सकें। दुर्भाग्यवश हम ऐसा करने में सफल नहीं हुए हैं। सरकार की नीति कपास के उत्पादन को स्थिर बनाये रखने और धागे तथा कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने की होनी चाहिए जिससे हम कपास, धागे और कपड़े का निर्यात कर सकें। इसलिए आपको योजना तैयार करनी चाहिए जिससे हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में सुधार कर सकें और अपनी सम्पूर्ण नीति की आर्थिक क्षमता तथा स्थिरता प्रदान कर सके। चूंकि हमारी नीति ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई है। इसलिए इस क्षेत्र में रुग्णता बढ़ रही है। विद्युतकरघों के मामले में विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। आपको यह पता नहीं है कि कितने विद्युतकरघों का पंजीकरण किया गया है, नीति का किस प्रकार कार्यान्वयन किया जा रहा है और क्या राज्य सरकारों को वह नीति सौंप दी गई है। यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रक्रिया का पालन करने में सफल हुई है ताकि वे आपकी बात समझ सकें। यदि इन बातों को ठीक प्रकार से ध्यान में रखा जाता है और सरकार प्रभावी कदम उठाती है तो धागे से लेकर वस्त्र तक के उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी।

लम्बे रेशों के सम्बन्ध में हम इसके उत्पादन को स्थिर बनाने में सफल नहीं हुए हैं। कई देश केवल भारत को सप्लाई करने के लिए ही लम्बे रेशे का उत्पादन कर रहे हैं। आप अधिक रोजगार देने तथा देश काराजस्व बढ़ाने की दृष्टि से उत्पादन क्षमता को क्यों नहीं बढ़ाते हैं? इसलिए इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना पड़ेगा। वस्त्र नीति की बार-बार पुनरीक्षा करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय आगामी वस्त्र नीति तैयार करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नई कपड़ा नीति की घोषणा 1985 में की गई थी। इन तीन वर्षों के अन्दर कपड़ा नीति का कपड़ा उद्योग पर क्या असर पड़ा, अगर उसकी पूरी तरह से विवेचना की जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि नई कपड़ा नीति से जो आशाएं बांधी गई थीं, वह पूरी नहीं हो सकीं।

आर्गेनाइज्ड मिल सेक्टर के बारे में, पावरलूम के बारे में और हैंडलूम के बारे में इस माननीय सदन में लगभग सभी सदस्यों ने यह बात कही कि नई कपड़ा नीति से कोई लाभ नहीं पहुंचा है। बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि तीन वर्ष पहले जब नई कपड़ा नीति लागू की गई थी तो उस वक्त कपड़ा उद्योग जिस हालत में था, उसके बाद और खराब हालत में वह हो गया है। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि नई कपड़ा नीति पर पुर्नविचार किया जाय और देखा जाय कि कहां-कहां खामियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है।

मेरे पास अधिक समय नहीं है कि मैं हर सैक्टर के बारे में कुछ कहूं, जो कपड़ा उद्योग के बारे में है। मैं केवल अपने को हैन्डलूम सैक्टर तक सीमित रखूंगा और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बुनकरों को सूती धागा, जहां वह सूती कपड़ा बनाते हैं और सिल्क का धागा, जहां वह सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, उपलब्ध नहीं हो रहा है और सूत के धागे का दाम काउण्ट के हिसाब से 20 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ चुका है और मिल भी नहीं रहा है। दाम बढ़ने के साथ-साथ उसकी उपलब्धता भी बहुत मुश्किल से हो रही है। इसका कारण यह है कि सरकार ने सूत के धागे और कपास का निर्यात करने का फैसला किया। यह फैसला क्यों किया गया, हमारे देश के बुनकरों के पेट पर लात मारकर क्यों लोगों ने इस प्रकार की नीति अपनाई और सरकार को किन लोगों ने यह सलाह दी, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। क्या हमारे बुनकर, जो खेती के बाद दूसरे सबसे बड़े पेशे में लगे हुए हैं, बेरोजगार हो जाएं, उनका काम बन्द हो जाय, उनको रोजी-रोटी के लाले पड़ जाएं और दूसरी तरफ कुछ सीमित कारणों से हम अपना सूत का धागा और कपास बाहर भेज सकें। इसमें कौन-सा तर्क था, कौन सा लोजिक था, मैं नहीं समझ सका। मैं समझता हूं कि देश में कोई नहीं समझ सका। मुझे खुशी है कि सरकार को इस बात का अहसास हुआ और उसने एक्सपोर्ट बन्द करने का फैसला किया।

इसी तरह से जो हमारी सूत बनाने वाली मिलें हैं, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हों, चाहे वह एन० टी० सी० की मिलें हों, सरकार ने कोटा निर्धारित कर दिया है कि वह हैंक यार्न बनाए, जो हैण्डलूम के हथकरघे में काम आता है लेकिन यह देखा गया है कि प्राइवेट सैक्टर की बात को अलग कर दीजिए, वह तो अपने प्रोफिट के हिसाब से ही काम करेंगी और उन पर आपका कण्ट्रोल कितना है, कितना नहीं है, वह तो आप जान सकते हैं लेकिन एन० टी० सी० की मिलें भी हैंक क्लाथ नहीं बना रही हैं जितनी उनसे हैक यार्न बनाने की की जाती है। एन० टी० सी० की मिलें भी हैक यार्न नहीं बना

[श्री जैनुल बशर]

रही हैं और यह भी एक बड़ा कारण बन गया जिसकी वजह से कि सूतों के भाव बढ़ गए और वह बुनकरों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

इसी तरह से सिल्क यार्न की बात है। सिल्क यार्न के दाम सितम्बर, सन् 1987 में 1000 रुपए प्रति किलो हो गए जबकि उसका नार्मल प्राइस 600 रुपए प्रति किलो था। सिल्क यार्न में 400 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई और सिल्क से जो कपड़ा बनता है, जो साड़ियां बनती हैं या दूसरे कपड़े बनते हैं, उनके भाव में वृद्धि नहीं हुई। मैं वाराणसी के पास का रहने वाला हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से बनारस उद्योग, जो कपड़े का एक बहुत अच्छा उद्योग था और जिसमें बनारस के मशहूर सिल्क के कपड़े और मशहूर साड़ियां जहां बनाए जाते थे, वह कितने संकट में था, कितनी परेशानियों में था। यहां तक कि वहां के इतिहास में इस प्रकार का एक अनोखा एजीटेशन बनारस में हुआ जहां 5 लाख बुनकर एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, सरकार की कोई निन्दा नहीं की, सरकार की कोई आलोचना नहीं की और 5 लाख बुनकरों ने भगवान से प्रार्थना की कि उनका संकट दूर हो…आपने अच्छा किया यह फैसला किया कि सिल्क यार्न बाहर से मंगाया जाएगा लेकिन उसका जितना आयात किया जाना चाहिए था वह नहीं हुआ, केवल 20 या 25 प्रतिशत ही सिल्क यार्न का आयात हो पाया है, इससे अधिक नहीं। दूसरी तरफ आपकी जो एजेन्सी है सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड उसने सिल्क यार्न पर दो सौ से तीन सौ रुपए प्रति किलो पर अपना लाभ रखा है। जिसका यह नतीजा होगा कि जो आयात होगा उसका दाम मेल नहीं खाएगा बाजार भाव से। मेरी समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप इस संकट को कैसे दूर करेंगे जिसको दूर करने के लिए आपने सिल्क यार्न चीन से आयात किया है और सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड ने उस पर अपना दो सौ से तीन सौ रुपए प्रति किलो अपना लाभ रखा है बाजार भाव से ऊंचा नहीं मिलेगा तो जो संकट पैदा हो गया है आप उसको कैसे दूर करेंगे। इसलिए मैं मन्त्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस मामले में विशेष ध्यान दें। सूत के यार्न के जो बुनकर हैं सिल्क के यार्न के बुनकर हैं सभी संकट में हैं। आपका हैण्डलूम कारपोरेशन है जिससे आशा की जाती है कि वह यार्न बुनकरों को उपलब्ध कराएगा। जितनी भी मिल्स हैं उनको देगा, लेकिन वह कितना काम कर रहा है, कितना उपलब्ध करा रहा है इसका नतीजा आप इससे लगा सकते हैं कि केवल 13 करोड़ रुपए का यार्न पिछले साल हैण्डलूम कारपोरेशन ने पूरे देश में दिया। चाहे वह सिल्क का धागा हो या कपास का धागा हो। जहां तक राज्यों के हैण्डलूम कारपोरेशन्स की बात है, उनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सिवाय इसके कि वह छूट को, सब्सिडी को किस तरह से हजम किया जाए इसके अलावा उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करा सकेंगे या नहीं, इसकी तरफ वह ध्यान नहीं देते हैं। अब मैं जनता धोती साड़ी के बारे में कहना चाहता हूं। बुनकरों में एक बड़ी संख्या जनता धोती बनाने के काम में लगी हुई नई कपड़ा नीति के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि मिलें अब जनता धोती नहीं बनाएगी यह काम केवल हथकरघा बुनकरों को दिया जाएगा। लेकिन जो काम मिलें करना पसन्द नहीं करतीं उसको आपने बुनकरों के पास फेंक दिया है। आपको देखना होगा कि इससे बुनकरों में कितना लाभ हो रहा है, कितना उन्हें मिल रहा है। आपने 75 पैसे प्रति मीटर पर बढ़ाए हैं। इसको भी जोड़ दिया जाए तो केवल 1… रुपए एक धोती पर मिलते है जबकि परिवार के पांच सदस्य मेहनत करके उसको बनाते हैं। सड़कों पर काम करने वाले, बोझा ढोने वाले या कुली का काम करने वाले इससे ज्यादा आमदनी कर लेते हैं। हमारे दस्तकार लोग खून-पसीना एक करके, पांच आदमी लगकर जनता धोती

बनाते हैं और उन्हें इसके बदले में सिर्फ 10 रुपए मिलते हैं। वह भी कई महीनों के बाद मिलते हैं। उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कारपोरेशन जनता धोती की पहले खरीद करता है और चार-पांच महीने के बाद भुगतान करता है। उनका यार्न खत्म हो जाता है, नतीजा यह होता है कि वह दो-चार साड़ी बेचकर बेकार हो जाते हैं और उनको किसी तरह की कोई आमदनी नहीं होती।

मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत आपने हैंडलूम क्लोथ को रिजर्वेशन देने के लिए एक कानून बनाया था, जो इस माननीय सदन में पास किया गया। उस कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था थी कि कुछ हैंडलूम क्लाथ बुनकरों के लिए सुरक्षित कर दिए जाएंगे। उनको पावरलूम सेक्टर नहीं बना पाएगा और आर्गेनाइज्ड मिल सेक्टर नहीं बना पाएगा। उसमें कुछ आर्टिकिल्स रिजर्व भी किए गए लेकिन आज नतीजा क्या है। नतीजा यह है कि पावरलूम सेक्टर ने और आर्गेनाइज्ड मिल सेक्टर ने प्रत्येक स्टेट की हाई कोर्ट से आपके इस कानून और आपके इस आदेश के खिलाफ स्टे आर्डर ले रखा है। आपने इसमें कुछ कोशिश भी की और सुप्रीम कोर्ट में यह एप्लीकेशन दी कि सभी हाई कोर्टों से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाए और सुनवाई होकर उसका फैसला हो जाए लेकिन आप कोई कार्यवाही करते, उसके पहले ही पावरलूम वालों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिया और आपकी जो रिजर्वेशन की नीति थी, आपका जो रिजर्वेशन का आदेश था, आपने जो कानून बनाया था हैंडलूम वर्कर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, वह धरा का धरा रह गया और आप उस पर अमल नहीं करने जा रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई ऐसा तरीका निकालिए, कोई ऐसा उपाय निकालिए कि जिस अच्छे मकसद से आपने हैंडलूम को प्रोटेक्शन देने के लिए जो रिजर्वेशन का आदेश दिया था, जो आपने नीति बनाई थी, उसका ठीक प्रकार से पालन हो सके और वह ठीक प्रकार से चल सके।

आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी सरकार की जो कपड़ा नीति है, उसमें सबसे अधिक जोर मुझे लगता है, पोलिएस्टर क्लोथ पर दिया जा रहा है। अभी बजट में पोलिएस्टर के धागे के बारे में काफी रियायतें दी गई हैं लेकिन मुझे यह शंका है और मुझे यह डर है कि पोलिएस्टर को दी जाने वाली ये रियायतें या पोलिएस्टर के बारे में सरकार की यह दिलचस्पी कहीं पूरी टैक्स-टाइल इण्डस्ट्री को आने वाले दिनों में ले न डूबे, कपास वाले किसानों, कपास वाले बुनकरों और उनसे धागा बनाने वालों को ले न डूबे क्योंकि पोलिएस्टर का कपड़ा ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, उसकी डूरेबिलिटी 10 गुना ज्यादा होती है कोटन के क्लोथ से और जब यह चारों तरफ मार्केट में फैल जाएगा और कन्ज्यूमर्स तक चला जाएगा, तो मुझे डर है कि जो कपास से बनने वाला कपड़ा है चाहे वह मिल वाला हो, चाहे पावरलूम वाला हो और चाहे हैंडलूम वाला हो, वह कैसे बिकेगा। इस बारे में मुझे शंका है और इस बारे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। हमारी समस्या केवल यह नहीं है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक कपड़ा पहुंचाए, कैसे अधिक से अधिक लोगों तक हम मजबूत कपड़ा पहुंचाएं। केवल यह हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या यह भी है कि कैसे हैंडलूम में लगे कपड़ों को बुनने के काम में लगे बुनकरों को या आर्गेनाइज्ड मिल्स में जो मजदूर हैं या हैंडलूम इण्डस्ट्री और दूसरे क्लाथ इण्डस्ट्री में लगे हुए लोग हैं, उनका रोजगार खत्म न हो, उनके रोजगार पर कोई आंच न आए और उनका रोजगार बाकी रहे। इस बात के लिए हमको आपस में कोई तालमेल बैठाना होगा। हमारी सरकार अनड्यू एम्फेसिस जो पोलिएस्टर क्लोथ को दे रही है, वह बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही डेंजरस है और इसका नतीजा यह निकल रहा है

[श्री जैनुल बशर]

कि सारी क्लोथ इण्डस्ट्री, चाहे वह आर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, चाहे पावरलूम हो और चाहे हैंडलूम हो, एक तरह से डूब रही है और एक तरह से क्राइसिस में है, संकट में है और दूसरी तरफ पोलिएस्टर के जो कुछ घराने हैं, जिनका नाम बार-बार आ रहा है, वे इतनी तरक्की करने जा रहे हैं कि हम जो पहले टाटा और बिरला का पुराना नाम सुनते थे, उनसे भी आगे वे बढ़ने जा रहे हैं और उनसे आगे वे निकलते जा रहे हैं। यह जो अनड्यू वेटेज आप पोलिएस्टर क्लोथ को दे रहे हैं, पोलिएस्टर के धागे को दे रहे हैं, यह पूरी की पूरी क्लोथ इण्डस्ट्री को चाहे वह सिल्क क्लोथ हो और चाहे कोटन क्लोथ हो, उसको खा जाएगा, उसको चौपट कर देंगे। इसके ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

आखिर में मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कपड़ा नीति 1985 में जारी की थी। तीन वर्षों के आधार पर, तीन वर्षों के तजुर्बे के आधार पर आप फिर से इस पर विचार करें। इसको देखा जाए कि कहां-कहां लूपहोल्स हैं, कहां गलतियां हैं, उन गलतियों का व्यापक पैमाने पर सुधार किया जाए, जिससे कि जितने लोग भी कपड़ा इण्डस्ट्री में किसी भी सेक्टर में लगे हुए हैं, जो संकट में हैं, उनका संकट दूर हो और आने वाले भविष्य के लिए उनके लिए हम कुछ कर सकें। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, इन्हें कपड़ों से क्या लेना-देना ?

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मेरे यहां बुनकरों की आबादी बहुत ज्यादा है, उनकी समस्याएं यहां पर रखनी हैं अगर आप गौर से सुनें।

डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस सिलसिले में कहना है कि कपड़े का रा मेटीरियल कपास है, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। हमने देखा है कि पहले लोग कपास की काश्त ज्यादा करते थे, लेकिन अब यह देखने में आ रहा है, खास तौर से मेरे इलाके एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फरुखाबाद में, जहां पर अब लोग कपास कम पैदा करते हैं। जहां एक ओर सरकार नई-नई चीजों पर तजुरबे कर रही है, डिमांस्ट्रेशन कराती है, तो कपास के बारे में सरकार क्यों कुछ नहीं करती, ताकि कपास की पैदावार अधिक बढ़ाई जा सके। मुख्य चीज कपड़े के लिए कपास है और उसकी पैदावार कम होगी तो कपड़ा भी कम बुना जाएगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं और टैक्स-टाइल मिनिस्टर भी यहां बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वे आपस में इस तरह से तालमेल पैदा करें, जिससे कि कपास की पैदावार ज्यादा हो, इसकी तरफ अधिक तरजीह न दी जाए। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको सुविधाएं दी जाएं, ताकि वे अच्छी और अधिक कपास पैदा कर सकें।

दूसरा मसला बुनकरों का चल रहा है। आज हम रोजाना इनकी समस्याओं के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं कि किस कदर बुनकर परेशान हैं। आज हमारे बुनकरों में से 75 प्रतिशत लोग बहुत परेशान हैं। काश्तकारों के बाद यदि हिसाब लगाया जाए तो बुनकरों का ही नम्बर आता है, लेकिन धागा न मिलने की वजह से आज ये बहुत परेशान हैं।

श्री अजय मुशरान : क्या आपने कभी हैंडलूम देखा है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मैंने सब कुछ देखा है, मैंने जबलपुर भी देखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : और जबलपुर के अजीब आदमी भी देखे हैं। (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : उपाध्यक्ष महोदय, बुनकरों का मसला बहुत गम्भीर है, बुनकर बहुत परेशान हैं। हमारे यहां एक कस्बा है ऐटा जिले में गंजनवारा, जहां पर कि बहुत बड़ी आबादी बुनकरों की है। वहां पर हथकरघा भी है और पावरलूम भी है, लेकिन उसके लिए धागा न मिलने की वजह से वे लोग बहुत परेशान हैं। न वहां पर सूत मिलता है, न वहां पर धागा मिलता है, पोलिएस्टर जरूर मिल जाता है और उसके जरिए कपड़ा बनाया जाता है, अच्छा कपड़ा बनाया जाता है। मैं चाहूंगा कि वहां पर एक सेन्टर, एक मण्डी कायम की जाए, जिससे वहां के लोग सूत और धागा खरीद सकें। धागा न मिलने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जब सन् 1985 में श्री नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तब इन्होंने केबिनेट की मीटिंग में कहा था कि अलीगंज में एक स्पीनिंग मिल खोली जाएगी, लेकिन आज तक वहां पर यह मिल नहीं खोली गई है। इस क्षेत्र में अगर स्पिनिंग मिल खुल जाए ता बुनकरों को काफी सहूलियत मिल सकती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि गजंडुडवारा कस्बे में बहुत बड़ी तादाद में बुनकरों द्वारा हैंडलूम और पावरलूम का काम किया जाता है, इसलिए वहां पर एक स्टोर कायम किया जाए, जिससे उनको उचित दर पर धागा उपलब्ध हो सके। यह सरकार की जो नीति है धागे को बाहर भेजने की यह गलत है। पहले आपको घर की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए, बाद में वाहर की बात करें। मुझे खुशी है कि सरकार ने अपनी पालिसी को चेंज किया है और वाहर धागे को नहीं भेजने का फैसला किया है। जैसाकि बताया गया है कि कई मिल्स बन्द पड़ी हैं। यह मिल मालिकों की मोनोपली है वह जब चाहते हैं मिल बन्द कर देते हैं और जब चाहते हैं खोल देते हैं। इससे हजारों मजदूर बेकार हो जाते हैं। छोटे बुनकर हैं आप उनको सहायता दें, पावर-लूम जिन्होंने लगाए हुए हैं उनको सहायता दें तो यह मिल मालिकों की कमी को पूरा कर देंगे। आप धागे के सिलसिले में जो सहूलियतें दे सकते हैं वह दें और अपनी हैंडलूम की पालिसी पर दुबारा गौर करें। तिवारी जी ने ओपनली जनता में वायदा किया था 1985 में जब वह सी० एम० थे कि वह स्पिनिंग मिल खोलेंगे, लेकिन वह अभी तक नहीं खुल पाई है। आप उसको भी देखें। मेरे जो खयालात हैं उन पर गौर करें।

[**अनुवाद**]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : महोदय, प्रत्येक सदस्य वस्त्र मिलों तथा वस्त्र मिल मालिकों के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन वास्तविक तथ्य कपास है जिसे किसान पैदा करते हैं। सरकार की नीति के अनुसार किसानों विशेषकर गुजरात में जहां केवल कपास ही पैदा होता है, कपास का उत्पादन करने वाले किसानों की भलाई और उनके अस्तित्व को देखना सरकार का कर्त्तव्य है। और यदि सरकार अपनी नई नीति के अनुसार कपास का आयात करती है तो इससे उन किसानों को बहुत हानि होगी जो मूलरूप से कपास का ही उत्पादन करते हैं।

इस वर्ष सूखे के कारण खेती करने की परिस्थितियां बहुत खराब रही हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए एक सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और सरकार को कपास उत्पादकों को सिंचाई वाले क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा के लिए अधिक सहायता और सहयोग और सहायता देनी पड़ेगी। कपास उत्पादन के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण साधक है और मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि जहां कहीं जल संसाधन सिंचाई के लिए जल उपलब्ध है सरकार को आगे आकर उस क्षेत्र के

[श्री रणजीत सिंह गायकवाड़]

किसानों की सहायता करनी चाहिए ताकि जब वे कपास की फसल बोआई करें कपास की फसल आगामी अक्तूबर, के मौसम तक तैयार हो सके जो बाजार में कपास की बिक्री का समय होता है, और उससे सरकार को कपास के आयात को बन्द करने में सहायता मिलेगी।

यदि सरकार कपास का आयात करना बन्द नहीं करती है तो सरकार को यह याद रखना चाहिए कि इससे किसानों को नुकसान होगा और इसको ध्यान में रखते हुए मैं देश के निर्धन किसानों की ओर से निवेदन करता हूं कि सरकार को आगे आकर कपास पैदा करने वाले किसानों की सहायता करनी चाहिए और उनके कपास को खरीदने तथा और कमी होने पर ही कपास का आयात करने के सम्बन्ध में सोचना चाहिए। इस वर्ष कपास का उत्पादन अच्छा रहा है। और कपास की पैदावार भी अच्छी हुई है? यह किसानों का दोष नहीं है कि कपड़ा मिलों को बन्द कर दिया गया है। अन्तः निर्धन किसानों को कठिनाई से बचाने के लिए मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष कपास का आयात करने से पहले सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा): महोदय, सरकार द्वारा स्वीकृत वस्त्र नीति से सरकार के दृष्टिकोण का पता लगता है। इसमें प्रत्येक पहलू पर सरकार की नीति का प्रतिबिम्ब है। यह नीति बुरी तरह विफल रही है। 1985 में जब वस्त्र नीति की घोषणा की गई थी, उस समय लगा था कि वस्त्र क्षेत्र में कुछ न कुछ सुधार होगा तथा सरकार इस उद्योग में कुछ सुधार करने तथा इसका नवीकरण करने में कामयाब हो जाएगी। परन्तु इसके बजाय, वर्ष 1986-87 के अन्त में अनुभव अब यह बताता है कि बन्द मिलों की संख्या जो 75 थी, अब यह संख्या बढ़कर 126 हो गई है। मौजूदा बजट प्रस्तावों में भी सरकार ने केवल कुछ ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए इस समस्या पर ध्यान दिया है जिनकी वह सहायता करना चाहती है। उसने इस क्षेत्र पर समग्र रूप से कभी ध्यान नहीं दिया और न ही वस्त्र उद्योग की दशा सुधारने के लिए किन्हीं अर्थोपायों का सुझाव दिया। एक ही व्यक्ति उनके विभाग में था। वह था रिलायन्स समूह। कर निर्धातों के रूप में की गई पेशकश की राशि 236 करोड़ रुपए बैठती है। सिन्थेटिक फाइबर के मामले में करों में दी गई छूट की राशि 236 करोड़ रुपए बैठती है। जब हम जन साधारण की समस्याओं पर दृष्टिपात करते हैं चाहे वह कपास उत्पादक हों या हथकरघा उद्योग में कामगार हों या संगठित उद्योग में काम करने वाले हों, उनकी समस्याओं के बारे में सरकार के पास न तो कोई कार्यक्रम है और न ही कोई योजना है, और इस वस्त्र नीति में उस प्रयोजन के लिए किसी भी सूत्र का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

महोदय, कृषि के बाद कपड़ा उद्योग में ही सबसे अधिक संख्या में लोग काम कर रहे हैं। जन साधारण की रोजी-रोटी ही यह है। यदि हम पिछले दो वर्षों की ही नहीं बल्कि पिछले 58 वर्षों की समीक्षा करें तो आंकड़े बताते हैं कि 1930 में जब हमारे देश में सामान्य व्यक्ति की जिसकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 50 रुपए थी, उसकी कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत 14.5 मीटर थी जबकि 58 वर्षों के बाद यह खपत घटकर 12 या 13 या 14 मीटर रह गई है।

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा): यह सही नहीं है। यह खपत 15.80 या इसके आसपास ही है।

श्री तम्पन थामस: हो सकता है। मैं मानता हूं कि यह खपत 15.1 मीटर है। सन् 1930 में, आंकड़े बताते हैं, कि यह 14 मीटर थी। अब हो सकता है यह 15.1 हो लेकिन 58 वर्षों के बाद, यदि

कपड़े की औसत खपत एक मीटर बढ़ भी गई तो हमने पिछले 58 वर्षों में इस क्षेत्र में क्या प्रगति की है ? सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या ध्यान दिया गया है ? देश के 40 प्रतिशत लोग प्रति वर्ष 2 मीटर से भी कम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिवर्ष दो मीटर कपड़े का अर्थ है कि इससे केवल दो ही लंगोटियां बन सकती हैं। इसलिए, इस देश के 40 प्रतिशत सामान्य व्यक्तियों के पास केवल दो ही लंगोटियां हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह ज्यादा जरूरी है।

श्री तम्पन थामस : जी, हां यह ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा 30 प्रतिशत लोगों के पास 9 मीटर वार्षिक से भी कम कपड़ा है। 30 प्रतिशत अन्य लोगों के पास 18 मीटर प्रतिवर्ष से अधिक है। कुल मिलाकर लोगों की आवश्यकताओं और उद्योग की आवश्यकताओं को मिलाकर देखा जाना चाहिए। उन्होंने सामान्य जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ रियायतें दी हैं जिनको वह देना चाहते थे। उदाहरण के तौर पर, रिलायन्स समूह को ही लें। 1973 में उसकी स्थिति क्या थी ? मुझे एक ऐसी सहकारी समिति के साथ काम करने का अवसर मिला है जो नियंत्रित कपड़े का कारोबार करती थी। मुझे यह भी याद है कि 1972-73 में रिलायन्स समूह सहित ये लोग किस तरह चक्कर काटते फिरते थे। वे सिर्फ कपड़े की छपाई करने वाले तथा उस सरकारी एजेंसियों को सप्लाई करने वाले एजेन्ट भर थे। बाद में उन्होंने थोक बाजार पर कब्जा कर लिया। हमारी कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। आज स्थिति क्या है ? आज चीन और कोरिया तथा अन्य देशों ने भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर कब्जा जमा लिया है। हमारा महत्व कम हो गया है ; हम आज भी उतना ही निर्यात कर रहे हैं जितना 15 वर्ष पहले किया करते थे या इससे भी कम यह मांग की कमी के कारण नहीं है। मांग बराबर है। भारत से निर्यात किए जा रहे सिले-सिलाये कपड़ों की अमरीका, यूरोप के देशों तथा अन्य तमाम देशों में भारी मांग है। वे हमारे कपड़ों को बहुत पसन्द करते हैं।

1.00 म० प०

एक समय बाजार में हमारा आधिपत्य था। अब भी हमें केवल सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात से 2,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध हुई है। यदि सरकार इस समस्या के बारे में इस दृष्टि से सोचे कि ग्रामीण जनता को रोजगार मिले और वह यह सुनिश्चित करे कि सिले-सिलाये कपड़े तैयार किए जाएं और इस काम पर उचित ढंग से निगरानी रखी जाए और हमारे देश से निर्यात किया जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से प्रतिस्पर्धा करने वाले देशों का मुकाबला करने की कोई समस्या नहीं होगी। किन्तु दुर्भाग्यवश, वे केवल उन्हीं लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी उन तक पहुंच होती है। शायद उनके दिमाग में त्रिपुरा का चुनाव या कोई और चुनाव था। यदि एक औद्योगिक घराने को 236 करोड़ रुपए की रियायत दी जाती है तो वे उसमें राजनीतिक कारणों से भागीदार हो सकते हैं। सरकार ने हमेशा यही अदूरदर्शी तरीका अपनाया है और इससे श्रमिकों तथा इस देश की आम जनता को दबाया गया है और उन्हें जीवनयापन की उचित सुविधाएं दिए बिना बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है।

उन्होंने यह पता लगाने का भी प्रयास नहीं किया है कि देश में विद्यमान 55 प्रतिशत की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इस समय वस्त्र उद्योग की कुल अधिष्ठापित क्षमता बहुत अच्छी है। किन्तु औद्योगिक समस्या यह है कि 55 प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

[श्री तम्पन थामस]

उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। इसे निष्क्रिय छोड़ दिया जाता है। इसके साथ-साथ वस्त्र बनाने में इस्तेमाल होने वाला धागा निर्यात किया जा रहा है। जब धागे और बिनौले का निर्यात किया जाता है तो उद्योग को नुकसान तो होगा ही और आप 55 प्रतिशत उत्पादन नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या तर्क है? कपास उगाने वालों को सूखे के कारण बहुत हानि हुई है। मांग की पूर्ति के लिए कपास का उत्पादन काफी नहीं है। सरकार कपास का आयात करने की सोचती है। वे उद्योग को हानि पहुंचाकर निर्यात करने की सोचते हैं और जब औद्योगिक घराने इसे नियन्त्रित करने के लिए शोर मचाते हैं तो वे उन्हें आयात लाइसेंस दे देते हैं। यह सब देश की आम जनता को हानि पहुंचा कर किया जा रहा है।

इन लोगों की सहायता करने के लिए यदि हम इन समस्याओं को देखना चाहें तो आप उस ढांचे को देखिए जिसमें यह हो रहा है। यदि आप उस ढांचे को देखें तो मैं नहीं जानता कि क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम इस मामले में लागू होता है या नहीं जो व्यक्ति मिल मालिक होगा उसका पुत्र रुई के व्यापारियों के लिए दलाल के रूप में कार्य करेगा। जो व्यक्ति रुई का व्यापारी है उसका साला धागे का व्यापारी होगा। इन औद्योगिक घरानों ने ऐसा प्रबन्ध किया है कि सरकार जो भी नीति अपनाती है वह उनके हित में होती है। यह उनके ही हाथ में रहता है। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों का पता लगायें कि ये रुई तथा धागे के दलाल क्यों मौजूद हैं। ऐसा क्यों है कि एक ही औद्योगिक घराने के हाथ में उद्योग का प्रबन्ध होता है और वह अधिष्ठापित क्षमता के 55 प्रतिशत तक का उपयोग न कर सकने वाले उद्योगों को बन्द कर देते हैं। यदि इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, यदि लोगों के लिए आवश्यक कपड़ा उपलब्ध कराने और उन्हें रोजगार दिलाने का विचार है तो सरकार को सम्पूर्ण उपलब्ध उत्पादन-क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों की स्थिति बहुत खराब है। मैं, यह उद्धृत करता हूं :—

> "रुग्ण मिलों की संख्या 1985-86 में 162 थी जो बढ़कर 1986-87 में 186 हो गई। बन्द इकाइयों की संख्या 1986 में 75 थी जो बढ़ कर सितम्बर, 1987 तक 126 हो गई। और बड़े पैमाने की कपड़ा यूनिटों के लिए आवधिक ऋणों के रूप में बकाया बैंक ऋण 1985-86 में 962 करोड़ रुपए था जो बढ़कर 1986-87 में 1,118 करोड़ रुपए हो गया।"

ऐसी स्थिति है। बैंक का धन, करदाताओं का धन, सरकार का धन, यह सारा धन ये बड़े औद्योगिक घराने ऋण के रूप में ले लेते हैं। फिर वे सारे क्षेत्र को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में यदि आप किसी उद्योगपति का इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि कोई भी किसी भी तरह से नीचे नहीं आया है।

हाल में मोदीनगर में मुझे कुछ अनुभव हुआ। वहां कुछ कारखाने बन्द थे। लगभग 30,000 दक्षिण भारतीय, विशेषकर तमिल और मलयाली लोग वहां काम करते हैं। लेकिन अब कोई दिखाई नहीं देता मोदीनगर की सारी मिलें बन्द हैं। वहां की सारी कपड़ा मिलें बन्द हैं उन्होंने खुद बंद कर रखे हैं। ऐसी स्थिति पैदा की है कि ये श्रमिक वहां न रहें। वे सब वहां से भाग गए। अब सरकार द्वारा अपनाई गई कपड़ा नीति के बहाने इन उद्योगों को इंजीनियरी की इकाइयों में या किन्हीं अन्य इकाइयों में परिवर्तित किया जा रहा है जिनमें नये लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। क्या सरकार ने इस

मामले में दखल दिया है ? पिछले पांच वर्ष से मोदीनगर की समस्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के सामने है। सरकार ने कभी भी इसके लिए समय नहीं निकाला कि मोदीनगर की समस्या को हल करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए जाएं और लोगों को रोजगार दिया जाए।

जो लोग छोड़कर चले गए हैं नियोजकों द्वारा उन्हें काफी भुगतान किया जाना है, उनकी भविष्य निधि, उनका उपदान तथा अन्य देय राशि अभी तक प्रबन्धकों के पास हैं।

सरकार ने उन्हें रुग्ण इकाइयों को अर्थक्षम बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए। अब तक कितना खर्च हुआ है ? लगभग 165 करोड़ रुपए। यह किस प्रयोजनार्थ खर्च हुआ ? क्या ऐसा कोई तरीका था जिससे बेरोजगार हुए लोगों को फिर से रोजगार दिया जाता ? कुछ ऐसे सुझाव आए थे कि उन्हें 50 से 75 प्रतिशत मजदूरी दी जाएगी और उनका पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन लगभग 1 लाख 70 हजार श्रमिक इन उद्योगों की रुग्णता के कारण बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए, मन्त्री महोदय को मेरा यह सुझाव है कि उन्हें इस परिपेक्ष्य में कि आम आदमी इसे प्राप्त कर सके और अपने उपयोग हेतु इन चीजों को खरीद करने की उनकी क्रय शक्ति हो, कपास के उत्पादन से लेकर उसकी सप्लाई, धागा निर्माण और उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने की दृष्टि से समूची समस्या का विश्लेषण करना पड़ेगा। उस क्रय शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। यह केवल कपड़ा उद्योग की कहानी है।

मन्त्री महोदय न केवल कपड़ा उद्योग बल्कि पटसन, रेशम और नारियल-जटा धागे की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। उनके मन्त्रालय को इन सभी समस्याओं को देखना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह देखने के लिए कि अधिकतम उपयोग किया जाए और आम आदमी की दृष्टि से अधिकतम सहायता दी जाए, सरकार ने इनमें से किसी भी समस्या के समाधान के बारे में प्रगति का आंकलन किया है।

मैं हथकरघा क्षेत्र की बात करता हूं। तमिलनाडु, केरल तथा अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण लोग हथकरघे से अपनी रोजी-रोटी कमाते थे। वस्त्र नीति के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़े का उत्पादन हथकरघा उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। अब क्या हुआ है ? नियन्त्रत कपड़े के लिए 2 रुपए प्रति मीटर राजसहायता दी जाती है। परन्तु उत्पादन लागत में कितनी वृद्धि हुई है ? क्या उसे निष्प्रभावी बनाया गया है ? मूल्यों में हुई वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम औद्योगिक श्रमिकों को मंहगाई भत्ता दिए जाने की मांग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तीन वर्ष पहले निर्धारित की गई 2 रुपए प्रति मीटर की राजसहायता सूती धागे, रंगाई आदि की लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में है। यह राशि कुछ भी नहीं है। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

वास्तव में, यदि आप हथकरघा क्षेत्र की सहायता करना चाहते हैं तो आपको कपड़ा निर्माण के लिए धागा तथा अन्य सामग्री रियायती दर पर निर्धारित मूल्य पर सप्लाई करनी चाहिए न कि बिचौलिए को 2 रुपए प्रति मीटर देकर जिसके आधार पर भी वह खूब धन एकत्र कर रहा है। सामग्री इस उद्योग में लगे लोगों को सीधे सप्लाई की जानी चाहिए।

मैं और भी बहुत सी बातें कहना चाहता हूं। यदि आप इन सब बातों पर गौर करें तो पाएंगे कि सरकार की नीति आम आदमी के प्रति उसके दृष्टिकोण का प्रतिबिम्ब है और यह बिल्कुल अस्पष्ट है। यह नीति गरीब लोगों के लिए नहीं है ; अपितु यह हथकरघा उद्योग के धनाढ्य वर्ग के लिए है।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो इस विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

भारत में वस्त्र उद्योग शायद सबसे पुराना और प्रतिष्ठित उद्योग है। इसमें हाथ से बुना, कताई किया हुआ और खादी कपड़ा शामिल है। दूसरी ओर भारी पूंजी लगाकर उच्च गति से आधुनिकतम ढंग से कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार इस उद्योग पर लाखों लोग निर्भर हैं और यह उद्योग बहुत ही असंगठित ढंग से स्थापित किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया माइक के समीप आएं।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : वस्त्र उद्योग ने इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मुख्यतः यह निर्यात और आयात उन्मुख उद्योग है। सरकार ने वर्ष 1985 में वस्त्र नीति की घोषणा की थी। हथकरघा, मिल और विद्युत करघा क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया है। नई वस्त्र नीति में उपभोक्ताओं को धागा सप्लाई करने, रंगों, रसायनों की सप्लाई के लिए अधिकाधिक केन्द्र खोलने तथा जरूरतमन्द लोगों को वित्तीय सहायता देने जैसे विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त डिजाइनों को आधुनिक बनाने के लिए अनेक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं तथा कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कुछ कोष भी उत्पन्न किया गया है। इसके अलावा रुग्ण उद्योगों की रुग्णता दूर करने के लिए मन्त्रालय ने उन्हें एक मुश्त धनराशि प्रदान की है और स्वस्थ उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए धन दिया गया है।

इन सभी उपायों के बावजूद अनेक कपड़ा मिलें रुग्ण हो गई हैं। इसके कारणों का सही-सही पता नहीं है लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि पुरानी मशीनरी, श्रमिक अशांति, वर्तमान मशीनों का आधुनिकीकरण न किया जाना और इसी तरह के अन्य अनेक कारणों की वजह से ऐसा हुआ है। अनेक रुग्ण इकाइयों का सरकार ने अधिग्रहण किया है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से उनको चला रही है तथा गरीब जनता में बांटने के लिए जनता कपड़ा तैयार कर रही है। यह बहुत स्पष्ट है कि ज्यादातर मिलें रुग्ण हो रही हैं और अनेक श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं तथा समस्या बहुत ही गम्भीर है। इसलिए, नई वस्त्र नीति में जो कुछ सुझाया गया है उसके अतिरिक्त अभी भी बहुत बातों पर विचार किया जाना है। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने पाया कि समस्या को हल करने के लिए सुझाव देने को हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अधिकाधिक उद्योग रुग्ण हो रहे हैं। वस्त्र मन्त्रालय द्वारा उचित कारण का पता लगाना होगा तथा उपचार की व्यवस्था करनी होगी।

विभिन्न उपायों के अतिरिक्त, सहकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के माध्यम से वित्तीय सहायता देने में वस्त्र मंत्रालय आगे आया है। छठी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसी अनेक मिलें स्थापित की गई थीं और उन मिलों में उत्पादन प्रारम्भ होने वाला है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए और आदमी आगे आ रहे हैं।

आज सोचने की पूरी विचारधारा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अधिक से अधिक उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करना होगा। सहकारी क्षेत्र में और लोग आगे आ रहे हैं। शेयर पूंजी के रूप में उन्होंने भारी धनराशि एकत्र की है। स्वीकृति पाने के लिए वे भारत सरकार के पास आए हैं। लेकिन हमें

बताया गया है कि सातवीं योजना में जो कुछ पूरा किया जाना था, उसको पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। इसलिए वस्त्र मन्त्रालय द्वारा इस बात पर प्रतिबन्ध है कि वे उन नई कताई मिलों के लिए अनुमति नहीं देंगे जो कि वे स्थापित करने जा रहे हैं।

शेयर पूंजी के रूप में उन्होंने करोड़ों रुपए एकत्र किए हैं। वे कहते हैं कि हमें अनुमति दो। हम पैसे की मांग नहीं करते। लेकिन हम काम शुरू करने को तैयार हैं। ग्रामीण लोगों को रोजगार देने-देने का यह एक रास्ता है। केवल यही नहीं, हम किसानों से धन एकत्र कर रहे हैं। ऐसी योजनाओं को प्रारम्भ करते समय हमें उस पर ध्यान देना होगा। मुख्य बात यह है कि किसानों से हम धन एकत्र कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कृषि पर आधारित उद्योग लगा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को हम बहुत रोजगार दे रहे हैं। सरकार को इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह कृषि मन्त्री और उद्योग मन्त्री—जो कि सही रूप से सम्बन्धित हैं—के साथ तुरन्त एक बैठक करें उनके साथ बैठकर लम्बित मामलों को निपटाने का प्रयास करें। कताई मिलों को स्वीकृति देनी होगी। एक ऐसी मिल हनुमानमत्ती तुल्लीना सहकार संघ, रानेबेन्नूर है। यह काफी लम्बे समय से लम्बित पड़ी है। लगभग पांच वर्ष पूर्व वे लगभग 30-40 लाख रुपए एकत्र कर चुके हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से तुरन्त ध्यान देने और यह देखने का अनुरोध करती हूं कि जो कुछ लम्बित पडा है—चाहे यह महाराष्ट्र में है, आन्ध्र प्रदेश में है या कर्नाटक मे है—उसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए और यह भी देखा जाना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को उचित रोजगार दिया जाए।

इस विषय पर दूसरी बात जिस पर मैं जोर देना चाहूंगी, वह रेशम उद्योग से सम्बन्धित है। वस्त्र उद्योग में रेशम भी शामिल है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि कर्नाटक उन पुराने राज्यों में से एक है जहां बहुत अधिक रेशम तैयार किया जा रहा है। लेकिन विश्व बैंक की सहायता के पश्चात और अधिक क्षेत्र का विकास किया गया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड भी आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य दूसरे राज्यों में क्षेत्रफल के बढ़ाने और सुधार करने में भी बहुत ध्यान दे रहा है। अतः क्षेत्रफल को बढ़ाने में और देश के अन्य भागों में अच्छी श्रेणी के रेशम का उत्पादन करने मे सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने कोयों की पूर्ति, शेड डालने तथा बीमारियों की रोकथाम आदि जैसे अनेक विकास कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मन्त्री जी से यह देखने का अनुरोध करती हूं कि चीन या अन्य देशों से कोई बिचौलिया रेशम का आयात न करे। यदि ऐसी बातों को प्रोत्साहन दिया गया तो किसान पर बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा। देश में जैसे ही आयात किया हुआ सामान आयेगा, कीमतें गिर जाएंगी और किसानों को इससे बहुत अधिक असुविधा होगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगी कि यदि रेशम के आयात की तनिक भी आवश्यकता है, तो केवल रेशम बोर्ड को ही आयात करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में व्यक्तियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि माननीय मन्त्रीजी को देश की विभिन्न भागों के रेशम उत्पादकों से ज्ञापन पर ज्ञापन मिल रहे हैं। कर्नाटक सरकार भी प्रायः दबाव डालती रही है कि केवल केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से इसे खरीदा जाना चाहिए और इसको बुनकरों में वितरित किया जाना चाहिए लेकिन विदेशों से रेशम आयात करने के लिए व्यक्तियों को नहीं कहा जाना चाहिए। रेशम उद्योग एक ग्रामोन्मुखी उद्योग है। ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और सीमान्त किसानों को इससे लाभ होता है। छोटे और सीमान्त किसानों ने लघु स्तर पर शहतूत की खेती प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त

[श्रीमती बसवराजेश्वरी]

इस फसल से उनको पैसा प्राप्त होता है। इसलिए इसको वहां फैलाया जाना चाहिए जहां इसे उगाया जा सके।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केवल यही नहीं, जब वहां 'ऊजी' मक्खियों का हमला होता है तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। यह एक गंभीर बीमारी है, समस्त फसल बरबाद हो गई। उस नाशक कीट के कारण हम वहां कई वर्ष तक कुछ भी नहीं उगा पाए। इसीलिए यह देखने के लिए कि ऐसी बीमारियां देश के अन्य भागों में न पहुंचे, कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा एहतियाती उपाय करने चाहिए तथा उन्हें ऐसे उपायों का पता भी लगाना चाहिए।

जनता कपड़े के सम्बन्ध में, मैं समझती हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा नियन्त्रित मूल्य पर जनता कपड़े का उत्पादन किया जाता है तथा यह शुल्क मुक्त भी है परन्तु मुझे डर है कि इस किस्म का कपड़ा कितने निर्धन लोगों को मिल पाएगा? कितनी सहकारी संस्थाएं उस कपड़े को निचले वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की स्थिति में हैं? बहुत सी सहकारी संस्थाएं ठप्प हो गई हैं। उनके पास यह कपड़ा खरीदने के लिए कामकाजी पूंजी नहीं है जिसके लिए वे पात्र हैं इसीलिए गरीबों को यह कपड़ा नहीं मिल रहा है। आप जो कपड़ा विभिन्न राज्यों को सप्लाई कर रहे हैं वह बहुत ही घटिया किस्म का है। मैं नहीं समझती कि कोई महिला उस साड़ी को पहन सकती है। ऐसी साड़ियां पहनने वाली महिलाओं पर मुझे तरस आता है तथा उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल है। इसीलिए उस कपड़े की गुणवत्ता तथा मजबूती में भी सुधार किया जाना चाहिए। हम इसे एक अथवा दो महिने तो पहन सकते हैं परन्तु तीसरे महिने चिथड़े-चिथड़े हो जाएगी। इसी प्रकार मजबूती के साथ-साथ डिजाइनों में भी सुधार किया जाना चाहिए। हम जहां भी जाते हैं यह देखते हैं कि प्रत्येक राज्य एक विशेष किस्म की साड़ी का उत्पादन करता है। ऐसा लगता है जैसे वे केवल वर्दियों का ही उत्पादन करते हो तथा यदि ये महिलाएं इन साड़ियां को पहनती हैं तो वे किसी गार्ड अथवा स्टाफ नर्स जैसी या कुछ ऐसी ही लगती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें आकर्षक डिजाइन तथा मजबूत कपड़ा देना चाहिए। इसीलिए, मेरा सुझाव है कि जब भी आप कपड़ा सप्लाई करें तो यह अच्छी किस्म का होना चाहिए।

एक अन्य बात यह है कि जिला स्तर पर हमारे पास चलती-फिरती गाड़ियां हैं तथा यदि हम इस कपड़े को साप्ताहिक मण्डियों में सप्लाई करें तो मैं समझता हूं कि निम्नतम स्तर के व्यक्ति को भी निश्चित रूप से यह कपड़ा सस्ते मूल्य पर मिल जाएगा। भविष्य में ऐसी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है। एक छूट योजना भी चल रही है। जब भी छूट दी जाती है, हम दुकानों पर भागते हैं किन्तु हमें पता चलता है कि छूट से केवल दो-तीन रोज पहले ही मूल्यों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। यदि हम उसी कपड़े के बारे में अन्य किसी दुकान से पूछताछ करें तो हमें पता चलता है कि यह मूल्य अन्य दुकानों से अधिक है। ऐसी बातें हो रही हैं। मैं नहीं जानती कि ये आपके ध्यान में आई हैं अथवा नहीं? किन्तु एक महिला होने के नाते मैं यह समझ सकती हूं कि यह बात सच है कि जहां भी हम जाते हैं वहीं 20 से 30 प्रतिशत की भारी आकर्षक छूट लगी होती है किन्तु हमें पता चलता है कि या तो वह कपड़ा पुराना होता है तथा कभी-कभी यह हमें बाहर से मिलने वाले कपड़े से महंगा मिलता है। इसीलिए हमें यह देखना है कि छूट का अर्थ यह हो कि जितनी भी छूट देने का हम निर्णय लें वह वास्तव में मिलनी चाहिए। ऐसी चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक परामर्शदात्री बोर्ड है जो बहुत सी चीजों की देखभाल करता है तथा इस बोर्ड में उन राज्यों को जिनमें कपास उगाई जाती है, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। भारतीय कपास निगम के बारे में मेरी अत्यधिक रुचि है। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं अर्थात तुंगभद्रा परियोजना से, जहां भारी मात्रा में कपास उगाई जाती है, क्योंकि हम वहां लम्बे रेशे, अतिरिक्त लम्बे रेशे तथा मध्यम रेशे की कपास उगाते हैं। भारतीय कपास निगम प्रतिवर्ष रायचूर तथा बेलारी के बाजार में आता है तथा हमारे क्षेत्र से भारी मात्रा में कपास खरीदता है किन्तु मैं महसूस करती हूं कि इस प्रणाली की आगे जांच होनी चाहिए। किन्तु लोगों में ऐसी धारणा है कि विभाग में बहुत सारे काम लुका-छिपी से होते हैं तथा ये भारतीय कपास निगम में भी होंगे। एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित है तथा घटिया किस्म का माल खरीदा जा रहा है तथा कोई उचित जांच अथवा श्रेणीकरण मशीन नहीं है। भारतीय कपास निगम में नमी की जांच करने के लिए कोई मशीन नहीं है। उचित श्रेणीकरण के लिए कोई उचित यन्त्र नहीं हैं। इस प्रकार से किसानों को कभी-कभी अपने माल का कम मूल्य मिलता है तथा कभी-कभी भारतीय कपास निगम को भी घाटा होता है। इसके बहुत से कारण हैं जिन्हें मैं सभा में नहीं बताना चाहती। मैं समझती हूं कि माननीय मन्त्री जी समझ जाएंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। खैर, भारतीय कपास निगम बाजार में प्रवेश कर गया है। बहुत से लोगों के लिए यह कमाई का मौसम है। इतना ही मैं कह सकती हूं। कभी-कभी भारतीय रुई निगम रुई की खरीदारी करने के बाद उसे समुचित रूप से नहीं रख पाता। कई बार इसमें आग लग जाती है। अधिकांशत: इसके तेज धूप लगने से भी लाखों रुपए की हानि हो जाती है। इसके भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए और इसकी खरीदारी में कुछ न कुछ सुधार किया जाना चाहिए। मेरी समझ से वे व्यक्ति जो इसे जिला स्तर पर खरीदते हैं, समुचित योग्यता प्राप्त एवं पर्याप्त स्तर के व्यक्ति नहीं हैं, हमें कुछ ज्यादा योग्यताप्राप्त व्यक्ति एवं पर्याप्त स्तर के व्यक्तियों को रुई की खरीद का अवसर देना चाहिए।

भारतीय रुई निगम ने केवल राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए तथा अन्य मिलों के लिए खरीदारी करता है बल्कि यह रुई का निर्यात भी करता है। मैं इस सदन में आपसे अनुरोध करता हूं कि आपको किसी भी परिस्थिति में रुई का आयात नहीं करना चाहिए। हमारे किसान तैयार हैं, हमारी जमीन केवल कपास के उत्पादन के लिए ही है। यह काली कपास मिट्टी कहलाती है। वहां कपास के सिवाय कोई अन्य फसल नहीं पैदा हो सकती। हम इसका उत्पादन करेंगे, बशर्ते कि आप कीमतों में स्थिरता लायें। आज आप चालीस काउन्ट मध्यम दर्जे की रेशेवाली कपास की जो कुछ भी कीमत दे रहे हैं, वह कीमत हमें पिछले दस वर्षों से मिल रही है। आपको हमें कुछ लाभकारी मूल्य देना चाहिए। यह एक जोखिम वाली फसल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं कि अभी हाल ही में कई किसानों की मृत्यु हो गई है क्योंकि आंन्ध्र प्रदेश पश्चिम गोदावरी तथा कृष्णा जिले में उनकी फसल बरबाद हो गई थी। यह एक जोखिम वाली फसल है। हमें फसल से कुछ मिल गया तो मिल गया अन्यथा हम पूरी तरह से बरबाद हो जाते हैं। किसान कपास का उत्पादन करने के लिए तैयार है। आपको किसी भी परिस्थिति में रुई का आयात नहीं करना चाहिए। केवल कुछ ही लोग हैं जो इसका आयात कराने का षडयन्त्र रच रहे हैं।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि वह यह देखें कि किसानों का संरक्षण हो और भारतीय रुई निगम उन्हें उससे और अधिक समर्थन मूल्य दें जो आज उन्हें दिया जा रहा है है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं वस्त्र मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वस्त्र मन्त्रालय इस समय ऐसे हाथों में है जिनको योजना तथा देश की बुनियादी आवश्यकताओं का पता है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में यह मन्त्रालय देश की आवश्यकता के अनुरूप लोगों को वस्त्र दे सकेगा। एक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वह मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करे। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता की पूर्ति करे। कपड़ा मानव की एक बुनियादी आवश्यकता है। यह उद्योग हमारे देश में अनादिकाल से चला आ रहा है। कृषि के बाद यदि देखा जाए तो इसी उद्योग में सबसे अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इस समय वस्त्र उद्योग हमारे देश में तीन प्रकार के हैं—वृहद, पावरलूम तथा हैंडलूम। मैं अपना विवेचन केवल हैंडलूम तक ही सीमित रखूंगी क्योंकि आपने समय कम दिया है। हैंडलूम इस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यदि हम यह कहें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और बीरावल से अरुणाचल तक अनेक विभिन्नताएं लिए हुए यह उद्योग आजतक जीवित है परन्तु इस उद्योग में लगे हुए जो बुनकर हैं या जो व्यक्ति इस धंधे में लगे हुए हैं उनकी दशा बहुत ही शोचनीय है। एक जमाना था, इस देश के बुनियादी उद्योग की विश्व प्रसिद्ध मलमल के बारे में आप सभी जानते हैं परन्तु धीरे-धीरे यह उद्योग क्षीण होता चला गया। आज भी यदि हम देखें तो विदेशों में हम इस उद्योग की तारीफ सुनते हैं, खास तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मैसूर की सिल्क, राजस्थान का कोटा डोरिया तथा ऊनी वस्त्र बहुत अधिक पसन्द किए जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैसूर कोटा डोरिया का एक बहुत अच्छा उद्योग है जहां की कलात्मक सुन्दर साड़ियां आज हर गृहणी, हर महिला की पसन्द है चाहे वह हिन्दुस्तान में रहती हों या हिन्दुस्तान के बाहर। जो गर्म देश हैं वहां पर इस उद्योग द्वारा बनाए गए कपड़ों के सिले सिलाए वस्त्रों को बहुत पसन्द किया जाता है। कोटा डोरिया उद्योग जो है, यह मसूरिया के नाम से प्रसिद्ध है और यह एक गांव में सीमित है, जिसको कैथून कहते हैं। उस गांव में सारे के सारे करीब-करीब बुनकर हैं और यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग है। उन बुनकरों की स्थिति बहुत खराब है। सारा परिवार एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उस कच्ची झोपड़ी में बच्चे, बच्चियां, औरतें सब मिलकर उन वस्त्रों को बुन रहे हैं और वे मुश्किल से तीन, चार दिन में एक साड़ी बुन पाते हैं और वह साड़ी 100 रुपये से कम की होती है। इस प्रकार का उद्योग यदि इस रफ्तार से चलता रहा, तो आने वाले समय में यह उद्योग चौपट हो सकता है और वहां के लोगों की स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और व्यापारियों के शोषण से इसको बचाया जाना चाहिए। होता यह है कि कच्चामाल बड़े-बड़े व्यापारी इन को देते हैं और सुन्दर कलात्मक साड़ियां सस्ते दर पर खरीद लेते हैं। राजस्थान बुनकर हथकर्घा संघ जो है, वह इनको किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। इसलिए आप आदेश दें कि राजस्थान बुनकर हथकर्घा संघ जो है, वह कोटा साड़ी उद्योग को विशेष तौर पर संरक्षण दे। इस के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि कैथून में सरकारी डिपो कायम होना चाहिए जोकि कच्चा माल उन लोगों को दे सके जैसे सूत है, रेशम है और जरी है क्योंकि जरी का काम भी बड़े सुन्दर और कलात्मक ढंग से वे साड़ियों में करते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि जो उनका तैयार माल होता है, जो उनकी साड़ियां होती हैं, उन पर 20 परसेन्ट रिबेट देना चाहिए ताकि वे इस उद्योग में नुकसान न उठाए। तीसरा निवेदन यह है कि जो राजस्थान बुनकर हथकर्घा संघ है और अखिल भारतीय स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए। चौथा सुझाव यह है कि प्रशिक्षण की

उचित व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि आज से 100 साल पहले की जो ट्रेडीशन उनकी साड़ियां बनाने की थी, उसी प्रकार की वे बनाते आ रहे हैं। ढाके के मलमल एक अंगूठी में से निकल जाती थी लेकिन यह जो साड़ी है, यह अंगूठी में से तो नहीं पर एक चूड़ी में से निकल जाती है। इतना सुन्दर यह उद्योग है और इसको प्रोत्साहन देने के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना होगा और उनको प्रशिक्षित करने की और उनको वित्तीय सहायता देने की ठीक व्यवस्था करनी होगी।

एक और निवेदन करना चाहती हूं। राजस्थान में ऊनी खादी उद्योग जो है, वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है, खास कर वेस्टर्न राजस्थान, बाड़मेर और जेसलमेर ऊनी खादी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं क्योंकि 40 प्रतिशत भेड़ें राजस्थान के इस भाग में हैं। वहां ऊन बहुत ज्यादा पैदा होती है। उस उद्योग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

मेरा एक और निवेदन है। अकोला प्रिन्ट आपने सुना होगा। चित्तौड़ जिले में अकोला नाम का स्थान है, जहां अकोला प्रिन्ट नेचुरल कलर में, पेड़ पत्तों से रंग निकाल कर — वे कैमिकल रंग नहीं होते हैं—तैयार किया जाता है। साड़ियां और दूसरे वस्त्र वहां पर वहां के लोकल आदमियों के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान शेड्यूल्ड कास्ट के अन्तर्गत बुनकर समाज आता है जो कि मोटी खादी बनाता है। सारे ग्रामीण इलाकों के लिए मल्टी-परपज वह कपड़ा होता है। वह खेती की फसलें सुखाने के काम में आता है और मेहमानों को बैठाने के काम में आता है। इस प्रकार के उद्योग को संरक्षण देने की आवश्यकता है। उनको विशेष ट्रेनिंग देकर और कच्चा माल देकर इस उद्योग को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मेरा निवेदन एक और है। रेशम का जो हैंडलूम उद्योग है, वह भी इस देश में अधिक विकसित है। खास तौर से कश्मीर और मैसूर की सिल्क देश में विख्यात है। परन्तु इनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। हमारे देश की जलवायु ऐसी है कि हम अपने देश में सेरीकल्चर को बढ़ा सकते है, कपास की खेती को बढ़ा सकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने में ये दोनों उद्योग हमारी मदद कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सेरीकल्चर को बढ़ाने के लिए प्रयास होने चाहिए और हमारे जो बेरोजगार युवक हैं, जो पार्ट टाईम काम करना चाहते हैं, उनको सेरीकल्चर के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। खास तौर से सीड हम उन्हें दे सकते हैं, शहतूत के पौधे दे सकते हैं। ये सस्ते रेट पर उनको दिए जाएं। इसको बढ़ाने के लिए राजस्थान की जलवायु बहुत उपयुक्त है। इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

कालीन उद्योग भी इस देश में बहुत विकसित हो सकता है। खास तौर से हमारी नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में भी लोग इस काम में लगे हुए हैं। मिर्जापुर के कालीन उद्योग और राजस्थान में भी इस उद्योग को यदि आप प्रोत्साहन दें तो यह विकसित हो सकता है और वहां की पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। खास तौर पर मिर्जापुर में छोटे-छोटे बच्चों को इस उद्योग में लगाया गया है। उन बच्चों से बोण्डेड लेबर की तरह काम लिया जाता है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

नई कपड़ा नीति की कई लोगों ने आलोचना की है। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूं कि आने वाले भविष्य के लिए यह सुखद स्थिति है। हमारी जो टेक्सटाईल मिलें नुकसान में जा रही हैं उनको भी इससे लाभ में किया जा सकता है। आपने पोलिस्टर यार्न में जो विशेष प्रकार की छूट दी है उससे गरीब लोग पूरा फायदा उठायेंगे ऐसी आशा है। पुरानी मशीनें होने के कारण और टेक्सटाईल मिलें घाटे में जा रही हैं या उनमें जितना प्रोफिट होना चाहिए, वह नहीं होता है; उससे हमा ृई है इसलिए बुनकरों को

[प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत]

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में टिक नहीं पाता है। हमारे कपड़े के मुकाबले में दूसरे देशों का कपड़ा सस्ता होता है। माननीय मिर्धा साहब के पास जब यह मन्त्रालय है तो निश्चित तरीके से आने वाले भविष्य में इस उद्योग की स्थिति सुधरेगी।

इसी सुखद आशा के साथ में इन मांगों का समर्थन करती हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष जी, तीन साल पहले, 1985 में नयी कपड़ा नीति का एलान किया गया था और उसको लागू किया गया था। उस समय यह समझा गया था कि कपड़ा उद्योग में जो संकट है, मिलें जो बीमार हैं, किसान जो इस उद्योग पर निर्भर करते हैं, मजदूरों का इस उद्योग से जो सरोकार है, उन सबको लाभ पहुंचेगा और आम जनता को वाजिब कीमत पर वस्त्र की पूर्ति होगी। इस नयी नीति से यह समझा गया था। हालांकि उस समय भी इस पर काफी बहस हुई थी और ज्यादातर लोगों ने उस समय भी सरकार को चेतावनी दी थी कि यह जो नयी कपड़ा नीति का निर्माण किया जा रहा है, यह बड़े-बड़े मिल-मालिकों के पक्ष में हो रहा है और इस नीति से उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जिसका कि सरकार एलान कर रही है।

अब सवाल बहस का नहीं है। अब सवाल उस तजुर्बे का है जो कि इन तीन सालों में हुआ है। उसको सामने रखते हुए सरकार को ईमानदारी से इस नीति पर नये सिर से विचार करना है। चूंकि जो बहस कल से चल रही है इस बहस के दौरान यह बात साफ तौर पर सामने आई है कि सरकार को इसमें घोर असफलता मिली है। नीतियों के लागू होने के बाद से अब तक हम उसका जायजा लें तो जून, 1985 में 70 मिलें बन्द हुई थी जिसमें 94 हजार 947 मजदूर बेकार हुए थे। जून 1986 में यह बढ़कर 75 हो गई और बेकार मजदूरों की तादाद एक लाख तेरह हजार दो सौ सैंतीस हो गई और जून 1987 में इस तरह की मिलों की तादाद 120 हो गई और बेकार मजदूरों की संख्या एक लाख पचास हजार हो गई। सितम्बर 1987 में 127 मिलें बन्द हो गईं और बेकार मजदूरों की संख्या एक लाख छियासठ हजार हो गई। अब यह कहा जाता है कि करीब-करीब 137 मिलें बन्द हैं और एक लाख अट्ठहत्तर हजार मजदूर इससे प्रभावित हुए हैं। इस बात को साबित करता है कि सरकार ने जो नीतियां बनाई उन नीतियों का क्या असर हुआ। अकेले बम्बई में चार मिलें बन्द हो चुकी हैं, इससे भी ज्यादा बन्द होने की स्थिति में हैं। उनकी जो कैपेसिटी है उस क्षमता से काफी नीचे काम हो रहा है। कई मिलों में बारे में तो यह कहा जाता है कि 25 प्रतिशत से भी कम क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है। बंगाल की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रलकाटन मिल हावड़ा जो एन० टी० सी० के अन्तर्गत आने वाली मिल है उसको डी-नोटिफाई करने का दबाव डाला जा रहा है। अनेकों मजदूरों को निकाला जा चुका है। पहली अप्रैल से एक नया वर्क शिड्यूल तैयार किया गया है जिसके अनुसार 700 मजदूरों को निकाला गया। और भी मजदूरों को निकाला जाएगा। बंगाल के ही 24 परगना में मोहनी मिल 1983 में सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था जिसमें दो हजार वर्कर काम करते थे। सरकार पर दबाव डाला गया और तब सरकार ने डी नोटिफाई करने का निश्चय किया। बिड़ला की केशोराम मिल में फरवरी 1987 से तालाबंदी है। तीन हजार वर्कर्स को निकालने का प्रयास किया जा रहा है जिसे सरकार नहीं मान रही है। सभी यूनियंस ने कोर्ट आफ इन्क्वायरी बैठाने की मांग की है। यह बातें हैं जो साबित करती हैं कि किस दिशा में टैक्सटाइल इण्डस्ट्री जा रही है। हमारे साथियों ने कहा कि कपड़ा उद्योग में जिस तरह के सेक्टर आते हैं चाहे पावरलूम हो, हैंडलूम हो, मिल हो

नुकसान न उ[illegible] नीति के साथ गहराई से जुड़ी है और देश की आबादी का बड़ा हिस्सा चाहे कपास भारतीय

उत्पन्न करने वाले हों या इसमें काम करने वाले हों ऐसे लोगों का भविष्य इस उद्योग के साथ मिला हुआ है और उस पर निर्भर करता है। फैक्टरी के मालिकों में एक अजीब सी प्रवृत्ति अब उत्पन्न हो रही है प्राइवेट, सेक्टर के लोगों में। प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी जो पूंजी है, मुनाफा है उसको इसके विकास में या इसके आधुनिकीकरण में लगा सकें। बल्कि वह दूसरे उद्योगों की ओर बढ़ रहे हैं जहां वह समझते हैं कि ज्यादा मुनाफा मिलने वाला है। ऐसी हालत में फैक्टरी की जमीन को बेचने की प्रवृत्ति भी शामिल है और भी बहुत-सी बातें चल रही हैं जो इसके संकट के परिचायक हैं। इस तरह से नेगलेक्ट हो रहे और नीति के लागू होने या नहीं होने के चक्कर में रहे तो देश का भविष्य अन्धकारमय होगा। आवश्यकता इस बात की है और लम्बे समय से मांग की जा रही है कि टैक्स-टाइल इण्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया जाए। सरकार इसको अपने हाथ में बड़ी दिलेरी और बहादुरी के साथ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ले और इसके चलाने की गारण्टी उसे लेनी चाहिए। तब देश का भविष्य इससे सुधर सकता है और इससे लगे किसानों और मजदूरों के भविष्य की गारन्टी की जा सकती है और आम जनता को सस्ता कपड़ा मुहैया किया जा सकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हाल ही में 29 फरवरी को बोट क्लब पर बुनकरों का एक प्रदर्शन बड़ा हुआ। इतने साल की आजादी के बाद भी आज जिस परिस्थिति में हमारे देश का बुनकर रह रहा है, केन्द्रीय सरकार की ओर से जो सहूलियत उसे दी जाती है चाहे वह जनता साड़ी और निर्माण के सिलसिले में छूट की बात हो या और मामले हों, मैं समझता हूं कि आम बुनकरों तक वह नहीं पहुंच पाती है। एक तरफ तो हैंडलूम और पावरलूम को विकसित करने की बात करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और दूसरी ओर हमारे बिहार की हालत बहुत खराब है, दूसरे राज्य की बात मैं नहीं कहता। बड़े पैमाने पर बुनकरों में भुखमरी है, उनको काम नहीं मिलता है और जो पैसा रिबेट या सबसिडी के रूप में देते हैं, वह पैसा केवल कागज पर ही रहता है और कपड़े की बुनाई तथा बिक्री दिखा दी जाती है और असल में कपड़ा तैयार नहीं होता है। असल में उत्पादन नहीं हो रहा है बल्कि उस पर आश्रित लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और मुट्ठीभर लोग जो कोआपरेटिव चलाने वाले हैं, उसका शेयर खा रहे हैं। सूत के दामों में वृद्धि और नयी टैक्सटाइल पालिसी के खिलाफ बुनकरों का जो धरना हुआ था उनकी मांग थी कि नयी टैक्सटाइल नीति को समाप्त किया जाए, काटन सिल्क, स्टेपल तथा पालिएस्टर सूतों एवं डाइज और केमिकल के दामों में कमी की जाए, केन्द्रीय अनुदान में इजाफा किया जाए तथा लम्बी अवधि का सूद बगैर कर्ज के दिया जाए जिसमें प्रति हैंडलूम 15000 रु० तथा प्रति पावरलूम 25000 रु० हो। शिवरमन कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए, बुनकरों के तमाम कर्जों को माफ किया जाए, कीमतों के निर्धारण के लिए केन्द्रीय स्तर पर बुनकरों के प्रतिनिधियों को लेकर उच्चस्तरीय कमेटी का निर्माण किया जाए, सरकारी, अर्धसरकारी एवं राजकीय उद्योगों की सभी खरीद डीसेन्ट्रलाइज सेक्टर से हो, काटन सूत के एक्सपोर्ट पर पाबन्दी लगे, डीसेन्ट्रलाइज्ड सैक्टर के पावरलूम को एक्साइज ड्यूटी से बरी करने की व्यवस्था की जाए तथा हैंडलूम और पावरलूम के स्पेयर पार्ट्स के उत्पादन की व्यवस्था की जाय। मैं सरकार से यह जरूर चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीतियों के बारे में कोई ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए और राष्ट्र हित में प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाना चाहिए। जो नीतियां निर्धारित की जाएं उनका रिव्यू समय-समय पर किया जाना चाहिए और आज सदन में इस सवाल पर बहस हो रही है, और किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई दलगत बात हो और उसी आधार पर वह आपकी नीतियों की आलोचना कर रहा हो, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय हित में आपने जो नयी राष्ट्रीय नीति बनाई है, वह सफल साबित नहीं हुई है इसलिए आप इस पर नए सिरे से विचार करें। यह सोचा गया था कि हैंडलूम के जरिए शायद बुनकरों को

[श्री विजय कुमार यादव]

उतनी आमदनी नहीं होगी और ऐसी हालत में उनकी रोजी-रोटी छीन जाएगी इसलिए पावरलूम के जरिए उसको रिप्लेस करने की कोशिश की गई। लेकिन आज बुनकरों की हालत क्या हो रही है। केजुअल-वे में नहीं बल्कि स्थायी तौर पर सोचें। देश के अन्दर जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नयी-नयी बातें आ रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, नयी-नयी टैक्नोलोजी आ रही है, ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी बुनकरों की आबादी को कैसे बाइज्जत रोजी-रोटी दे सकेंगे और किसान जो कपास या सिल्क पैदा करता है, ऐसे लोगों को लाभकारी मूल्य किस तरह दे सकेंगे, इस पर सोचने की जरूरत है और नीतियों को नए सिरे से निर्धारित करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली): उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र मन्त्रालय की मांगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए, मैं बहुत अफसोस के साथ कुछ बातें कह रहा हूं।

मुझे याद है कि 1984 में जब यहां नई वस्त्र नीति पर चर्चा हुई थी, मैंने इसका विरोध किया था और उन्हीं बातों के आधार पर मैं दोबारा इस वस्त्र नीति का विरोध करता हूं जो दुर्भाग्यवश हमारी सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

खाद्य मन्त्रालय के बाद यदि कोई अन्य मन्त्रालय कृषि से सम्बन्धित है तो वह है वस्त्र मन्त्रालय। पटसन जमीन में पैदा होता है। कपास जमीन में पैदा होती है। रेशम कीटपालन भी जमीन में ही होता है। सभी किस्म की भेड़ें जिनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, घास-पात खाती हैं न कि वे मांस भक्षी हैं, इसलिए ऊन भी जमीन की ही पैदावार है। आपने इस नई वस्त्र नीति को लागू करके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की है, और इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

महोदय, यह किस तरह का समाजवादी स्वरूप है? आप लाखों लोगों के कारोबार को छीनना चाहते हैं—लगभग तीन करोड़ लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कपास उत्पादकों के रूप में काम कर रहे हैं। आप उनके कच्चे माल को छीनना चाहते हैं और इसे कुछ ऐसे मुट्ठी-भर लोगों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं जो सिन्थेटिक धागों का उत्पादन करेंगे। आप इसका उत्पादन तो कर नहीं सकते और इसका आयात करने जा रहे हो; यह किस तरह का समाजवाद है? क्या मन्त्री महोदय इस बारे में मुझे कुछ बताएंगे? मेरा ख्याल है कि यह समाजवादी ढांचा नहीं है। हमें इस व्यवसाय को कृषकों के हाथों से छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है। यदि आप इसे उनसे छीनना ही चाहते हैं तो उन्हें कुछ-न-कुछ प्रतिपूर्ति तो करनी ही चाहिए। चाहे वह रुपयों में न होकर किसी अन्य वैकल्पिक फसल के रूप में हो, जिससे उन्हें उसी कृषि-जलवायु की परिस्थितियों में इतनी ही आय की प्राप्ति हो सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो खुदा के लिए, इस नई नीति को रोक दीजिए। मानव निर्मित धागों को दी गई राहत को वापस ले लिया जाए।

महोदय, नारियल के बाद कपास ही एक ऐसी फायदेमन्द चीज है जो किसान पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसे भारत में मुश्किल से दो सौ वर्ष पहले से पैदा करना शुरू किया गया था। कच्ची कपास का इस्तेमाल कपड़ों के लिए किया जाता है और बिनौलों से तेल निकाला जाता है। देश में हम जितने तेल का इस्तेमाल करते हैं उसका सात प्रतिशत तेल हमें बिनौलों से प्राप्त होता है। हम लगभग 700 करोड़ रु० के तेल का आयात कर रहे हैं। अपनी कुल आवश्यकता का 7 प्रतिशत हमें

बिनौलों से प्राप्त होता है। हम जानवरों के लिए बिनौलों का इस्तेमाल करते हैं। जब यह अधिक मात्रा में होता है तो हम इसका उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। कपास के तने या पौधे की टहनी का, आप इसे जो भी चाहें कह सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मकान की छत बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। क्या आपको नारियल को छोड़कर कोई अन्य ऐसा पौधा मिलेगा? यहां तक कि नारियल की जटा भी जो आपको नारियल से प्राप्त होती है, बहुत फायदेमन्द है। आप यह बात मत भूलिए कि आप जमीन से महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। आप सन्तुलन को बिगाड़िए मत। अन्यथा आपको ही परेशानी होगी। आपको परेशानी हो न हो लेकिन हमको तो परेशानी होगी ही।

महोदय, इस देश में हम अनेकों चीजों पर प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में हम लोगों के जीवन पर प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम इस स्तर पर देख नहीं पा रहे हैं।

हमने नशाबन्दी लागू की। जो लोग इसमें लगे थे उनका पुनर्वास किया। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में भी ऐसा ही हुआ था। यहां फिर आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय श्री मिर्धा आप तो कपास उत्पादक हैं। कम-से-कम आपने लोगों को कपास उगाते देखा होगा। मैं आपसे पूछता हूं कि महाराष्ट्र के किसानों को देय धन को रोकने का आपको क्या हक है? आपकी नीति के कारण हमको नुकसान हुआ है। हम उन्हें 200 रु० प्रति क्विटल अग्रिम बोनस के रूप में नहीं दे पाए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी बताया गया। हमने क्या गलती की है? हमने जो धन एकत्र किया है क्या हमें उसे बांटने का हक नहीं है। महाराष्ट्र के कपास उत्पादक निगम ने कुछ धन लाभ के रूप में एकत्र किया है और वे इसे कृषकों को बोनस के रूप में बांटना चाहते थे। लेकिन आपने इस पर आपत्ति की। आप महीनों तक इसे दबाए बैठे रहे। अन्ततः सारी कपास महाराष्ट्र से बाहर चली गई। क्या इसी तरह आप कपास उत्पादकों को प्रोत्साहन देते हैं। हमने विदेशी हाथ, अदृश्य हाथ होने के बारे में सुना है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यदि इसमें कहीं पर कोई अदृश्य हाथ है तो वह कपड़ा उद्योग में हो सकता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही कपास बाजार में आती है उसका मूल्य गिर जाता है। मेरे ओटाई के दो कारखाने थे। मैं जानता हूं कि जब फाहा (लिंट) कारखाने से बाहर जाता है तो मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि बीच में दो-तीन व्यक्ति आ जाते हैं। श्री तम्पन थामस ने ठीक ही कहा है कि मिल मालिक अपने दो या तीन रिश्तेदारों को बिचौलिए बनाकर रखते हैं। वे इसे एक-दूसरे को बेचते रहते हैं और मिलों को बिक्री करने तक मूल्य बढ़ा देते हैं। यह सब चल रहा है। आप गरीब कपास उत्पादकों और पटसन उत्पादकों का संरक्षण क्यों नहीं करते? यह नीति लागू करके आपने कपास तथा पटसन उत्पादकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृपया इसके बाद ऐसा न करें। जब से मैं संसद में आया हूं मैंने देखा है कि हम ऐसी बातों को महत्व देते है जो आम आदमी से सम्बन्धित नहीं होती हैं। भूमि अर्जन अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया था। 95 वर्ष बाद इस सरकार ने उसमें संशोधन किया। किन्तु वीडियो पाइरेसी एक्ट ऐसी चोरी शुरू होने के 5 या 6 वर्ष के भीतर ही अधिनियमित किया गया था। इस तरह क्या हम उस आम आदमी के साथ न्याय कर रहे हैं जो आपका और उनका मतदाता है? आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम बहुत सावधान रहें और ऐसी बातों में और व्यावहारिक बनें।

मानव-निर्मित रेशे पर दी जाने वाली रियायत बन्द की जाए। मानव-निर्मित रेशों में आप कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सकते। जब मास्को में वस्त्रों की प्रदर्शनी हुई थी तब मैं वहीं

[श्री उत्तम राठौड़]

था। वहां ले जाए गए सभी वस्त्र सूती थे। कपास के रेशे की मांग बहुत है। फिर आप कपास तथा पटसन उगाने वालों को क्यों उखाड़ रहे हैं। क्या आप इन्हें रोजगार दे सकते हैं? यदि नहीं, तो उनके काम में बाधा न डालें।

अन्ततः, प्रो० शुभाकर ने अपनी पुस्तक 'स्मॉल इज ब्यूटीफुल' में विकासशील देशों की प्रवृत्ति के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि विकासशील देशों में दुनिया को यह दिखाने की प्रवृत्ति होती है कि वे औरों से अधिक पीछे नहीं हैं। इसलिए वे शहरी लोगों के लिए अधिक तथा बेहतर वस्तुएं चाहते हैं और वे ग्रामीण लोगों को इतना अनदेखा कर देते हैं कि उनका जीवन दु:खमय हो जाता है और वे शहरों में चले जाते हैं जहां गन्दी बस्तियों की समस्या पैदा हो जाती है। कृपया इस पर गम्भीरता से विचार करें। आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बिगाड़िए नहीं। हमें इस मानव-निर्मित रेशे में अधिक रुचि नहीं है। इसलिए एक कपास उत्पादक के नाते मैं माननीय मन्त्री को सावधान करना चाहता हूं कि वे कपास उत्पादकों के जीवन से खिलवाड़ न करें।

2.00 म० प०

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, जब भी केन्द्रीय सरकार कोई नई वस्त्र नीति की घोषणा करती है तभी मिलों में बन्द, तालाबन्दी आदि होते हैं और कितनी ही कपड़ा मिलें रुग्ण हो जाते हैं या बन्दकर दी जाती हैं। बहरहाल मैं अपनी बात पटसन तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि उत्तर-पूर्व तथा पूर्वी क्षेत्र में, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में, पटसन, कच्चा पटसन और पटसन उद्योग ही मुख्य क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की सारी अर्थव्यवस्था मुख्यतः पटसन पर निर्भर है।

पटसन से हम प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। देश में लगभग 40 लाख पटसन उत्पादक हैं और लगभग 2-1/2 लाख व्यक्ति पटसन के मिलों में कार्यरत हैं। विगत विधान सभाई चुनावों से पूर्व माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने पटसन उद्योग के बारे में कई घोषणाएं की थीं। आप उन्हें चुनावी पैंतरेबाजी या वोट खींचने का नारा मान सकते हैं। बहरहाल, प्रधान मन्त्री की घोषणा में किए गए वायदे ये थे: (1) 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि बनाना; (2) सम्पूर्ण पटसन क्षेत्र के, विशेषकर उत्पादकों तथा कर्मकारों के, हित साधन के लिए 100 करोड़ रु० की पटसन निधि बनाना; (3) उच्च प्रौद्योगिकी वाली पटसन मिल मशीनों से आयात शुल्क हटाना; और तेरह विनिर्दिष्ट उपभोक्ता उद्योगों में पटसन की वस्तुओं का उपयोग अनिवार्य करना। चुनाव समाप्त हो गए, कांग्रेस हार गई, और मेरे विचार में वायदे भी समाप्त हो गए। यदि माननीय मन्त्री मुझसे सहमत न हों तो आइए हम देखें कि 18 महीने पहले हमारे प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए वायदों का क्या हुआ है। यदि हम इन वायदों की असलियत जानने का प्रयास करें तो हमें पता लगेगा कि 150 करोड़ रु० के आधुनिकीकरण कोष की प्रगति बिल्कुल असन्तोषजनक है। पटसन मिल मालिकों, पटसन के बड़े व्यापारियों और अफसरशाहों की साठ-गांठ अभी भी जारी है, मुझे नहीं पता कि यह सम्पूर्ण धनराशि कब व्यय होगी, यद्यपि यह बैंकों से लिया गया ऋण मात्र है।

दूसरी मद, अर्थात् '00 करोड़ रु० की पटसन निधि के सम्बन्ध में आज तक केवल 8 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। वैसे, मन्त्री महोदय यही कहेंगे कि यह सही नहीं है और यह कि 98 करोड़ 50

लाख रु. खर्च किए गए हैं, क्योंकि अनेक प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने ऐसा ही कहा है। इन 8 करोड़ रु. में से 6 करोड़ रु० कृषि विभाग के माध्यम से और 2 करोड़ रु० भारतीय पटसन निगम, जो कि एक बहुत अधिक खर्चीला संगठन है, के माध्यम से खर्च किए गए हैं। पूरे देश में भारतीय पटसन निगम की 197 इकाइयां हैं और उनकी सहायता के लिए 305 सहकारी केन्द्र हैं। कर्मचारी, तन्त्र और धन उपलब्ध होने पर वे कुल उत्पादन के एक चौथाई भाग से अधिक नहीं खरीद सकते। कच्चे पटसन मूल्य के बारे में मैं मन्त्री महोदय द्वारा लोक सभा अथवा राज्य सभा में अनेक प्रश्नों के उत्तर में उल्लिखित आंकड़ों का हवाला दूंगा। यदि हम 1965-66 को आधार वर्ष मानकर 100 को आधार मानते हैं तो हैसियन के मूल्य में 268.3 अंकों की और पटसन पैकेज सामग्री के मूल्य में 277.4 अंकों की वृद्धि हुई। परन्तु, साथ ही पटसन के मूल्यों में केवल 158.4 अंकों की वृद्धि हुई। इस देश में पटसन उत्पादकों की यही विडम्बना है। आप केवल पटसन के बड़े व्यापारियों की सहायता कर रहे हैं।

अब हम प्रधान मन्त्री के तीसरे और चौथे वायदों पर आते हैं। केन्द्रीय सरकार ने इस सभा में अनेक शब्दों में यह आश्वासन दिया है कि पटसन की बोरियों का अनिवार्य उपयोग निम्न प्रकार से होगा :

खाद्यान्न	100 प्रतिशत
चीनी	100 प्रतिशत
सीमेंट	75 प्रतिशत
उर्वरक	50 प्रतिशत

अब, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या ये सभी सरकारी संगठन उपरोक्त प्रतिशत में पटसन की बोरियों का उपयोग कर रहे हैं? इसका उत्तर क्या है? मैं जानता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर 'नहीं' होगा। उन्हें इस सभा में घोषित प्रतिशत के अनुसार बोरियों का उपयोग करना पड़ता है। परन्तु वे बहुत कम प्रतिशत बोरियों का उपयोग करते हैं। महोदय, पैकेज सामग्री में कृत्रिम धागा समर्थक बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी पैकेज अधिनियम, 1987 के सम्बन्ध में सरकार के आदेश की परवाह नहीं करते। वे इस अधिनियम की परवाह नहीं करते क्योंकि कृत्रिम धागा समर्थक बहुत शक्तिशाली हैं। सीमेंट उद्योग की तो बात छोड़िए भारतीय खाद्य निगम और भारतीय उर्वरक निगम भी सरकारी वायदों की परवाह नहीं करते। महोदय, इस सम्बन्ध में सीमेंट उद्योग की इस समय क्या भूमिका है? एक प्रतिवेदन में यह कहा गया है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "सीमेंट उद्योग जनवरी-मार्च, 1985 तक अपना लगभग 90 प्रतिशत सीमेंट उत्पादन पटसन की बोरियों में पैक किया करता था। कृत्रिम धागे से बनी बोरियों में पैक करने से अनुचित मूल्य प्रतियोगिता के कारण अप्रैल-जून, 1987 में यह कम होकर केवल 40 प्रतिशत रह गया है।"

यह विडम्बना है। आप अधिनियम तो पारित करते है परन्तु उसका अनुसरण नहीं करते।

[श्री अमर राय प्रधान

2 06 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

महोदया, इस सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछूंगा। जूट पैकेज सामग्री (पैक की जाने वाली वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 के सम्बन्धित उपबन्धों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे कितने मामले हैं और किनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है? क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक कितने दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया गया है? महोदया, कुछ समय पहले मैंने जब यह प्रश्न उठाया था तो आप भी इस सभा में उपस्थित थीं। सक्षम प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपके अधिकारियों अथवा आयोग अथवा किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी ने दोषी व्यक्तियों, किसी चीनी उद्योग, भारतीय खाद्य निगम अथवा भारतीय उर्वरक निगम के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की है? क्या आप एक भी उदाहरण बता सकते हैं कि इन 18 महीनों की अवधि में कम-से-कम एक मामला भी आपके ध्यान में लाया गया हो? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी उपक्रमों के अब तक कितने महा-प्रबन्धकों, प्रबन्धकों, प्रबन्ध निदेशकों को दण्डित किया गया है? मेरे विचार से इसका उत्तर 'नहीं' होगा। तो फिर आप पटसन उद्योग और पटसन उत्पादकों की किस प्रकार सहायता करेंगे? मैं यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पटसन उद्योग को समाप्त करना चाहती है और कृत्रिम धागा उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है। मेरे विचार से मन्त्री महोदय उस समय मुझसे सहमत होंगे जब मैं यह कहूं कि वे पटसन उद्योग को हानि पहुंचा कर कृत्रिम रेशा उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपने पटसन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता को ध्यान में रखा है? यदि आप इसे देखें तो आप पाएंगे कि जनवरी, 1985 तक पटसन उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 18 लाख मीट्रिक टन और कृत्रिम धागा उद्योग की क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन थी। पटसन उद्योग में अतिरिक्त क्षमता नगण्य है और कृत्रिम धागा उद्योग में यह लगभग दो लाख मीट्रिक टन है। पटसन उद्योग के लिए अतिरिक्त पंजीकृत क्षमता 'शून्य' है, परन्तु कृत्रिम धागा उद्योग में यह 28 लाख मीट्रिक टन थी। वर्ष 1986-87 में पटसन उद्योग का अनुमानित उत्पादन 14 लाख मीट्रिक टन था तथा कृत्रिम धागा उद्योग के मामले में यह 1.5 लाख मीट्रिक टन था।

वर्ष 1989-90 के अन्त में यानि कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में पैक करने की सामग्री की कुल अनुमानित मांग लगभग 15 से 16 लाख टन पटसन के बोरे होगी जो 2.5 लाख टन संश्लिष्ट बोरों के बराबर है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त स्थापित क्षमता के अनुसार, संश्लिष्ट (सिन्थेटिक) बोरा उद्योग को बहुत अधिक लाइसेन्स दे दिए गए हैं और इसकी स्थापित क्षमता जो कि 28 लाख टन है, इसकी आवश्यकता से बहुत अधिक है। पटसन उद्योग के लिए कोई लाइसेन्स जारी नहीं किए हैं। क्या इससे यह बात साफ नहीं हो जाती कि आप पटसन उद्योग के बजाय संश्लिष्ट बोरा उद्योग का बढ़ावा दे रहे हैं। पटसन उद्योग की सहायता करने बजाय यदि आप सभी सहायता और प्रोत्साहन संश्लिष्ट बोरा उद्योग को प्रदान करते है, तो पटसन उद्योग कैसे जीवित रह सकता है।

यह आश्चर्यजनक बात है कि केन्द्र सरकार पटसन पर 660 रु० प्रति टन की दर से अत्यधिक उत्पाद शुल्क वसूल करती है, फिर भी संश्लिष्ट उद्योग के प्रति यह बहुत अधिक सहानुभूति दिखाती है। 28 फरवरी, 1986 को 1986 के बजट भाषण में यह घोषणा की गई थी कि संश्लिष्ट बोरों पर

12 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक दिन के भीतर ही, यानि कि 7 मार्च, 1986 को ही यह घोषणा की गई कि शुल्क को वापस ले लिया जाएगा। 28 फरवरी, 1987 की 1987 के बजट भाषण में पुनः यह घोषणा की गई कि संश्लिष्ट बोरों पर 30% की दर से शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन पुनः एक महीने के लिए, यानि कि 18 मार्च, 1987 को इसे वापस ले लिया गया। इससे पता चलता है कि आप संश्लिष्ट उद्योग के कितने समर्थक हैं तथा पटसन उद्योग की कितनी उपेक्षा कर रहे हैं। पटसन उद्योग और संश्लिष्ट उद्योग के बीच एक प्रतिस्पर्धा है और भाषणों में केन्द्र सरकार स्पष्ट रूप से कहती है, चुनाव भाषणों में प्रधान मन्त्री कहते हैं, "हां, हम पटसन उत्पादकों, पटसन उद्योग के साथ हैं।" लेकिन आपके व्यवहार से लगता है कि आप संश्लिष्ट उद्योग का पक्ष ले रहे हैं।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सदैव देश में संश्लिष्ट उद्योग के विकास की ही बात सोचते हैं तथा देश के पटसन उद्योग, जो कि पहले ही संश्लिष्ट उद्योग से काफी प्रभावित हो चुका है, को बचाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। हमारे देश के पटसन उत्पादकों को बचाने में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जनता किसानों, पटसन उत्पादकों और पटसन उद्योग के श्रमिकों की ओर से मैं आपको केवल एक चेतावनी देना चाहता हूं कि हम आपकी क्रूरता बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपका पाखण्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, "हां, ठीक है, हम पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, पटसन उत्पादकों, पटसन उत्पादन और पटसन मिलों को नष्ट करके पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को हम नष्ट करेंगे।" उद्योग की सहायता करने के लिए आप अनेक प्रस्ताव और सुझाव देते हैं, लेकिन व्यवहार में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का पाखण्ड खतरनाक है और इससे बचा जाना चाहिए।

***श्री जी० एस० बसवराजु** (टुमकुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं वस्त्र मन्त्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। अनेक माननीय सदस्य पहले ही इन मांगों पर बोल चुके हैं। पूरे देश में व्याप्त गम्भीर समस्याओं का उल्लेख करना चाहता हूं। चाहे कर्नाटक हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, या कोई अन्य राज्य हो लेकिन किसानों की समस्या एक जैसी ही है। कपास उत्पादकों का जीवन स्तर नहीं सुधरा है। यहां तक कि हमारी सरकार द्वारा 6 जून, 1985 को घोषित नई वस्त्र नीति ने भी किसानों का बचाव नहीं किया है। नई वस्त्र नीति के सही लाभ टाटा, बिड़ला, रिलायन्स और अन्य बड़े उद्योगपति उठा रहे हैं। नीतियां बनाते समय नौकरशाह न तो किसानों की ओर न ही उपभोक्ताओं की सहायता करते हैं। वे सदैव बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेते हैं। इसलिए, सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि वह इस मामले का बहुत सावधानी से जांच करे और नौकरशाहों को ऐसे निदेश दे कि वे योजनाएं इस प्रकार बनाएं जिससे किसानों की मदद हो सके।

मांगों पर बहस के दौरान हमारी माननीय अध्यक्ष ने भारतीय रुई निगम द्वारा किए गए सौदों के बारे में बताया था। यदि आप उनका एक नोट बनाए तो यह एक बहुत लम्बी सूची होगी। निविदाएं आमन्त्रित करने, श्रेणीकरण और बाजार मूल्य तय करने आदि जैसे अनेक चरणों पर हो रहा है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से किसानों का शोषण सदा के लिए समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जी० एस० बसवराजु]

दो वर्ष पूर्व राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन रुग्ण मिलों की संख्या लगभग 65 थी। अब रुग्ण इकाइयों की संख्या लगभग 125 है। हमें इन इकाइयों की रुग्णता के कारण ढूंढ़ने होंगे। कभी कभी यह श्रम नीति के कारण या नई वस्त्र नीति के कारण हो सकता है। यहां तक कि कच्चे माल की अनुपलब्धता अनेक इकाइयों की रुग्णता का कारण हो सकती है। उदाहरण के लिए मेरे राज्य में दावण-गेरे में जनता कपड़े का उत्पादन करने वाली अनेक इकाइयां थीं। अब वहां केवल एक मिल है जो सही ढंग से कार्य कर रही है। अन्य सभी मिलें रुग्णता की विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही हैं। यह मालिकों और बड़े उद्योगपतियों के हित में है। हमारी सरकार को इसको देखना होगा और श्रमिकों तथा किसानों की सहायता करने के लिए अपनी श्रम नीति में उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे। संश्लिष्ट रेशे पर उत्पाद शुल्क में दी गई छूट एक ऐसा महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से कपास उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है। संश्लिष्ट रेशे पर उत्पाद शुल्क वर्तमान दर से कम-से-कम चार गुना अधिक होना चाहिए। कपास उत्पादकों को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए।

कर्नाटक में लगभग छः कताई मिलों की स्वीकृति केन्द्र के पास लम्बित पड़ी है। सहकारी क्षेत्रों में मिलें लगाने के लिए सहकारी क्षेत्र को लाइसेन्स नहीं दिए जा रहे हैं। हरिजनों समेत अनेक लोग इन सहकारी समितियों के सदस्य बन गये हैं। इन समितियों में से प्रत्येक में कुल पूंजी निवेश लाखों रुपए का है। दुर्भाग्यवश उन्हें स्वीकृति नहीं मिल रही है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के निदेश दें कि वे ऐसी सहकारी समितियों को कताई मिलें लगाने के लिए लाइसेन्स जारी करें।

जनता कपड़ा अपनी क्वालिटी नहीं बनाए रख सका है। यहां भी भारी पैमाने पर शोषण हो रहा है। इस जनता कपड़े के सभी फायदे बिचौलियों द्वारा उठाए जा रहे है। इस जनता कपड़े पर दी जाने वाली राजसहायता का लाभ न तो उत्पादकों को और न ही उपभोक्ताओं को हो रहा है। इस कपड़े की क्वालिटी में सुधार लाया जाना चाहिए और इस सुधार को बनाए रखा जाना चाहिए। हजारों बुनकर बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि उन्हें धागा और रंगने का सामान नहीं मिल पा रहा है। विपणन सुविधाओं के अभाव ने भी बुनकरों की समस्याओं में और इजाफा कर दिया है।

हथकरघा गृहों को दी जाने वाली छूट भी अवास्तविक है। धागों के उत्पादक या उपभोक्ता या बुनकरों को कोई छूट है ही नहीं। इसलिए यह आवश्यक है कि हथकरघा गृह से बिचौलियों को हटाया जाए। मेरा सुझाव है कि हथकरघा गृह से बिक्री पर छूट सम्बन्धी बैनरों को हटाया जाए क्योंकि वास्तव में उपभोक्ताओं को कोई छूट मिलती ही नहीं है।

डोडा बलालापुर में, कारखानों के रुग्णावस्था में आ जाने के कारण हजारों बुनकरों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इन बेकार बुनकरों की सहायता करनी चाहिए।

हमारे देश के रेशम उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत मेरे राज्य कर्नाटक में होता है। कर्नाटक राज्य को विश्व बैंक से रेशम के कीट पालन का विकास करने के लिए 85 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। इस राशि का राज्य में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, यह राशि प्रशासन पर खुले दिल से खर्च की जा रही है। विधान सौध तथा अन्य वातानु-

कूलित अतिथि गृहों जैसे भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। यातायात के लिए अधिकारीगण अधिकतर कारों और जीपों का उपयोग करते हैं। इन मदों पर रुपया खर्च नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे खर्चों पर पाबन्दी लगाई जानी चाहिए। कुओं तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर शहतूत के पौधों के उत्पादकों के लिए यह रुपया खर्च किया जाना चाहिए। यदि सारा रुपया किसानों पर खर्च किया जाए तो मुझे यकीन है कि अकेला कर्नाटक राज्य ही 500 करोड़ रुपए के रेशम का उत्पादन और निर्यात कर सकता है।

रेशम का कृत्रिम अभाव पैदा करने तथा रेशम के धागे का आयात करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार को शहतूत उत्पादकों की खुशहाली के लिए उठाया जाना चाहिए।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का कार्यचालन भी सन्तोषजनक नहीं है। उसे किसानों के लिए विपणन सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसी भी स्तर पर बिचौलिए नहीं होने चाहिए। दिल्ली में तथा बंगलौर में अतिथि गृहों का बार-बार नवीनीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड को यह प्रक्रिया तत्काल बन्द करनी चाहिए।

भारतीय कपास निगम के कार्यचालन में भी काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। उसे भी कपास उत्पादकों के लिए समुचित विपणन सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिएं।

पटसन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। मेरे क्षेत्र में एक पैकेजिंग उद्योग है जिसके बारे में शायद माननीय मन्त्री जी भी जानते होंगे। उसमें बोरियों का निर्माण करने के लिए 80 प्रतिशत जूट के साथ 20 प्रतिशत प्लास्टिक मिलाया जाता है।

तस्करी की गतिविधियों पर भी तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। विभिन्न किस्म के सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। रूसी लोग भारतीय कपड़ों के बेहद शौकीन हैं। इसलिए इन कपड़ों के निर्यात में वृद्धि की जानी चाहिए।

सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदया, मैं वस्त्र मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा जून 1985 में की गई थी। अपने विपक्षी मित्रों की चर्चा से जो कुछ मुझे समझ में आया है वह यह है कि 1985 में घोषित राष्ट्रीय वस्त्र नीति असफल हो चुकी है। राष्ट्रीय वस्त्र नीति की मुख्य बातें क्या थी? इसकी मुख्य बातें थीं—मानव-निर्मित धागों को सस्ता बनाना, सिन्थेटिक धागों को प्रोत्साहन देना और उनका उत्पादन बढ़ाना ताकि भविष्य में सिन्थेटिक धागे सस्ते हो जाएं और इसका लाभ देश के गरीब से गरीब उपभोक्ता को मिले।

इसलिए, यह नई नीति जो 1985 में बनाई गई थी न केवल गतिशील है बल्कि इसके द्वारा भारत के वस्त्र उद्योग में पर्याप्त परिवर्तन भी हुआ है। पहले बनाई गई इस वस्त्र नीति को लागू करने में निश्चय ही कुछ कठिनाइयां एवं समस्याएं हैं।

सिंथेटिक अब रुई का मुकाबला कर रहा है। इन सिंथेटिकों पर उत्पाद शुल्क में रियायत दी जा रही है। इस वर्ष बजट में सिंथेटिकों पर विभिन्न प्रकार की रियायतें दी गई है। क्या मैं माननीय

[श्री आशुतोष लाहा]

मन्त्री जी से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह यह देखें कि बजट में प्रस्तावित इन रियायतों का उपभोग करने के बजाए यदि सिंथेटिक का उपभोक्ताओं द्वारा अदा किया जाने वाला मूल्य कम नहीं हुआ तो सिंथेटिक निर्माताओं को उत्पाद शुल्क में दी गई रियायत का सम्पूर्ण प्रयोजन ही पूर्णतया निष्फल हो जाएगा।

राष्ट्रीय वस्त्र नीति के अमल में आने के बाद, वस्त्र उद्योग में सुधार के निश्चित संकेत मिले हैं। 1985 से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में बहुत हद तक इजाफा हुआ है। फसल की कीमतों में वृद्धि की दर न्यूनतम रही है—यह वृद्धि अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में केवल 2.4 प्रतिशत ही रही है।

हमारे देश में वस्त्र उद्योग को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसका कारण है बुनकरी के क्षेत्र में अपेक्षित क्षमता से अधिक क्षमता का विद्यमान होना। यह अत्यन्त कष्टदायी कारण है जिसने भारत के वस्त्र उद्योग में वास्तविक कठिनाई पैदा कर दी है। कीमतों के बढ़ने तथा विभिन्न कारणों से लोगों की क्रय-शक्ति कम होने का एक कारण है, अभूतपूर्व सूखा जिससे जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई है, और जिसके कारण बुनाई के क्षेत्र में विद्यमान अधिक क्षमता और भी बढ़ गई है।

क्या राष्ट्रीय कपड़ा नीति सफल रही है या नहीं, क्या इसको भारत में सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं, इसका पता हमारे देश में कपड़ा-क्षेत्र में नवीनतम स्थिति के परिणामों से चल सकता है। स्पष्टतः भारत में विदेशी कपड़ों की तस्करी से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, परन्तु गत दो वर्षों से विदेशी कपड़े की भारत में तस्करी में उल्लेखनीय कमी आई है।

भारत में कपड़ा उद्योग में सुधार के निश्चित चिह्न निर्यात से स्पष्ट हो जाएंगे। वास्तव में कपड़ों का निर्यात पिछले दो लेखा-वर्षों में 1097.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 1789.59 करोड़ रुपए हो गया है।

कपड़ा उद्योग की सामान्य स्थिति का जायजा धागे तथा कपड़े के उत्पादन के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। धागे का कुल उत्पादन 1984-85 में 3820 लाख कि० ग्रा० से बढ़कर 1986-87 में 15260 लाख कि० ग्रा० हो गया। उत्पादन में वृद्धि का यह स्पष्ट संकेत है। कपड़े के मामले में, इसका उत्पादन 1984-85 में 120140 लाख मीटर से बढ़कर 1986-87 में 129880 लाख मीटर हुआ। अतः कपड़े के उत्पादन के मामले में भी राष्ट्रीय कपड़ा नीति के कार्यान्वयन से अच्छे परिणाम सामने आए हैं जो उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है। पिछले वर्ष में भी, 1987-88 के अप्रैल से दिसम्बर तक कपड़े का अनुमानित उत्पादन 97440 लाख मीटर है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि मे यह 96000 लाख मीटर था। इसलिए मैं अपने विद्वान मित्र की इस बात से सहमत नहीं हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा नीति पूर्णतः असफल हो गई है। किन्तु, मैं माननीय मन्त्री से सादर कहना चाहूंगा कि आज हमें यह जानना चाहिए कि हमें सिंथेटिक्स को प्रोत्साहन देने से कोई लाभ नहीं है, जोकि हमारी राष्ट्रीय कपड़ा नीति का मुख्य अंग है ; लेकिन मैं इसे दोहराता हूं कि सिंथेटिक्स को दिए जाने वाले प्रोत्साहन या रियायतें भारत की जनता तक पहुंचनी चाहिए।

मैं कपड़ा उद्योग के एक और पहलू अर्थात पटसन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं पूर्वी

भारत, पश्चिम बंगाल का हूं। हमारे यहां पटसन की समस्याएं होती हैं। 200 वर्ष पूर्व अंग्रेजों ने ये सब पटसन के मिल बनाए और पटसन बनाना शुरू किया; किन्तु आज इस क्षेत्र में हमें बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विचार में पटसन को कपड़ा नीति से अलग किया जाए और पटसन उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए पृथक पुनर्विचार की तथा एक निश्चित राष्ट्रीय पटसन नीति बनाने की जरूरत है। पटसन की बोरियां अब भी इस्तेमाल की जाती हैं। खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के लिए बोरियां चाहिए। परन्तु कितने ही मिल रुग्ण हैं या बन्द हो गए हैं। एक उपयुक्त सर्वेक्षण करके पता लगाना होगा कि इस रुग्णता और बन्दी का वास्तविक कारण क्या है। क्या यह प्रबन्धकों तथा कामगारों के बीच किसी समस्या के कारण होता है? यदि नहीं तो प्रबन्धकों पर इन कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए जोर डाला जाए। तीन लाख से अधिक व्यक्ति बेरोजगार हैं। स्थिति विस्फोटक हो गई है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री इसे गम्भीरता से लें। यदि पूर्वी भारत में बेरोजगारी फैलती है तो भारत के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव होगा। इसलिए पटसन मिलों की इस ज्वलन्त समस्या को हल करना होगा और उचित नीति तैयार करनी होगी, यदि आवश्यक हो तो युद्ध स्तर पर ऐसा किया जाए, ताकि पटसन के मिलों को फिर से पटरी पर लाया जा सके। आज 5000 कामगारों वाला वाडानगर मिल भी बन्द है। अतः मैं मांग करता हूं कि भारत के लिए एक पृथक पटसन नीति बनाई जाए और भारत में पटसन उद्योग को पुनरुज्जीवित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई की जाए अन्यथा 3 लाख नहीं बल्कि 10 लाख से भी अधिक कामगार भूखे मर जाएंगे और इसका परिणाम बहुत घातक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं वस्त्र मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला): अध्यक्षपीठ महोदया वस्त्र मेरा विषय नहीं है। अतः मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मेरे विचार में वस्त्र उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 1985 की वस्त्र नीति की आलोचना के बावजूद मैं समझता हूं कि भारतीय वस्त्रों के निर्यात की ओर इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत गुंजाइश है।

आज हमारे वस्त्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध वस्त्रों के स्तर से मुकाबला करते हैं। श्री मिर्धा के वहां होने से इस उद्योग में बहुत आशाएं हैं। यह रिकार्ड कर लिया जाए कि श्री मिर्धा बहुत सन्तुलित तथा परिपक्व मन्त्री हैं। हालांकि मैंने दोनों ओर के भाषण नहीं सुने हैं किंतु सारांश को पढ़कर मुझे ज्ञान हुआ कि इस क्षेत्र में सुधार की बहुत गुंजाइश है। कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि 1985 में घोषित वस्त्र नीति असफल हो गई है। मुझे उनसे असहमत होने का कोई कारण नजर नहीं आता क्योंकि चारों तरफ काफी बेरोजगारी है। मिल बन्द हो गए हैं। जब रुग्ण मिल बन्द किए जाते हैं तब भी हमें बहुत चिंता होती है क्योंकि हम लोगों को सड़क पर नहीं देख सकते। अब 1985 की इस नीति की समीक्षा की जाए और माननीय मन्त्री इस नीति की समीक्षा करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं और उन प्रस्तावों के साथ आगे आना चाहिए कि वह कैसे इस बहुत भारी उद्योग की दशा सुधारेंगे। मैं उनके सफल होने की कामना करता हूं।

जैसाकि मैंने कहा मुझे बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात कहनी है क्योंकि मेरे पास कोई सुझाव नहीं है। लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जब वे वस्त्र उद्योग के लिए नीति बनाएं तो जम्मू-कश्मीर राज्य पर जरूर ध्यान दें। वहां कोई वस्त्र उद्योग नहीं है। लेकिन वहां हथकरघा है। उन्हें शाल को नहीं भूलना चाहिए। उन्हें गलीचों को नहीं भूलना चाहिए। और उन्हें रेशम उद्योग को नहीं भूलना चाहिए।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

हमारा गलीचा उद्योग बड़ी खराब स्थिति में है। पहले यह बहुत अधिक सक्षम व्यक्तियों के पास था। एक समृद्ध परम्परा थी। लेकिन अब वे स्वयं को थका हुआ अनुभव करते हैं क्योंकि कुछ लोग उत्पादन के स्तर को नीचा करते हैं और क्योंकि कोई पक्की पाबन्दी नहीं है। निर्यात में, कभी-कभी वे बहुत अच्छे गलीचों का बहुत खराब गलीचों के साथ निर्यात कर देते हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा व्यापार कम हुआ है। जम्मू-कश्मीर राज्य में गलीचा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए बहुत सम्भावना है। गलीचा केवल कश्मीर में बनाया जाता है। इसलिए जब मैं पूरे राज्य की बात करता हूं तो उन्हें पूरे राज्य पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक गलीचा उद्योग का सम्बन्ध है, भारत में सबसे अच्छे कारीगर मिर्जापुर और अन्य स्थानों में होते हैं। पूरे विश्व में, यदि आप ईरानी गलीचे से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो भारत में उसके लिए कश्मीर ही सक्षम है और कोई राज्य नहीं। इसलिए मैं माननीय मिर्धा जी से कश्मीरी गलीचों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। उस उद्योग के आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इस विषय में उनको कुछ जानकारी भी है।

विशेषकर इस गलीचा उद्योग के पश्चात उनको हमारे रेशम उद्योग पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते हैं कि शहतूत के पेड़ बिना मानवीय प्रयास के मलवे में भी उगते हैं। मान लीजिए कि घर गिर गया है और मलबा हो गया है। वातावरण में व्याप्त नमी के कारण कश्मीर घाटी के विशिष्ट वातावरण के कारण, बिना कोई शहतूत का पेड़ लगाए या बीज बोए, शहतूत का पेड़ उगेगा। इसलिए हमारे यहां शहतूत के पेड़ हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहां एक उपयुक्त रेशम उद्योग नहीं है माननीय मिर्धा जी गलीचा उद्योग का आधुनिकीकरण कैसे करेंगे, शहतूत और शालों को बुनाने के बेहतरीन कारीगरी को वे कैसे बनाए रखेंगे और हमारे रेशम उद्योग का वे कैसे आधुनिकीकरण करेंगे यह मैं उन पर छोड़ता हूं। भारत सरकार द्वारा जून 1988 में घोषित नीति के बारे में वह अनेक बातें सुन चुके हैं। चर्चा का उत्तर देते समय, उनको जम्मू कश्मीर राज्य, जिसकी कि हथकरघों, गलीचों, पट्टू बनाने में, शालों और शहतूत के सम्बन्ध में बहुत समृद्ध परम्परा है, के विषय में उनको कुछ जरूर कहना चाहिए। कि इस समय एक शहतूत की क्या कीमत है यह मैं नहीं बता सकता। यदि वह वास्तव में शहतूत है, तब यह एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य : एक लाख रुपए ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, यह बहुत मुलायम है। आपके पास ढाका की मलमल थी। लेकिन हमारे पास शहतूत है। मैंने असली शहतूत को बहुत करीब से कभी नहीं देखा है। मैं उसे खरीद नहीं सकता था। लेकिन जो लोग जानते हैं कि शहतूत क्या है वे इसकी खरीदते होंगे। लेकिन शहतूत बनाने की कला समाप्त हो रही है। लोगों के लिए उसे कैसे संजोया जाए ? इसे अजायबघर में रखा जा सकता है। लेकिन शहतूतों को संजोया जाना चाहिए। अतः शहतूतों और शालों को सँजोया जाना चाहिए क्योंकि यह अत्यन्त प्राचीन परम्परा है। लेकिन गलीचे को, एक उद्योग के रूप में, हजारों लोगों की रोज-रोटी के साधन के रूप में संजोया जाना चाहिए और उसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। रेशम का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। कश्मीर के रेशम को मानक बन जाना चाहिए। श्री मिर्धा इसे कैसे करते हैं, मैं उनके जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। जब वह जवाब देंगे, वह जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में उल्लेख करेंगे।

मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूं। सरकार में मेरा इतना अन्तर तो है ही। मैं उन्हें मुख्य मन्त्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के साथ बात करने के लिए आमंत्रित करता हूं हम शाल और शहतूस लगाने की अपनी वर्षा पुरानी परम्पराओं को कैसे बनाए रखें और जम्मू कश्मीर राज्य में गलीचा और रेशम उद्योग का आधुनिकीकरण कैसे करें इस बारे में उन्हें एक सेमिनार आयोजित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण पंवार (उज्जैन) : मैडम चेयरपरसन, मैं वस्त्र मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और कृषि के बाद वस्त्र दूसरे नम्बर का एक ऐसा उद्योग है जिसमें काफी लोग रोजगार प्राप्त करते हैं। वस्त्रों का हम तीन हिस्सों में उत्पादन करते हैं—पहला हथकरघा, दूसरा बिलजी के करघे और तीसरे मिलों द्वारा। इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण हथकरघे को मानता हूं क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं और बहुत से लोगों का तो ये पुश्तैनी धंधा है और कई वर्षों से इस काम को कर रहे हैं मैं उनकी कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो मैं सूत के बारे में कहना चाहता हूं कि उनको सूत ठीक क्वालिटी का और उचित दाम पर उपलब्ध नहीं हो पाता है और पिछले एक साल से जब से कॉटन के भाव में वृद्धि हुई है तब से जितनी वृद्धि सूत के दामों में हुई उतनी वृद्धि कपड़े के दामों में नहीं हुई और इसके कारण हथकरघे बन्द पड़े हुए हैं तथा बुनकरों की हालत खराब हो गई है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे कॉटन के भाव भी किसानों को ठीक मिलें और बुनकरों को ठीक दामों पर सूत मिले ताकि बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि उनको जो सुविधाएं रिबेट और जनता क्लॉथ आदि की दी जा रही हैं उसमें उनको जो दो रुपए से बढ़ाकर 2.75 प्रति मीटर दिया जा रहा है, इससे वाकई उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। जो प्राइवेट एजेंसियों और मास्टर वीवर्स को ही पहुंच रहा है। जो प्राइवेट एजेंसीज और मास्टरवीवर जनता क्लाथ बना रहे हैं, वे तो इसका पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए यह लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार ने किया था वह पूरा नहीं हुआ और बुनकरों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। उनको जो मजदूरी पहले मिल रही थी वही अब मिल रही है। वर्तमान में जो दाम बढ़े हैं उनका कोई लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मन्त्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें।

इसके उपरान्त बुनकरों का जो प्रशिक्षण है, उसके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय उन्हें तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यह बहुत कम है, इस समय में पूरी तरह से वे इस कला को सीख नहीं पाते हैं और ठीक से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस अवधि को तीन महीने के बजाय छः महीने किया जाए, ताकि वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर अच्छी तरह से उच्च क्वालिटी का कपड़ा बना सकें।

जो लोग नॉन जनता कपड़े में लगे हुए हैं। उनके लिए विपणन की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए। शासकीय विभागों में लगने वाले कपड़े के लिए यदि यह अनिवार्य कर दिया जाए कि सिर्फ हथकरधा का कपड़ा ही क्रय किया जाएगा, तो यह एक ऐसा आदर्श काम होगा जिससे हजारों बुनकरों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिए मेरा माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस तरफ ध्यान दें।

[श्री सत्यनारायण पंवार]

हमने पिछले दिनों हथकरघा बुनकर समितियों को बिजली के करघे दे दिए जिसके कारण ऐसी विसंगति आ गई है कि हथकरघा और पावरलूम कपड़ा मिक्स होने लगा है। अभी स्थिति यह है कि सहकारी समितियों को हमने करघे तो दे दिए हैं और दूसरी सहायता भी दे दी है, लेकिन हमने उनको कार्यशील पूंजी नहीं दी है जिसके कारण वे करघे आज भी वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। वे न तो आज तक उत्पादन कर पाए हैं और न लोगों को रोजगार दे पाए हैं। यहां तक कि जो आपने सहायता और कर्जे दिए हैं, उन कर्जों की रकम वापिस करने का समय भी हो चुका है और संस्थाएं ओवर-ड्यू होती जा रही हैं, इसलिए हम जो भी योजना लागू करते हैं, उसमें कार्यशील पूंजी देना जरूरी है जिससे चल रही योजना कार्यान्वित हो सके।

साथ ही बिजली के करघे पंजीकृत करने की जो घोषणा आपने की, उसमें हुआ यह कि जो बड़े-बड़े व्यापारी थे, उन्होंने 40,40, 50,50 और 100,100 करघे अपने घरों पर लगा लिए और जो बुनकर थे, वे एक-दो करघों पर अपने यहां लूम लगाकर काम करते रहे। इससे बुनकरों को जो सुविधाएं आप देना चाहते हैं, वह उन तक नहीं पहुंच पाती हैं और बड़े-बड़े व्यापारी सारी सुविधाएं हासिल कर लेते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने 2,2 और 4,4 करघे लगाए हुए हैं उन्हीं को यह सुविधा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने 100, 100 करघे लगाए हुए हैं, मास्टर वीवर्स के नाम से, उनको किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। इससे छोटे बुनकरों को लाभ मिल सकेगा।

हम देखते हैं कि शहरों में हर दो साल में 10,5 मिलें बन्द होती जा रही हैं। एन० टी० सी० में बड़े अफसरों की भर्ती बड़ी तेजी से होती है, उनके खर्च कम नहीं होते हैं और अफसरों की तनख्वाह 2,2 4,4 और 5,5 हजार होती हैं और वह उत्पादन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इससे मजदूरों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसलिए मशीनरी को माडर्नाइज करने के लिए जहां-जहां भी आपने पैसा दिया है अगर उसकी मौनिटरिंग ठीक ढंग से हो तो वह चल सकते हैं, लेकिन प्राइवेट मिल मालिक मौडर्नाइजेशन के नाम से पैसा लेते हैं उसमें से 10,20 परसैंट मिल में लगाते हैं और 80 परसैंट का दुरुपयोग करते हैं। इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है। अगर हमने कोई राशि मौडर्नाइजेशन के लिए दी है और उस पर हमने नियन्त्रण किया तो वहां की मशीन निश्चित रूप से काम कर के उस मिल को प्राफिट में ला सकती है।

हमारे उज्जैन में विनोद मिल है जिसकी सूत की कास्ट दो लाख रुपए है और उस पर मजदूरी और दूसरे खर्च की कास्ट 6 लाख रुपए हो जाती है। इस तरह से जो खर्च मिलें डालती हैं, उससे निश्चित रूप से कपड़े की कीमत बढ़ती है और वह कपड़ा सस्ते भाव में बिककर निश्चित रूप से मिल को हानि में पहुंचाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर भी आप ध्यान दें।

हमारे मध्यप्रदेश मे बरहानपुर में ताप्ती मिल में अभी आग लग गई और उससे वह मिल बन्द हो गई। वहां के लोगों के रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जो स्थाई रूप से वहां काम करते हैं, उनको तो लाभ देने की व्यवस्था है, लेकिन जो अस्थाई रूप से काम करते हैं, वह बिल्कुल बेकार हो गये हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसी नीति बनाए कि जो अस्थाई रूप से वहां काम करते हैं, उनको भी किसी न किसी रूप में सहायता मिले जिससे वहां के बेकार लोगों को राहत मिल सके।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हैंडलूम के बारे में जो हमारे बुनकर सेवा केन्द्र हैं, जहां सैम्पल

और नमूने बुनकर तैयार करते हैं, वह इतने अच्छे और आकर्षक नहीं होते हैं जिससे जो संस्थाएं उनका उपयोग करना चाहती हैं वह नहीं कर पाती हैं। हमारे मध्यप्रदेश में इन्दौर में एक बुनकर केन्द्र है, कलकत्ता में है, ये केन्द्र जो वर्किंग कर रहे हैं, खासतौर से मध्यप्रदेश की बात मैं बताता हूं, हमारे इन्दौर में जो बुनकर सेवा केन्द्र है उसकी वर्किंग इतनी अच्छी नहीं। वहां जो जाते हैं, उनको महीनों तक तो सैम्पल और डिजाइन दिखाया नहीं जाता। इसलिए मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा, जो भी संस्थाएं वहां से डिजाइन लेना चाहती हैं, वहां पर उनको अच्छे डिजाइन बनाकर दें जिससे उन संस्थाओं को लाभ प्राप्त हो सके। अन्त में मैं इस मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आभार करता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदया, मैं टैक्सटाइल की डिमांड्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की एक मिल का जिक्र यहां करना चाहता हूं। यह गया काटन जूट मिल के नाम से मशहूर है। इस मिल की आज जो स्थिति है, उसकी तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो मैं पहले भी मन्त्री महोदय को इसकी स्थिति के सम्बन्ध में अवगत करा चुका हूं। यह मिल काटन की कमी के कारण बन्द रहती है। इसके बन्द होने का एक कारण यह भी है कि मिल के बन्द होने पर भी मजदूरों को तनख्वाह बराबर मिलती रहती है। इन्हीं कारणों से मिल को काफी घाटा हो रहा है मिल के मजदूर यह चाहते हैं कि हमें काटन समय पर मिलती रहे और हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करते रहें। देखने में यह भी आया है कि जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स आपके हाथ में हैं, उसके प्रबन्धक ठीक से काम नहीं करते हैं। अतः इस ओर भी आप ध्यान दें और कुछ सख्ती बरतें।

जून 1985 में जो आपने नई कपड़ा नीति की घोषणा की थी आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि उससे कितनी आपको सफलता मिली है? यह एक समझने की चीज है। एक समय में तो हमारे देश की कपड़ा मिलों ने विश्व में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया था। लेकिन अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अब लोग इस धंधे को छोड़ कर जा रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि उन्हें दूसरे धंधों से ज्यादा मुनाफा हो रहा है और जो आपका सिंथेटिक कपड़ा तैयार हो रहा है, वहां से भी उन्हें ज्यादा मुनाफा मिल रहा है व सरकार की तरफ से अनेक रियायतें उस पर मिल रही हैं। इसके साथ ही रुई से जो कपड़ा बनता है उसमें भी काफी कमी की जा रही है। इन सब चीजों का आपको देखना चाहिए।

अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे क्षेत्र की गया काटन जूट मिल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वहां हो सके और मजदूरों की इच्छा की पूर्ति हो सके। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

वस्त्र मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : अध्यक्ष महोदया, मैं वास्तव में माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। विभिन्न सुझाव जो दिए गए हैं, वे ज्ञान और कुशाग्रता से परिपूर्ण हैं। ज्यादातर मामलों में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह जनप्रतिनिधियों के रूप में सबसे निचले स्तर के अनुभव से आया है और महोदया, आपके माध्यम से मैं उनको आश्वस्त कराता हूं कि जो कुछ यहां कहा गया है जो कुछ टिप्पणियां उन्होंने की है, हमारे मंत्रालय द्वारा उन पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी नीतियों और कार्यक्रमों के पुनर्मूल्यांकन में जो कि हम सतत रूप से कर रहे हैं, वे हमारी सहायता करेंगे।

[श्री राम निवास मिर्धा]

महोदया, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कृषि पर आधारित एक उद्योग है। यह एक रोजगार उन्मुख उद्योग है। रूई उत्पादकों से लेकर थोक विक्रेताओं तक यह रोजगार लाखों लोगों को रोजगार देता है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का यह 20 प्रतिशत है। देश के कुल निर्यात का यह 25 प्रतिशत है। और इसीलिए इस उद्योग की स्थिति और उसके उचित कार्यकरण के बारे में सरकार सदैव बहुत गम्भीर रही है। महोदया, यह उद्योग एक जटिल उद्योग है इसीलिए यह समस्या उत्पन्न हुई है और अब तक जो भाषण हमने सुने हैं उनसे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि एक ही क्षेत्र में लोगों के भिन्न-भिन्न हित है और कई बार ये हित परस्पर विरोधी भी होते हैं। हमने हमेशा इन भिन्न-भिन्न हितों और परस्पर विरोधी हितों में इस ढंग से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है कि सभी लोग इससे संतुष्ट हों और इससे जो परिणाम निकले हैं या निकलने हैं, उससे कोई भी व्यक्ति सन्तुष्ट नहीं हैं। कई बार हमने महसूस किया है कि सम्भवतः यह एक संतुलित नीति है।

3.00 म० प०

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : इस नीति से बड़े घराने संतुष्ट रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा नहीं, वे भी सन्तुष्ट नहीं हैं। वे अपना कारोबार बन्द कर रहे हैं। आप चिन्ता मत कीजिए। सबसे ज्यादा नुकसान उनको हुआ है···(व्यवधान) आप कृपया शांति रखिए।

इस उद्योग में तीन बड़े क्षेत्र हैं। असंगठित क्षेत्र में हथकरघे और बिजलीकरघे हैं और संगठित क्षेत्र में मिले हैं। मैं कुल कपड़ा उत्पादन में उनका कितना योगदान है इस बारे में वर्तमान स्थिति आपके समक्ष पेश करूंगा 27.2 प्रतिशत कपड़े का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र में, 49.2 प्रतिशत उत्पादन बिजली करघा क्षेत्र में और 23.6 प्रतिशत मिल क्षेत्र में हुआ।

1985 की वस्त्र नीति जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि जांच पड़ताल के लिए कौन-कौन से मापदण्ड अपनाये जाने चाहिए? मैं आपको कुछ तथ्य और आंकड़े देना चाहूंगा जो संभवतः इस बात में हमारी मदद करेंगे कि इस नीति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा नहीं। वर्ष प्रति वर्ष कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई हैं। नीति घोषित हो जाने के पश्चात वर्ष-प्रति-वर्ष कपड़े की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि हुई है; इस समय भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है; और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र रूप से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

डा० दत्ता सामंत : कैसे वृद्धि हुई है?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं आपको अभी बताता हूं। आप केवल मिल के लोगों से सम्बन्धित हैं। इस स्थिति की सारी समस्या यही है। मिल मालिको और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का हमारे देश के प्रचार माध्यमों पर ऐसा नियन्त्रण है कि वे ऐसी राय बना देते हैं कि सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग संकट में है लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं हैं। हो सकता है कि कुछ मिल उद्योग कठिनाई में हों। लेकिन देश में जितने कपड़े की आवश्यकता है, उसको पूरा किया जा रहा है। वर्ष 1985 की नीति से उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा है। कीमतें स्थिर हैं जून 1985 से जनवरी 1988 की अवधि के

दौरान जब थोक मूल्य का सामान्य सूचकांक 17.1 प्रतिशत बढ़ गया तो, वस्त्र उद्योग में केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं ने अच्छी खरीददारी की। आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं? उपभोक्ता ही हमारी सारी नीतियों का अन्तिम निर्णायक है। मैं नहीं जानता कि देश में ऐसी भी कोई उपभोक्ता वस्तु है जिसके मूल्य में इस प्रकार कम से कम वृद्धि हुई हो। तब से लेकर अब तक केवल 6 प्रतिशत की वृद्धि कोई खास वृद्धि नहीं है।

डा० दत्ता सामंत: 200 करोड़ रुपए की रियायतों के बारे में क्या कहना है?

श्री राम निवास मिर्धा: यदि इससे उपभोक्ता को लाभ होता है, तो हम ऐसा एक बार नहीं, दो बार करेंगे···(व्यवधान)

अतः महोदया, हथकरघे और बिजली करघे के उत्पादन में वृद्धि हुई है और मिल के उत्पादन में थोड़ी सी कमी आई है।

अब मैं नियोजन पहलू का उल्लेख करूंगा। 1985 की नीति के पश्चात, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार में लगे लोगों की संख्या बढ़कर 6 लाख तथा बिजली करघा क्षेत्र में यह संख्या 4 लाख 20 हजार हो गई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मिल क्षेत्र में यह संख्या घटकर 1 लाख 80 रह गई है। लेकिन वस्त्र उद्योग में नियोजन की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर 8 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार मिला।

डा० दत्ता सामंत: ये सब आंकड़े कल्पना मात्र हैं। इनको आंकने का कोई तरीका नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा: हर चीज को मापने का पैमाना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया व्यवधान न डालें।

श्री राम निवास मिर्धा: जब किसी तर्क की खातिर कोई तर्क किया जाता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और मैं इसका बुरा नहीं मानता। लेकिन माननीय महोदय जिस बात को कहना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार के तर्क अथवा कारण की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पास बिजली करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र में लगे लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए अनेक तरीके हैं। यदि उनके पास इतना धैर्य है कि वह हमारे विशेषज्ञों के पास बैठ सकें तो हम उन्हें इस सम्बन्ध में बताएंगे और हम निष्पक्ष रूप से ऐसा करने को तैयार हैं।

डा० दत्ता सामंत: असंगठित क्षेत्र में श्रम को मापने के लिए कोई तरीका नहीं है। यह सभा देश का सबसे ऊंचा मंच है और माननीय मन्त्री महोदय को इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देने चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा: माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि उच्चतम मंच की उच्चतम गरिमा होती है। अतः रोजगार की दृष्टि से, जो कि नीति का एक तत्व है, यदि मिल क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है उसको आप निकाल दें तो उसे 8.4 लाख का फायदा हुआ है। क्या औद्योगिक संकट की यही स्थिति है? हर कोई कहता है कि मिल बन्द हो रहे हैं परन्तु यह कोई नहीं कहता कि कपड़े का उत्पादन बढ़ा है तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नीति बहुत सफल रही है। किन्तु इस सबके बावजूद हम खुले दिल से इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुए, जिन्होंने इस उद्योग की सफलता पर सन्देह किया है, हमने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसमें सभी सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, जो इस

[श्री राम निवास मिर्धा]

बात की समीक्षा करेगी कि अब तक कपड़ा नीति कहां तक सफल रही है। हम खुले मन से देखेंगे कि वास्तव में समस्या क्या है। हमें कुछ छिपाना नहीं है और हम इसी प्रकार करते रहेंगे।

मैं संगठित क्षेत्र की बात कर रहा था। सारे भाषणों में कहा गया है कि मिलें बन्द न की जाएं। यह कहने वाले सदस्य कम थे कि मिलें बन्द होने से श्रमिकों का क्या होगा। हमारी चिन्ता मिलों के चलने या बन्द होने की नहीं है बल्कि हमें चिन्ता यह है कि यदि किसी कारण से मिल बन्द होते हैं तो श्रमिकों का क्या किया जाए। हमारे दिमाग में उनका हित सर्वप्रमुख है। इसलिए कपड़ा नीति में विशेष तौर पर कहा गया है हम इस प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि बनायेंगे और वह ऐसे श्रमिकों को दी जाएगी जिन्हें मिल बन्द होने के बाद मजबूरन रोजगार छोड़ना पड़ता है। इसमें हमने कुछ शर्तें रखी हैं और वे ये हैं कि केवल श्रमिक पुनर्वास निधि चालू की जाएगी। हम पहले वर्ष मजूरी का 75 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 50 प्रतिशत और उसके बाद के वर्ष में 25 प्रतिशत देंगे। यह राशि कानूनन बकाया राशि के अतिरिक्त होगी। ऐसी स्थिति में यही भारत सरकार का योगदान है। हमने एक शर्त रखी है कि यदि मिल तालाबन्दी की घोषणा करती है तो इसका अर्थ है कि वह मिल हमेशा के लिए बन्द हो गया है। उसके बाद किसी भी मिल में तालाबन्दी नहीं हुई है हालांकि श्रमिक बेरोजगार हैं, वे हमारी विशेष निधि—पुनर्वास निधि—का उपयोग नहीं कर सकते हैं। श्रमिकों के नेता उनकी दशा को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम उसे बन्द घोषित कर दें, कृपया आप उन्हें राहत पहुंचाएं। वे हमेशा कहते रहे हैं···(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : कृपया सुनिए। सभा को गुमराह करने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं दोहराता हूं "जिम्मेदार श्रमिक नेताओं को मुख्यता श्रमिकों के भविष्य की चिन्ता होनी चाहिए।" तो उन्हें कहीं से भी कुछ नहीं मिला। श्रमिक नेता उस स्थिति का सामना कर सकते हैं। वे बन्द मिलों, बेरोजगार श्रमिकों, जीवन-निर्वाह के साधनों के न होने की बात तो जरूर कहेंगे किन्तु यह नहीं कहेंगे कि औपचारिक बन्दी घोषित करके सरकारी सहायता दी जाए। किन्तु अब हमारा, जैसा कि श्री हरुभाई मेहता ने सुझाव दिया है, इस नीति में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। हम ऐसा करेंगे। हम इस योजना को, ऐसे यूनिटों पर लागू करके, उदार बनाना चाहते हैं, जिनके मामले में कम्पनी अधिनियम के अधीन परिसमापक नियुक्त किया गया है। वह आ गया है। उसने आस्तियों को कब्जे में ले लिया है। हम औपचारिक बन्दी पर जोर नहीं देंगे।

यह एक ऐसी स्थिति के प्रति उचित प्रतिक्रिया का अभाव है जिसके प्रति उन्हें अधिक उदार तथा सहिष्णु होना चाहिए था। हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया है। अब हम औपचारिक बन्दी पर जोर नहीं देंगे। किन्तु यदि मिलें दिवालिया हो गई हैं, जिसका अभिप्राय है कि उनके दोबारा चालू होने की संभावना कम है, तो हम यह दे देंगे। हमने ऐसा किया है। यथासम्भव, मैं विषयवार इसे लूंगा। रूई, रूई बनाम सिन्थेटिक्स के बारे में काफी कहा गया है यह भी कहा गया है कि हम, सिंथेटिक लोगों के प्रति अधिक नरम हैं। 1985 की नीति में स्पष्टतः कहा गया है कि कपड़ा उद्योग में रूई की प्रमुख कच्चे माल के रूप में जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे बरकरार रखा जाएगा। मैं पूरी सत्यनिष्ठा से दोहराता हूं कि अब भी हमारी नीति यही है कि कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रूई की महत्वपूर्ण भूमिका हर तरह से और प्रत्येक परिस्थिति में बनाए रखी जाएगी। इसमें कोई सन्देह नहीं

है। इस दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। 1986 में हमारे देश में कुल कपड़े तथा धागे का 82% रूई से ही किया गया था। रूई की खपत में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। श्री राठौड़ कृपया इसे नोट करें : यह हमारी नीति के कारण कम नहीं हो रही है। वास्तविक रूप में रूई की खपत धीरे-धीरे बढ़ रही है तथा संश्लिष्टों से इस क्षेत्र को कोई हानि नहीं हुई है। बजट में हमने कुछ रियायतें दी हैं जो सर्वप्रथम उपभोक्ताओं तक पहुंचनी चाहिए, जैसा कि वित्त मन्त्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। वित्त मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से सलाह-मशविरा करके हम एक निगरानी तन्त्र बना रहे हैं जो यह देखेगा कि यह कार्य कैसे किया जाए। नई नीति में रियायतों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के सिवाय हम यह भी देखेंगे कि इन रियायतों का कपास पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। संश्लिष्ट क्षेत्र को हमारे द्वारा दी जाने वाली रियायतों का पुनः मूल्यांकन यदि आवश्यक हुआ, करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण होगा।

हथकरघा क्षेत्र के लोग अब संश्लिष्ट तथा मिश्रित धागे चाहते हैं। इसीलिए, अपने बाजार में वृद्धि करने तथा नए बाजार में अपना माल बेचने की इच्छा रखने वाले लोग उत्पादकों तथा बुनकरों की सहकारी सोसाइटियां तथा समग्र रूप से बुनकर भी इसके हक में हैं। हमने नए बजट में संश्लिष्ट धागों आदि का प्रयोग करने वाली सहकारी सोसाइटियों के लिए काफी रियायतें दी हैं, इसलिए हमें यह देखना है कि कपास की उत्कृष्ट स्थिति बनी रहे तथा इसे बदलने के लिए कुछ भी न किया जाए।

केवल यही नहीं मैंने माननीय कृषि मन्त्री, श्री भजनलाल तथा पूर्ववर्ती कृषिमन्त्री के साथ भी यह मामला उठाया था कि हमें कपास उत्पादन नीति तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए। सातवें दशक के मध्य तक हम 200 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की लम्बे रेशे की कपास का आयात करते थे। इसके अलावा सरकार की नीतियों, संकर बीज विकसित करने वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों के योगदान, खेतों तक पहुंचने वाली विस्तार एजेन्सियों तथा चुनौतियों का सामना करने वाले साहसी और नया दृष्टिकोण रखने किसानों के कारण 7 अथवा 8 वर्ष की अवधि के भीतर पूरी तस्वीर बदल गई है। हम लम्बे रेशे की कपास की केवल अपनी ही आवश्यकता पूरी नहीं कर रहे बल्कि हम धागे तथा खुद कपास का कई गुणा निर्यात करने की स्थिति में हैं, जैसा कि हमने गत वर्ष किया। हम नहीं चाहते कि बेहतर तथा अधिक उत्पादन का यह क्रम समाप्त हो। इसलिए माननीय कृषि मन्त्री से इस बारे में बातचीत चल रही है कि विभिन्न किस्मों को युक्तियुक्त बनाया जाए, कपास के क्षेत्र में अनुसंधान कैसे बढ़ाया जाए तथा यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उत्पादित कपास अच्छी किस्म की हो, उचित श्रेणीकरण हो, ठीक तरह से ओटाई हो तथा गांठें ठीक तरह से बनें और कपास से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर सुव्यवस्थित ढंग से कार्य हो। मैं एक बार पुनः आश्वासन दे सकता हूं कि संश्लिष्टों से इस स्थिति पर किसी प्रकार से भी बुरा असर नहीं पड़ेगा।

श्री उत्तम राठौड़ ने कई बातों का उल्लेख किया है जो वास्तव में सही नहीं है। उन्होंने उल्लेख किया है कि भारत सरकार अथवा वस्त्र मन्त्रालय को बोनस देने के बारे में आपत्ति है। वस्त्र मन्त्रालय को बोनस देने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में, महाराष्ट्र को भारत सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यदि वे बोनस देना चाहते हैं, जो वे पहले से दे रहे हैं। वे पहले ही 200 रुपए दे चुके हैं; इसलिए कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक महाराष्ट्र के एकाधिकार खरीद के गुण-दोषों का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि हम इस अवसर पर उसकी बात करें क्योंकि यहां वह इतना प्रासंगिक नहीं है, परन्तु एक संक्षिप्त बात जो

[श्री राम निवास मिर्धा]

मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि बोनस के लिए हमारी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। महाराष्ट्र सरकार तथा परिसंघ ने अब बोनस दे दिया है। इसके बारे में उन्हें पूरी स्वतन्त्रता है; वे इसके बारे में जो चाहे कर सकते हैं। केवल उन वोटों के कारण ही वे कुछ बोनस देने की घोषणा कर सके। जहां तक भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र परिसंघ की सहायता न किये जाने का सम्बन्ध है, वह भी सत्य नहीं है? भारत सरकार, विशेष रूप से वस्त्र मन्त्रालय को कपास उत्पादकों तथा उनकी संस्थाओं के बारे में बहुत अधिक चिन्ता है तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र की स्थिति पहले से ही हमारे समक्ष है। इसी प्रकार गुजरात भी है। हम उनकी यथासम्भव बेहतर ढंग से सहायता करने का प्रयास करेंगे। परन्तु कपास का मूल्य इतना अधिक होने पर भी महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य स्थानों से हमें कपास उत्पादकों की संस्थाओं से अभ्यावेदन तथा अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि 'निर्यात करने की अनुमति दी जाए।' यहां बहुत से ऐसे सदस्यों ने जो हथकरघा बुनकरों का हित चाहते हैं, कहा है कि निर्यात बन्द किया जाए। इसके बारे में क्या कहा जाए? वे ऐसी स्थिति में रूई निर्यात के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ संगठनों द्वारा रूईनिर्यात को बहुत ही तीक्ष्णता से बढ़ावा दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि धागों के उच्च मूल्य रूई के उच्च मूल्यों के कारण हैं। यहां पर भी दो मत हैं। इसलिए मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारी नीति इन हितों की यथासम्भव सुचारु तरीके से रक्षा करने के लिए है ताकि देश के सामान्य हितों को बनाये रखा जा सके, कपड़ा उद्योग के सभी वर्ग उचित रूप से कार्य कर सकें और हर चीज सही तरीके से चल सके।

अब मैं हथकरघा क्षेत्र पर आता हूं, जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने काफी रुचि दिखाई है और जो ठीक ही है। कृषि के पश्चात हथकरघा ही सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है तथा यह लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है; यह हमारी अमूल्य राष्ट्रीय विरासत का एक अंग है; हमें यह संस्कृति हजारों वर्षों के सांस्कृतिक अनुभव से प्राप्त हुई है तथा हम इसे एक आर्थिक वस्तु के रूप में, एक सांस्कृतिक वस्तु के रूप में सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए, हम चाहे जिस दृष्टि से देखें, हम चाहते हैं कि हथकरघा क्षेत्र को हर तरह की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब तक जो भी कार्यवाहियां हमने की हैं वे ये दर्शाती हैं कि हम हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं। पहली योजना में हथकरघा क्षेत्र के लिए 11.10 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, तथा सातवीं योजना में यह राशि 165.5 करोड़ रुपए थी। यह अधिक तो नहीं है परन्तु फिर भी हम और अधिक धनराशि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु यह भी एक बड़ी छलांग है। हथकरघों की संख्या में वृद्धि हुई है; हथकरघा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा हथकरघा क्षेत्र को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं।

एक मुद्दा धागों के निर्यात के बारे में उठाया गया था और यह बताया गया था कि इससे हथकरघा बुनकरों के हितों को हानि पहुंच रही है। हम धागों का निर्यात कर रहे हैं। परन्तु इस वर्ष हमने 1 से 60 तक के रेशे वर्ग में 4 करोड़ किलो तक का निर्यात करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। यह हमारे कुल उत्पादन का लगभग 3 प्रतिशत बैठता है। इसलिए यह कोई ज्यादा नहीं है। निर्यात से कार्यकुशलता बढ़ती है। इससे कताई मिलों की अर्थक्षमता में सुधार होता है और इससे किसी भी क्षेत्र में कोई गिरावट नहीं आई है। निर्यात के परिणामस्वरूप धागों की अधिक कीमतें नहीं हुई हैं, बल्कि यह रूई की अधिक कीमतों का परिणाम है। इस वर्ष रूई की कीमतें बहुत अधिक रही हैं; अब ये कीमतें गिरनी शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कीमतें पिछले वर्ष की तथा उससे भी पहले की कीमतों की

तुलना में अभी अधिक हैं; और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें किस प्रकार कम किया जाये। जो एक बात हमने अपने निर्यात के साथ की है वह है अग्रिम लाइसेंस प्रदान करना। दरअसल, हम रूई का आयात करना चाहते हैं। वे इसका धागा बनाकर या कपड़े बनाकर निर्यात कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : तब आप इसके आयात की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : जी नहीं। हम इसके निर्यात की अनुमति बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। पिछले साल हमने रूई का निर्यात करना शुरू किया था, लेकिन मौसम के बीच में ही जब हमने देखा कि कीमतें बढ़ रही हैं तो हमने इसके निर्यात को रोक दिया।

डा० दत्ता सामन्त : आप किसानों के लिए क्यों चिन्तित होते हैं ? उन्हें यह मिल ही जायेगी।

श्री राम निवास मिर्धा : किसानों को यह बहुतायत में मिल रही है। केवल मिल मालिक ही इसका भण्डार कर रहे हैं और आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं।

डा० दत्ता सामन्त : जी नहीं, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कल ही मैंने साफ-साफ यह बताया था···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : वह अपनी बात पर अड़े हुये हैं, मैं क्या कर सकता हूं ? यदि वह अपनी बात पर न अड़ें तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं। आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते ? कोई टीका-टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री राम निवास मिर्धा : सदस्य को गुमराह करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूं उस पर अटल हूं। (**व्यवधान**) हमारे यहां अनेकों क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। अनेकों आपत्तियां उठाई गई हैं। श्री जैनुल बशर ने भी कुछ कहा है। छूट योजना के बारे में भी कुछ कहा गया है, इसमें अनेकों खामियां आई हैं, तथा और भी ऐसी बातें कही गई हैं। हम छूट-योजना की समीक्षा कर रहे हैं; न केवल छूट योजना की ही, बल्कि उन सभी योजनाओं की जो हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए बनाई गई हैं। हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। हमने इस विषय में एक अध्ययन दल का गठन किया है। हमने आनन्द ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान स इन विषयों का अध्ययन करने के लिए कहा है; और जब इसके परिणाम प्राप्त हो जायेंगे, हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि क्या छूट दी जानी चाहिए अथवा नहीं या कुछ अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि हथकरघा बुनकरों को लाभ मिल सके।

जहां तक जनता कपड़े इसके घटिया स्तर तथा इसके कम लाभ की बात है मैं यह बताना चाहता हू कि यह योजना बहुत ही कम कुशल बुनकरों के लिए लागू की गई है; इस योजना का आशय करघों के सामान्य कार्यचालन को तबदील करना नहीं है। हर किसी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इसे स्वीकार करे ही। यह तो उनके सामने एक विकल्प है। यदि वे अपनी बेहतर कार्यकुशलता तथा अन्य बातों और विपणन के बल पर बढ़िया स्तर का उत्पादन कर सकते हैं तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। परन्तु कुछ बुनकर ऐसे हैं भी जो बेहतर कार्यकुशल बुनकरों का मुकाबला नहीं कर सकते; और उन्हें भी किसी-न-किसी तरह बनाये रखना है। अतः ऐसे बुनकरों के लिए ही हमने ऐसा प्रावधान

[श्री राम निवास मिर्धा]

किया है। इस प्रकार का कपड़ा बनाना बहुत आसान है। यह बहुत सन्तोषजनक तो नहीं है, जैसा कि आपने कहा ही है, यह बहुत ज्यादा चलने वाला भी नहीं है; देखने में भी यह उतना अच्छा नहीं है जितना आप चाहते हैं। लेकिन यह बहुत कार्यकुशल लोगों के लिए नहीं है जो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा, यह बाजार से गायब ही हो जाता। इस योजना के कारण ही उन्हें रोजगार मिला हुआ है। नहीं तो उनका क्या होगा ? अतः इस योजना का यह विशेष उद्देश्य है। और हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह योजना चलती रहे। हथकरघा तथा हस्तशिल्प के बारे में एक और बात है। पहली बार हमने सूखा पीड़ितों की सहायता, बुनकरों तथा कारीगरों के लिए एक योजना बनाई है। हमारे देश में सूखा पड़ रहा है, और हमने हथकरघा के क्षेत्र में एक योजना बनाई है. उदाहरण के लिए 2.6 लाख बुनकर 150 दिन काम करेंगे अर्थात सूखा राहत कार्यों के एक अंग के रूप में 3.9 करोड़ दिन। हम विभिन्न राज्य सरकारों तथा सहकारी संगठनों और हथकरघा निगमों से इस बारे में सम्पर्क बनाये हुए हैं कि इसका किस तरह से उपयोग किया जाये। हम इन कार्यकुशल लोगों को इस बात के लिए मजबूर नहीं करना चाहते कि वे साधारण प्रकार का कार्य करें जैसे साधारण नहरें खोदना या सड़कें बनाना। हम उसकी कार्यकुशलता का उपयोग करना चाहते हैं और यही वह योजना है जो हमने कारीगरों और हथकरघा उद्योग में लगे लोगों के लिए बनाई है।

पटसन एक और ऐसा उद्योग है जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है।

डा० दत्ता सामन्त : राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों का तो आपने उल्लेख ही नहीं किया।

श्री राम निवास मिर्धा : पटसन उससे अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आप यह जानते हैं। (**व्यवधान**) पटसन के बारे में जानने का भी प्रयास कीजिए। आप केवल संगठित श्रमिकों के प्रति ही नहीं बल्कि पटसन उत्पादकों के प्रति भी कुछ सहानुभूति रखिए।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : उनकी संगठित श्रमिकों के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : पटसन बहुत महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : अब श्रमिक आपको बाहर कर देंगे। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 125 मिलों के बारे में आपने उल्लेख नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं किया। (**व्यवधान**)

श्री राम निवास मिर्धा : खेद की बात यह है कि कुछ नेता मिल मालिकों के लिए अगुआ बन गए हैं और यही सारी मुसीबत है। श्री सामन्त आप उत्पादकों के बारे में कभी नहीं बोलते, आप पटसन के बारे में कभी नहीं बोलते, आप कारीगरों के बारे में कभी नहीं बोलते, आप हथकरघा बुनकरों के बारे में कभी नहीं बोलते। (**व्यवधान**) ये लोग मिल मालिकों के अगुआ हैं। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : डा० सामन्त, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इस प्रकार क्यों खड़े हो जाते हैं ? मैं नहीं चाहता कि दूसरों के बीच में टोका जाए। मैंने आपको खड़े होने के लिए कभी नहीं कहा। कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने आपको नहीं कहा है।

(**व्यवधान**)

डा० दत्ता सामन्त : मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के बारे में पूछ रहा हूं।

सभापति महोदय : आप इस प्रकार क्यों खड़े हो जाते हैं और उनके भाषण में व्यवधान डालते हैं ? उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। वह झुकने वाले नहीं हैं।

डा० दत्ता सामन्त : आप श्रमिकों को मार रहे हैं और उन्हें दूसरे कार्यों में लगा रहे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सामन्त, यदि आप इसी प्रकार बोलते रहे तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न की जाए।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : जब वे मिलों की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि हमारे कुछ श्रमिक मिल मालिकों के लिए अगुआ बन गए हैं।

डा० दत्ता सामन्त : आर० एम० एम० एस० नेताओं की क्या स्थिति है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बार-बार आपको बता रहा हूं। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : और मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य उनकी शोचनीय दशा के विरुद्ध प्रतिवाद क्यों कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री राम निवास मिर्धा : पटसन एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान मन्त्री की इसमें विशेष रुचि है। उन्होंने कलकत्ता में जिस एक-मुश्त योजना (पैकेज) की घोषणा की थी हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं और उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपए आधुनिकीकरण के लिए हैं और 100 करोड़ रुपए विशेष पटसन विकास निधि के लिए है।

एक मुद्दा उठाया गया है कि हम आधुनिकीकरण के कार्य के लिए धनराशि का शीघ्र वितरण नहीं कर रहे हैं, अथवा व्यय की गति बहुत धीमी है, अथवा धन का वितरण धीमा है। हम मिल मालिकों को अंधाधुंध धन वितरित नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि इस धन से वे वास्तव में बहुत सक्षम और कार्यशील बनें। हमें जो प्रस्ताव मिलते हैं उन्हें हम दृढ़तापूर्वक लागू करते हैं, हम ऐसी स्थिति पैदा करना नहीं चाहते कि हम मुक्त रूप से धन देते रहे और कुछ माह बाद वे पुनः सड़कों पर आ जाएं और धन की मांग करें। हम इस धन का अपव्यय नहीं करेंगे। हमारे यहां विशेषज्ञों का एक दल है जो सक्षमता का पता लगाता है और कुछ वित्तीय संस्थान इस कार्य में सम्मिलित है। यदि वे रुग्ण हैं परन्तु सक्षम हैं तो उन्हें इस योजना में से धन दिया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रगति तो हुई है; परन्तु यह मैं मानता हूं कि धीमी हुई है। जैसा कि मैंने कहा है कि जब तक कोई संगठन सक्षम नहीं है, हम धन नहीं देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : विकास के निधि की क्या स्थिति है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं। 100 करोड़ रुपए की यह विशेष विकास निधि वास्तव में एक विशेष योजना है। 25 करोड़ रुपए, अर्थात, 25 प्रतिशत धनराशि कृषि के लिए निर्धारित की गई है और यह भी वस्त्र मन्त्रालय का सिरदर्द नहीं है। वस्त्र मन्त्रालय ने पटसन के सिवाय किसी अन्य क्षेत्र के लिए, कृषि अथवा सहकारिता के लिए धन नहीं दिया है क्योंकि हमने देखा है कि इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं किया गया है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने विगत वर्षों में पटसन उत्पादकों की अपेक्षा की है। पटसन के लिए उनकी कोई कृषि विकास योजना नहीं है। पटसन उत्पादकों की सहायता के लिए उन्होंने अपनी सहकारी समितियों को सुदृढ़ नहीं किया है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे पहले ही वहां हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम निवास मिर्धा : अभी भी पटसन के बीज महाराष्ट्र में पैदा होते हैं पश्चिम बंगाल में नहीं। उन्होंने अच्छे बीज, जो कृषि के लिए प्राथमिक आदान हैं, सप्लाई करने के लिए बुनियादी ढांचा भी तैयार नहीं किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है। इसीलिए केन्द्रीय सरकार को आगे आना पड़ा और कृषि और सहकारिता, जो दोनों ही राज्य के विषय हैं, के लिए धन देना पड़ा। हमने भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय को भी धन दिया है और यह धनराशि बहुत योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग की जा रही है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इसने अच्छी शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित विचारों में से एक विचार विविधता का है। **(व्यवधान)** माननीय सदस्यों ने कुछ आंकड़े दिए हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री प्रताप, आप जवाब क्यों नहीं सुन रहे हैं ? मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकती।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : राज्य सरकार कार्य करने में सुस्त है। यह समस्या है। उनको इसे करना है। पैसा कृषि मन्त्रालय के पास है। **(व्यवधान)**

महोदया, मैं इसे पुनः दोहराऊंगा। पश्चिम बंगाल सरकार की ढिलाई के कारण पैसा उचित रूप से या तेजी से नहीं वितरित हो पा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने पैसा किसको दिया है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पैसा किसको दिया गया है ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वह जवाब दे रहे हैं। आप उनका जवाब ठीक तरह से क्यों नहीं सुनते हैं। श्री सामन्त, मुझे यह बात पसन्द नहीं है। श्री बसुदेव आचार्य, मैं बोल रही हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ? कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : कृपया एक समय एक ही व्यक्ति बोलें जिससे कि मैं जवाब दे सकूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं बोल रही हूं। आप उनकी बात ठीक से सुने। वह आपकी बात का

जवाब दे रहे हैं। श्री दत्ता सामन्त, मुझे आपकी टीका-टिप्पणी करना पसन्द नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं यह बात बार-बार दोहरा रही हूं।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : राज्य सरकार को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने श्री भजन लाल को पैसा दिया है। धीमी प्रगति के लिए उनको दोष दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उनको जवाब देने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सामन्त आप अनावश्यक रूप से खड़े हो रहे हैं और उनके बोलने में बाधा डाल रहे हैं। मैं बार-बार यह बात दोहरा रही हूं कि आप उनके बोलने में बाधा डाल रहे हैं। आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। आपको उन्हें ठीक ढंग से सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : महोदया, मैं सदन को गुमराह नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रायप्रधान, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप उनके बोलने में बाधा क्यों पहुंचा रहे हैं ? यह ठीक बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

[तत्पश्चात् डा० दत्ता सामन्त सभा-भवन से बाहर चले गए]

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने कहा है पच्चीस प्रतिशत कृषि के लिए आरक्षित है। राज्य सरकार को सहकारिता और इसके लिए योजनाएं बनानी होती हैं जिनकी जांच कृषि मन्त्रालय करता है और पैसा हम देते हैं। अब योजनाएं बन गई हैं और हमने पहली किस्त जारी कर दी है और यदि वे कृषि विस्तार और अन्य कार्यक्रमों पर प्रशासनिक तरीकों से सही ढंग से अधिक धन इस्तेमाल कर सकें तो हम इन 25 करोड़ रु० की सीमा के भीतर यथासम्भव धनराशि देने के लिए तैयार हैं। इसलिए, यही मुझे कहना है। केवल पटसन के लिए बनाई गई यह एक बहुत विशिष्ट योजना है। इससे यह पता चलता है कि पटसन उत्पादकों के बारे में हम कितने चिन्तित हैं।

अब मैं रेशम उत्पादन पर आता हूं जिसके विषय में माननीय सदस्य दिग्विजय सिंह और अन्य सदस्यों ने उल्लेख किया है। रेशम उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपसे और कर्नाटक से आए हुए सदस्यों से अधिक अच्छा कोई नहीं जान सकता है ''(व्यवधान) देश के तेंतालीस हजार गांव रेशम का उत्पादन कर रहे हैं और इस कार्य में पचास लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। जिनमें से ज्यादातर लोग पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के हैं जैसे कि जनजातीय लोग

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राम निवास मिर्धा]

थे। रेशम उत्पादन में यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए हम इसका यथासम्भव संवर्धन करने के लिए कटिबद्ध है।

इस विषय में मैं अब जम्मू और कश्मीर राज्य पर आता हूं (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर में गलीचा और अन्य वस्तुओं के लिए भी वे बहुत रेशम का उपयोग करते हैं। लेकिन रेशम का उत्पादन बहुत कम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री से सम्पर्क करके नीति में कुछ परिवर्तन सुझाए हैं जिससे कि इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किए जा सकें। जैसा कि वह कहते हैं, शहतूत वहां उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह अत्यन्त समृद्ध और उपयुक्त क्षेत्र है। यदि वे शहतूत नहीं उगा सकते हैं तो फिर कौन उगा सकता है? अतः मुख्य मन्त्री नीति में कुछ परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए हैं और जम्मू और कश्मीर तथा अन्य क्षेत्रों में भी हम रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ज़ोर देना चाहते हैं।

हमारे देश में रेशम का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और इस समय हम 9420 टन रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। जिसमें से 8500 टन शहतूत की किस्म है और शेष दूसरी किस्में है। इस 8500 टन की शहतूत किस्म में से अस्सी से नब्बे प्रतिशत कर्नाटक से आता है। ऐसा उन्होंने किया है। यही उन कारणों में से एक है कि क्यों हमारे माननीय सदस्य उत्तर भारत में एक-दूसरा रेशम कार्यालय चाहते हैं। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है दक्षिण के राज्यों—कर्नाटक नहीं, में अस्सी से नब्बे प्रतिशत शहतूत का उत्पादन होता है, लेकिन उत्तरी राज्यों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है···(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल को छोड़कर।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी सीमा तक यह ठीक है। इस विषय में पश्चिम बंगाल के लिए हमारे पास विशेष योजनाएं हैं। माल्दा गहन विकास योजना और अन्य योजनाएं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को लो। केवल बनारस में दो हजार टन से अधिक खपत होती है और सम्पूर्ण राज्य में वे केवल 23 टन उत्पादन करते हैं। हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से दो बार लखनऊ गया, मुख्य मन्त्री से मिला और उनसे रेशम निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया, जिसके साथ हम बात तो कर सकें, जो कम-से-कम एक योजना तैयार कर सके और विश्व बैंक को भेजने या स्वयं का धन लगाने के लिए हमारे पास प्रेषित कर सके। अन्ततः हम सफल हुए। किसी की नियुक्ति हुई है। लेकिन योजना अभी बननी है। इसीलिए, हम उनके साथ हैं। यह तो एक विशिष्ट तरीका मात्र है। राजस्थान में—श्री वृद्धि चन्द्र जैन शायद जानने के इच्छुक होंगे—बांसवाड़ा तथा अन्य स्थानों के जनजाति क्षेत्रों में हमने एक योजना शुरू की है। इसमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, विद्यापीठ का स्वैच्छिक संगठन भी शामिल है। इसीलिए, प्रत्येक सहायता यह देखने के लिए स्वीकार की जा रही है कि इसका विकास हो सके तथा प्रत्येक कार्य सही ढंग से हो सके। हमारे पास विश्व बैंक से वित्त-पोषण प्राप्त एक बड़ी योजना है तथा हम यह देखेंगे कि इसे प्रोत्साहन देने के लिए सब कुछ किया जाए। धीरे-धीरे उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड वास्तव में एक ऐसा सांविधिक निकाय है जिसे अनुसन्धान और विकास तथा कुछ विस्तार कार्य करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। देहरादून तथा देश के अन्य भागों में इनके अनुसन्धान संगठन हैं जो इनकी सहायता करते हैं। परन्तु मूल रूप से जब तक राज्य सरकारों को केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायता लेने के लिए नहीं कहा जाएगा, तब तक उत्तरी क्षेत्र में अलग कार्यालय

खोलने अथवा 'क' को हटाने अथवा 'ख' को विस्थापित करने से कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी सम्बन्धित राज्य सरकार से इस बहुत ही उपयुक्त योजना को शुरू करने के लिए कहें। लगभग सभी क्षेत्रों में शहतूत उगाया जा सकता है। सभी वनों में किसी न किसी प्रकार की रेशम तैयार की जा सकती है। आदिवासी लोग यह कार्य कर सकते हैं। निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी इसमें रोजगार दिया जाता है। यह एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्र है जिसमें रोजगार प्रदान किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कार्य धीरे-धीरे सफल हो जाएगा तथा माननीय सदस्य हमें इसमें सहयोग देंगे। यहां पर भी समस्या रेशम उत्पादकों तथा रेशम बुनकरों के बीच उत्पन्न होती है चाहे वे विद्युत करघों वाले हों अथवा हथकरघों वाले हों। कमी के कारण मूल्यों में पुनः काफी वृद्धि हो गई है। चीन तथा अन्य स्रोतों से प्रत्येक वर्ष 2000 टन आयात किया जाता है। परन्तु इस वर्ष चीन से इतनी पूर्ति नहीं हुई है जितनी पहले होती थी। हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा हमने उन्हें 100 टन आयात के लिए प्राधिकृत किया है, बिचौलियों के माध्यम से नहीं—यह केन्द्रीकृत है अर्थात् यह केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से है। यह उल्लेख किया गया है कि आयात केवल गैर-सरकारी लोगों के माध्यम से किया जाता है। यह गैर-सरकारी लोगों के माध्यम से नहीं होगा। 24 टन पहले ही पहुंच चुकी है। हम चीन की सरकार से और रेशम भेजने के लिए सम्पर्क बनाए हुए हैं जिसके कारण कुछ आयात हुआ है—तथा इस आयात की वजह से मूल्य पहले ही गिरने शुरू हो गए हैं। हम मूल्यों मे मन्दी लाना नहीं चाहते। हमारा यह लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। किन्तु वे युक्तियुक्त होने चाहिएं ताकि उत्पादकों को कुछ मिल सके तथा हथकरघा वालों को भी कुछ सीमा तक लाभ मिल सके। यह उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड मुनाफा कमा रहा है। यह सत्य नहीं है।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : केन्द्रीय रेशम बोर्ड 2॰0 से 300 रुपए तक प्रति किलोग्राम वसूल कर रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान जी, यह सत्य नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि उन्हें कहा गया है कि वे लागत वसूल न करें वरन् केवल भण्डारण आदि हेतु कुछ प्रभार मात्र वसूल करें। वे इसमें से लाभ के रूप में एक पाई भी नहीं कमा रहे।

एक माननीय सदस्य : यह मूल्य बाजार मूल्य के बराबर नहीं होना चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : आप हमारे पास बैठकर यह देख सकते हैं कि हमने इसे किस मूल्य पर आयात किया है तथा हमने इस पर कितनी लागत लगाई है और फिर हमें बताएं कि क्या यह युक्तियुक्त है अथवा नहीं। स्थानीय मूल्यों से यह फिर भी बेहतर है। किन्तु यदि जब स्थानीय मूल्य गिरने शुरू हो जाते हैं तो हम मूल्य के इस अन्तर को अधिक नहीं बनाए रख सकते क्योंकि उसे आयात करने के लिए हमें कुछ पैसा अदा करना पड़ता है। इसीलिए वे इस विषय में काफी सचेत हैं तथा हम देखेंगे कि यह भी सफल हो। अपनी बात पूरी करने से पूर्व मैं हस्तशिल्पों के बारे में कुछ कहूंगा।

महोदय, श्री सोज ने कालीन तथा अन्य वस्तुओं के बारे में उल्लेख किया है। हमारे परम्परागत शिल्पों का यह एक अन्य क्षेत्र है जिसमें भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। हमारा अनुमान है कि हस्तशिल्पों में 34 लाख लोगों को रोजगार मिलता है तथा माल का कुल 5900 करोड़ रुपये का कारबार होता है। इससे निर्धन पिछड़े लोगों तथा अल्पसंख्यकों को भी लाभ मिलता है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाए। अब, महोदय, हस्तशिल्प दस्तकारों के लिए हमारी सूचा

[श्री राम निवास मिर्धा]

राहत योजना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में मुझे यह कहना है कि कश्मीर में बड़ी संख्या में कालीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। वास्तव में उनके पास आवश्यकता से भी अधिक सुविधाएं हैं। विपणन में हम उनकी सहायता करते हैं; निर्यात में हम उनकी सहायता करते हैं, अभिकल्पन तथा तकनीकी विकास में भी हम उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से ये सारे कार्यक्रम वहां मौजूद हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : निकासी और विपणन के बारे में क्या हुआ ?

श्री राम निवास मिर्धा : विपणन के लिए भी एम्पोरियमों की मरम्मत करना, बाजार को बढ़ावा देना, विदेशों में प्रचार करना तथा अन्य सभी सम्बन्धित कार्य हम राज्य निगम को दे देते हैं। यदि माननीय सदस्य इसकी उपेक्षा करने की बजाय इसमें अधिक रुचि लेते तो यह निश्चय ही अधिक सहायक सिद्ध होगा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन इसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने रेगिस्तान के हृदय बाड़मेर तथा जैसलमेर में कालीन प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए हैं तथा यह वहां इतना बढ़िया चल गया है कि इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है तथा यह बहुत ही अच्छा रोजगारोन्मुख क्षेत्र है और यहां लोगों की दक्षता का उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए, महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस विवाद में भाग लेने, अपनी सलाह का हमें लाभ देने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूं तथा उन्हें आश्वासन देता हूं कि जो भी उन्होंने कहा है उस पर अति गम्भीरता से विचार किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : पटसन सामग्री के अनिवार्य उपयोग हेतु अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात्, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जिन संगठनों के लिए यह कानून बनाया गया था उनके द्वारा पटसन के पैकेजों अथवा बोरों के उपयोग में कोई वृद्धि की गई है।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, श्री अमर राय प्रधान ने भी इसी मुद्दे के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा था कि आरक्षण आदेश का क्या हुआ ? यह आदेश पारित किया गया था कि खाद्यान्न सामग्रियों के लिए पैकेजिंग 100 प्रतिशत पटसन के बोरों में की जानी चाहिए, सीमेंट के लिए यह 75 प्रतिशत होनी चाहिए तथा उर्वरकों के लिए यह 50 प्रतिशत होनी चाहिए। किन्तु इस नियम को लागू करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं। जब मैंने भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया था। उन्होंने कहा कि उनके पास पुराना कुछ स्टाक है। अब वे इसमें धीरे-धीरे वृद्धि कर रहे हैं तथा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे यथाशीघ्र निश्चित प्रतिशतता हासिल कर लेंगे। हम इकाई-दर-इकाई इस पर नजर रख रहे हैं। हम देश के विभिन्न भागों में प्रयोक्ताओं तथा अन्य को इस नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं तथा हमने यह सुनिश्चित करने का निश्चय कर लिया है कि पटसन उत्पादकों के लाभ हेतु इस आरक्षण आदेश को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा।

एक और बात यह है कि कुछ सन्दर्भों में समस्त देश में कुछ मामले चल रहे हैं तथा हमने उन्हें एक स्थान पर लाने के लिए पुनः उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है ताकि वे उन्हें तुरन्त निपटा सकें और उसके अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। हम बहुत गम्भीरता से इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय से राहत दिलाने के लिए हम बढ़िया से बढ़िया कानूनी सलाह, जो भी हमें उपलब्ध हैं, का उपयोग कर रहे हैं तथा मुझे एक निश्चित विश्वास है कि यह बहुत ही गम्भीरता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

सभापति महोदय : श्री बनातवाला ने कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 प्रस्तुत किए हैं। अतः, अब मैं कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1 से 5 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : अब मैं वस्त्र मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में वस्त्र मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 72 के सामने दिखाए गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए वस्त्र मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांग

मांग सं०	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
वस्त्र मन्त्रालय					
72.	वस्त्र मंत्रालय	87,26,00,000	47,95,00,000	436,28,00,000	239,76,00,000

3.41 म० प०

तमिलनाडु राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक

और

तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम अगली मदों, अर्थात्, मद संख्या 9 और 10 पर विचार करेंगे। श्री बूटा सिंह।

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को विधि बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदया, सभा को यह जानकारी है कि तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1988 को की गई उद्घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि राज्य के विधान-मण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी।

3.42 म० प०

[श्री एम० वेंकटरस्मम पीठासीन हुए]

संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (क) के अन्तर्गत राज्य के विधान-मण्डल की विधि बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने को और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत करने की संसद को क्षमता होगी। इस प्रकार, इस विधेयक का आशय राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने के लिए राष्ट्रपति को राज्य विधान-मण्डल की शक्तियां प्रदत्त करना है। राष्ट्रपति शासन वाले राज्य के सम्बन्ध में इस प्रकार के विधान पर विचार किया जाना सामान्य प्रक्रिया रही है और वर्तमान विधेयक उसी प्रकार का है। इस सम्बन्ध में विधेयक में संसद के 60 सदस्यों (40 लोक सभा के और 20 राज्य सभा के)

की एक परामर्शदात्री समिति का गठन करने का भी प्रावधान किया गया है। संसद को, यदि आवश्यक हो तो, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानूनों में सीधे संशोधन करने की शक्ति प्रदत्त करने का भी उपबंध किया गया है। यह विधेयक राज्य द्वारा 29 मार्च, 1988 को पारित किया गया था।

मैं माननीय सभा से यह विधायी प्रस्ताव स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री भजन लाल।

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि तमिलनाडु सरकारी सोसाइटियाँ (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

ये दो छोटे-छोटे बिल हैं और इनकी जो मंशा है उसकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन है इसलिए यह वहां पर पेश नहीं हो सके और इनमें से पहले बिल की मियाद 27 मार्च, 1988 को खत्म हो चुकी इसलिए 6 महीने का टाइम हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि इसी दौरान में वहां इलैक्शन यानी चुनाव कराए जा सकें।

इसी तरह से दूसरा बिल है जिसमें तकरीबन 11 साल 10 महीने हो गए, चुनाव नहीं हुए और उसमें भी हम 6 महीम का टाइम लेना चाहते हैं ताकि इस अवधि में चुनाव कराए जा सकें, जो प्रजातन्त्र की एक प्रणाली है, उसको सही तरीके से, सुचारु रूप से कायम रखा जा सके।

इसी उद्देश्य से हम यह बिल लाए हैं, इनको हाऊस आगे के लिए 6 महीने का टाइम दे दे और 6 महीने के दौरान वहां चुनाव हो सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

"कि राष्ट्रपति को विधि बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के विधान-मण्डल की शक्ति प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

"कि तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति)

[सभापति महोदय]

अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

"कि तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

***श्री एस० तंगराजु** (पेरम्बलूर) : सभापति महोदय, श्रीमान, मेरा पहला संशोधन संसद की उस समिति से सम्बन्धित है जिसे आप गठित करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : संशोधन के बारे में नहीं। आप विचार करने के प्रस्ताव पर बोलिए। संशोधन बाद में आते हैं।

***श्री एस० तंगराजु** : वहां राज्य विधान-मण्डल नहीं है इसलिए आप राष्ट्रपति को शक्ति दे रहे हैं। आप उन्हें अन्धाधुन्ध शक्तियां दे रहे हैं। दूसरी ओर आपका प्रस्ताव है कि जब भी राष्ट्रपति व्यवहार्य समझेगा संसदीय समिति से परामर्श करेगा। मेरे संशोधन में यह प्रस्तावित है कि ऐसा परामर्श अनिवार्य बनाया जाए।

सभापति महोदय : श्री तंगराजु आप विधेयक पर बोलिए ; संशोधनों पर नहीं। संशोधन बाद में आएंगे। आप विधेयक पर बोलिए।

***श्री एस० तंगराजु** : जी हां, मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं।

मेरा दूसरा और तीसरा संशोधन समिति की रचना से सम्बन्धित है। जैसाकि मैंने पहले कहा है राज्य में विधानमण्डल नहीं है। सभा में निर्वाचित सदस्य नहीं है। तथापि, तमिलनाडु से चुने गए संसद सदस्य यहां हैं। जनता की आवाज सर्वोच्च विधि है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च विधि निर्माता है। इसलिए समिति की रचना करते समय आपको तमिलनाडु के सभी संसद-सदस्यों को इस समिति में अवश्य शामिल करना चाहिए। आपको अन्य राज्यों से आए उन संसद-सदस्यों को भी शामिल करना चाहिए, तो इस राज्य के विकास में रुचि रखते हैं।

इस अवसर पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य में जल्दी चुनाव कराने का प्रबन्ध करे ताकि लोकप्रिय सरकार गठित की जा सके। जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ही कुछ कर सकती है। वही राज्य में प्रजातन्त्र को कायम रख सकती है। राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करना लोकतांत्रिक नहीं है। मैं फिर अनुरोध करता हूं कि राज्य विधान सभा के चुनाव शीघ्र करवाए जाएं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्रीमान मैं केवल एक बात पर जोर देना चाहता हूं। लोकतन्त्र

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, विधान-मण्डल भंग किया जाए और आप विधि बनाने की वह शक्तियां स्वयं हथिया लें जोकि वहां की राज्य सरकार का और उनके प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। मैं तमिलनाडु में उत्पन्न स्थिति के विस्तार में नहीं जा रहा हूं किन्तु लोकतन्त्र से प्रेम करने वाले सभी लोगों, विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के दिमाग में वास्तव में जो प्रश्न आ रहा है वह यह है कि आप ऐसी प्रक्रिया कैसे शुरू करेंगे जिससे वहां विधान-मण्डल के लिए शीघ्र चुनाव हो जाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वहां चुनाव में देर न हों। शीघ्र ही निर्वाचित प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का कार्य सौंपा जाए न कि केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जाए जैसाकि आप कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभिप्राय ही ठीक नहीं है।

आप अपने दल की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ा रहे हैं क्योंकि दूसरे लोगों के स्वाभाविक रूप में सत्ता में आने की सम्भावना अधिक है। इससे हमारी जनता के दिमाग में यह सन्देह होता है कि अन्य तरीके अपनाकर—बेशक गलत तरीके हों—जब तक आप जीतने के लिए आश्वस्त नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं करवाएंगे। केन्द्रीय सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। ए० आई० ए० डी० एम० के विभिन्न दलों या अन्य दलों द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। फिर भी तमिलनाडु के लोग लोकतन्त्र प्रिय हैं। लोग उस दिन का इन्तजार कर रहे हैं जब उन्हें अपनी सरकार चुनने के लिए मतदान करने का अवसर मिलेगा। यह अविलम्ब किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मन्त्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। चुनाव करवाने के लिए आप क्या कर रहे हैं ? चुनावों की घोषणा करने से पहले बहुत कुछ किया जाना होता है। क्या वह सब कर लिया गया है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : ज्योतिष सहित।

सरदार बूटा सिंह : यह मार्क्सवादी भी ज्योतिष में विश्वास करता है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं नहीं कहता। मैं जानता हूं कि आप करते हैं। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इस सभा के समक्ष आए इस विधेयक की छोटी-मोटी बातों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। किन्तु मैं तो यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री स्पष्ट आश्वासन दें कि निर्वाचन की घोषणा में विलम्ब नहीं होगा और जनता की सरकार शीघ्र ही स्थापित की जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

सरदार बूटा सिंह : क्या आप विधेयक का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, श्रीमान, जैसाकि आप जानते हैं जो विधेयक पुरःस्थापित किया गया और दूसरी सभा द्वारा पारित किया गया है वह बहुत सरल तथा समर्थकारी है। पहले भी···

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर चीज समर्थकारी है। यहां तक कि आयात विधि भी समर्थकारी है। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : सरकार चाहती है कि चुनाव यथासम्भव शीघ्र हों। कार्रवाई जारी है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य काफी हद तक हो गया है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वास्तव में···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वास्तव में ?

सरदार बूटा सिंह : यही कि सक्रिय होना होगा···(**व्यवधान**) हमने निर्वाचन आयोग के साथ मामला उठाया है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सूचित किया है कि मतदाता सूचियों के व्यापक पुनरीक्षण का कार्यक्रम बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि मतदाता सूचियों के मई तक छपने की आशा है और समस्त कार्रवाई पर निगरानी रखी जा रही है ताकि जून 1988 के अन्त तक चुनाव हो जाएं। तो इस प्रकार प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह निश्चित है कि चुनाव करवाने से पहले राज्यपाल सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करेंगे। आम राय ली जाएगी। यह एक सामान्य बात है। किन्तु यह विधेयक ही अपने आपमें एक लोकतांत्रिक विधेयक है। यह उतना कठोर नहीं है। राष्ट्रपति को विधान पारित करने की शक्ति दी गई है और 30 दिन के भीतर यह सभा और दूसरी सभा इसमें परिवर्तन के बारे में सुझाव दे सकती है या इसे स्वीकार कर सकती है या इसे रद्द कर सकती है। इसलिए, दरअसल, यह सत्र उन विधानों को इस सम्मान्य सभा के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए है। यह लोकतांत्रिक कदम है। मेरे मित्र को इसका स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि वे प्रगतिशील दल से सम्बद्ध हैं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हम राज्यपाल के शासन के माध्यम से अपने दल के जीतने के अवसर बढ़ाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते। देश की जनता में हमारा दल बहुत लोकप्रिय है और इस देश के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए है। इसलिए, यह कहना गलत है कि हम राज्यपाल के माध्यम से अपने राजनीतिक हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल निष्ठावान व्यक्ति हैं। वह हमारे बहुत विख्यात प्रशासकों में से हैं। इसलिए···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तमिलनाडु के राज्यपाल पर भी विशेष जोर क्यों दिया जा रहा है ?

सरदार बूटा सिंह : क्यों नहीं। हमे ऐसे विख्यात नागरिक पर गर्व है जो हमारे इस महान राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : प्रत्येक राज्यपाल निष्ठावान व्यक्ति होना चाहिए। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : राज्यपाल को संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करना होता है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं···(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जो कुछ भी सरकारिया आयोग ने कहा है आपने उसे समझा नहीं है। इसीलिए आप ऐसा कहने को बाध्य हो रहे हैं। (**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : सरकारिया आयोग की रिपोर्ट इस सदन में अवश्य ही प्रस्तुत की जाएगी।

हम उस पर आपके अमूल्य विचार सुनेंगे। हम इस समय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के योगदान से अवश्य लाभ उठाएंगे जब सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर इस सदन में चर्चा होगी।

मुझे डर है कि माननीय सदस्य श्री तंगाराजू अपने संशोधन पर पहले ही बोल चुके हैं। उनका संशोधन बहुत ही कठोर है। उन्हें भारत की जनता में और अधिक विश्वास होना चाहिए। हमें तमिलनाडु की जनता पर गर्व है। परन्तु उन्हें देश की शेष जनता पर भी गर्व होना चाहिए। जैसाकि आपको तमिलनाडु की जनता के प्रति लगाव है आपको भारत की शेष जनता पर भी कुछ विश्वास होना चाहिए जैसाकि वे भारतीय पहले हैं। इसलिए उनका संशोधन बहुत कठोर है। हमने इस सम्मानीय सदन में इस बात को सम्भव बनाया है कि तमिलनाडु के सदस्यों के साथ ही साथ, यदि कहीं कमी रह गई हो और माननीय अध्यक्ष तमिलनाडु की परामर्शदात्री समिति में अन्य सदस्यों के नामनिर्देशित करना चाहते हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह इतना कठोर नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैंने अपने मित्र श्री तंगाराजु के संशोधन का उत्तर दे दिया है और मैं आशा करता हूं··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : समिति की बैठक ही कभी नहीं होती।

सरदार बूटा सिंह : पहले इसका गठन तो हो जाने दीजिए (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : पंजाब के बारे में आपने समिति का गठन किया था परन्तु इसकी कभी बैठक नहीं हुई। मैं उस समिति का सदस्य हूं। इसकी बैठक कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सैफुद्दीन साहिब, पहले समिति बन तो जाने दीजिए। मैं इस समिति के गठन के लिए इस सदन से अनुमति मांग रहा हूं। इसका गठन हो जाने दीजिए। हम बैठक भी करेंगे। हम आपको मद्रास ले जाएंगे और वहां आपके लिए इडली, डोसा और अच्छे पकवानों का इन्तजाम किया जाएगा। इसलिए, जैसे ही इस समिति का गठन हो जाएगा, यदि यह आवश्यक हुआ तो हम तत्काल ही इसकी बैठक करेंगे। इसलिए, सदस्यों को उन विभिन्न उपायों पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा जो राज्यपाल या राष्ट्रपति तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए करना चाहते हैं। इन चन्द शब्दों के साथ मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दे क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिससे तमिलनाडु की जनता को लाभ पहुंचेगा।

सभापति महोदय : अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रपति को विधि बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य के विधान-मण्डल को शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। **खण्ड 2 पर कोई संशोधन नहीं** है।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 राष्ट्रपति को विधि बनाने के लिए राज्य विधान-मण्डल की शक्ति प्रदत्त किया जाना

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 3 लेते हैं।

श्री एस० तंगराजु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि : —

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 और 2—

"जब भी वह ऐसा करना साध्य समझते हैं" शब्दों का लोप किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 और 4—

"जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित लोक सभा के चालीस सदस्यों से और सभापति द्वारा नाम-निर्देशित राज्य सभा के बीस सदस्यों से मिलकर बनेगी"

के स्थान पर

"जो संसद के दोनों सदनों के उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी जो यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम-निर्देशित किए जाएं।" (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह और कि संसद के दोनों सदनों में तमिलनाडु राज्य से यथास्थिति निर्वाचित या नाम-निर्देशित सभी सदस्य इस प्रकार गठित समिति के अनिवार्यतः सदस्य होंगे।" (3)

इस विधेयक के अधीन, यह देखा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति ऐसा करना व्यावहारिक समझते हैं, वह किसी समिति से परामर्श कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। तमिलनाडु के बारे में कोई विधान बनाने के लिए समिति से हर मामले में तुरन्त परामर्श किया जाना चाहिए।

इस संशोधन को कृपया स्वीकार कर लिया जाए।

मेरे दूसरे और तीसरे संशोधन में यह उपबन्ध है कि समिति को रचनात्मक होना चाहिए। यदि तमिलनाडु के लोक सभा और राज्य सभा में तमिलनाडु के जितने भी संसद सदस्य हैं, उन सभी को उस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वह समिति अपने दायित्वों का अच्छी तरह निर्वाह कर सकती है। उसकी कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा होनी भी नहीं चाहिए। लोक सभा से चालीस संसद सदस्यों और राज्य सभा से 20 संसद सदस्यों को शामिल किए जाने से सम्बन्धित सीमा को भी समाप्त किया जाना चाहिए और इस संशोधन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

4.00 म० प०

सरदार बूटा सिंह : इन संशोधनों में उठाए गए विवादों का जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। मैंने कहा था कि केवल उन परन्तुकों को कठोरता से निर्धारित किया गया है किंतु हम बहुत उदार हैं। हमने विकल्पों के लिए छूट दी। इस सम्मानित सभा के दूसरे राज्यों से आए हुए सदस्य भी इन सलाहकार समितियों से सम्बद्ध होने चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे लिए माननीय सदस्य को शामिल करना सम्भव नहीं है। उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि अन्य राज्यों के सदस्यों को तमिलनाडु की सलाहकार समिति से क्यों नहीं सम्बद्ध किया जा सका है। इसलिए मैं उनसे संशोधनों को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस ले रहे हैं?

श्री एस० तंगराजू : जी नहीं श्रीमान, मैं अपने संशोधनों पर दृढ़ हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री एस० तंगराजु द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा में मत-विभाजन के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 से 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सरदार बूटा सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि हमारे आतंकित गृहमंत्री कहते हैं कि मैं आतंकित हूं क्योंकि पंजाब के विषय में वह पूर्णतया आतंकित हैं, वह वहां कुछ नहीं कर सकते हैं—उन्होंने एक भी शब्द इस बारे में नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम क्यों पारित किया जाय। उन्होंने इसे छुआ तक नहीं है। मैं जानता हूं संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह विधानमण्डल को दरकिनार करने वाले कानून पारित कर सके। इस समय तो उस राज्य का विधानमण्डल भी नहीं है वे इसे निगल गये हैं। जहां तक संसद का सम्बन्ध है वह इससे कतराकर निकलना चाहते हैं। अब वे कार्यकारी विधायन लाना चाहते हैं। अध्यादेश पारित करने के समान अब एक कार्यकारी विधायन होगा।

इसलिए, अब सरदार बूटा सिंह कानूनों का प्रारूप तैयार करेंगे—यदि वह स्वयं इसको कर सकते हैं तो—और तब उसको पारित किया जायेगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे और जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है उसके वह कानून बन जायेगा। यहां तक कि परामर्शदात्री समिति या सलाहकार समिति को अवसर दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है—विधेयक पर विचार करने के लिए उनको अवसर दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता। कृपया खण्ड 3 की उपधारा (3) को देखें। इसके अनुसार :—

"राष्ट्रपति द्वारा उपधारा (2) के अधीन अधिनियमित किए गए प्रत्येक अधिनियम को, अधिनियमन के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।"

"अधिनियम के पश्चात यथाशीघ्र"

एक बहुत रहस्यमय वाक्यांश है। उसके पश्चात यह कितना शीघ्र होगा, कोई नहीं जानता।

यह सत्र बहुत लम्बा है जो कि मई के मध्य तक बैठेगा। यदि कोई इस प्रकार का कानून है जो कि इतना अत्यावश्यक है और जिसको तमिलनाडु के लिए पारित किए जाने की आवश्यकता है या कि किसी नए कानून को अधिनियमित किया जाना है, तब वह सदन के समक्ष क्यों नहीं आ सकते, संसद को संतुष्ट करते और तब इसको अधिनियमित करवाते है ?

अब अधिनियमन के पश्चात क्या दिया जाता है ? 30 दिनों के भीतर संसद का कोई भी सदन उस कानून के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित कर सकता है। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है तो सदन को उस उद्देश्य के लिए समय देना पड़ेगा। इसलिए, मैं नहीं समझ सकता हूं कि तमिलनाडु तक के लिए कानून पारित करते समय संसद की उपेक्षा क्यों की जा रही है।

महोदय, मैं कार्यकारी विधायन के सिद्धान्त के विरुद्ध हूं। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है यह पूर्णतः समर्थनकारी उपबन्ध हैं। सरकार के लिए इस विधेयक को लाना आवश्यक नहीं है या वे इसे पूरी तरह टाल सकते थे लेकिन वे संसद में कोई चर्चा, टिप्पणी और आलोचना को टालना चाहते हैं। कार्यकारी विधायन का सहारा तभी लिया जाना चाहिए जब कोई रास्ता न बचा हो। यदि आप अनुच्छेद 123 देखें,—जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, यह उसके अनुसार जब अत्यन्त आवश्यक हो तथा जब संसद का सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति को कानून लागू करने की तुरन्त आवश्यकता के विषय में संतुष्ट कराना पड़ता है। तब आप एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इस सभा का सत्र चल रहा है और वह अगले डेढ़ महीने तक सत्र में और रहेगी तब संसद को नकारने की क्या आवश्यकता है। सिद्धान्त रूप में यह गलत है। जब उनके अनुसार जून की समाप्ति तक चुनाव कराए जायेंगे तथा आप सभा का यह अधिकार क्यों छीन रहे हैं जबकि सभा की बैठक मई तक होगी? यदि आपने किसी कानून पर विचार किया है तो उसको यहां पेश कीजिए। तब देखना चाहिए कि हम अड़ंगेबाजी करते हैं या नहीं। महोदय, कार्यकारी विधायन से उनको सुसज्जित करने की आवश्यकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए, सिद्धान्त रूप में उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और माननीय मन्त्री को चाहिए कि हालांकि किसी दुर्लभ अवसर पर ही सही इस देश के प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के प्रति कुछ तो सम्मान दर्शाएं।

सरदार बूटा सिंह : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की वाक्पटुता की बराबरी नहीं कर सकता हूं। वह हवाई किले बनाने में और स्वयं ही उसका विध्वंस करने में सक्षम है। इस सदन में इस प्रकार अड़ंगेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य स्वयं ही यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह संविधान के तहत स्वीकार्य है। संविधान से हटकर कोई चीज नहीं की जा रही है। इसलिए, माननीय सदस्य को इतना कड़ा परिश्रम नहीं करना चाहिए था। मेरा विचार था कि वह अन्य और कठिन संवैधानिक कार्यों के लिए अपनी इस शक्ति को सुरक्षित रखेंगे जो कि उन्होंने इस सम्मानीय सदन में करने हैं। माननीय सदस्य का कहना है कि हम इस विधान को सभा में क्यों रख रहे हैं जैसे कि हम किसी परोक्ष इच्छावश उस सदन की शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हों। यह बात सच्चाई से बहुत दूर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम माननीय सदन के पास स्वयं ही एक व्यस्त कार्यक्रम मौजूद है और हम ऐसी चीजों के लिए इस सदन पर और बोझ नहीं डालना चाहते जो चीजें सामान्य रूप से की जा सकती हैं। अब मेरे सहकर्मी श्री भजनलाल इस सभा में सामान्य सहकारी समिति अधिनियम प्रस्तुत करेंगे। उनमें से दो अभी पास किए जायेंगे। इसी प्रकार, राज्य सरकार ने ऐसे अनेकों अन्य उपायों का उल्लेख किया है जिनके लिए उन्हें अपने दैनिक कार्यों में विधायी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : आप हमसे इस विधेयक को क्यों पास कराना चाहते हैं, जबकि हमने ये शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप दी हैं?

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है कि आपके मित्र को संतुष्ट हो जाना चाहिए था। मुझे एक ऐसे विपक्ष का सामना करना पड़ रहा है जो यह कहता है कि आपको कुछ-न-कुछ करना चाहिए और दूसरे यह कहते है कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य को यह जानना चाहिए कि

[सरदार बूटा सिंह]

स्थिति पैदा करने, हमें उपयोगिता से परिचित कराने और उन्हें किन-किन चीजों की आवश्यकता है यह काम राज्य प्रशासन का है। जैसे ही इन चीजों का पता हमें लगेगा, हम इस माननीय सदन में उपस्थिति होंगे। इसलिए मैं यह नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति शासन के अन्त तक क्या होगा। यह राज्य प्रशासन का ही काम है कि वह हमें सलाह दे। वे यह बतायें कि इस अवधि के दौरान उन्हें किन-किन चीजों की आवश्यकता होगी। मई तक, इस सम्मानीय सभा का अधिवेशन है। उसके बाद, मई से लेकर जून के अन्त तक, यदि सभी चीजें ठीक-ठाक चलती रहीं तो कम-से-कम एक महीने का समय होगा, उसमें हम कहां जायेंगे ? इसीलिए, हम संविधान के अधीन यह शक्ति प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम चीजों को सही कर सकें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मन्त्री महोदय, यह आश्वासन देंगे कि मई के अन्त तक वह कोई अध्यादेश जारी नहीं करेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : मैं यह वायदा कैसे कर सकता हूं ? हो सकता है राज्य में कोई ऐसी स्थिति आ पड़े। यह तो एक ऐसा मामला है कि कुछ भी हो सकता है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मई के मध्य तक आप सदन में प्रस्ताव रख सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : जी, हां। जैसा कि मेरे साथी अभी करने वाले हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भावी कानूनों के लिए।

सरदार बूटा सिंह : जैसे ही कोई चीज आती है, स्वाभाविक है कि पहले अवसर पर, हम इस माननीय सभा में इसे प्रस्तुत करेंगे। इस विधेयक में भी, यह प्रावधान है कि विधान बनने के 30 दिन के भीतर, इस सभा को इस पर विचार करने का अधिकार है। वह इसे रद्द कर सकती है। इसमें संशोधन कर सकती है। इसमें सुधार कर सकती है। इसमें कोई संविधान के अतिरिक्त बात नहीं है और न ही इसमें ऐसी कोई बात है जो संविधान की परिधि से बाहर है और जिसे मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति से कराने की कोशिश कर रहा हूं। यह पूर्णतया संविधान के अनुसार है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उनके ही राज्य का उदाहरण दे सकता हूं। 70 और 71 में दो बार···

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने असंवैधानिक शब्द का कभी प्रयोग ही नहीं किया। मैंने तो यह कहा है कि आप प्रशासनिक विधान का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हो। जब तक इस सभा की बैठक चल रही है, आप ऐसा क्यों करते हैं ? और यही मैं कह रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : संविधान में इस बात की पूरी-पूरी व्यवस्था की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हर चीज की व्यवस्था की गई है। आपातकाल की भी व्यवस्था की गई है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : आप इस अहानिकर चीज को आपातकाल के साथ क्यों जोड़ रहे हो ?

आपको तो हमेशा···चिन्ता रहती है। (व्यवधान) इसीलिए मैंने कहा था कि उन्हें अपनी शक्ति किसी गम्भीर विषय के लिए आरक्षित रखनी चाहिए। ये सामान्य बातें हैं। औसत राज्य को, औसत प्रान्त को ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती। इसीलिए उन्हें कम-से-कम आज तो असामान्य नहीं होना चाहिए।

इस माननीय सभा के अन्यथा व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए, संसद के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह ऐसे विभिन्न विधायी उपायों पर विचार करे जो तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में आवश्यक हों। इसमें एक खास किस्म की कठिनाई सामने आ सकती है; जैसे कोई ऐसी स्थिति आ पड़े जिसमें तत्काल विधान बनाने की आवश्यकता हो। जब संसद का सत्र नहीं भी चल रहा होगा तब भी विधान बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है।

ये ऐसी आकस्मिकतायें हैं जिनके लिए हम इस माननीय सभा से शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य का प्रशासन इन उपायों का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए करेगा जिनका उल्लेख किया गया है।

विधान बनाने से पहले भी माननीय सदस्य ने कहा था कि यह आप क्या कर रहे हैं?

इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि तमिलनाडु राज्य के लिए कोई कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति, जब भी कभी वह ऐसा करना व्यवहारिक समझते हैं, इस प्रयोजन के लिए गठित समिति से परामर्श करेंगे, जो इस माननीय सभा के सदस्यों में से गठित की जायेगी।

इसी प्रकार, विधान बनाने के पश्चात, प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 3 में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये विधान पर संसदीय नियंत्रण रहेगा। संसद का कोई भी सदन, उस तारीख से 30 दिन के भीतर जिस तारीख को राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया अधिनियम (उसकी प्रत्या-योजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए) इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, पारित एक संकल्प द्वारा यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाये। यदि दूसरे सदन द्वारा भी इन संशोधनों को मान लिया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा एक संशोधनकारी अधिनियम बनाकर इन संशोधन को लागू किया जा सकेगा। इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति का शक्तियों का प्रत्यायोजन निरंकुश नहीं है और इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी संसद का नियंत्रण किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है।

इतनी ही सीमा तक हम जा सकते हैं। जितना आप सोचते हैं कि आप हैं, हम उससे भी कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं। इसीलिए, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने अपनी संवैधानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है जो कि प्रमाणित है। हम इस बात से इन्कार नहीं करते कि आप एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं।

सरदार बूटा सिंह : इसीलिए, राष्ट्रीय हित में, और तमिलनाडु की जनता के हित में, मेरा

[सरदार बूटा सिंह]

ख्याल है कि माननीय सदस्य मेरी बात से सहमत हो जायेंगे और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम अगला विधेयक लेते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि तमिलनाडु कृषि सेवा सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1986 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा द्वारा अब विधेयक पर खण्डवार विचार किया जाएगा। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भजन लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तमिलनाडु सहकारी सोसाइटियां (विशेष अधिकारियों की नियुक्ति) अधिनियम, 1976 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री भजन लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.18 म० प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

—[जारी]

ऊर्जा मन्त्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 19-21 पर चर्चा तथा मतदान करेंगे जिसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है। जो माननीय सदस्य सभा में उपस्थित हैं और जिनके अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, तो 15 मिनट के भीतर अपनी पर्चियां पटल पर पहुंचा दें जिनमें उन कटौती प्रस्तावों के क्रमांक लिखे हों जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा।

[सभापति महोदय]

पेश किए माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि किसी माननीय सदस्य को उक्त सूची में कोई गलती दिखाई दे तो वह कृपया उसकी सूचना अविलम्ब पटल-अधिकारी को दे दे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 20, 21 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व-लेख तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनाधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।" (देखें पृ० 295)

सभापति महोदय : हां, श्री थामस।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : किसी राष्ट्र के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है ऊर्जा संग्रहण हेतु सारे साधनों को जुटाना। एक भारतीय नागरिक द्वारा ऊर्जा का प्रतिव्यक्त औसत उपयोग अन्तर्राष्ट्रीय औसत से बहुत ही कम है। जबकि यूरोप के देशों का एक नागरिक लगभग 8000 यूनिट बिजली की खपत करता है, सोवियत संघ में वह 6000 यूनिट अमेरिका में 7000 यूनिट, जापान में 7000 से अधिक यूनिट की खपत करता है। हमारी प्रति व्यक्ति खपत लगभग 167 यूनिट है। इससे पता चलता है कि एक औसत भारतीय नागरिक द्वारा ऊर्जा की खपत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर से कहीं नीचे है। कुल मिलाकर एक आम आदमी को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा विकास का मापदण्ड होती है।

भारत को एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते, उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराके ऊर्जा उत्पादन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय क्षेत्र में, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने अपने योजनागत लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। इसके अतिरिक्त यह एक अत्यन्त अर्थक्षम इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और यह आधुनिक विकसित राष्ट्रों की ऊर्जा उत्पादक एजेन्सियों के साथ प्रतियोगिता करने की स्थिति में है। तथापि, हमारे देश के राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति बहुत ही खराब है। मुझे बताया गया है कि सभी राज्य बिजली बोर्डों की ऊर्जा की कुल हानि 1500 करोड़ रुपए की होगी, जबकि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अच्छा लाभ दिखाया है और लाभांश का भुगतान किया है और इस दिशा में अच्छी प्रगति कर रहा है। जहां तक ताप विद्युत का सम्बन्ध है, इसकी बहुत अच्छी स्थिति है।

मुझे बताया गया है कि आधुनिकतम प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत उत्पादन और जल विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी में पारस्परिक क्रिया के द्वारा सस्ती बिजली पैदा करने की संभावना है। फिर भी, मैंने देखा है कि उसके लिए आपके प्रस्तावों में कोई प्रावधान नहीं है। हमने उस आधार पर कोई प्रयोग नहीं किया है। मुझे बताया गया है कि यदि ताप विद्युत और जल विद्युत पैदा करने की प्रौद्योगिकी के साथ-साथ मिला दिया जाए तो उत्पादन लागत बहुत कम हो सकती है। जल ऊर्जा कम उत्पादन लागत पर पैदा की जा सकती है, क्योंकि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है और वह है जल।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए ऊर्जा मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
ऊर्जा मन्त्रालय					
19.	कोयला विभाग	22,29,00,000	255,67,00,000	116,71,00,000	1278,33,00,000
20.	विद्युत विभाग	56,41,00,000	243,49,00,000	282,04,00,000	1217,45,00,000
21.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा विभाग	16,11,00,000	42,00,000	86,87,00,000	2,08,00,000

[श्री तम्पन थामस]

यदि जल का उपयोग करके आप ऊर्जा पैदा करते हैं तो वह सस्ती पड़ेगी। कोयला अथवा परमाणु परियोजनाओं के मामले में लागत कहीं अधिक होगी। इसलिए, यदि ताप विद्युत और जल विद्युत पैदा करने की प्रौद्योगिकी को आपस में मिला दिया जाए तो वर्तमान दर से कम लागत पर बिजली पैदा की जा सकती है।

इस सन्दर्भ में, मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि केरल एक ऐसी जगह है जहां पर काफी पानी है। मुझे बताया गया है कि केरल से बहुत-सा पानी अरब सागर में बह जाता है क्योंकि इसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। इस जल को बिजली उत्पादन में उपयोग में लाने की संभावना पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

पहले की योजनाओं को भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था और लोग कुछ समय के लिए जीवन-यापन करना चाहते थे, अभी तक विद्युत उत्पादन के योजनाकारों का दर्शन गुजरा करना ही था और इसीलिए अब हम नुकसान उठा रहे हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण केरल है। जल का और अधिक अच्छा उपयोग किया जा सकता था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। गत एक दशक से राज्य बिजली बोर्ड ने, चाहे कुछ भी कारण हों, केरल में एक भी इकाई नहीं खोली है। केरल में बिजली उत्पादन के लिए अन्तिम इकाई 1979 में खोली गई थी। यदि 1979 से 1988 तक केरल में बिजली उत्पादन के लिए एक भी इकाई की आयोजना नहीं बनाई गई या चालू नहीं की गई है तो भविष्य क्या होगा? मैं तो केवल इंगित कर रहा हूं और यह दर्शाने के लिए केरल का एक उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह हमारे योजनाकार और नौकरशाह तथा सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर सही दिशा में सोचने में असफल रही है। उन्होंने सोचा कि यदि वे कुछ करते हैं तो उन्हें वाहवाही मिल सकती है अथवा उन्हें मत प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है वे इसका शिकार हो गये हों और उसके परिणामस्वरूप देश को अब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई लक्ष्यजन्य योजना नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि जल ताप विद्युत जैसी कच्ची सामग्री प्रदान की जाती है तो तब बिजली कम लागत पर उत्पादित की जा सकती है। मेरी शिकायत है कि आपने यह कार्य राज्य बिजली बोर्ड के ऊपर क्यों छोड़ दिया। इसे तो केन्द्रीय क्षेत्र योजना होना चाहिए था। आज सबेरे मैंने पश्चिम बंगाल के एक संसद सदस्य के प्रश्न के उत्तर में प्रश्नकाल के दौरान मन्त्री महोदय के उत्तर को सुना। मन्त्री महोदय सांसद को बता रहे थे कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार परियोजना को केन्द्रीय परियोजना के रूप में लेने को तैयार है और 400 करोड़ रुपए दे तो फिर इस 400 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय धनराशि से ऊर्जा पैदा की जा सकती है और इस प्रकार राज्य की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मेरे विचार से यह एक बहुत ही अच्छी योजना है।

अब देखना यह है कि हो क्या रहा है? राज्य बिजली बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है। निस्संदेह, केन्द्रीय क्षेत्र में उपलब्धियां तो हैं, परन्तु निगरानी में कोई सहसम्बन्ध नहीं है। मुझे बताया गया है कि 80 प्रतिशत बिजली का उत्पादन राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है। अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड सफेद हाथी हो गए हैं। वे 20 या 25 वर्ष पुरानी परिस्थितियों के अनुरूप योजना बनाते हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लिया जाए और ऊर्जा उत्पादन के प्रयोजनार्थ सभी उपलब्ध संसाधनों का दोहन किया जाए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस बात में कोई सन्देह नहीं कि आप इस दिशा में कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि जब कभी भी आपको सभा में समय मिला आपने

सदैव सभा को अपने विचारों से अवगत कराया। और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमने आपके विचारों का समर्थन किया। लेकिन आपने निजीकरण के बारे में जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

प्रश्न-काल के दौरान आज आपने इस क्षेत्र के निजीकरण के बारे में बताया। लेकिन आपने हमें आश्वासन दिया है कि निजीकरण अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों को लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ मानदंड निर्धारित करने होंगे। यदि गैर-सरकारी लोगों को उनके निजी लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय सम्पदा का शोषण करने की अनुमति दे दी जाती है तो यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक चीज उनके वशीभूत हो जाएगी। अतः इस ढंग से प्रयास किए जाने चाहिए कि इनका राष्ट्र के विकास में प्रयोग किया जाए। निस्संदेह सभी वर्ग के लोगों ने इसका स्वागत किया है। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में मानदण्ड क्या है और आप किस हद तक गैर-सरकारी व्यक्तियों ऊर्जा के उत्पादन में शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं। ऊर्जा उत्पादन एक राष्ट्रीय विषय है और इस विषय को निजी क्षेत्र के हवाले नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसा किसी रक्षित प्रयोजन को लेकर न किया गया हो।

जो कारखाने निजी तौर पर चलाए जा रहे हैं वे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर के रूप में इकट्ठा किए गए धन की सहायता से विद्युत पर निर्भर करते हैं और इसके लिए वे उत्पादन—लागत से भी कम का भुगतान कर रहे हैं। औद्योगिक विकास में प्रगति करने हेतु सरकार ने बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। अतः यह स्वाभाविक है कि जब आप उन्हें बिजली प्रदान कर रहे हैं तो वे राष्ट्रीय सम्पदा के दम पर लाभ कमाते हैं। इसको इस ढंग से युक्तियुक्त और नियोजित करना होगा कि राष्ट्रीय सम्पदा का दुरुपयोग करके कमाये गए लाभ को समाज के कल्याण में लगाया जा सके। यदि हम उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आम आदमी को केवल 167 यूनिट बिजली मिल रही है और वे अभी भी इस बात के लिए पुराने तरीकों पर निर्भर करते हैं। बिहार और उड़ीसा के गांवों अथवा देश के पिछड़े राज्यों के गांवों में बिजली नहीं हैं। इस बात के ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करा दी जाए। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी हमने केरल में सभी गांवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम बनाया है। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि उतनी मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके बिजली उपलब्ध न होने के कारण वास्तव में केरल में औद्योगिक विकास अत्यन्त संकट में हैं। केरल राज्य वेतन पर आधारित आर्थिक ढांचे पर अधिक से अधिक निर्भर कर रहा है। राज्य में अर्थव्यवस्था के ढांचे को देखने से पता चलता है कि केरल में अधिकांश लोग आशुलिपिक, लिपिक, अध्यापक अथवा नर्स जैसी वेतनभोगी नौकरियों, चाहे वे राज्य में हों अथवा यहां दिल्ली में अथवा चाहे वे देश के बाहर कहीं भी हों, के पीछे भागते हैं। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं वह यह है कि राज्य में औद्योगिक संस्कृति को बनाये रखा नहीं जा सकता। यह सम्भव है कि कुछ हद तक लोगों के वेतनभोगी नौकरियों में रूझान से कतिपय संस्कृति का विकास हुआ हो जो औद्योगिक विकास में ज्यादा सहायक नहीं है। अतः औद्योगिक 'संस्कृति' के विकास को केवल तभी बनाये रखा जा सकता है जब बिजली उपलब्ध हो। जब राज्य में उद्योगों का विकास हो रहा है तो हमें पता चलता है कि ऊर्जा उपलब्ध नहीं है। केरल जिसकी कभी अतिरिक्त बिजली उत्पन्न करने वाले राज्यों की गिनती होती थी, आज बिजली

[श्री तम्पन थामस]

की कमी का सामना करना पड़ रहा है और केरल में 40 प्रतिशत तक की बिजली में कटौती की जा रही है। पिछले सप्ताह भी जब मैं अपने घर गया तो मैंने देखा कि लगातार तीन घंटे, सुबह आठ से ग्यारह तक बिजली में कटौती की गई।

महोदय, इस समस्या पर तभी काबू पाया जा सकता है जब केन्द्र सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे। अतः मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बिजली के उत्पादन और वितरण के लिए केन्द्र सरकार को एक दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन नीति बनानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि दीर्घकालीन नीतियों और परियोजनाओं में समय लगता है। यदि हम बिजली उत्पन्न करने के लिए पन-बिजली परियोजना के निर्माण का कार्य अपने हाथ में लेते हैं तो स्वाभाविक है कि इस कार्य में कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा। धन और अन्य संसाधनों के अलावा निर्माण कार्य और तत्पश्चात बिजली के उत्पादन में कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा और यदि हम केवल इसी ढंग से ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखते हैं तो हमें अपने विकास सम्बन्धी कार्यों को 5 वर्ष तक रोकना पड़ेगा।

अतः इस सन्दर्भ में मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर जोर देना चाहूंगा मैं सुझाव देना चाहूंगा कि तत्काल उपलब्ध संसाधनों से हमें अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए जोकि हम कर सकते हैं। जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन और वितरण किया जाना चाहिए। आज वस्त्र के बारे में चर्चा करने पर मैंने देखा कि 55% स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इस देश में इस ढंग से कितने कारखाने काम नहीं कर रहे है? कितने कारखाने बन्द कर दिए गए हैं और उन्हें क्यों बंद किया गया है? यदि ऊर्जा की कमी के कारण ऐसा है, यदि स्थापित क्षमता का कम उपयोग इसलिए होता है क्योंकि हमने ऊर्जा की आपूर्ति नहीं की, फिर चाहे केन्द्रीय हो या राज्य सरकार हो, गलती तो हमारी ही है। इसीलिए इसकी योजना यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई जानी चाहिए कि इस देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों और उत्पादन सामग्री का उपयोग अधिकतम सीमा तक किया जाना चाहिए। और यह केवल तभी सम्भव है यदि हम किसी भी समय, किसी भी कीमत पर, किसी भी ढंग से ऊर्जा उपलब्ध कराने की स्थिति में हों। इस सन्दर्भ में, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह उन राज्यों को प्राथमिकता प्रदान करने में न हिचकिचाएं जहां पर बिजली की कमी है। और इस प्रयोजनार्थ, आप उन योजनाओं और नीतियों को भी एक ओर रख सकते हैं जिनका आप पहले अनुसरण करते रहे हैं। ऐसा मैं किसी विशिष्ट प्रयोजनार्थ कह रहा हूं। रामागुंडम और महाराष्ट्र केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। कलपक्कम और नैवेली भी केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्य से, केरल को दिया गया हिस्सा पर्याप्त नहीं है। गत वर्ष जब इस मामले पर चर्चा की गई तो मन्त्री महोदय ने कहा था कि यदि लम्बी दूरी तक बिजली दी जाती है तो पारेषण में घाटा अधिक होगा। यह 20 से 30 प्रतिशत तक की सीमा तक भी हो सकता है और इस कारण से राज्य द्वारा लागत को वहन नहीं किया जा सकता और इसलिए केरल को विद्युत नहीं दी जा सकती। अब मेरा यह निवेदन है कि उत्पादन प्रक्रिया को जारी एवं सक्रिय रखा जाए तथा उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम उत्पादन किया जाए। आपको यह देखना चाहिए कि किस ढंग से उपलब्ध बिजली को प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकता पूर्ति हेतु सप्लाई किया जाना चाहिए। आप इसे अल्पावधि कार्यक्रम के रूप में ले सकते हैं। जिस भी ढंग से सम्भव हो बिजली उत्पादन के लिए मध्यावधि कार्यक्रम और नियोजन भी होना चाहिए।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में एक विशिष्ट बात कहना चाहूंगा। केरल के कायमकुलम में, राज्य सरकार का एक प्रस्ताव है और वह केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है। इस प्रस्ताव द्वारा एक तापीय विद्युत संयंत्र आरम्भ किया जाना है। निस्संदेह, यह अनेक समस्याएं पैदा करता है। मैं सुदूर दक्षिण में कोयला उपलब्ध कराने की कठिनाई को जानता हूं। परन्तु यदि आप तमिलनाडु कोयला उपलब्ध करा सकते हैं तो फिर कायमकुलम, केरल में भी उपलब्ध में भी उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। निस्सन्देह, समग्र परियोजना को हाथ में लेना राज्य सरकार के लिए कठिन होगा। यदि आप ऊर्जा के उत्पादन के लिए पश्चिमी समुद्र तट पर कोई स्थान विकसित करना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको पत्तन भी विकसित करना होगा। एक पत्तन को विकसित करने के लिए अलग से और 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। वह केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। धनाभाव के कारण राज्य सरकार सीधे ही एक पत्तन के विकास में स्वयं को नहीं लगा सकती है। आपको याद होगा कि धनाभाव के कारण केरल सरकार को स्वयं अपने कर्मचारियों को वेतनों के भुगतान में कठिनाई का सामना करना पड़ा था।

मेरा अनुरोध है कि इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य ठप्प पड़ सकता है। इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप इन सब मामलों को प्राथमिकता प्रदान कीजिए। आप आवश्यक स्वीकृतियां प्रदान कीजिए। एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया था कि निस्सन्देह केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु आप पर्यावरण मन्त्रालय से अनुमति ले लेते हैं। उसके बाद आप वित्तीय स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति ले लेते हैं। अत: अनिवार्य रूप से इस प्रकार की चार या पांच स्वीकृतियां आवश्यक हैं। राज्य सरकार इन सभी स्वीकृतियों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। वह राज्य विद्युत बोर्ड से प्रस्ताव कर रही है। केवल स्वीकृतियां ही प्राप्त करने में 3 से 4 वर्ष लग जायेंगे अतः परियोजना को शुरू या चालू करने में और पांच वर्ष लग जायेंगे। इसीलिए उस समय तक कोई बिजली पैदा नहीं की जाएगी।

अत: मेरा अनुरोध है कि इन सब रुकावटों के बावजूद केन्द्र को इन्हें अपने हाथ में लेना चाहिए। सबेरे आपने सुझाव दिया था कि बिजली उत्पादन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे, उन्हें बिजली उत्पादन के प्रयोजनार्थ एकजुट करके उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में नई-नई प्रोद्योगिकीयों और तरीकों पर विचार करना होगा। मैं आशा करता हूं कि साठे जी को एक जन-सेवक के रूप में अनुभव प्राप्त है। वह लोगों की समस्याओं को जानते हैं। यह देश की अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण समस्या है और हर बात मुख्य तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हाल ही में अनिवासी भारतीयों ने सहायता की पेशकश की थी, यदि कहीं हम उन्हें अपने देश में बिजली उत्पादन की अनुमति दे सके। तो मुझे नहीं पता कि इस सम्बन्ध में कोई गम्भीर चर्चा हमारे देश में की गई है। हाल ही में मैंने खाड़ी के देशों का दौरा किया था जहां काफी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं। वे मुझे बता रहे थे कि अपने देश के विकास के लिए वे अपना योगदान देने को तैयार हैं। परन्तु वे कहते हैं कि इस बारे में सरकारी स्तर पर कोई गम्भीर चर्चा नहीं की गई है। वास्तव में वे शिकायत कर रहे थे। जब मैं एक रेलगाड़ी से जा रहा था तो एक व्यक्ति आया और उसने तुरन्त मुझे एक परियोजना सम्बन्धी कागज दिया। उसने कहा कि खाड़ी के एक देश में किसी स्थान पर वे ज्वारीय लहरों—समुद्री जल से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, हम भारत में इस विधि का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते। मैंने उनसे कहा कि वे राज्य सरकार से सम्पर्क करें। पता नहीं राज्य सरकार ने इस पर आगे कोई कार्यवाही की है अथवा नहीं? ऊर्जा का उत्पादन करने

[श्री तम्पन थामस]

सम्बन्धी इस प्रकार के अनेक प्रस्ताव हैं। इस सम्बन्ध में जहां तक सम्भव हो ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक प्रवासी भारतीयों को अवसर दिए जाने चाहिएं। विदेशों में कार्यरत हमारे लोगों के पास धन भी है और वे इस देश के विकास में योगदान देने को भी तैयार है। मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई जिम्मेवार व्यक्ति प्रेम अथवा उसी प्रकार अन्य ढंग से अविचारित रूप से नहीं बल्कि गम्भीरता से उनके साथ सम्पर्क करें तो वे अपना योगदान देने को तैयार हैं। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्भव हो आप विद्युत उत्पादन के प्रयोजनार्थ प्रवासी भारतीयों को आकर्षित करें। आप इस पर विचार कर सकते हैं और कम से कम समय में आसानी से धन एकत्र कर सकते हैं। मैंने यह भी कहा है कि विकसित और विकासशील देशों में विकेन्द्रीकरण से विद्युत उत्पादन में बहुत सहायता मिली है।

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : यह भी गैर-सरकारी क्षेत्र में ही होगा— प्रवासी भारतीयों के।

श्री तम्पन थामस : जी नहीं। परन्तु आप इसे बना सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। शोषण का मौका मत दीजिए। प्रश्न यही है। आप इस पर गौर करें। इस सीमा तक मैं सहमत हूं। आप उचित सुरक्षोपायों सहित उनका सहयोग प्राप्त करें न कि उन्हें शोषण करने की छूट दे दें। मैं केवल इस बात का विरोध करता हूं। विशेषकर इस क्षेत्र में जिस अन्य बात का मैं विरोध नहीं करता, बहुत महत्वपूर्ण है।

मैंने विकेन्द्रीकरण की बात कही है। यह ठीक है कि गैर-परम्परागत क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। विशेषकर गुजरात में कुछ प्रयास फलीभूत भी हुए हैं। मेरा सुझाव है कि वहां आप सहकारिता आन्दोलन से लाभ उठाएं। आपको इजराइल की कहानी मालूम है कि किस प्रकार वह आर्थिक रूप से इतना शक्तिशाली देश बना है क्योंकि इजराइल में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उनकी राजनीतिक नीति से तो हम सहमत नहीं हो सकते; परन्तु उन्होंने इतना विकास किस प्रकार किया? उन्होंने मोशेव और किब्बुट्ज का योगदान लिया। ये मोशेव और किब्बुट्ज, जिन्हें उन्होंने वहां संगठित किया, आत्म-निर्भर इकाइयां हैं। मुझे कुछ स्थानों का दौरा करने और यह देखने का अवसर मिला कि वे ऊर्जा किस प्रकार बनाते हैं। वे खर-पतवार से ऊर्जा पैदा करते हैं और शहर की आवश्यकता पूरी करते हैं। वे खर-पतवार एकत्र करते हैं और उसे वाहक पट्टे के द्वारा भेजते हैं। इससे भाप बनाते हैं और उसे ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। वे कहते हैं: 'यह हमारा मोशेव है'। समूचे किब्बुट्ज में वे कहते हैं कि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध कचरे से विद्युत बनाते हैं। उनकी प्रौद्योगिकी का इस प्रचार विकास हुआ है; तथा विकेन्द्रीकरण और स्वायतशासी व्यवस्था होने के कारण वे इसे इस प्रकार उपलब्ध कराते हैं।

यहां क्या होता है? यदि मेरी कोई परियोजना है अर्थात मैं कोई ताप विद्युत संयंत्र लगाना चाहता हूं तो मुझे केरल से दिल्ली आना पड़ेगा और तब इस मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अन्त में इसे स्वीकृति मिल भी सकती है अथवा नहीं भी। यदि इजराइल की भांति हमारे यहां भी विकेन्द्रीकरण होता तो अच्छा था। यह ठीक है कि रक्षित संयंत्र का आपका सुझाव इसका भाग है जिसमें उद्योगपति तथा अन्य लोग यह चाहते हैं कि उनकी अपनी इकाइयां ठीक प्रकार से चलें और उनमे कुछ निर्मित किया जाए। यह सही है कि यह विकेन्द्रीकरण का भाग है। परन्तु इसके साथ-साथ सभी के हित के परिप्रेक्ष्य में, समाज की प्रोन्नति और विकास के परिप्रेक्ष्य में यदि सहकारी समितियां, नगर

निगम, ग्राम पंचायतें विशेष क्षेत्र में उपलब्ध अपने संसाधनों से ऊर्जा का उत्पादन करना चाहें और इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण हो जाए तो आप आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विकसित देशों का यही इतिहास रहा है कि उन्होंने इन चीजों के विकेन्द्रीकरण के द्वारा, अपनी आवश्यकताएं एक साथ रखकर और अपने संसाधनों को मिलाकर और धन उपलब्ध करके इतना विकास किया है। उन्होंने इस प्रकार प्रगति की है। ऐसा करने की बजाए हम इन मामलों में सदा रास्ते से भटक गए। परन्तु गुजरात ने इस क्षेत्र में कुछ सफलता पाई हैं। गैर-परम्परागत ऊर्जा के सम्बन्ध में बायो-गैस विधि, पवन-चक्की और इसी प्रकार की अन्य विधियों के मामले में हम उचित प्रयास कर रहे हैं परन्तु ये प्रर्याप्त नहीं हैं। यदि इनकी समुचित देख-रेख की जाए तो मेरा मत है कि हम बहुत कम समय में किसी भी अन्य देश से मुकाबला कर सकते हैं। यदि हम इसी निश्चय और दिशा में आगे बढ़ें तो हम तुरन्त प्रगति कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप इसी ढंग से आगे बढ़ें, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएं और तदनुसार कार्य करें।

[हिन्दी]

श्री दामोदर पांडे (हजारीबाग): सभापति जी, इनर्जी विभाग की जो मांगें सभा पटल पर रखी गई हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मेरा विश्वास है कि जिस तरह के सफल नेतृत्व में यह ऊर्जा मन्त्रालय चल रहा है, हमारा भविष्य इनके हाथों सुरक्षित है और इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि हमारे विरोधी पक्ष के भाई ने भी यह कबूल किया है कि जो काम हो रहा है, वह बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ उनकी इतनी ही शिकायत है कि जितनी तीव्रगति से काम होने चाहिए, उतनी गतिशीलता नहीं आई है। हमारे जो विपक्ष में बैठे भाई हैं, उनकी यह मंशा बिलकुल ठीक है। वे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। सिर्फ एक चीज वे भूल जाते हैं कि यह पूरे देश का सवाल है और अकेले सरकार सब काम नहीं कर सकती। सरकार ने तो एक बहुत बड़ा काम किया है इनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और आप जानते हैं कि इसका कितना डेवलपमेंट हुआ हैं, कितना विकास हुआ है। 1947 में जहां 4 हजार मिलियन यूनिट बिजली हम पैदा करते थे, वहीं पिछले साल हमने 2 लाख मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। हम और आगे बढ़ रहे हैं और अगली पंचवर्षीय योजना में इसका और विकास होगा, लेकिन इसके बावजूद 10 हजार मेगावाट की कमी रह जाएगी। पूरी क्षमता और शक्ति का उपयोग करके जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी है, उसका पूरा उपयोग करने के बाद भी हमारी बिजली की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। इस मांग को किस तरह से पूरा किया जाए, इसके लिए सोच-विचार किया जाना चाहिए। अभी थामस साहब ने कहा कि प्राइवेट लोगों को क्यों दे रहे हैं, इसके लिए कोआपरेटिव बनाइए। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली पैदा करना कोई हंसी मजाक नहीं है। आज हम सारी क्षमता और उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक और बाई-लिटरल असिस्टेंस का उपयोग कर रहे हैं, इस काम में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ होने बावजूद भी मांग अगर पूरी नहीं हो पाती है तो प्राइवेट में इस काम को देने में कोई बुराई नहीं है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बिजली ज्यादा से ज्यादा पैदा की जाए, ताकि लोगों की मांग पूरी हो सके। केरल का उदाहरण दिया गया कि पहले वहां पर बिजली सरप्लस में थी, लेकिन आज डेफिसिट पर उतर आई है, बिजली की मांग वहां पर बढ़ी है और बढ़नी चाहिए। बिहार और उड़ीसा की भी बात की गई कि कई गांवों में आज तक लोगों ने बिजली देखी नहीं है, उनके घर मे रोशनी पहुंचनी चाहिए। इन सब कामों को पूरा करने के लिए अगर हर साधन का उपयोग करने के बाद भी डेफिसिट रहता है तो फिर जो भी स्रोत हमें मिलें, उसका स्वागत किया जाना

[श्री दामोदर पाण्डे]

चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी थामस साहब जो कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि वे अपने साथियों से एक बार फिर विचार-विमर्श करें और हम लोग भी मिलजुल कर फैसला करें कि किस तरह से देश में बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा किया जाए। इस काम को कैसे पूरा करें, इस बारे में गम्भीरता से सोचना होगा।

इस ओर जिस ढंग से काम हो रहा है, जिस तत्परता से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि हमको काफी हद तक सफलता मिलेगी। नान रेजीडेण्ट इण्डियन्स के धन के उपयोग पर भी विचार किया जा रहा है, कोआपरेटिव सेक्टर पर भी विचार किया जा रहा है, अन्य साधनों के बारे में भी सोचा जा रहा है और लोगों के घरों को रोशन करने के लिए अगर निजी उद्योग को चाहे कैप्टिव पावर प्लाण्ट के जरिए भी आगे लाया जाता है तो यह कोई अनुचित बात नहीं है। वे कम-से-कम अपने उद्योग के लिए ही बिजली का उपयोग करेंगे, वहां से बची हुई बिजली का हम खेतों में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, गरीबों के घरों को रोशन कर सकते हैं, इस निजी पूंजी से देश का विकास होगा, यह कोई गलत बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिल-जुलकर इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे।

सभापति महोदय, ऊर्जा मन्त्रालय में सिर्फ पावर ही नहीं है, पावर के अलावा देश की अर्थ-व्यवस्था ठीक तरह से चलती रहे, इसकी सारी जिम्मेवारी भी इनके कन्धों पर है। कोयला आज देश में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है और सैकड़ों वर्षों तक हमें इस पर निर्भर रहना होगा, इसके लिए भी मंत्रालय पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम सबने मिल-जुलकर और पार्लियामेंट ने इस बात को तय किया कि कोयले का सरकारीकरण किया जाए, सरकार के द्वारा इसका उपयोग किया जाए, इसकी क्षमता का जनता को अधिक-से-अधिक फायदा हो, इसका अधिक-से-अधिक उपयोग हो। इसके विकास के लिए भी कई निर्णय लिए गए और उन कामों को किया जा रहा है। जिस तरह से 10-12 परसेण्ट बिजली हर साल अधिक पैदा होती है, कोयले की रफ्तार भी उसके साथ-साथ ही चलती रही है। कोयला सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए ही नहीं चाहिए, स्टील प्लाण्ट में भी चाहिए, कल-कारखानों में भी चाहिए, सबको कोयला चाहिए, यह काम अबाध गति से चलता रहे, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन होता क्या है। कभी-कभी या तो गलतफहमी में या जान-बूझकर के या मैं शिकायत के शब्दों में कहता हूं, हमारे विरोधी दल के लोग कुछ इस तरह का रुख अपनाते हैं और कभी-कभी शायद उनको यह विश्वास हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को और उसके चक्का को जाम कर सकेंगे। देश के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। वे इनडायरेक्ट मैथड से चाहते हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था को ठप्प कर दें, उसको तकलीफ पहुंचाएं। कुछ दिन पहले हमारे भाईयों ने भारत-बन्द का आह्वान किया था। भारत में जहां रहते हैं, उसको बन्द करके रहना चाहते हैं। यह उनकी मरजी है। लेकिन भारत-बंद केवल एक दिखावा था। पब्लिक सैक्टर की ये लोग दुहाई देते हैं और कहते हैं पब्लिक सैक्टर को प्रोत्साहित करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसको मजबूत करना चाहते हैं। उस पब्लिक सैक्टर को मजबूत करने के लिए इन्होंने तीन-चार दिन की हड़ताल का आह्वान किया। पता नहीं इनकी हड़ताल से पब्लिक सैक्टर ज्यादा मजबूत हुआ या नहीं। लेकिन उतने से ही उनको सन्तोष नहीं हुआ। कोयले के बारे में इन्होंने छह दिन की हड़ताल करने का निर्णय किया क्योंकि जानते हैं कि कोयला एक अहम चीज है और छह दिन कोयला बन्द हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था बन्द हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि देश छह दिन तक कोयले की हड़ताल देश बर्दाश्त नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप भी तो सपोर्ट करने वाले थे।

श्री दामोदर पाण्डे : हम तो चालू रखने वाले थे और चालू कर दिया। आपके चाहने से कभी बन्द नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : अगर पन्द्रह से शुरू नहीं करते तो एक हफ्ते के बाद शुरू होता और आप भी सपोर्ट करते।

श्री दामोदर पाण्डे : वह तो विशफुल थिंकिंग है। आप क्या करते हैं वह तो सामने आ गया। आपकी नीयत सामने है और हमारी नीयत क्या थी वह भी सामने है।

श्री बसुदेव आचार्य : हमारी नीयत साफ है।

श्री दामोदर पाण्डे : आपकी यह जो दुरूह सन्धि थी कि कोयले को बन्द करके देश की अर्थ-व्यवस्था को चरमरा दिया जाए, बिजली, स्टील-प्लाण्ट और कल-कारखाने बन्दकर दिए जाएं, यह आपकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। कोयला मजदूर देशभक्त हैं, गद्दार नहीं हैं, दुनिया के बाहर के देश की वह दलाली नहीं करते, देश का अन्न खाते हैं और देश के लिए जीएंगे, देश के लिए मरेंगे और अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। आपके चाहने से कोयला कभी बन्द नहीं होगा।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने भी तीन दिन की हड़ताल की थी।

श्री दामोदर पाण्डे : हड़ताल की थी तो देश की अर्थव्यवस्था को बन्द करने के लिए नहीं बल्कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए और अपना हक हासिल करने के लिए हड़ताल करेंगे तो घण्टे के लिए या एक या दो दिन के लिए करेंगे। नीयत यह नहीं होगी कि छह दिन की हड़ताल हो जिसमें पावर हाऊस, स्टील प्लाण्ट व कारखाने बन्द हो जाएं। खैर, भगवान ने आपकी भी सुनी और हमारी भी सुन ली। किसने क्या किया और कहां किया, यह हमारे और आपके सामने है। सबने मिल-जुलकर प्रयास किया तो 70 प्रतिशत कोयले का उत्पादन बरकरार रहा, उसमें कोई कमी नहीं आई और 70 प्रतिशत से अधिक लोग काम पर आए और मजदूरों ने काम किया।...(व्यवधान) कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है और जिस तरह व्यवस्था हमारे और आपके सामने रखी जाती है और जो रिपोर्ट में कहा गया कि हम कोयला पैदा करेंगे तो उसमें कहां तक अप्रोच रियलिस्टीक है, यथार्थवादी है और सही दृष्टिकोण से हम काम करना चाहते हैं इसके बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता हमें महसूस होती है। पिछले साल जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसको पूरा किया। कंजम्पशन की हमने कोयले की डिमाण्ड रखी तो वह इतना हुआ कि जहां बीस मिलियन टन हमारे पास स्टाक था, इस साल तीस मिलियन टन स्टाक हो गया।

एक तरफ आप कहते हैं कि दो हजार करोड़ रु० आपने लास करके खत्म कर दिए। 20 मिलियन से 30 मिलियन टन कोयले का स्टाक जमा रहेगा तो स्टाक डिटीरिरिएट करके, उसकी हैण्डलिंग कास्ट बढ़ाकर उसका जो घाटा होगा वह कौन बर्दाश्त करेगा। आप यह निश्चित करिए कि कितने कोयले की खपत हो सकती है। आप जो लक्ष्य निर्धारित करेंगे वह कोयला खान का मजदूर पूरा करेगा। आप कैसे यह कहते हैं कि जहां मांग नहीं है, कोई अगर शोर्टेज की स्थिति आती है आप जानते हैं कि जहां दो सेर अनाज की खपत होती है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं आगे मिले या नहीं मिले इसलिए वह चार सेर रख लेते हैं। नतीजा यह होता है कि वह पड़ा रह जाता है। कोयले का उत्पादन होता है उसमें खर्चा लगता है मजदूरों को तनख्वाह देनी पड़ती है, इनपुट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स

[श्री दामोदर पाण्डे]

हैं। आपको निर्णय करना चाहिए कि कोयला उत्पन्न करना देश का काम है और पैसा नहीं देना भी देश का काम है। जो कोयला खरीदेगा उसे पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। हरियाणा सरकार ने कोयले का दाम नहीं देने का तय किया और यही नहीं इन्होंने पेनल्टी और भेज दी कि कोयले की जगह पत्थर भेज दिया है। इसी तरह से पावर हाउस की भी स्थिति है। आज 900 करोड़ रुपया देश के पावर हाउसेज के पास इनका पड़ा है। आप उसका बैंक इन्टरेस्ट ही बता दें। कोई एक-दो दिन का नहीं, बल्कि सालों साल का बाकी है, कभी दिया ही नहीं है। हरियाणा जैसे राज्य को क्या कहेंगे। कोयला आप बन्द नहीं कर सकते, वरना गलती कही जाएगी। इसलिए आपको निर्णय करना चाहिए कि कोयला देते जाओ और पैसा न मांगो। चाहे यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, हरियाणा इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड हो या सेन्ट्रल पावर सैक्टर हों, सब समझते हैं कि कोयला बन्द नहीं होगा। लेकिन वह पैसा नहीं देते हैं। उधर आप लेखा-जोखा करके कहेंगे कि दो हजार करोड़ रुपये का घाटा हो गया तो इसमें आपका कोई तालमेल ही नहीं है। आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोयला उत्पादन के साथ मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाई गयीं, उनके वेलफेयर की स्कीम्स हैं, उसमें 132 करोड़ के करीब खर्चा है। आपकी रिपोर्ट्स में बढ़िया-बढ़िया बातें होती हैं। जब रिपोर्ट चली जाती है तो कहते हैं कि बड़ा घाटा चल रहा है, ऐसा करो कि बचत करो। स्पयेर पार्ट्स और तनख्वाहें तो कम हो नहीं सकतीं न ही कट सकती हैं। इसलिए वेलफेयर का सारा पैसा इकोनोमी में काटा जाता है। मकान बनाने की चर्चा हुई है तो मकान नहीं बनाए। सारा काम उनका अधूरा पड़ा है इसलिए कि इकोनोमी कर रहे हैं। अभी आपने कहा है कि वेलफेयर में इतना पैसा खर्च करेंगे और बाद में कहेंगे कि देश में बड़ा संकट है तो यह आप क्या कर रहे हैं। फिर एक तरफ आप कहते हैं कि बी० पी० ई० नार्म्स के मुताबिक काम होना चाहिए। आप जमीन ले लेंगे, लेकिन मकान नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मकान की, रहन-सहन की सुविधा मिलनी चाहिए। क्या बी० पी० ई० कहता है कि उसके लिए पानी नहीं होना चाहिए, मजदूरों के लिए अस्पताल, दवा नहीं होनी चाहिए। इन बातों के लिए आप कुछ तो मन में निश्चय कर लें। आप बी० पी० ई० नार्म्स मानते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसमें बहुत से विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। वह निर्णय लेते हैं। हमको उनके निर्णयों को मानने में कोई ऐतराज नहीं है।

5.00 म० प०

लेकिन जो भी मापदण्ड हो वह सब पर लागू हो। यदि मकान का मापदण्ड है तो पब्लिक सैक्टर में काम करने वाले लोगों को भी आप कम-से-कम 50 प्रतिशत मकान बनाकर दीजिए। उनको एक साल के अन्दर 2 लाख मकान बनवाकर दीजिए और उसके बाद ही बी० पी० ई० नार्म्स की बात कीजिए। यदि बी० पी० ई० नार्म्स की बात कोई एक पार्टी—माने, दूसरे लोग न मानें तो उस तरह कैसे काम चलेगा। या तो आप कहें कि बी० पी० ई० नार्म्स के मुताबिक आपका जो हक बनता है, वह आपको मिलेगा, न मिलने लायक बात हो तो पहले ही बता दीजिए, लेकिन एक बार जब आप रिपोर्ट में कह दें कि वेलफेयर के लिए हम इतनी राशि खर्च करेंगे, इतना पैसा रखा है, और एक महीने बाद उस पैसे को काट दें तो वह स्थिति किसी को मान्य नहीं हो सकती। मैं जानता हूं, सैन्ट्रल कोल फील्ड में इस साल का एक पैसा ग्रान्ट नहीं किया गया क्योंकि मैं वहीं से आता हूं। पिछले साल की जितनी ग्रान्ट थी, सब काट दी गयी। जितने ऑन-गोइंग प्रोजैक्ट्स थे, सब रुके पड़े हैं, जैसे अस्पताल में बिस्तर

खरीदने के लिए पैसा नहीं, दवाइयों के लिए पैसा नहीं, इस तरह कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करें।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि आप अपनी डिमाण्डस मनवाने के लिए हड़ताल की बात क्यों नहीं सोचते लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हड़ताल अपनी जगह पर है। यदि हम देश के लिए काम करते हैं तो हमें हक है कि मुस्तैदी के साथ अपने हकों के लिए लड़ें, अपने हक हासिल करें। उसमें किसी तरह का बन्धन नहीं हो सकता और ऐसा हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आज करीब 15 महीने हो गए, हमारे एग्रीमेण्ट का नवीनीकरण नहीं हुआ, अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप जल्दी-से-जल्दी उस पर फैसला करें। हम जानते हैं कि हमारे विरोधी भाइयों के अडंगेबाजी के रवैये के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या कमजोरी है कि हम लोग आपस में ऐसा महसूस करते हैं कि मजदूरों के वाजिब हक उन्हें न दिलाकर, पहले हम राजनीति में सैटलमेंट कर लें कि किसका राज होगा, कैसा राज रहेगा, इस तरह के हालात में कभी प्रगति नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जल्दी से कोई निर्णय करे, नया वेज एग्रीमेण्ट किस तरह का हो, उसके बारे में नीति स्पष्ट करे। अब हम और अधिक दिनों तक इन्तजार के लिए तैयार नहीं हैं। इसमें कुछ तो नौन-इन्टरेस्ट वाली बातें भी हैं कि जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। यदि सरकार ने यह निर्णय कर लिया कि दस परसेन्ट प्रोविडेन्ट फण्ड वाली स्कीम लागू हो जाएगी तो उसका स्वागत है। उसी के अनुसार हम स्कीम बनाते हैं कि 8 परसेन्ट तो हमारा कटता है, जो दो परसेन्ट बचेगा, उसे हमारी कन्ट्रीब्यूटरी पेन्शन स्कीम के अन्तर्गत ले लीजिए, परन्तु एग्रीमेण्ट तो सब लोगों ने कर लिया, स्टील वालों ने भी कर लिया, भेल वालों ने भी कर लिया, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करना चाहता जबकि वह निर्णय सर्वसम्मति से हुआ था, जे० बी० सी० सी० आई० में बैठकर संयुक्त निर्णय किया गया था जिसमें सरकार भी शामिल थी और दूसरे लोग भी शामिल थे। अब समझ नहीं आता कि सरकार के द्वारा खुद किए गए निर्णय को लागू न करना, इसके पीछे मंशा क्या है? यदि सर्वसम्मत निर्णय भी लागू नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हम चाहते हैं कि पहले आप कोई ऐसा निर्णय कर लें कि किसका निर्णय सर्वमान्य होगा। यदि सरकार का निर्णय ही सर्वमान्य न हो तो हम उसमें क्या करें।

आप जानते हैं कि जिस समय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया, वह बहुत पुराना उद्योग था। जो लोग उसमें काम करते थे उनकी उम्र-सीमा या उनकी कार्यप्रणाली ऐसी नहीं थी कि आपको उसकी सही-सही जानकारी होती। अब जो लोग मेहनत मशक्कत का काम करते हैं, मलकटा हैं, कोलकटर हैं, वे काफी बूढ़े हो चुके हैं। यदि आज भी आप उनसे यही अपेक्षा करें कि जो क्षमता उनमें 1974-75 में थी, उसी क्षमता से वे आज भी कोयला ढोने का काम करें तो वह बिल्कुल असम्भव है। वैसा कभी इतिहास में सम्भव नहीं हुआ है। उन पुराने और बूढ़े लोगों के सम्बन्ध में हमने आपको सुझाव दिया था कि जो लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं उन्हें आप जाने दीजिए, यह उद्योग के हित में भी है और नए लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि आपकी तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे अक्षम लोगों के सम्बन्ध में जे० बी० सी० सी० आई० में बैठकर सभी लोगों ने निर्णय भी लिया था, जिसमें विरोधी दल भी शामिल थे, आपके लोग भी शामिल थे, उद्योग चलाने वाले लोग भी सम्मिलित थे, वह निर्णय भी आपको मान्य नहीं है तो कैसा निर्णय आपको मान्य होगा। हम चाहते हैं कि आप इस सारे मामले में अधिक विलम्ब न करते हुए जल्दी से कोई निर्णय लीजिए अन्यथा इससे जो असंतोष फैलेगा उसका लाभ हमारे विरोधी दल के लोग उठायेंगे। वे इस नाजायज फायदे को

[श्री दामोदर पाण्डे]

उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। हम भी आपके साथ बिलकुल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे और जब तक मजदूरों को उनका वाजिब हक हासिल नहीं होगा, उनके वाजिब अरमानों की पूर्ति नहीं होगी, हमें भी उसमें संघर्ष करने में कोई असुविधा नहीं होगी। जब हम आपसे संघर्ष करेंगे तो वह घरेलू संघर्ष होगा जो आपको जरा महंगा पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आप झूठमूठ के संघर्ष में हम लोगों को धकेलें, हम चाहते हैं आप इस पर निर्णय लीजिए और जल्दी से कुछ फैसला कीजिए। लोगों के जो अरमान हैं, लोग जो चाहते हैं, उसको कीजिए। वहां पर एक तरफ मसिया गिरोह सक्रिय हो रहा है और कोयला उद्योग को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। वहां पर लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। हम पूरी क्षमता से उसका मुकाबला करते हैं और सरकार भी तत्पर है और मैं समझता हूं कि सक्षम भी है, आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। मसिया गिरोह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आप उससे लोहा ले सकते हैं लेकिन जब तक लोगों को संतोष नहीं होगा, लोगों के अरमान पूरे नहीं होंगे तब तक आप इस काम में सफल नहीं हो सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि इन सब बातों के बारे में साठे साहब निश्चित मत व्यक्त करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोयला खान के 7 लाख मजदूर देश की सेवा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, उनको कोई विरक्त नहीं कर सकता है। उनको आगे बढ़ाने की ओर उनके अरमानों की पूर्ति करने की दिशा में कदम आपको उठाना चाहिए। सरकारी मशीनरी जिस तरह कछुए की चाल से चलकर सभी कामों को करती है, उसमें कुछ सक्रियता लाइए। यदि यह रवैया नहीं बदला गया तो हम सब का इसमें नुकसान होगा, देश का नुकसाम तो इसमें है ही।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस विभाग की मांगों का पूरा समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल): सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे माननीय मन्त्री साठे जी के कुशल प्रशासन एवं दिशा-निर्देश से देश में ऊर्जा की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि यह ऊर्जा साधारण लोगों को, देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो। यदि ऊर्जा सस्ती दर पर उपलब्ध होती है तो दूसरी वस्तुओं के दाम भी कम हो सकते हैं क्योंकि बिजली की आवश्यकता न केवल कारखानों और कार्यालयों में होती है, बल्कि कृषि फार्मों को पानी देने के लिए भी होती है जो कि हमारे देश की सत्तर प्रतिशत जनसंख्या द्वारा किया जाता है।

मुझे महाराष्ट्र जैसे राज्य का बाशिंदा होने पर प्रसन्नता है जहां, लगभग बारह लाख पम्पसेट है जबकि बिहार जैसे राज्य में लगभग दो लाख पम्पसैट ही हैं, जहां से मेरे मित्र पांडे जी हैं। हां, उनके राज्य से भेजे जाने वाले कोयले से ही वहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। हालांकि तापीय विद्युत केन्द्रों से उत्पादित ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, फिर भी हम पनबिजली संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न की जा रही ऊर्जा में वृद्धि चाहते हैं। हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि 500 मेगावाट के सिंगरौली एकक को दूसरे चरण को चालू कर दिया गया है और 500 मेगावाट के कोरबा एकक की भी समय से पूर्व चालू कर दिया गया है। इसलिए यदि परियोजनाओं को समय से पूर्व शुरू कर दिया जाय तो अधिष्ठापन लागत कम होता है और हम नियत समय-सीमा के भीतर उत्पादन भी प्राप्त करने लगते हैं।

5.08 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष एन० टी० पी० सी० ने 211 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इसका वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख है और एन० टी० पी० सी० के लिए यह एक शुभ लक्षण है। यद्यपि एन० टी० पी० सी० अच्छा कार्य कर सकता था तथापि सूखे के कारण पनबिजली संयंत्र अच्छा कार्य नहीं कर सके और उनका उत्पादन 1980 के उत्पादन आंकड़ों के स्तर तक नीचे पहुंच गया है। हकीकत में, इसको बढ़ना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि चीन की तरह हमें भी लघु और यहां तक कि अतिलघु पनबिजली संयंत्रों का उपयोग करना चाहिए। मेरे मित्र श्री तम्पन थामस केरल में विद्यमान स्थिति के विषय में बता रहे थे। वह भूल गए कि केरल में कुछ पनबिजली संयंत्र को स्थापित किया जाना था लेकिन कुछ विवाद के कारण, साइलेन्ट वैली प्रोजेक्ट जैसे बांध तक सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा सका। लेकिन देश के अन्य भागों में तीस्ता और रंगी जैसी नदियां है जो कि नेपाल और सिक्किम से बहुत तेज धारा के साथ बह रही हैं और यदि हम उन नदियों के पानी की गति का उपयोग कर सकें तथा पनबिजली का उत्पादन प्रारम्भ कर सकें तो इन नदियों से बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में हम समर्थ हो पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मामले में हमने वास्तव में अच्छी प्रगति नहीं की है। मैं बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में भी हमें थोड़ी प्रगति करनी चाहिए और तारापुर संयंत्र के लिए सुझाए गए प्रस्तावित विस्तार पर भी काम शुरू किया जाना चाहिए। यह सच है कि यह विषय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन है। लेकिन समय के साथ साथ परमाणु ऊर्जा को भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और चूंकि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को हम पूरी तरह से अपने देश में बनाने में समर्थ हैं—98 प्रतिशत तक कलपुर्जे हम अपने देश में ही बनाने में समर्थ हैं—हमें और अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तैयार करने चाहिए और इसी प्रकार हाइड्रोजन संद्रवण को भी आजमाया जाना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से हम गांवों पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। सन् 1947 में एक हजार गांवों में भी बिजली नहीं थी। उस समय के ग्रामीण—उस समय की पीढ़ी यह स्वप्न भी नहीं देख रही थी कि उनके घरों में बिजली से प्रकाश होगा और वे अपने खेतों में बिजली के पम्प सेट लगायेंगे। सन् 1951 में 3000 के लक्ष्य से प्रारम्भ कर पिछले वर्ष के अन्त तक 3,70,000 गांवों के लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है जहां कि बिजली की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आगामी चार या पांच वर्षों के भीतर हम देश के लगभग सभी गांवों के विद्युतीकरण का प्रयास कर रहे हैं। यह एक बहुत अच्छी उपलब्धि होगी और यदि आप चाहते हैं कि शहरों मे गंदी बस्तियों का विस्तार नहीं होना चाहिए तो हमें गांवों में बिजली, संचार सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ होना चाहिए। यदि गांवों को नियमित आधार पर चौबीस घंटे बिजली की पूर्ति की जाती है और यदि कुछ लोग लघु उद्योग शुरू कर सकें और पम्प सेट लगा सकें जिसके लिए बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहे तब उनके क्षेत्रों में अधिक उत्पादन होगा और लोग रोजगार पाने, रोजगार के अवसर पाने के लिए शहरों में आने की बजाय गांव में ही रहने का प्रयास करेंगे। इस प्रयोजन के लिए माननीय वित्त मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने "कुटीर ज्योति" के लिए जो बजट प्रावधान किया है उसका स्वागत है और सभी को चाहिए कि इसका समर्थन करें।

[श्री विजय एन० पाटिल]

महोदय, जहां तक ऊर्जा-मंत्रालय का सम्बन्ध है, ऊर्जा के उत्पादन में कोयला विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पिछले वर्ष उन्होंने लक्ष्य से अधिक कोयले का उत्पादन किया और कोयला उत्पादन सम्बन्धी दक्षता में भी वृद्धि हुई है। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि कोयला-उत्पादन सम्बन्धी दक्षता में वृद्धि के साथ, खुली खानों से अधिक कोयला उत्पादन के बावजूद, उत्पादन-लागत अभी भी क्यों बढ़ रही है? कोयले की उत्पादन-लागत कम करने के सभी सम्भव उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि दीर्घकाल में कम-से-कम कीमतों को निम्नतम स्तर पर बनाए रखा जा सके। अन्यथा बढ़ोत्तरी और भी अधिक होगी।

महोदय, मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि खुली खानों से प्रतिवर्ष लगभग 31 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ रहा है और इसके कई फायदे हैं। इसी तरह मानव-पाली (मैनाशिफ्ट) का उत्पादन जो सन् 1985 में 0.91 टन था, सन् 1988 में बढ़कर 1.02 टन हो गया है हमें आशा है कि इस दिशा में और भी प्रगति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अविष्कारों तथा ऊर्जा के नए से नए स्रोतों की मनुष्य द्वारा तलाश किए जाने से, हमें यह पता लगा है कि हमार यहां गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की काफी अधिक संभावनाएं हैं। मैं इस सदन में 1978 में भी था जिस वर्ष इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए केवल 3 करोड़ रुपए रखे गए थे। अब हम देखते हैं कि विगत 4 वर्षों के दौरान हमने इस क्षेत्र में लगभग 388 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, और यह गैर-परम्परागत ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लाभकारी है तथा बहुत व्यावहारिक भी है। हम देखते हैं कि लगभग 9 लाख गोबर गैस संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है। पिछले साल लक्ष्य से अधिक निर्माण किया गया था और ज्यादा संख्या में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की गई थी और ये गोबर गैस संयंत्र व्यक्तिगत गोबर गैस संयंत्र नहीं हैं, बल्कि हम सामुदायक गोबर गैस संयंत्रों की शुरूआत कर रहे हैं तथा इन गोबर गैस संयंत्रों का लाभ न केवल खाना पकाने के लिए ही हो रहा है, बल्कि हम हर गोबर गैस संयंत्रों से कोयले के इंजनों को चलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इससे ऊर्जा तथा जलाने की लकड़ी की बचत होगी और अततः इससे परोक्ष रूप में कोयले की भी बचत हो जाएगी।

महोदय, हमने बिलासपुर, वर्धा तथा अन्य स्थानों पर दूध भरने के संयंत्रों को लगाने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है जहां तक भारत जैसे देश का सम्बन्ध है सौर ऊर्जा की भी बहुत अच्छी सम्भावना है क्योंकि हमारे यहां 12 घण्टों से भी अधिक धूप रहती है और धूप की इस अवधि से, यदि हम इसका इस्तेमाल कम लागत पर कर सकें तो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी भारी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। गैर-परम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में, विश्व बैंक तथा अमरीका ऊर्जा विभाग ने एक अध्ययन किया है और वे इस बात पर सहमत हैं कि 29 विकासशील देशों में से भारत में वायु-ऊर्जा की भी सबसे अधिक सम्भावनाएं है और यदि इस वायु ऊर्जा स्रोत का समुचित रूप से उपयोग किया जाए तो 20,000 मैगावाट वायु ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इस दिशा में प्रयास किए भी जा रहे हैं और हम यह देखना है कि आगे वाले कम से कम समय में भी विशेष रूप से तटवर्ती इलाकों में वायु ऊर्जा का उपयोग किया जा सके और इसको राष्ट्रीय ग्रिड में शामिल किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हम ताप विद्युत संयंत्रों में जो कुछ भी देखते हैं वह कार्यनिष्पादन ही है। कभी-कभी कुछ संयंत्रों में कार्यनिष्पादन कम होता है और संयंत्र का लोड-फैक्टर औसत 53 प्रतिशत

रहता है। संयंत्रों के इस लोड-फैक्टर में सुधार की बहुत गुंजायश है और यदि इसमें सुधार कर दिया जाए तो हम सस्ती दर पर अधिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। हमारे यहां लम्बी-लम्बी ट्रांसमीशन लाइनें भी हैं और इस कारण होने वाली हानि का प्रतिशत लगभग 21 है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजली पहुंचाने में होने वाली हानि को कम करने की भी बहुत गुंजायश है। अनुसंधानों के और विभिन्न दलों तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा ली गई सिफारिशों के समुचित कार्यान्वयन के माध्यमान से यदि हम इस बरबादी को बचा सके, तो ऊर्जा की बचत की जा सकती है। हम सभी को पूरी ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री तम्पन थामस अमरीका और जापान जैसे अन्य देशों का उदाहरण दे रहे थे जहां ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत ज्यादा है। लेकिन हमें अपनी आबादी भी देखनी चाहिए। यदि हम अमरीका या जापान से अपनी जनसंख्या की तुलना करें और हमारे यहां उत्पादित यूनिटों की उनके यहां उत्पादित यूनिटों से तुलना करें तो मेरा ख्याल है, हमारे आंकड़े ही अधिक होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि औद्योगीकरण होने से, अधिकाधिक कृषि पम्पों को लगाने से तथा और अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने से, हमारी खपत और भी अधिक होती जाएगी। सन 2000 तक खपत में और तेजी से वृद्धि होगी।

हमें यह भी आशा है कि गैर-परम्परागत ऊर्जा के उपयोग के जरिए, चाहे यह सौर ऊर्जा हो या वायु ऊर्जा हो या बायोगैस से उत्पादित ऊर्जा हो या हाइड्रोजन अथवा समुद्री लहरों से उत्पादित ऊर्जा हो, यह अनुमान लगाया जाता है कि सन् 2001 तक प्रतिवर्ष 25 करोड़ टन कोयले की बचत हो सकेगी। यह कभी न खतम होने वाली ऊर्जा है। मैं मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वह इस गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करें ताकि भविष्य में हम धन लागत और कोयले की बचत कर सकें यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि कोयले की मांग कम होती जा रही है। ताप विद्युत संयंत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है और आगामी वर्षों में यदि हम अपनी बढ़ी हुई क्षमता के साथ विश्व के अन्य ताप विद्युत संयंत्रों से मुकाबला कर सकें तो हम ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत को कम करने मे कुछ न कुछ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हम प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रिड के माध्यम से सभी राज्यों को विद्युत की आपूर्ति कर सकेंगे। यह राष्ट्रीय ग्रिड सारे देश में बनाया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अताउर्रहमान (बारपेटा) : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि ऊर्जा आर्थिक उन्नति का आधार है ; ऊर्जा ऐसा मूल आधारभूत ढांचा है जो आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक है और फसल में यह उन्नति का चौथा साधन है। भूमि, श्रम और पूंजी के बाद ऊर्जा चौथा साधन है। किन्तु जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हमें खुशी है कि श्री वसन्त साठे से हमें प्रोत्साहन मिलता रहा है और उन्होंने अपनी समस्याओं को समझा है। किंतु वर्षों से हमारी अनदेखी की गई है। जब अंग्रेज यहां थे तो उन्हें केवल तेल से मतलब था। उन्हें गैस से कोई मतलब नहीं था। वे पटसन तथा ऐसे अन्य उत्पादों से मतलब रखते थे किन्तु ऊर्जा के उत्पादन की ओर उनका ध्यान नहीं था। ऊर्जा के उत्पादन के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक क्षमता है। बर्फ से ढके हिमालय पर्वत से हमारा सामीप्य तथा हिमपोषित नदियों के होने से हमें प्राकृतिक लाभ मिलता है जो बहुत से अन्य क्षेत्रों को नहीं मिलता है। इसलिए मैं इस सभा का ध्यान बांध बनाने की ओर केन्द्रित करना चाहता हूं। बांध बनाने के लिए लगभग 26 परियोजनाओं की योजना है और यदि ये सब बन

[श्री अताउर्रहमान]

जाएं तो हमें 50,000 मेगावाट बिजली मिलेगी जिससे न केवल हमारे क्षेत्र को बल्कि पूरे भारत को लाभ होगा।

हमारे यहां गैस है। हमारे यहां गैस की क्षमता भी 50,000 मेगावाट की है। इस तरफ कोई गम्भीर कदम नहीं उठाया गया है। ऊपरि असम में तथा ऊराकान क्षेत्र में हमारी गैस की क्षमता 1985-86 में 12.30 लाख घन मीटर प्रतिदिन थी और सातवीं योजना तक यह लगभग अन्त में पहुंच जाएगी, यह आंकड़े 75.40 लाख घन मीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाएंगे। मैं सभा का ध्यान ऊर्जा की सम्भाव्यता की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी कमी हमारे देश में बनी हुई है। ऊर्जा का महत्व 'डैम बस्टर्स' नामक पुस्तक मे आंका जा सकता है और बांधों का टूटना ही जर्मनी की हार का कारण था। ग्रुप कैप्टन चेशायर ने जर्मनी में अधिकतर बांधों को तोड़ने के विशेष मिशन का दायित्व सम्भाला था।

मेरा कहना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊर्जा के उत्पादन के लिए ध्यान देने की जरूरत है जोकि अब तक नहीं दिया गया है।

ये विभिन्न बांध है जो विचाराधीन हैं और जिन पर कुछ कार्य तेजी से हुआ है। रंगनदी चरण सं० 1 में 4050 लाख मेगावाट का उत्पादन होगा और इस पर 360 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। कामेंग में 6000 लाख मेगावाट, तिपाई मुख में 1500 मेगावाट ; सुबनसिरी में 4800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और सुबनसिरी ऊर्जा का सस्ते साधनों में से एक होगा। एक मेगावाट बिजली के उत्पादन हेतु 64 लाख रु० आवश्यक होते हैं। डिह्लांग में 20,000 मेगावाट और धनसिरी में 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा तथा एक और छोटी परियोजना है थांबल जिसकी क्षमता 75 मेगावाट की है। असल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को एक उद्योग माना जाए और भारत सरकार द्वारा इसे अपने हाथ में ले लेना चाहिए।

महोदय, अरुणाचल प्रदेश ने जो आपत्ति की है, जबकि वे यह नहीं जानते कि उन्हें सुबनसिरी से 30 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। उनकी आपत्ति यह है कि वे बांध के निर्माण आदि के कारण और बाद में उसके आसपास के क्षेत्र से 7000 लोगों को विस्थापित नहीं करना चाहते। यह उनका कोई अच्छा तर्क नहीं है। देश के विभिन्न भागों में कितने ही बांध बने हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। जहां तक सुबनसिरी बांध का सम्बन्ध है, 7000 लोगों के लिए, जिनके विस्थापित होने की सम्भावना है, पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। पता नहीं मन्त्रालय अरुणाचल प्रदेश सरकार से बात क्यों नहीं करती। मुझे यह जानकर खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने रंगनाधी बांध की आधारशिला रखी है। परन्तु हमारे लिए यह बहुत ही कम सान्त्वना पुरस्कार है। यदि आप उत्पादन की इकाइयों की संख्या को ही लें, तो उत्तर भारत में 530 इकाइयां हैं ; पश्चिमी क्षेत्र में 950 एकक हैं ; दक्षिणी क्षेत्र में 610 एकक हैं ; पूर्वी क्षेत्र में 490 विद्युत उत्पादन एकक हैं जोकि बड़े एकक हैं जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल 82 एकक ही हैं। अन्य क्षेत्रों की तुलना में ये आंकड़े वस्तुतः बहुत ही कम हैं लेकिन हम यह मानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। लेकिन यदि आप सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को लेते हैं, तो यह एक बड़ा क्षेत्र है। अतः अरुणाचल प्रदेश का तर्क निष्प्रभावी हो जाता है। यदि हम बड़ी परियोजनाओं को आरम्भ नहीं कर सकते हैं, तो हम ऊर्जा को बरबाद करने की बजाय

निश्चित रूप से सूक्ष्म और लघु परियोजनाओं जैसी अपेक्षाकृत छोटी परियोजनाएं आरम्भ कर सकते हैं। हमारे पास गैस के अपार भण्डार हैं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गैस की खोज की है। हमारे पास 64.09 मेगावाट गैस के भण्डार हैं और 15 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट है जिसका दस प्रतिशत प्रयोग किया जा सकता है। अतः यह एक अन्य बात है जो हमें परेशान करती आ रही है। यद्यपि गैस और तेल की खोज बहुत वर्ष पहले की गई थी, फिर भी असम में पाइप लाइनें नहीं बिछाई गई हैं। लेकिन जहां तक बम्बई और बम्बई हाई जैसे अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, गैस की खोज के 10 वर्षों के भीतर ही उन्होंने बम्बई से दिल्ली तक गैस पाइप लाइन जोड़ दी है (एच० बी० जे० परियोजना)। कम से कम यह थोड़े समय में ही चालू हो रही है। लेकिन असम या पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोई गैस पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है और असम गैस कम्पनी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को उचित महत्व नहीं दिया गया है। वस्तुतः यह कहते हुए दुख होता है कि जिस क्षेत्र में 100 वर्ष पहले तेल की खोज की गई थी, वहां हमारे घरों के रसोईघरों में गैस नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्रत्येक घर के रसोईघरों में गैस उपलब्ध है। उन्होंने गैस ऊर्जा प्राप्त करने की व्यवस्था की है और वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। हमारा देश बहुत उन्नत है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस ओर समुचित ध्यान क्यों नहीं दिया गया है। वस्तुतः श्री वसन्त साठे हमें यह बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है। इसके सम्बन्ध में कुछ बाधा है। लेकिन वह लोगों को राजी करवाने में कुशल है। वह अपनी मदद करने के लिए हमारी राज्य सरकार पर प्रभाव डालने में सफल होंगे और हम उनकी सहायता करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री वसन्त साठे इस सभा में अपनी बात कहने में बहुत स्पष्टवादी रहे हैं। वे टी० ई० पी० की हानि के बारे में बताते रहे हैं। यह एक ऐसी हानि है जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत नहीं आती है। लेकिन मेरा यह विचार है कि हमारा एक विशेष किस्म का कानून होना चाहिए जिसके अनुसार भारत सरकार के चाहने पर इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री राम सिंह यादव : इस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

श्री अताउर्रहमान : यह ठीक है। यह बात ऊर्जा मन्त्री महोदय को परेशान करती रही है। हम इसके बारे में बहुत चिंतित हैं।

मैं यहां दूसरी जो बात कहना चाहता हूं वह बम्बई के दो विख्यात अभियन्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में है जिनमें उन्होंने यह कहा है कि उन क्षेत्रों के लिए जल सप्लाई करने के लिए जल सेतु बनाए जा सकते हैं जिनमें पानी की कमी होती है। यह दूसरी बात है जिस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास उन क्षेत्रों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी है जहां सूखे के कारण पानी की विकट समस्या पैदा हो गई है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों के पानी से निश्चित रूप से सहायता की जा सकती है और यह जलसेतु नेटवर्क, जिनके सम्बन्ध में मैं जोरदार शब्दों में सुझाव देना चाहता हूं शुरू किया जाना चाहिए। मुझे हाल ही में डा० एस० के० मोदक और डा० बी० एन० पतका के बारे में जानकारी मिली है। ये दोनों बम्बई के अनुसन्धान अभियन्ता हैं जो सामाजिक इन्जीनियरी के क्षेत्र में इस प्रकार के अनुसन्धान कार्य कर रहे हैं। मेरा यह विश्वास है कि मन्त्री महोदय को इनके बारे में पता होगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

अन्त में मैं भारत सरकार से यह कहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उचित तरीके से ऊर्जा के विशाल भण्डार का उपयोग हो।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ऊर्जा मन्त्रालय ने इतनी ख्याति प्राप्त उपलब्धि हासिल की है, जिससे राष्ट्र की आय और उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा संबल और सहारा मिला है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 22245 मेगावाट जेनरेटिंग केपेसिटी का प्रावधान रखा गया है और इस वर्ष 1987-88 में 4916 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । मन्त्री जी ने आज सदन में बयान दिया है और इस बात को स्वीकार किया है कि अभी तक उत्पादन आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है और उत्पादन को बढ़ाने की अभी आवश्यकता है । इसके लिए सब तरह के प्रयास करने हैं । मन्त्री जी ने यह भी बतलाया है कि दिसम्बर 1987 में बिजली की मांग 18406 मिलियन यूनिट थी, उपलब्धि 15874 मिलियन यूनिट की थी, इस प्रकार अभाव 13.8 परसेंट था । जनवरी 1988 में यह अभाव 12 परसेंट था । फरवरी 1988 में हमारी मांग 17735 मिलियन यूनिट थी, उपलब्धि 15818 मिलियन यूनिट की थी तथा अभाव 10.8 परसेंट था । मार्च 1988 में 18350 मिलियन यूनिट की मांग थी 16672 मिलियन यूनिट उपलब्धि थी और अभाव 9.1 प्रतिशत रहा । इस तरह से मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप जो अभाव है, उसको सिंगल डिजिट में ले आए हैं और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से उनके प्रयत्न रहेंगे और हम निरन्तर मांग के अनुकूल उत्पादन में बढ़ोत्तरी करते रहेंगे ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में 5 लाख 76 हजार गांव हैं, इनमें से केवल 4 लाख 25 हजार यानी 35 प्रतिशत गांवों में बिजली उपलब्ध है । परफारमेंस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार गांवों में 70,09,863 पम्पसेट्स हैं, जिनको 1987 तक बिजली उपलब्ध कराई गई है । आज भारतवर्ष में 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, लेकिन उनको 30 प्रतिशत विद्युत उपलब्ध है और जो 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र की जनता है वह 70 प्रतिशत विद्युत का उपभोग कर रही है । इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच इतना अन्तर रहा तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र के लोगों के बराबर आर्थिक स्थिति प्राप्त करने में सैकड़ों साल लग जाएंगे, इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में वादा भी किया गया है, एक संकल्प लिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । संकल्प यह है कि बड़ी परियोजनाओं को छोड़ कर छोटी परियोजनाओं को स्वीकार किया है, लेकिन ये छोटी परियोजनाएं 1 मेगावाट की हैं, 2 मेगावाट की हैं 5 मेगावाट की हैं, इसके ऊपर वहां की राज्य सरकारें, कारपोरेशंस और कोआपरेटिव सोसायटीज रूचि नहीं लेती हैं । इसलिए आपको इसको अपने हाथ में लेकर, सेन्ट्रल इलैक्ट्रीसिटी अथारिटी या रीजनल इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड जो आपने बनाए हुए हैं, उनको यह एडीशनल जिम्मेदारी सौंपे । इस क्रियान्वित के काम को कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, इसको आपको देखना है । राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहूंगा । आपने इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर मिनी हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्वीकार किया था, उनमें से एक पर भी काम शुरू नहीं हुआ है । सातवीं पचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन होना चाहिए था । लेकिन आज ऐसी उम्मीद नहीं है कि 1990 तक उत्पादन हो सके । इसलिए उस पिछड़े क्षेत्र में जहां इंदिरा गांधी कैनाल के पानी से वहां की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, वहां वह नहीं हो पा रहा है । इसके बारे में कोई निश्चित रूप से ऐसी योजना बनानी होगी राज्य सरकारों के साथ वहां के जो राज्य विद्युत मण्डल हैं उनकी आर्थिक व्यवस्था कमजोर है इसलिए आपको

धन की व्यवस्था करनी होगी जिससे उन प्रोजेक्ट्स को सहारा दे सकें और वह प्रोजेक्ट्स आगे आ सकें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन के काम को बहुत ही सुचारु गति से चलाया। 1986-87 में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन जैसी संस्था को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, उसको 28 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। 1985-86 में वह लाभ 16 या 17 करोड़ का था। यह अपने-आप में बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आर० इ० सी० के पास जो धन है वह बहुत ही कम है जो कि 80 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए बिजली की व्यवस्था करती है। 31-3-88 को जो आपके प्रोजेक्शन्स हैं 236 करोड़ की इक्वीटी है, गवर्नमेंट लोन्स 1793.10 करोड़, मार्केटिंग बारोइंग 543.31 करोड़, रिजर्व और सरप्लस 220.0 करोड़, इस तरह से कुल 2593.07 करोड़, मात्र प्रावधान है जो भारतवर्ष की 80 प्रतिशत आबादी के लिए विद्युत का प्रावधान करती है और पम्पिग सेट्स को एनरजाइस करती है। इलैक्ट्रीसिटी बोर्डस को धन भी देते हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को हाथ में लेते हैं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं तो इस पैसे से कैसे संभव हो सकता है। इसको आप देख लीजिए। आपने बहुत अच्छा किया कि 150 करोड़ रुपए के बांड्स फ्लोट किए और एक लाख पचास हजार पम्पिग सैट्स को एनरजाइज किया। उसका भी लाभ गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश को दिया गया। मैं गलत भी हो सकता हूं, उसको आप सुधार दें। राजस्थान जैसे राज्य को जहां सूखा पड़ा हुआ है, उसका लाभ नहीं मिला है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये इलेक्ट्रीसिटी बांड्स पांच सौ करोड़ रु० के फ्लोट कीजिए और उसी अनुपात से पांच लाख पम्प एनरजाइज कीजिए। उससे उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्र की आय भी बढ़ेगा। प्रधान मन्त्री जी ने इस वर्ष 17 करोड़ 50 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दो करोड़ पचास लाख टन अधिक खाद्यान्न हमको पैदा करना है। उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। प्रधान मन्त्री जी ने अपील की है राष्ट्र के किसानों से कि हमको दो लाख पचास हजार हैक्टेयर जमीन को सिंचित करना है और सिंचाई के साधन हमको उपलब्ध करने हैं। दो लाख पचास हजार हैक्टेयर का मतलब यह हुआ कि हमको दस लाख बीघा जमीन को अतिरिक्त सिंचाई के साधन देने हैं। यह साधन आप कैसे दे सकते हैं डैम्स बनाकर दे सकते हैं, ग्राउण्ड वाटर को लेकर या ट्रीडशनल वैल्स हैं या ओपन वैल्स हैं, या ड्रीलिंग बोर्ज हैं इससे कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब आप इन सारे बोर्स को बिजली दें। बिजली देने की व्यवस्था आपके पास नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में किसानों ने 10 साल पहले से बिजली के लिए एप्लाई किया हुआ है। लेकिन उनको अभी तक बिजली नहीं मिली है। यदि आज उसी क्षेत्र में आटे की चक्की या औद्योगिक पर्पज के लिए कनेक्शन लेना हो तो एक महीने या छः महीने में मिल जायेगा। लेकिन किसानों की प्राथमिकता फिक्स कर रखी है और पांच साल तक नम्बर नहीं आता। अगर एक गांव में 100 किसान हैं तो जिसका अन्तिम नम्बर है उसे तो बहुत इन्तजार करना पड़ेगा। आंकड़ों के आधार पर आप अन्न का उत्पादन का बढ़ाना चाहते है तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप कर्जा लेते हैं पम्पिग सेट को एनर्जाइस करते हैं तो किसान को काम मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा और असिंचित भूमि सिंचित बन सकती है। राष्ट्र के उत्पादन के लिए भी आपको मदद मिलेगी। आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ स्वीकार किया है। लेकिन उन कार्यक्रमों में कौन-सा क्राइटेरिया लिया है। यह आपकी डिपार्टमेंट आफ पावर सिपोर्ट 1987-88 पृष्ठ संख्या 18 में कहा है :

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र

"75 लाख रुपए की लागत पर 15,000 पम्पसेटों को ठीक करने के लिए स्वीकृत एक

[श्री राम सिंह यादव]

प्रशासनिक योजना हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।"

[हिन्दी]

यह तीन ही राज्य आपने लिए हैं। इसलिए इस प्रकार की स्कीम्स को एग्रीकल्चर सेक्टर में उन पम्प सेटों को एनर्जाइस कर सकते हैं। इन योजनाओं को आपने तीन राज्यों में लागू किया है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां सूखा पड़ा है और पीने के पानी की कमी है, ऊर्जा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको भी आप एग्रीकल्चर स्कीम में लें। राजस्थान में पीने के पानी के लिए भी यदि बिजली नहीं मिलती है, वहां पर 500-600 फुट गहराई से पानी आता है और बिजली नहीं मिलती है तो उनको पानी नहीं मिलेगा। आपको ऐसे राज्यों में हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए पाइलट प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिए। जिससे वहां के किसानों को बिजली मिल सके। नेशनल पावर ग्रिड की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। इसके लिए आपने कई प्रयास किए है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने यह भी प्रयास किया है कि इंटरस्टेट प्रोजेक्ट्स में जो धांधली थी और अनुपात के हिसाब से बिजली उत्पादन में जो हिस्सा मिलना चाहिए था वह नहीं मिलता था। लेकिन पिछले साल से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिक सिटी अथारिटी ने अच्छा काम किया है। उसके अच्छे रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। नेशनल पावर ग्रिड बनाने के लिए आपको विशेष प्रभावी कदम उठाने चाहिए और उसको आप जो इंटरस्टेट लाइन से जोड़ना चाहते हैं वह एक अच्छा कदम है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां बिजली की कमी है, जहां पर एटोमिक प्रोजेक्ट जो 200 मेगावाट बिजली दे सकता था वह फेल हो गया, इसलिए आज वहां अधिक उत्पादन बिजली का करायें। जो वहां का इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड कर्जे में चल रहा है, ट्रांसमिशन लासेज 30 प्रतिशत है इसलिए ऐसी व्यवस्था करायें कि अधिक-से-अधिक वहां पर बिजली मिले जिससे वहां पर कृषि और उद्योग धंधे चल सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको और आपके विभाग को धन्यवाद देता हूं और ऊर्जा मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश में ऊर्जा उत्पादन के विशाल भण्डार मौजूद हैं। कोयले के बारे में यहां काफी जिक्र किया गया, हमारे देश में कोयले में काफी लम्बे समय से भण्डार हैं परन्तु अब वह भण्डार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। समय की मांग को देखते हुए, अब हमें कोयले पर आधारित बिजली घरों को छोड़ कर पनबिजली योजनाओं को ज्यादा अहमियत देनी होगी। इससे जहां हमें अधिक बिजली मिलेगी, हमारा खर्च भी कम आयेगा। हमारी सरकार को पनबिजली योजनाओं को अधिक जोर देना चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश में इस समय 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के पहाड़ी इलाकों में भी यदि नदी नालों पर पनबिजली योजनाएं स्थापित की जाएं तो उससे हमारे देश में काफी अधिक ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है। पनबिजली योजनाएं हमारे देश की परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल और लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं।

प्रधानमन्त्री जी ने अभी कल ही हमारे यहां एक पनबिजली योजना का शिलान्यास किया, साठे

साहब ने भी हमारे यहां बन रहे चमेरा डैम से हमें 12 परसेंट रौयल्टी देने का निश्चय किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में पानी के स्रोत भारी मात्रा में उपलब्ध हैं जिन पर पनबिजली परियोजनाएं बड़ी संख्या में बनायी जा सकती हैं। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करुंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आपके पास जितनी योजनाएं रिकमैंड होकर आई हैं आप यहां से उनकी स्वीकृति जल्दी से जल्दी भिजवाने का प्रयत्न करें। जितनी जल्दी हम उन परियोजनाओं का कार्य आरम्भ कर देते हैं, उतना ही वह हम सबके हित में होगा और उससे नौर्दर्न जोन को काफी फायदा पहुंचेगा। पण्डित जी ने हमारे यहां भाखड़ा डैम का सबसे पहले शिलान्यास किया था, उसकी बुनियादी रखी थी। उन दिनों हिमाचल पंजाब का एक भाग था। भाखड़ा डैम में पानी का मुख्य स्रोत हिमाचल प्रदेश से ही आता है और यह डैम हिमालय प्रदेश के ज्यूरिस्डिक्शन में पड़ता है। जिस समय पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बंटवारा हुआ तो उस समय यह तय किया गया था कि भाखड़ा डैम से हमें 7.19 परसेंट रौयल्टी मिलेगी परन्तु हमें खेद है कि आज वह मात्र दो परसेंट ही मिल रही है। मेनी मांग है कि हिमाचल प्रदेश का जितना हिस्सा बकाया बनता है, उसके सम्बन्ध में जल्दी ही कोई निर्णय लेकर, वह भाग हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी मांग करूंगा कि आगे जितनी परियोजनाएं इस तरह की बनें, जिनमें हिमाचल प्रदेश के किसी स्रोत का उपयोग किया गया हो तो उन परियोजनाओं में से भी हिमाचल प्रदेश को भागीदार मानकर 12 परसेंट की दर से रौयल्टी मिलनी चाहिए। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पनबिजली योजनाओं के निरन्तर विस्तार होने से हमारे राष्ट्र को पहले की तुलना में अधिक लाभ हो रहा है और इससे लोगों के विकास में काफी सहायता मिली है। किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हुए हैं और उनकी प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ी है। हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। ऊर्जा के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति का ही परिणाम है कि आज हम अन्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सफल हुए। इसके लिए भी हमारी सरकार बधाई की पात्र है। यदि हम 1947 से पूर्व की स्थिति देखें तो उन दिनों हमारे यहां इतनी बिजली पैदा नहीं होती थी और न पहले गांवों में बिजली दिखायी देती थी। आज मुझे यह कहते हुए फख्र है कि हिमाचल प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंच गयी है। यदि हमारी सरकार इसी तरह बिजली उत्पादन के क्षेत्र में विकास करती गई तो वह दिन दूर नहीं जब हम देश भर में तमाम गांवों के लोगों के घरों में बिजली पहुंचा देंगे। ऊर्जा पर ही हमारा विकास काफी हद तक निर्भर करता है। यदि बिजली नहीं होगी तो हमारे ट्यूबवैल नहीं चलेंगे, छोटे-मोटे उद्योग नहीं चल पायेंगे और हमारे लोगों की तरक्की रुक जाएगी। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख है कि हमारे कुछ निहित स्वार्थ के लोग सरकार की दूरदर्शिता का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की न करे, इसके लिए वे ऐजीटेशन करते हैं, बन्द का आह्वान करते हैं। वे चाहते हैं कि इस माध्यम से राष्ट्र को क्षति पहुंचाई जाए, उसकी प्रगति के मार्ग में अवरोध खड़ा किया जाए। हमारे देश में कई जगह ऐसी मजदूरों की यूनियनें बन गयी हैं, उनके कुछ नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे यह देश गलत रास्ते पर जाने को बाध्य होता है। हमें ऐसे निहित स्वार्थ के लोगों से सावधान रहना होगा। इससे हमारी आर्थिक प्रगति में ही रुकावट पैदा नहीं होती, हमारा विकास रुक जाता है। मैं अपने विपक्ष के साथियों से आग्रह करना चाहूंगा कि यह देश हम सब का है। हमें इसे सही मार्ग पर आगे ले जाना है। सबसे पहले हम इस देश को अपना देश मानें और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करने की दिशा में सहयोग करें, रात-दिन मेहनत करें और देश को आगे बढ़ायें। तभी सरकार के साथ-साथ सभी विकास कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं यहां यह कहूंगा कि बहुत से कारखाने ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरिया में लगे

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

हुए हैं और बैकवर्ड एरिया में राज्य सरकारें उनको बिजली के कनेक्शन नहीं देती हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाए क्योंकि इसका असर प्रोडक्शन पर पड़ता है। जहां बिजली कारखानेदारों को नहीं मिलेगी वहां हमारा रिटर्न भी नहीं आएगा। जिस तरह से माफिया कोयले में बने हुए हैं उसी तरह से बिजली के भी माफिया बने हुए हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुल्तानपुरी आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

सभा अब कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 6 अप्रैल, 1988/17 चैत्र, 1910 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित